वार्षिक रिपोर्ट
2020 - 2021

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मुख्यालय: ए-13, सेक्टर-1, नोएडा-201301, जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ. प्र.)
दूरभाष सं.: 0120-2544040, 2544036, 2543972 ; फैक्स सं. 0120-2543973, 2521764
ई-मेल: iwainoi@nic.in, वेबसाइट: www.iwai.nic.in

प्राधिकरण के सदस्य
(वर्ष 2020 - 2021)

		दूरभाष सं.	फैक्स सं.
अध्यक्ष	**डॉ. अमिता प्रसाद, भा.प्र.से.** (01.08.2019 से)	0120-2543972	0120-2543973
अध्यक्ष	**श्री प्रवीर पाण्डेय, भा.ले.प. एवं ले.से.** (01.08.2018 से 10.03.2021 तक)	0120-2544004	0120-2424544
सदस्य	**श्री संजय कुमार, भा.प्र.से.** अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय 01.01.2020 से)	011-23736455	
सदस्य	**श्री रजत सच्चर, भा.आ.से.** वरिष्ठ सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय (14.12.2015 से 31.10.2020 तक)	011-23716619	011-23350648
सदस्य	**श्री आलोक रंजन, आई.सी.ए.एस.** सदस्य (वित्त), भाअजप्रा 01.09.2016 से 31.08.2020 तक)		
	श्री राजेश पाठक सदस्य (वित्त), भाअजप्रा (16.10.2020 से)	0120-2544009	0120-2544009
सदस्य	**श्री विनीत कुमार, आई.आर.एस.ई.ई.** **अध्यक्ष** कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता (09.10.2017 से)	033-22303451	-
सदस्य	**श्री एस. के. गंगवार** सदस्य (तकनीकी), भाअजप्रा (31.01.2017 से 29.01.2021 तक)	0120-2521664	-
सदस्य	**श्री आशुतोष गौतम** सदस्य (तकनीकी), भाअजप्रा (18.02.2021 से)		
सदस्य	**श्री शशि भूषण शुक्ला, भा.रा.से.** सदस्य (यातायात और प्रचालन), भाअजप्रा 01.03.2018 से)	0120-2543994	0120-2543982

अन्य विवरण

		दूरभाष सं.
सचिव	**कर्नल मनीष पाठक**	0120-2543994
अंकेक्षक	**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**	011-23509600
बैंकर्स	**सिंडिकेट बैंक** परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001	011-23717573
	सिंडिकेट बैंक सैक्टर–18, नोएडा–201301	0120-2511026
	बैंक ऑफ बड़ौदा संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001	011-23448956
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सैक्टर–15, नोएडा–201301	0120-2511426
	पंजाब नेशनल बैंक सैक्टर–18, नोएडा–201301	

क्षेत्रीय कार्यालय

	दूरभाष सं.	फैक्स सं.
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गायघाट, पोस्ट– गुलज़ारबाग, पटना – 800 007 (बिहार)	0612-2310026 0612-2310057 0612-2310028 0612-2310067 0612-2630100 (टर्मिनल)	0612-2310029
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पी–78, गार्डन रीच रोड, कोलकाता – 700 043 (पश्चिम बंगाल)	033-24390393 033-24395577 033-24396055	033-24395570 033-24391710
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पांडु पोर्ट कॉम्प्लैक्स, पांडु, गुवाहाटी – 781 012 (असम)	0361-2570109 0361-2676925 0361-2676927 0361-2676929	0361-2570099 0361-2570055
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग रोड, एन. एच. 47 बाईपास, कन्नाडिक्काडू, मरडु, एर्नाकुलम – 682 304 (केरल)	0484-2295064 0484-2389804	0484-2389445

उप–कार्यालय/इकाई

	दूरभाष सं.	फैक्स सं.
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 360/एफ/44, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद – 211006 (उ. प्र.)	0532-2561151 0532-2560537	0532-2561152
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 52, द्वितीय तल, पटेल नगर, नादेसर, वाराणसी – 221002 (उ. प्र.)	0542-2505329	0542-2505329
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कमरा नं.– 309, द्वितीय तल, न्यू एसडीओ कार्यालय, सक्रोगढ़, साहिबगंज – 816109 (झारखण्ड)	07544006484	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ऑफिस बिल्डिंग नं.–1, एफबीपी ऑफिस कॉम्पलैक्स, पी. ओ.– फरक्का बैराज, जिला–मुर्शिदाबाद – 742212 (पश्चिम बंगाल)	03485-255809	03485-255809
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण फकीरतला, पी. ओ.–महेशगंज, स्वरूपगंज, नादिया – 741315 (पश्चिम बंगाल)	09830508079	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दुर्गाबाड़ी रोड टिनियाली, ए. टी. रोड, नालियापूल, डिब्रूगढ़ – 786001 (असम)	0373-2302540	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण धुब्री टर्मिनल, फ्री इंडिया घाट, धुब्री–786005	0366-2298111	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आई.डब्लू.टी. टर्मिनल सह ऑफिस कॉम्पलैक्स, आश्रमम, ईएसआई अस्पताल के निकट, कोल्लम – 691002	0474-2766460	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण परिसर सं.–191, प्रथम तल, बाया बाबा मठ लेन, यूनिट नं. 9, राधे कृष्णा मंदिर के निकट, भुवनेश्वर – 751022 (ओडिशा)	0674-2397334	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भाअजप्रा उप कार्यालय, भूतल, ब्लॉक–।, सिंचाई कार्यालय कॉम्पलैक्स, गवर्नरपेट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश – 520002	0866-2575123	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण चौथा तल, प्रोग्रेसिव मेंशन पब्लिक स्कूल रोड, सिलचर – 788005 (असम)	–	

विषय–सूची

क्रम सं.	विषय–सूची	पेज नं.
1.	अंतर्देशीय जल परिवहन (अजप) क्षेत्र – सामान्य सूचना	7
2.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) की भूमिका	8
3.	राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास	8
4.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) 1	8
5.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) 2	16
6.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) 3	19
7.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) 4	24
8.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) 5	25
9.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) –16 (बराक नदी)	26
10.	नए राष्ट्रीय जलमार्ग	27
11.	पारगमन और व्यापार पर भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल	29
12.	भारत–म्यांमार कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना	33
13.	जलीय सर्वेक्षण कार्यकलाप	35
14.	राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना	50
15.	वर्ष के दौरान यातायात, कार्गो ढुलाई का विवरण एवं अन्य विशिष्टताएं	53
16.	रा.ज.–1 पर जलमार्ग विकास परियोजना	56
17.	वित्तीय निष्पादन: आय और व्यय	129
18.	प्राधिकरण में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	131
19.	कार्मिक और प्रशासन	131
20.	तुलन पत्र	133
21.	आय और व्यय लेखा	135
22.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	137
23.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची–1)	142
24.	लेखा टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का अभिन्न भाग है (अनुसूची–2)	145
25.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सनदी लेखाकार) (अनुबंध–क)	154
26.	कार्यालय–वार भूमि विवरण (अनुबंध–ख)	159
27.	अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची (अनुबंध–ग)	174
28.	तुलन पत्र का अनुसूची अंश (अनुसूची–3 से 12)	189
29.	अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची (अनुसूची–13)	196
30.	तुलन पत्र का अनुसूची अंश (अनुसूची–14 से 23)	202
31.	आय और व्यय लेखा का अनुसूची अंश (अनुसूची–24 से 26)	210
32.	तुलन पत्र का अनुसूची अंश (अनुसूची–27)	212
33.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट	212
34.	प्रबंधन के उत्तर	215

अन्तर्देशीय जल परिवहन (अजप) क्षेत्र – सामान्य सूचना

(i) परिवहन क्षेत्र किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना है, इसमें रेलवे, सड़क मार्ग, महासागर और तटीय नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग, पाइपलाइन तथा वायुमार्ग शामिल हैं। नौगम्य जलमार्ग परिवहन का एक ईंधन-कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी साधन है। जल परिवहन एक सुरक्षित, सस्ता और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला साधन भी है। एक विकसित परिवहन प्रणाली सभी साधनों की शक्ति का उपयोग करते हुए मामले के आधार पर एक मल्टीमॉडल नेटवर्क में परिवहन की इष्टतम लागत को सक्षम करती है। इन गलियारों में, अंतर्देशीय जलमार्गों को विशिष्ट आयामों के नौवहन चैनल के साथ विकसित किया जा सकता है जिससे उन्हें लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और परिवहन के ईंधन कुशल मोड को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके, विशेष रूप से थोक माल, खतरनाक कार्गो और अधिक आयामी कार्गो के लिए। कुछ विकसित देशों (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोप के कई देशों) में, अंतर्देशीय जल परिवहन (अजप) क्षेत्र का सामान्य हिस्सा भारत के अजप क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है, इस प्रकार परिवहन के एक आत्मनिर्भर पूरक साधन के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को काफी लाभ होता है।

(ii) भारत में कई नदियाँ, नहरें, खाड़ियाँ और बैकवाटर हैं, जिन्हें लागत प्रभावी और कुशल अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में विकसित कर उनका उपयोग किए जाने की क्षमता है। 20 वीं सदी की शुरुआत तक, देश के विभिन्न हिस्सों में अजप का उपयोग परिवहन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया जाता था। हालांकि, सड़क और रेलवे के तेजी से विकास, देश में कम औद्योगिक विकास, अंतर्देशीय जलमार्गों के संरक्षण और विकास आदि पर कम ध्यान देने आदि विभिन्न कारकों के कारण, कई जलमार्गों ने रेल और सड़क मोड से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो दी।

(iii) भारत सरकार द्वारा 26 मार्च, 2016 को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 17) के अधिनियमन के माध्यम से जो 12 अप्रैल, 2016 से लागू हुआ, अंतर्देशीय जल परिवहन को तीव्रगति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के साथ, अब राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है, जिसमें पहले के अधिनियमों के माध्यम से घोषित 05 जलमार्ग शामिल हैं। 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20375 किलोमीटर हैं। ये जलमार्ग देश के 24 राज्यों में फैले हैं। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देश की जीवन रेखा बनने की ओर अग्रसर हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन (अजप) में अत्यधिक बोझ ग्रस्त रेलवे और भीड़भाड़ वाले रोडवेज का पूरक बनने की क्षमता है। कार्गो की आवाजाही के अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग संबंधित गतिविधियों जैसे वाहनों की ढुलाई (क्रॉस-फेरी के रोल-ऑन-रोल-ऑफ मोड में) और ठहरने और मनोरंजन सहित पर्यटन में एक सुविधाजनक कार्य कर सकता है।

(iv) भारत में अजप क्षेत्र वर्तमान में जिन बाधाओं का सामना कर रहा है उनमें – कम वर्षा वाले मौसम में नदियों में अपर्याप्त बहाव, जिसके परिणामस्वरूप उचित आकार के अजप जलयानों के पूरे वर्ष संचालन के लिए आवश्यक गहराई और चौड़ाई वाले अपर्याप्त फेयरवे; तटों के कटाव के कारण हर बार बाढ़ आने के बाद नौगम्य चैनल का कम बहाव, कार्गो के लदान और उतराई के लिए टर्मिनल अवसंरचना का अभाव और सड़क/रेल अवसंरचना के साथ आद्यंत सम्बद्धता; दिन और रात के समय सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए नौवहन सहायता और अजप जलयानों की कमी शामिल हैं। पर्याप्त अजप यातायात प्राप्त करने के लिए, अवसंरचना के निर्माण (मुख्य रूप से सार्वजनिक वित्त पोषण के माध्यम से) और साथ ही, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के माध्यम से अजप बेड़े के संवर्धन पर जोर दिया जा रहा है।

2. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) की भूमिका

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत नौवहन और नौवहन के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए 27 अक्टूबर, 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) का गठन किया गया था। भाअजप्रा अधिनियम, 1985 की धारा 22 के अनुसार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों का पूरा लेखा–जोखा देते हुए तैयार की जाती है और इसकी एक प्रति सरकार को प्रस्तुत करती है।

इसके अलावा, भाअजप्रा पारगमन और व्यापार हेतु भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल के तहत देश के अन्तर्देशीय जलयानों को दूसरे देश होकर भारतीय सीमा के विनिर्दिष्ट जलमार्गों का भी विकास और अनुरक्षण कर रहा है तथा कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के लिए परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में म्यांमार सरकार का भी सहयोग कर रहा है।

अजप क्षेत्र के समग्र विकास में भाअजप्रा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें व्यापार, वाणिज्य, रोजगार सृजन, पर्यटन, इत्यादि के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा समाज के असंख्यक लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्यानुकूल, सस्ता और व्यवहार्य परिवहन साधन के रूप में विकसित होने की पूरी संभावना है।

3. राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

जलमार्ग को नौवहन और नौचालन के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए तीन आधारभूत अवसंरचनाए आवश्यक हैं। ये आवश्यकताएं हैं (i) अंतर्देशीय जलयानों के लिए उचित आकार के पर्याप्त गहराई और चौड़ाई युक्त नौवहन चैनल; (ii) दिन और रात में नौवहन के लिए नौचालन संबंधी सहायता और (iii) जलयानों की बर्थिंग, कार्गो/यात्रियों के लदान और उतराई और सड़क/रेल सम्बद्धता प्रदान करने के लिए टर्मिनल प्रदान करना।

4. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.) –1

हल्दिया (सागर) और प्रयागराज (1620 किमी) के बीच गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग –1 (रा.ज.–1) घोषित किया गया था। भाअजप्रा जलमार्ग पर नाव्यता में सुधार के लिए जलमार्ग पर बैंडलिंग, ड्रेजिंग जैसे विभिन्न विकासात्मक नदी संरक्षण कार्यों के साथ–साथ इसकी नौगम्यता और भाअजप्रा अधिनियम, 1985 (1985 का 82) में निर्धारित नौवहन सहायता और टर्मिनल सुविधाओं जैसे अन्य अवसंरचनात्मक विकास और रखरखाव के कार्य भी कर रहा है। ।

इसके अलावा, जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत वाणिज्यिक नौवहन को सक्षम करने के लिए इसकी क्षमता में वृद्धि की जा रही है। वर्तमान में, जलमार्ग का उपयोग निजी मालवाहक जलयानों, पर्यटक जलयानों, ओडीसी वाहकों और भाअजप्रा जलयानों के आवागमन आदि के लिए भी किया जा रहा है। गंगा नदी के साथ/उसके आसपास थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए, रा. ज. –1 बड़े आकार के कार्गो की व्यापक आवाजाही (ओडीसी) और एनटीपीसी परियोजनाओं के लिए आयातित कोयले और फ्लाई ऐश की निकासी का परिचालन किया जा रहा है।

जेएमवीपी के अंतर्गत एक सतत आर्थिक विकास मॉडल परियोजना जेएमवीपी–II (अर्थ गंगा) की अनुमानित लागत 746 करोड़ रुपए है, जिसकी परिकल्पना गंगा नदी के भीतरी इलाकों और उसके आसपास की गतिविधियों के लिए की गई है, रा.ज.–1 यात्रियों और पर्यटक आवागमन के माध्यम से किसानों, व्यापारियों, छोटे पैमाने के उद्योग, सांस्कृतिक एकीकरण को समर्थन देने का अवसर प्रदान करता है। जेएमवीपी–II (अर्थ गंगा) के अंतर्गत लगभग 62 सामुदायिक घाटों के विकास से यात्री और माल/स्थानीय उत्पादों के परिवहन की सुविधा होगी, जिससे गंगा नदी के किनारे की बस्तियों को जोड़ा जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, रा.ज.-1 पर फेयरवे, नौवहन सहायता और टर्मिनल सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं:

4.1 फेयरवे विकास :

सुरक्षित नौवहन के उद्देश्य से रा.ज.-1 में लक्षित गहराई और चौड़ाई वाले फेयरवे का रखरखाव किया जा रहा है। यह कार्य रा.ज.-1 के त्रिवेणी-वाराणसी खंड (लगभग 1200 किमी) में बैंडलिंग, ड्रेजिंग जैसे नदी संरक्षण उपायों को अपनाकर पूरा किया गया था। सागर से बलिया तक 1140 किलोमीटर खण्ड में 24 घंटे की नौवहन सहायता प्रदान की जा रही है और रा.ज.-1 के पूरे खंड में दिन के समय नौवहन के डे चैनल मार्क्स प्रदान किए जा रहे हैं।

हल्दिया और त्रिवेणी (196 किमी) के बीच का खंड ज्वारीय है और इसमें 3.0 मीटर से अधिक की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। भाअजप्रा न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए त्रिवेणी-वाराणसी खंड में फेयरवे विकास के लिए नदी संरक्षण कार्य कर रहा है। इसके अलावा, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रा.ज.-1 की संबंधित पहुंच में लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित गहराई अनुबंध भी किए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 में, फेयरवे को बनाए रखने के लिए त्रिवेणी-राजमहल (390 किमी) खंड में 4800 मीटर और कहलगांव-वाराणसी (लगभग 628 किमी) खंड में 13200 मीटर के बैंडलिंग कार्यों को निष्पादित किया गया, इसके अलावा, त्रिवेणी-राजमहल खंड में 1.5 लाख घनमीटर में सुनिश्चित गहराई अनुबंध के अंतर्गत किए गए ड्रेजिंग के अलावा भाअजप्रा के ड्रेजर को तैनात कर ड्रेजिंग का कार्य किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता ने प्रोटोकॉल मार्ग सहित रा.ज.-1 में 8.45 करोड़ के राजस्व सृजन के साथ 83.99 लाख टन कार्गो परिवहन दर्ज किया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के किनारे बनाया गया बंदल

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर ड्रेजिंग का कार्य प्रगति पर है

वर्ष 2020-21 में रा.ज.–1 के विभिन्न हिस्सों के लिए अनुरक्षित एलएडी का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) हल्दिया – फरक्का खंड	(560 किमी)	–	2.6 मी से 3.0 मी
(ख) फरक्का – बाढ़ खंड	(400 किमी)	–	2.1 मी से 3.0 मी
(छ) बाढ़–गाजीपुर खंड	(290 किमी)	–	1.5 मी से 2.5 मी
(घ) गाजीपुर– वाराणसी खंड	(140* किमी)	–	1.0 मी से 2.20 मी

रा.ज.–1 के वाराणसी–/प्रयागराज (230 किमी.) खंड में 0.8-1.5 मीटर की एलएडी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थी।

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) का परिवहन

4.2 पर्यटन का विकास:

महामारी के प्रकोप के कारण वर्ष 2020-21 में पर्यटक जलयानों की आवाजाही रुक गई थी। हालांकि, भाअजप्रा ने पर्यटन को बढ़ावा देने और क्रूज जलयानों की सुगम और सुरक्षित बर्थिंग की सुविधा के लिए जमा आधार पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से प्रयागराज में 02, वाराणसी, भागलपुर और कोलकाता में प्रत्येक में पर्यटन स्थलों पर 01 पर्यटक जेटी अर्थात् 05 जेटियों का विकास किया है।

इन पर्यटक घाटों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सीएफए फंड से विकसित किया जाएगा।

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान आर.वी. कलाव पांडव

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान आरवी कथा पांडव

4.3 टर्मिनल सुविधाएं:

पटना (बिहार) में निम्न और उच्च स्तरीय जेटी क्रमशः 2008 और 2012 से काम कर रहे हैं, जो कार्गो के यांत्रिक परिचालन में सक्षम हैं। इस टर्मिनल पर बंकरिंग और भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध है।

रा.ज.-1 पर गायघाट जेट्टी, पटना

कोलकाता में एक स्थायी टर्मिनल, जीआर जेट्टी-2, नवंबर, 2013 से सामान्य कार्गो के निपटान के लिए परिचालित है।

वर्तमान में यह जेट्टी, भाअजप्रा के साथ एक अनुबंध के अंतर्गत पीपीपी मोड में परिचालित करने के लिए मेसर्स समिट अलायंस को सौंप दी गई है।

जीआर जेट्टी-2 कोलकाता में स्थायी टर्मिनल

इसके अलावा, रा.ज.-1 पर फरक्का और पाकुड़ में स्थायी जेटी भी मौजूद हैं और ट्रांसपोर्टरों/शिपर्स/क्रूज जलयानों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर हल्दिया और इलाहाबाद के बीच 20 स्थानों पर फ्लोटिंग जेट्टी परिचालन में हैं जिनका उपयोग जलयानों की बर्थिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और उपयोगकर्ताओं/पर्यटकों के चढ़ने/उतरने की सुविधा के लिए किया जा रहा है।

रा.ज.–1 के फ्लोटिंग टर्मिनल पर आसीन अलकनंदा क्रूज

इन 20 फ्लोटिंग टर्मिनलों के स्थान निम्नानुसार हैं:

(i) पश्चिम बंगाल में हल्दिया, बज–बज, बीआईएसएन, बॉटनिकल गार्डन (कोलकाता), शांतिपुर, स्वरूपगंज, कटवा, हजारदुआरी, डाउनस्ट्रीम (डी/एस) फरक्का और अपस्ट्रीम (यू/एस) फरक्का;

(ii) झारखंड में राजमहल (मंगलाहाट) और साहिबगंज (समदाघाट) और बिहार में बटेश्वरस्थान, भागलपुर, मुंगेर, सेमरिया और बक्सर; तथा

(iii) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर/राजघाट, रामनगर (वाराणसी) और इलाहाबाद टर्मिनल।

सड़क–जलमार्ग सम्बद्धता की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार, इन फ्लोटिंग जेट्टी को राष्ट्रीय जलमार्ग –1 के विभिन्न स्थलों पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12.09.2019 को जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, साहिबगंज (झारखंड) में रा.ज.–1 पर एक और मल्टी–मोडल टर्मिनल (एमएमटी) का उद्घाटन किया गया, इसके अतिरिक्त, 12.11.2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, वाराणसी (उ.प्र.) में विश्व बैंक की सहायता से निर्मित, मल्टी–मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) का उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है और यह परिचालन में है।

जल मार्ग विकास परियोजनाओं का विवरण इस रिपोर्ट के एक अलग खंड में शामिल है।

4.4 नौचालन संबंधी सहायता:

चौबीसों घंटे नौवहन की सुविधा के लिए सागर से बलिया तक, 1140 किमी में 24 घंटे नौचालन सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें लाइट–फिटेड कंट्री बोट/बांस की संरचनाएं, एमएस पोल और ट्रेसल बीकन टावर शामिल हैं, जो चौबीसों घंटे नौचालन की सुविधा प्रदान करते हैं और पूरे एन–डब्ल्यू–1 में डे चैनल संकेत प्रदान करते हैं।

दिन में दाहिनी ओर का संकेत

देशी नौका पर रोशनी

प्रकाश स्तंभ पर रोशनी

स्टील के खंभे पर रोशनी

भाअजप्रा पाक्षिक आधार पर नियमित रूप से तलस्पर्शी सर्वेक्षण कर रहा है और परिचालकों/उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए नदी आधारित सूचना (रिवर नोटिस) जारी कर रहा है।

रा.ज.–1 पर जलीय सर्वेक्षण करने वाले भाअजप्रा जलयान

भाअजप्रा प्रचालकों को आवश्यकता के आधार पर पाइलटेज भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, जलमार्ग पर 24 घंटे, अत्याधुनिक नौवहन सहायता प्रदान करने के लिए, स्वरूपगंज, भागलपुर, पटना और वाराणसी में डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) स्टेशन आरंभ किए गए हैं और ट्रांसपोर्टरेस/शिपर्स के उपयोग के लिए पूरे जलमार्ग को परिचालन के लिए खोला किया गया है।

रा.ज.–1 पर विश्व स्तरीय नदी सूचना प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ की गई है। हल्दिया–फरक्का खंड के बीच चरण–I परियोजना में 5 बेस स्टेशन शामिल हैं, जिसमें 2 नियंत्रण स्टेशन और 30 जलयान स्टेशन शामिल हैं। फरक्का–पटना खंड के बीच चरण–द्वितीय परियोजना के 5 बेस स्टेशन और 1 नियंत्रण स्टेशन को भी चालू कर दिया गया है। इसके अलावा, पटना–वाराणसी के बीच 3 बेस स्टेशनों और 1 नियंत्रण स्टेशन वाले आरआईएस स्टेशनों के चरण–III को भी चालू कर दिया गया है।

फरक्का में नदी सूचना प्रणाली स्टेशन

4.5 फ्रेट विलेज (कार्गो ढुलाई गांव) :

वाराणसी और साहिबगंज में विकसित मल्टी मॉडल टर्मिनलों पर लॉजिस्टिक लागत को अनुकूलित करने और कार्गो के एकत्रीकरण और उन्हें अलग करने के लिए, 100 एकड़ भूमि पर फ्रेट विलेज (एफवी) के नाम से विकसित किए जा रहे लॉजिस्टिक्स पार्क के अलावा 120 एकड़ भूमि पर क्रमशः वाराणसी, यूपी और साहिबगंज, झारखंड में औद्योगिक क्लस्टर सह लॉजिस्टिक पार्क (आईसीएलपी) विकसित किया जा रहा है।

इस संबंध में, पूर्व निवेश गतिविधियों अर्थात् भूमि अधिग्रहण, डीपीआर तैयार करने, परामर्श आदि के लिए डीआईबी द्वारा एफवी, वाराणसी के लिए 165 करोड़ रुपए और आईसीएलपी, साहिबगंज के लिए 72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

वाराणसी में फ्रेट विलेज

साहिबगंज में आईसीएलपी का खाका (लेआउट)

4.6 कार्गो संचालन :

वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का उपयोग करते हुए हल्दिया-राजमहल-वाराणसी खंड के बीच स्टोन चिप्स, कोयला, माल, ओडीसी, फ्लाई ऐश आदि से युक्त 9.21 एमएमटी कार्गो का परिवहन किया गया है। इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल) को 03 भाअजप्रा जलयानों, अर्थात् एमवी आर एन टैगोर, एमवी लाल बहादुर शास्त्री, एमवी होमी भाभा को सौंपने के लिए 2020-21 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एमवी आरएन टैगोर पर वाराणसी से उर्वरक ले जाने वाले 05 कंटेनरों और पटना से पॉलीप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स के साथ वाराणसी से कोलकाता के लिए अनुसूचित सेवा का परीक्षण किया गया था, जिसके बाद नियमित

रूप से अनुसूचित सेवाओं का परीक्षण किया गया था।

(i) एमवी आरएन टैगोर जलयान के साथ कोलकाता से पटना

(ii) एमवी लाल बहादुर शास्त्री जलयान 58 टन चावल की भूसी के साथ वाराणसी और पटना से कोलकाता

(iii) एमवी आरएन टैगोर जलयान के साथ 2020-21 में पटना से कोलकाता की यात्रा पूरी की गई।

मैरीटाइम इंडिया समिट 2020-21 के दौरान, भाअजप्रा ने एमएमटी साहिबगंज की सड़क रेल सम्बद्धता के लिए आईपीआरसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

कोविड–19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (आईबीपी मार्ग) पर यातायात की आवाजाही जारी रखने का प्रयास किया गया। आईबीपी मार्ग जहाँ आरंभ में विदेशी जहाज के प्रवेश को रोक दिया गया था, उसे बांग्लादेशी जहाज और कार्गो के परिवहन के लिए चालक दल के प्रवेश के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अनुमोदन के परामर्श से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करके बहाल किया गया। इससे थर्मल पावर स्टेशनों से फ्लाई ऐश निकालने और संचालन में रखने में सहायता मिली।

5. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.) -2:

सादिया से बांग्लादेश सीमा के धुबरी (891 किमी) के पास तक ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है, जो रा.ज.–2 का निर्माण करती है, जिसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। कई नदियाँ इस महानदी में मिलकर मछली की हड्डी **जैसी** संरचना बनाती हैं। एनईआर में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की सहायक नदियों के लगभग 1687 किलोमीटर हिस्सों की पहचान की गई है, जिनको फीडर मार्गों के रूप में विकसित करने की संभावना है। रा.ज.–2, 1700 किलोमीटर के भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों के माध्यम से एनईआर को वैकल्पिक सम्बद्धता प्रदान करता है। 2020-21 के दौरान, रा.ज.–2 पर फेयरवे, नौवहन सहायता और टर्मिनल सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं:

5.1 फेयरवे का विकास:

धुबरी–पांडु (**255** किमी) और पांडु–नेमाती (**374** किमी) खंड में न्यूनतम **45** मीटर चौड़ाई और न्यूनतम **2.5** मीटर उपलब्ध गहराई (एलएडी) का एक नौगम्य फेयरवे बनाया गया है। नेमाटी–डिब्रूगढ़ खंड में**, 350** दिनों के लिए **2.0** मीटर एलएडी बनाए रखा गया था। डिब्रूगढ़–सादिया (ओरियमघाट) खंड में**, 1.5** मीटर के एलएडी को पूरे वर्ष नौवहन के लिए बनाए रखा गया था। इस एलएडी को बनाए रखने के लिए, वित्तीय वर्ष **2020-21** में **37** स्थानों पर **24,900** मीटर बैंडल बनाए गए थे और इनका रखरखाव किया गया ।

बंडल की विशिष्ट तस्वीर

सीएसडी मंडोवी द्वारा पांडु में ड्रेजिंग

5.2 स्थाई (मौजूदा) टर्मिनल : पांडु (गुवाहाटी) रा.ज.–2 पर मल्टीमॉडल नदी पत्तन के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए पांडु में टर्मिनल के चरणबद्ध विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था और उसी के अनुसार विकास किया गया। 2009 में ₹ 40.02 करोड़ की लागत से एक निम्न–स्तरीय जेट्टी आरंभ की गई। वर्ष 2014-15 में ₹ 43.89 करोड़ की लागत से कंटेनरों सहित यांत्रिक परिचालन सुविधा के साथ पूरे वर्ष संचालन के लिए एक उच्च–स्तरीय जेट्टी भी

आरंभ की गई।

एनएफ रेलवे के माध्यम से ₹16.46 करोड़ की लागत से पांडु पत्तन को कामाख्या रेलवे स्टेशन (गुवाहाटी) से जोड़ने वाली एक ब्रॉड-गेज रेलवे साइडिंग का निर्माण किया गया है और 2013 में एनएफ रेलवे द्वारा इसे वाणिज्यिक प्रचालन के लिए खोला गया है। भाअजप्रा ने तीसरे पक्ष द्वारा कार्गो की आवाजाही के लिए बीजी साइडिंग का उपयोग करने के लिए एनएफ रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

धुबरी में रो-रो टर्मिनल

धुबरी में 2017 में ₹47.00 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी टर्मिनल का निर्माण पूरा किया गया और इसे आरंभ कर दिया गया।

इसने जोगीघोपा पुल के माध्यम से 220 किमी लंबे एक घुमावदार सड़क मार्ग से बचने के लिए, हत्सिंगमारी के माध्यम से मेघालय को धुबरी (नदी मार्ग से 29 किमी) से सीधी अजप सम्बद्धता प्रदान की है। सीपीडब्ल्यूडी ने हत्सिंगिमारी में काम आरंभ किया; हालाँकि, टर्मिनल के निर्माण के लिए चुनी गई लगभग पूरी भूमि नदी के कटाव से नष्ट हो गई है जिससे वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी स्थायी संरचना का निर्माण करना मुश्किल हो गया है।ब्रह्मपुत्र बोर्ड इस स्थान पर लगभग 5 किमी लंबाई में तट की सुरक्षा के लिए एक परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। हालांकि, इसके बाद तट का स्थिरिकरण लागू करने में कुछ समय लगेगा।

5.3 फ्लोटिंग टर्मिनल:

ब्रह्मपुत्र नदी में जल स्तर के बड़े अंतर (क्षैतिज और लंबवत दोनों) के कारण, स्थायी टर्मिनलों का निर्माण करने में अधिक पूंजी लगती है। इसलिए, फ्लोटिंग टर्मिनलों को नौ (09) चिन्हित स्थान धुबरी, जोगीघोपा, पांडु, उजान बाजार, सिलघाट, विश्वनाथघाट, नीमती, बोगीबील और ओरियमघाट प्रदान किए गए हैं।

5.4 नौचालन संबंधी सहायता:

दिवस नौचालन हेतु संपूर्ण जलमार्ग में चैनल चिन्ह लगाए गए और अनुरक्षित किए गए। धुबरी और सिलघाट (440 किमी) के बीच रात्रि नौवहन सहायता भी प्रदान की गई है और उनका अनुरक्षित किया जा रहा है। पूरे जलमार्ग में पाक्षिक/मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया गया है और अजप परिचालकों को फेयरवे संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए नदी संबंधी सूचनाएं नियमित रूप से जारी की गई हैं। इसके पूरक के रूप में, पूरे रा.ज.-2 पर डीजीपीएस सम्बद्धता की सुविधा के लिए धुबरी, जोगीघोपा, सिलघाट और डिब्रूगढ़ में डीजीपीएस स्टेशनों को आरंभ किया गया है। सिलघाट में भारी कटाव के कारण सिलघाट के डीजीपीएस स्टेशन को विश्वनाथघाट मे विस्थापित कर दिया गया है.

नदी पर्यटन:

काजीरंगा और ओरंग में वन्य जीव अभ्यारण्यों की उपस्थिति तथा ब्रह्मपुत्र (रा.ज.-2) के तट पर स्थित सुआलकुची, सिबासागर और कमलाबाड़ी जैसे पर्यटन के अन्य दर्शनीय स्थल ने इस महानदी में नदी पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने में सहायता की है। हर वर्ष विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ, तीन पर्यटक जहाज, असम बंगाल नौवहन प्राइवेट लिमिटेड के एमवी चैराइड्यू और एमवी चेयरैड्यू-I, एडवेंचर रिसॉर्ट्स एंड क्रूज़ प्राइवेट लिमिटेड के एमवी महाबाहू और ब्रह्मपुत्र क्रूज़ के एमवी मानसपुत्र, नियमित रूप से धुबरी/पांडु और नेमाती के बीच परिचालन कर रहे हैं।

नेमाटी की यात्रा पर क्रूज़ **जलयान** एम वीचरायड्यू

6. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.) -3:

6.1 रा.ज.-3 के एडप्पल्लीकोट्टा - कोल्लम खंड में कैपिटल ड्रेजिंग:

रा.ज.-3 के एडाप्पल्लीकोट्टा- कोल्लम खंड में नवंबर, 2015 नें मेसर्स योजाका (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मैंगलोर को को कैपिटल ड्रेजिंग प्रदान की गई जिसे जून, 2020 तक संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया था। इस अनुबंध के अंतर्गत 2.61 किलोमीटर लंबाई में कुल 1.80 लाख घन मी. ड्रेजिंग के साथ-साथ 2.67 किलोमीटर में रिप-रैप प्रकार की तट सुरक्षा प्रदान की गई और पूरी की गई।

6.2 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) से नए रो–रो जलयानों (2 अदद) का अधिग्रहण :

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के माध्यम से दो रो–रो जलयानों अर्थात् 15 टीईयू के परिवहन की क्षमता वाले एम.वी. सीवी रमन और एम.वी. आदि शंकर का निर्माण किया गया था और 28.09.2020 को इन्हें सफलतापूर्वक आरंभ किया गया था। मेसर्स केरल शिपिंग एंड इनलैंड नौवहन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केरल सरकार का एक उपक्रम) के साथ एक परिचालन और रख़रखाव (ओ एंड एम) अनुबंध के माध्यम से, इन जलयानों को रा. ज. –3 पर विलिंगडन द्वीप और बोलघट्टी द्वीप के बीच कंटेनर ट्रेलरों के परिवहन के लिए तैनात किया गया था। रो–रो सेवा के आरंभ होने से कोच्चि शहर की सड़कों पर सड़क की भीड़/कंटेनर यातायात में कमी आएगी और अजप मोड के माध्यम से आईसीटीटी, वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल पर गंतव्य तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

6.3 केरल शिपिंग एंड इनलैंड नौवहन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसआईएनसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:

दो रो-रो जलयानों एम.वी. सीवी रमन और एम.वी. आदि-शंकर के परिचालन और अनुरक्षण के लिए 24.10.2020 को भाअजप्रा और केएसआईएनसी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भाअजप्रा के स्वामित्व वाले रो-रो जलयानों को 15 वर्षों के लिए कोच्चि में विलिंगडन द्वीप और बोलघाटी के बीच रो-रो सेवा के संचालन के लिए मेसर्स केएसआईएनसी को सौंपा गया। रा.ज.-3 पर कोच्चि में विलिंगडन द्वीप और बोलगाटी द्वीप के बीच रो-रो सेवाएं 11.01.2021 को मेसर्स केएसआईएनसी के माध्यम से आरंभ की गई।

6.4 मेसर्स केएसआईएनसी लिमिटेड द्वारा कोच्चि से केएमएमएल तक बार्ज का ट्रायल रन:

मेसर्स केएसआईएनसी ने 10.10.2020 को आरंभ किए गए अपने बार्ज "एमवी भारत" का उपयोग करके कोच्चि से केएमएमएल, चावरा तक एक ट्रायल रन 12.10.2020 को सफलतापूर्वक पूरा किया। परीक्षण उद्देश्य के लिए बार्ज को 200 मीट्रिक टन पानी से भरा गया था और 135 किमी की दूरी तय की। रा.ज.-3 पर बार्ज (अजप मोड) द्वारा कोच्चि से केएमएमएल तक फर्नेस ऑयल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रस्तावित संचालन से पहले यह परीक्षण किया गया।

केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड, चावरा के साथ केएसआईएनसी बार्ज *"एमवी भारत"*

6.5 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को रो-रो जलयानों का समर्पण:

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14.02.2021 को कोच्चि में एक वर्चुअल फ्लैग-ऑफ समारोह द्वारा भाअजप्रा के स्वामित्व वाले रो-रो जलयानों (2) को राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

6.6 रा.ज.-3 पर श्रीकुन्नपुझा में नए नौवहन लॉक-गेट का निर्माण:

वर्ष 2017 के दौरान कुल 38.00 करोड़ रुपए की लागत से रा.ज.-3 पर श्रीकुन्नपुझा में नेविगेशनल लॉक-गेट के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई और केरल सरकार के सिंचाई विभाग को यह कार्य डिपोजिट कार्य के रूप में सौंपा गया। भाअजप्रा द्वारा कुल 33.00 करोड़ रुपए की राशि निदेशक, अंतर्देशीय नौवहन विभाग (आईएनडी), केरल सरकार, कोल्लम के पास जमा की गई। अगस्त 2018 में अंतर्देशीय नौवहन विभाग (आईएनडी), केरल सरकार द्वारा दिया गया निर्माण कार्य और अब तक प्राप्त की गई कुल भौतिक प्रगति 45% है। श्रीकुन्नपुझा में नए लॉक-गेट के पूरा होने की संशोधित तिथि 31.03.2022 है।

6.7 मेसर्स किटको लिमिटेड, कोच्चि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:

रा.ज.–3 पर परामर्श सेवा के माध्यम से तकनीकी सहायता/अध्ययन करने के लिए भाअजप्रा और मेसर्स किटको लिमिटेड, कोच्चि के बीच 25.02.2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6.8 माल ढुलाई में वृद्धिः

वित्तीय वर्ष 2019–20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वार्षिक कार्गो आवाजाही में 28% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रा.ज.–3 के माध्यम से 7.35 लाख टन कार्गो दर्ज किया गया था और पिछले वित्तीय वर्ष 2019–20 के 5.74 लाख टन कार्गो की तुलना में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी।

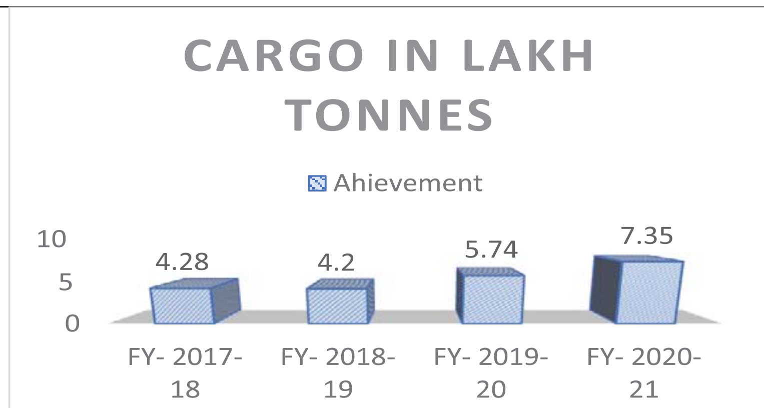

7. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.)–4:

वर्ष 2008 में 1078 किमी लंबे रा.ज.–4 की घोषणा की गई, जिसमें नहरों और कालू घाटी टैंक का काकीनाड़ा–पुदुचेरी प्रखण्ड, गोदावरी नदी का भदराचलम–राजामुंदरी प्रखण्ड और कृष्णा नदी का वज़ीराबाद–विजयवाड़ा प्रखण्ड शामिल है। साथ ही, कृष्णा नदी में वज़ीराबाद से गालागली (628 किमी) और गोदावरी नदी में भदराचलम से नासिक (1184 किमी) की अतिरिक्त पहुँच के साथ रा.ज. अधिनियम–2016 के द्वारा प्रखण्ड का विस्तार किया गया है। विस्तार करने के बाद रा.ज.–4 की कुल लंबाई 2890 किमी है। चरण–। में कृष्णा नदी के विजयवाड़ा से मुक्तयाला (82 कि.मी.) प्रखण्ड के बीच विकास हेतु रु. 96.0 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत की गई है। चरण–। प्रखण्ड में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :

i) जटिल छिछले स्थानों पर ड्रेजिंग का काम पूरा हो गया है।

ii) मुक्तयाला, हर्षचंद्रपुरम और इब्राहिमपतनम में स्थायी रो-रो टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।

iii) तीन फ्लोटिंग टर्मिनलों का निर्माण पूरा हो गया है और चौथे का कार्य प्रगति पर है।

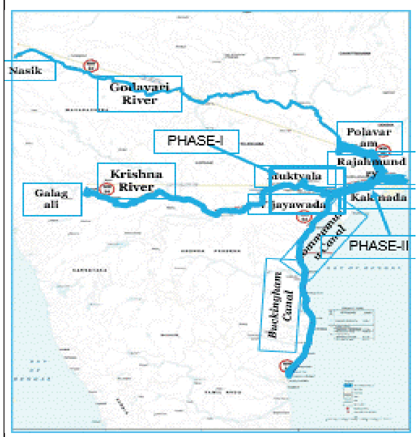

राष्ट्रीय जलमार्ग-4

फ्लोटिंग टर्मिनल

8. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.) –5:

8.1 भारत सरकार ने नवंबर 2008 में महानदी/ब्राह्मणी डेल्टा, मताई नदी और पूर्वी तट नहर (ईसीसी) में 588 किमी की कुल लंबाई को राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (रा. ज.-5) घोषित किया। मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में फैली ब्राह्मणी/महानदी नदी की घाटियों में खनिजों, कोयला, लौह अयस्क और विभिन्न औद्योगिक और कृषि उत्पादों के बड़े उत्पादन के समृद्ध भंडार हैं। रा. ज.-5 के माध्यम से परिवहन की जाने वाली संभावित वस्तुओं को तीन समूहों- खनिज (कोयला, लौह अयस्क), कृषि उत्पाद (धान, चावल, पुआल, पशु चारा, मछली, जूट) और तैयार माल/निर्मित उत्पाद (कलिंगनगर से उद्योग, वस्त्र और वन) में विभाजित किया जा सकता है। सूचकांक नक्शा नीचे दिया गया है:

8.2 आयोजित व्यवहार्यता अध्ययन और 2016 में प्रस्तुत डीपीआर के आधार पर और विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से उत्पन्न कार्गो परिवहन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, आरंभ में पारादीप/धामरा के बीच रा. ज.-5 के 332 किलोमीटर को आर्थिक और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हिस्सों और तालचेर को निम्नलिखित 2 चरणों में विकसित करने का निर्णय लिया गया था और धामरा से जिओंखली तक जलमार्ग की शेष लंबाई को विकास के लिए व्यवहार्य नहीं माना जाता है:

i. चरण– I: पारादीप/धामरा और पंकपाल के बीच: 212 किमी।

ii. चरण– II: पंकपाल से तालचेर: 120 किमी।

8.3 पहले चरण– में पारादीप/धामरा और पंकपाल के बीच 212 किलोमीटर (i) तलस्पर्शी सर्वेक्षण और (ii) क्रॉस स्ट्रक्चर और वियर/बैराज/लॉक्स के निर्माण और एचटी/एलटी लाइनों आदि के स्थानांतरण पर अध्ययन और जलीय पर अध्ययन को आवृत करते हुए का विकास किया गया है। दूसरे चरण में अक्टूबर, 2020 में पंकपाल से तालचर तक 120 किलोमीटर में जल सर्वेक्षण पूरा किया गया।

8.4 फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन (एफईईडी) से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए परामर्श सेवा के बाद रा. ज.-5 पर पारादीप/धामरा और पंकपाल खंड के बीच (चरण–I, 212 किमी) 3 नौवहन तालों के साथ 4 बांधों/बैराजों, 2 चेक बांधों और 1 रबड़ बांध आदि के निर्माण के लिए मेसर्स ट्रैक्टबेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध सौंपा गया। भाअजप्रा और सीडब्ल्यूसी के बीच अगस्त, 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की आशा है और पुनरीक्षण का काम सीडब्ल्यूसी को सौंपा जाएगा।

8.5 ओडिशा में रा. ज.-5 पर पारादीप/धामरा खंड के बीच मौजूदा पुलों के लिए, जिनके संशोधन/पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग (डीईडी एंड डी) सहित विस्तृत इंजीनियरिंग रिपोर्ट (डीईआर) तैयार करने के लिए परामर्श सेवा प्रदान करने का कार्य फरवरी 2018 में मेसर्स एसएम कंसल्टेंट्स, भुवनेश्वर को सौंपा गया था। सलाहकार ने ओडिशा सरकार के पत्र (पत्र संख्या 1/18/दिनांक 07.04.2021) के अनुसार एनआईटी, सिलचर से डी एंड डी की जांच प्राप्त की है, डी एंड डी की स्वीकृति प्रतीक्षित है।

8.6 धामरा और अलापुआ और मंगलगाड़ी से हंसुआ के बीच एचटी/एलटी विद्युत लाइनों को बदलने के लिए के लिए ओडिशा की केंद्रीय विद्युत आपूर्ति उपयोगिता (सीईएसयू) को 20.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। रा. ज.-5 पर अलापुआ और पंकपाल के बीच एचटी/एलटी बिजली लाइनों को बदलने के लिए नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी ऑफ ओडिशा लिमिटेड (नेसका) और ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) की पूर्वोत्तर विद्युत आपूर्ति कंपनी को स्थानांतरित करने के लिए क्रमशः 20.66 करोड़ रुपए और 2.86 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। ओपीटीसीएल के हिस्से में काम पूरा हो चुका है और अन्य काम धीमी गति से चल रहे हैं जिनके अगस्त, 2021 तक पूरा होने की आशा है।

8.7 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 05.01.2021 के पत्र द्वारा पुष्टि की है कि रा. ज.-5 के विकास के लिए किसी पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) और ओसीजेडएमए और ओडिशा के सरकार से वन्यजीव मंजूरी का पालन करने का निर्देश दिया। भाअजप्रा और सलाहकार मेसर्स सीएमएसआरएसएल, चेन्नई के बीच लिए जाने वाले अंतिम निर्णयों के आधार पर अध्ययन पूरा करने का प्रस्ताव है।

8.8 पारादीप/धामरा और पंकपाल के बीच कुल 140 एलकेएम (चरण– I) नौगम्य चैनल की पहचान और नदी नोटिस जारी करने के लिए मासिक अनुदैर्ध्य तलस्पर्शी सर्वेक्षण (एमएलटीएस) मेसर्स ग्लोबल मरीन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है।

9. राष्ट्रीय जलमार्ग–16 (बराक नदी)

बराक नदी को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग–16 (रा.ज.-16) घोषित किया गया। यह भारत–बांग्लादेश

प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से असम की कछार घाटी में सिलचर, करीमगंज और बदरपुर को हल्दिया और कोलकाता पत्तनों से जोड़ती है। रा. ज. -16 पर भाअजप्राकी उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

फेयरवे विकास

मेसर्स रीच ड्रेजिंग बराक एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड को खंड-ख (उज्जैनीग्राम (73 किमी से श्रीधरपुर (95 किमी)) और खंड-ग (श्रीधरपुर (95 किमी) से भंगा (121 किमी)} के लिए नौचालन सहायता के प्रावधान के साथ कम से कम 2 मीटर की उपलब्ध गहराई के लिए ड्रेजिंग और फेयरवे रखरखाव प्रदान करने के लिए क्रमशः ₹15.36 करोड़ और ₹15.41 करोड़ की लागत पर कार्य सौंपा गया। दोनों हिस्सों में ड्रेजिंग का काम नवंबर 2017 से आरंभ किया गया था।

स्थिति

i) **खंड- ख (22 किमी) अर्थात्, उज्जैन ग्राम (चौ.73 किमी) से सिरिधरपुर (चौ. 95 किमी)** - इस खंड में काम नवंबर 2017 में आरंभ हुआ था और पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार 04.12.2019 से इसे समाप्त/बंद कर दिया गया है। प्रारंभिक निकर्षण (7.45 लाख घन मीटर) पूरा हो गया है। 05 वर्षों से अनुरक्षण ड्रेजिंग का कार्य प्रगति पर है।

ii) **खंड - ग (26 किमी) अर्थात्, सिरिधरपुर (चौड़ाई 95 किमी) से भंगा (चौड़ाई 121 किमी) -** इस खंड में नवंबर 2017 में कार्य आरंभ किया गया था और इसे संविदाकार मेसर्स आरडीबीएसपीवीपीएल द्वारा इसे लगातार किया जा रहा है। प्रारंभिक ड्रेजिंग (11.74 लाख घन मीटर) का काम पूरा हो गया है। 05 वर्षों से अनुरक्षण ड्रेजिंग का कार्य प्रगति पर है।

टर्मिनल

i) भूमि उपलब्धता बदरपुर -एनएच-37 और करीमगंज को जोड़ने वाली 1.34 एकड़ (वेयर हाउस 29.84 x 16.07 = 479.53 वर्ग मीटर) भूमि और एनएच-37 और 8 को जोड़ने वाली 1.87 एकड़ भूमि (वेयर हाउस 85 x 23 मीटर = 1955 वर्ग मीटर, आरसीसी जेट्टी 136.5 x 14.5 मीटर)।

ii) करीमगंज और बदरपुर टर्मिनलों के उन्नयन का कार्य सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। कार्य की अनुमानित लागत ₹ 6.40 करोड़ है।

iii) जोगीघोपा में अजप टर्मिनल का विकास कार्य अनुमानित लागत 65.67 करोड़ रुपए पर एनएचआईडीसीएल को सौंपा गया है और कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा।

10. नए राष्ट्रीय जलमार्ग

10.1 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए आयोजित तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के परिणाम के आधार पर, 25 राष्ट्रीय जलमार्ग तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाए गए हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं। 10 सर्वाधिक व्यवहार्य जलमार्ग, अर्थात् बराक नदी (रा.ज.-16), गंडक नदी (रा.ज.-37), गोवा में जलमार्ग-रा.ज.-27- कंबरजुआ, रा. ज.-68- मंडोवी, रा.ज.-111- जुआरी, अलाप्पुझा-कोट्टायम-अथिरम्पुझा नहर (रा. ज.-9), रा. ज. (रा. ज.-86), सुंदरबन जलमार्ग (रा. ज. -97), कोसी नदी (रा. ज. -58) और घाघरा नदी (रा. ज.-40) पर विकास गतिविधियां आरंभ की गई हैं। ।

10.2 क, ख, ग के वर्गीकरण के अनुसार विकास के लिए संभावित जलमार्गों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष

2020–21–2025–26 के दौरान विकास के लिए तैयार मास्टर प्लान में निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों पर विचार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21–2025–26 से अगले पांच वर्षों में रु. 495 करोड़ लागत पर 22 जलमार्गों (रा. ज.–3, रा. ज.–4, रा. ज.–5, व रा. ज.–19 नए जलमार्गों – नीचे दी गई सूची के अनुसार) के विकास के लिए तैयार किए गए डी आई बी मेमो को भाअजप्रा बोर्ड द्वारा 26.10.2021 को स्वीकृत किए गए और अनुमोदन के लिए 08.11.2021 को पत्तन, पोत परिहवन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं। पत्तन, पोत परिहवन और जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, डीआईबी मेमो को संशोधित किया जा रहा है और इसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

क्रमांक.	विवरण	राष्ट्रीय जलमार्ग/नदी/नहर का नाम	राज्य
1	राष्ट्रीय जलमार्ग -3	पश्चिमी तट नहर	केरल
2	राष्ट्रीय जलमार्ग -4	काकीनाडा गोदावरी नदी	आंध्र प्रदेश
3	राष्ट्रीय जलमार्ग -5	पूर्वी तट नहर	उड़ीसा
4	राष्ट्रीय जलमार्ग -8	अलाप्पुझा– चंगनास्सेरी नहर	केरल
5	राष्ट्रीय जलमार्ग -9	अलाप्पुझा–कोट्टायम–अथिरम्पुझा नहर	केरल
6	राष्ट्रीय जलमार्ग -10	अम्बा नदी	महाराष्ट्र
7	राष्ट्रीय जलमार्ग -27	कंबरजुआ नदी	गोवा
8	राष्ट्रीय जलमार्ग -44	इचामती नदी	पश्चिम बंगाल
9	राष्ट्रीय जलमार्ग -52	काली नदी	कर्नाटक
10	राष्ट्रीय जलमार्ग -57	कोपली नदी	असम
11	राष्ट्रीय जलमार्ग -68	मांडोवी नदी	गोवा
12	राष्ट्रीय जलमार्ग -111	जुआरी नदी	गोवा
13	राष्ट्रीय जलमार्ग -28	दाभोल क्रीक–वशिष्ठी नदी	महाराष्ट्र
14	राष्ट्रीय जलमार्ग -37	गंडक नदी	बिहार
15	राष्ट्रीय जलमार्ग -73	नर्मदा नदी	गुजरात और मध्य प्रदेश
16	राष्ट्रीय जलमार्ग -85	रेवदंडा क्रीक	महाराष्ट्र
17	राष्ट्रीय जलमार्ग -86	रूपनारायण नदी	पश्चिम बंगाल
18	राष्ट्रीय जलमार्ग -97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल
19	राष्ट्रीय जलमार्ग -100	तापी नदी	मध्य प्रदेश
20	राष्ट्रीय जलमार्ग -94	सोन नदी	मध्य प्रदेश और बिहार
21	राष्ट्रीय जलमार्ग -40	घाघरा नदी	बिहार
22	राष्ट्रीय जलमार्ग -25	चापोरा नदी	गोवा

रा. ज.-97 के माध्यम से हल्दिया से असम तक एक्ज़िम कार्गो की आवाजाही

11. पारगमन और व्यापार पर भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल

11.1 भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल

भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (पीअजपटी) पर एक प्रोटोकॉल मौजूद है, जिसके अंतर्गत दोनों सरकारों ने एक देश में दो स्थानों के बीच माल के पारित होने के लिए दोनों देशों के बीच कार्गो की आवाजाही के लिए, दूसरे के क्षेत्र के माध्यम से, जिस क्षेत्र से माल का परिवहन हो रहा है, उस देश के कानूनों के अनुसार अपने जलमार्गों के उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यवस्था की है। यह प्रोटोकॉल जून 2025 तक वैध है।

इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत, दोनों देशों के अंतर्देशीय जहाज निर्दिष्ट प्रोटोकॉल मार्ग पर चल सकते हैं और प्रत्येक देश में कार्गो के लोडिंग/अनलोडिंग के लिए अधिसूचित पोर्ट्स ऑफ कॉल पर ठहर सकते हैं। कार्गो और बांग्लादेश को निर्यात–कार्गो दोनों को ले जाने वाले प्रोटोकॉल मार्ग पर एक संगठित तरीके से कार्गो जलयानों की आवाजाही में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। भारतीय ट्रांजिट कार्गो में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के लिए कोयला, फ्लाई–ऐश, पीओएल और ओडीसी हैं। आवाजाही के लिए अन्य संभावित कार्गो उर्वरक, सीमेंट, खाद्यान्न, कृषि उत्पाद, कंटेनरीकृत कार्गो आदि हैं।

भारत से बांग्लादेश को निर्यात किया जानेवाला कार्गो मुख्य रूप से फ्लाई-ऐश है, जो प्रति वर्ष 30 लाख मीट्रिक टन है। लगभग 638 अंतर्देशीय जलयानों (600 बांग्लादेशी ध्वज जलयानों सहित) ने आईबीपी मार्गों पर वर्ष में लगभग 4000 यात्राएँ पूरी कीं।

प्रोटोकॉल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, अक्टूबर, 2018 में नई दिल्ली में और दिसंबर, 2019 में ढाका में आयोजित पिछली दो सचिव पोत परिहवन स्तर की वार्ताओं में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे। इन वार्ताओं के दौरान लिए गए कुछ निर्णयों में प्रोटोकॉल मार्गों का विस्तार, नए मार्गों को शामिल करना, दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नए पोर्ट ऑफ कॉल की घोषणा शामिल थी। 20 मई, 2020 को ढाका, बांग्लादेश में पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर के साथ ये निर्णय प्रभावी हो गए हैं।

क. मार्ग: भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 की जा रही है और मौजूदा मार्गों में नए स्थान भी जोड़े जा रहे हैं:-

- गुमटी नदी के सोनामुरा-दाउदखंडी खंड (93 किमी) को आईबीपी मार्ग संख्या 9 और 10 के रूप में प्रोटोकॉल में शामिल करने से भारतीय और बांग्लादेशी आर्थिक केंद्रों के साथ त्रिपुरा और आसपास के राज्यों की सम्बद्धता में सुधार होगा और दोनों देशों के पड़ोसी क्षेत्रों को सहायता मिलेगी। यह मार्ग 1 से 8 तक सभी मौजूदा आईबीपी मार्गों को जोड़ेगा।

  राजशाही-धुलियन-राजशाही मार्गों के संचालन और अरिचा (270 किमी) तक उनके विस्तार से बांग्लादेश में अवसंरचना के विकास में सहायता मिलेगी क्योंकि यह इस मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश के उत्तरी भाग में पत्थर के चिप्स/कुल की परिवहन लागत को कम करेगा। इससे दोनों तरफ के लैंड कस्टम स्टेशन भी कम होंगे। 2.63 मिलियन टन के कार्गो को प्रमुख वस्तु के रूप में स्टोन चिप्स के साथ धूलियां (माइया) में प्रस्तावित अजप टर्मिनल पर मोड़ा जा सकता है।

- भारत में मार्ग (1) और (2) [कोलकाता–शिलघाट–कोलकाता] के साथ-साथ मार्ग (3) और (4) [कोलकाता–करीमगंज–कोलकाता], कोलाघाट को जोड़ा गया है।

- भारत में मार्ग (3) और (4) [कोलकाता–करीमगंज–कोलकाता] और मार्ग (7) और (8) [करीमगंज–शिलघाट–करीमगंज] को बदरपुर तक बढ़ा दिया गया है। इन मार्गों में बांग्लादेश में घोरासल को भी जोड़ा गया है। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत नामित अंतर्देशीय जलमार्ग निम्नलिखित हैं:-
  i. 1 और 2- कोलकाता–सिलघाट और इसके विपरीत
  ii. 3 और 4- कोलकाता–करीमगंज और इसके विपरीत
  ii. 5 और 6-राजशाही–धुलियन–अरिचा और इसके विपरीत
  iv. 7 और 8- सिलघाट–करीमगंज और इसके विपरीत
  v. 9 और 10- सोनामुरा–दाउदखंडी और इसके विपरीत

- अजप उपयोगकर्ताओं के लिए वास्तविक समय प्रसार के लिए बांग्लादेश जलमार्ग में आईबीपी मार्गों की नदी नोटिस (अंग्रेजी संस्करण) बीअजपए वेबसाइट (www.biwta.bd.gov.in) और भाअजप्रा वेबसाइट (www.iwai.nic.in) पर अपलोड की जा रही है।

ख. **पोर्ट्स ऑफ कॉल:** वर्तमान में, प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश, प्रत्येक में छह पोर्ट्स ऑफ कॉल हैं। कॉल के पांच और पोर्ट्स ऑफ कॉल के दो और विस्तारित पोर्ट जोड़े गए हैं, जिससे प्रत्येक देश में कॉल के ग्यारह पोर्ट्स ऑफ कॉल के दो विस्तारित पोर्ट हो गए हैं, जिसे पीआइडब्ल्यूटी एण्ड टी के दूसरे परिशिष्ट के माध्यम से नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

बांग्लादेश		भारत	
आगमन के पत्तन	आगमन के विस्तारित पत्तन	आगमन के पत्तन	आगमन के विस्तारित पत्तन
नारायणगंज	घोरासाल	कोलकाता	त्रिवेणी (बैंडेल)
खुलना	--	हल्दिया	--
मोंगला	--	करीमगंज	बदरपुर
सिराजगंज	--	पांडु	--
आशुगंज	--	शिलघाट	--
पंगांव	मुक्तारपुर	धुबरी	--
राजशाही	--	**धूलिया**	--
सुल्तानगंज	--	**माइया**	--
चिलमारी	--	**कोलाघाट**	--
दाउदकांडी	--	**सोनामुरा**	--
बहादुराबाद	--	**जोगीगोफा**	--

ग. निदेशक, भाअजप्रा, कोलकाता (कोलकाता क्षेत्र के लिए)/निदेशक, भाअजप्रा, गुवाहाटी (असम क्षेत्र के लिए) और निदेशक, बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (बीआईडब्ल्यूटीए) क्रमशः दैनिक आधार पर अजप जलयानों को आवक और जावक अनुमति जारी करने के लिए भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी हैं।

पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी के तहत आईबीपी मार्ग

11.2 आईबीपी मार्गों पर यात्री और क्रूज सेवाएं

भारत और बांग्लादेश के बीच क्रमशः 8 अप्रैल, 2017 और 25 अक्टूबर, 2018 को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (आईबीपी) पर क्रूज और यात्री जलयान की आवाजाही के लिए एक समझौता ज्ञापन और एसओपी पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तब से चार रिवर क्रूज़ों ने सफलतापूर्वक कोलकाता-ढाका-गुवाहाटी खंड और इसके विपरीत अपनी यात्रा पूरी कर ली है।

11.3 उथले ड्राफ्ट यांत्रिक जलयानों का संचालन

एक पथप्रदर्शक विकास के रूप में, दोनों पक्षों ने उथले ड्राफ्ट मशीनीकृत जलयानों के उपयोग के माध्यम से चिलमारी (बांग्लादेश) और धुबरी (भारत) के बीच व्यापार आरंभ करने पर भी सहमति व्यक्त की है, बशर्ते ये बांग्लादेश के अंतर्देशीय पोत परिवहन अध्यादेश 1976 या अंतर्देशीय जलयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत और 1917 भारत के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1.3 के प्रावधानों के अनुसार और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हों। यह पहल बांग्लादेश को स्टोन चिप्स और अन्य भूटानी और उत्तर पूर्व कार्गो के निर्यात की अनुमति देती है और व्यापारियों के लिए बांग्लादेश के भीतरी इलाकों तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जिससे बांग्लादेश और भारत के निचले असम क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। 2020-21 के दौरान धुबरी से चिलमारी को 4369 मीट्रिक टन स्टोन चिप्स का निर्यात किया गया।

11.4 भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर जमुना नदी के सिराजगंज से दाइखोवा खंड (175 किमी) और कुशियारा नदी के आशुगंज से जकीगंज खंड (295 किमी) तक फेयरवे का विकास

i) भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच 08 अप्रैल 2017 को जमुना नदी के सिराजगंज–दाइखोवा खंड (175 किमी) और कुशियारा नदी के आशुगंज–जकीगंज खंड (295 किमी) में 07 वर्षों के लिए ड्रेजिंग और 2.5 मीटर गहराई और 30 मीटर चौड़ाई के फेयरवे को विकसित करने और अनुरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ii) ये खंड भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग–2 (नदी ब्रह्मपुत्र) और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या–16 (नदी बराक) के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को सम्बद्धता प्रदान करते हैं।

iii) परियोजना की लागत ₹ 305.84 करोड़ (भारत– 244.67 करोड़ भारतीय रुपए और बांग्लादेश– 61.17 करोड़ भारतीय रुपए) है और इसे भारत सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर साझा किया जाएगा। यह परियोजना विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

iv) बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्राधिकरण (बीआईडब्लयूटीए) ने मेसर्स धरती–बंगा जेवी को 04.10.2018 को बीडीटी 95.49 करोड़ की कुल लागत पर आशुगंज–जकीगंज और 11.11.2018 को बीडीटी 227.46 करोड़ के लिए सिराजगंज–दाइखोवा खुली निविदा के माध्यम से 07 वर्षों के लिए काम सौंपा है। आशुगंज–जकीगंज में मार्च 2019 से और आईबीपी मार्ग के सिराजगंज–दाइखोवा खंड में अप्रैल 2019 से ड्रेजिंग आरंभ हो गई है। प्रारंभिक ड्रेजिंग पूरी हो गई है और 05 वर्षों के लिए अनुरक्षण ड्रेजिंग प्रगति पर है।

v) भारत और बांग्लादेश प्रत्येक के 04 सदस्यों वाली एक संयुक्त निगरानी समिति काम की प्रगति की निगरानी कर रही है।

vi) चल रही ड्रेजिंग गतिविधियों के निरीक्षण और निगरानी पर अधिक जोर देने के लिए बीआईडब्लयूटीए ने मेसर्स वैपकोस लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) नियुक्त किया। दिनांक 21.01.2021 को बीआईडब्लयूटीए और मेसर्स वैपकोस लिमिटेड के बीच एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

vii) इन खंडों के पूरी तरह से नौगम्य हो जाने पर वे उत्तर पूर्व क्षेत्र (रा. ज. –1 (गंगा नदी), रा. ज. –2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और रा. ज. –16 (बराक नदी को जोड़ने) में कार्गो परिवहन की लॉजिस्टिक लागत में काफी कमी लाने. बांग्लादेश के जलमार्गों के साथ–साथ पूर्वोत्तर भारत से निर्बाध नौचालन और सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नेक) की भीड़भाड़ को कम करने में सहायता करेंगे। ।

12. भारत–म्यांमार कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना

यह परियोजना कलादान नदी और म्यांमार के सितवे पत्तन के माध्यम से उत्तर पूर्व को वैकल्पिक संपर्क प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में मिजोरम से पलेटवा (म्यांमार) तक सड़क संपर्क, उसके बाद पलेटवा से सितवे (म्यांमार) तक जलमार्ग सम्बद्धता और सितवे से भारत में किसी भी पत्तन तक और इसके विपरीत तटीय संपर्क शामिल हैं।

भाअजप्रा म्यांमार में कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के पत्तन और अजप घटकों के कार्यान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) का परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) है। यह परियोजना विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित और वित्त पोषित है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय और भाअजप्रा के बीच एक समझौते पर 19 मार्च, 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मेसर्स एस्सार प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) भाअजप्रा की देखरेख में म्यांमार में कार्यान्वित

किए जा रहे कार्यों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा नियुक्त मुख्य संविदाकर्ता है। मेसर्स यूआरएस स्कॉट विल्सन इंडिया प्रा. लिमिटेड, गुड़गांव परियोजना के लिए भाअजप्रा के पर्यवेक्षण सलाहकार हैं।

परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रथम चरण के कार्यों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

क. प्रथम चरण के कार्य

1. सितवे

- रबल माउंटेड डाइक का निर्माण
- पोर्ट और अजप जेट्टी दोनों के लिए संपर्क जेट्टी
- सितवे में पत्तन का निर्माण
- सितवे में अजप टर्मिनल का निर्माण।
- सितवे पत्तन पर ड्रेजिंग एक्सेस चैनल और पोर्ट बेसिन।
- बैकअप सुविधाओं के ढांचे (पत्तन कार्यालय, अजप कार्यालय, ढका हुआ भंडारण, विद्युत और जनरेटर कक्ष, कैंटीन / विश्राम कक्ष आदि) का निर्माण
- पोर्ट जेट्टी में 10 टन लेवल लफिंग क्रेन का निर्माण और सितवे और पलेटवा के लिए अन्य कार्गो हैंडलिंग उपकरणों की आपूर्ति

2. पलेतवा

- अजप टर्मिनल
- बैकअप सुविधा अजप ऑफिस, कवर्ड स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल और जेनरेटर रूम, कैंटीन/रेस्ट रूम आदि **का निर्माण**।

3. नदी निकर्षण ड्रेजिंग कार्य

4. 300 टन क्षमता के 6 बार्जों का निर्माण।

5. **नौचालन** सहायक उपकरणों का **संस्थापन**।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सितवे और पलेतवा में चरण–I के अंतर्गत ईपीआईएल द्वारा उपरोक्त के अलावा, कुछ अतिरिक्त कार्य भी पूरा किया गया है।

ख चरण II के कार्य

चरण–II में परिकल्पित कार्य निम्नलिखित हैं:

क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के साथ और सितवे/पलेतवा में कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का निर्माण – डीपीआर तैयार की गई।

ख) सितवे पोर्ट बेसिन क्षेत्र से मलवा हटाने का कार्य:– सितवे पोर्ट बेसिन क्षेत्र से मलबा हटाने का कार्य पूरा हो गया है।

ग) पूर्ण परियोजना घटकों का संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) – विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने ओ एंड एम एजेंसी के माध्यम से चरण– I में बनाई गई संपत्तियों के अनुरक्षण और संचालित करने के लिए 22 अक्टूबर 2018 को म्यांमार संघ सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। तदनुसार, चरण–I के अंतर्गत पूरी की गई संपत्तियों का 31 जनवरी 2020 को म्यांमार सरकार के विभागों के माध्यम से मेसर्स ए को जेड एक्ज़िम को सौंप दी गई हैं और 1 फरवरी 2020 से संचालन और रखरखाव आरंभ हो गया है।

भाअजप्रा ने परियोजना विकास परामर्शदाता की अपनी भूमिका में, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास – यांगून, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, डीओएनईआर मंत्रालय, म्यांमार सरकार, संविदाकर्ताओं तथा परामर्शदाताआ जैसे सभी संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखा।

13. जलीय सर्वेक्षण गतिविधियां

जलीय 'महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों, नदियों और नहरों की भौतिक विशेषताओं को मापने और चित्रित करने के साथ ही **नौचालन** की सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य और आर्थिक विकास, सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य सभी समुद्री गतिविधियों के समर्थन के लिए समय के साथ उनके परिवर्तन की भविष्यवाणी/अवलोकन का अनुप्रयुक्त विज्ञान है। जलीय सर्वेक्षक नौगम्य चैनल, तटरेखा, सतह की स्थलाकृति, पानी की गहराई और अन्य विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए पत्तनों, नदियों और अन्य जल निकायों का अध्ययन करता है।

जलीय सर्वेक्षक **नौचालन** की सुरक्षा के लिए जलमार्ग विकास के अध्ययन की एक पूर्व-आवश्यकता और कोई भी निर्णय लेने में प्रमुख गतिविधि है, चाहे वह विकास और रखरखाव गतिविधियों की योजना और निष्पादन से संबंधित हो, नाविकों/उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने, सुरक्षित **नौचालन** के लिए सहायता के समुद्री चार्ट आदि के प्रकाशन से संबंधित हो। एकत्र किए गए अधिकांश डेटा को एक चार्ट में संकलित किया जाता है, जो उपयुक्त प्रतीकों के माध्यम से, पानी की गहराई, निम्न और उच्च जल रेखाएं, अपतटीय विशेषताएं जैसे द्वीप, पृथक चट्टानें, नदी के नीचे की ऊंचाई की प्रकृति और सीमा, नौगम्य चैनल और मार्गों के साथ-साथ नौवहन के लिए सहायता और सुरक्षित **नौचालन** के लिए आवश्यक अन्य प्रासंगिक जानकारी दिखाता है।

13.1 राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (सागर-प्रयागराज)

- **तलस्पर्शी सर्वेक्षण**

वर्ष के दौरान, तलस्पर्शी (देशान्तरीय) सर्वेक्षण कमजोर मौसम में पाक्षिक आधार पर और बाढ़ के समय मासिक आधार पर आयोजित किए गए थे और अजप उपयोगकर्ताओं को नदी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) जारी की गई हैं। रा.ज.-1 के फरक्का-कहलगांव खंड में एश्योर्ड डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नियमित तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 33,783 लाइन-किमी के तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए।

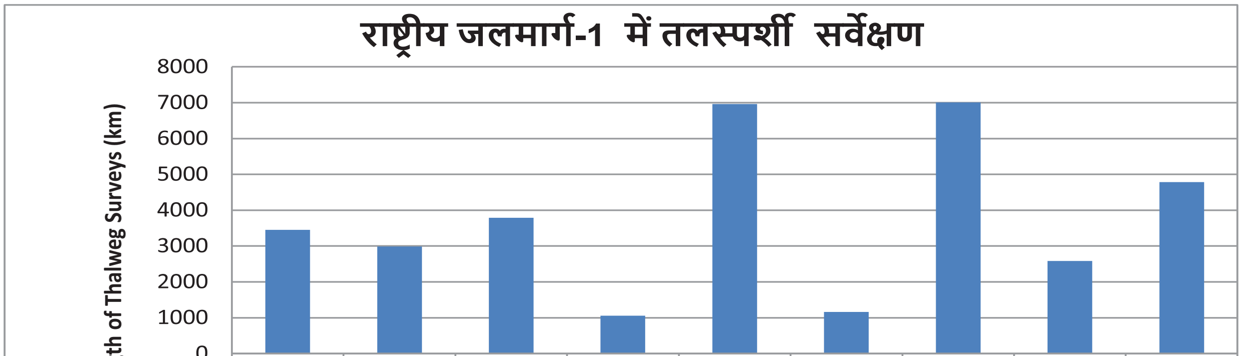

	Prayagraj-Chunar	Chunar-Ghazipur	Ghazipur-Patna	Patna-Barh	Barh-Sultanganj	Sultanganj-Kahalgaon	Kahalgaon-Farakka	Farakka-Behrampur	Behrampur-Tribeni
Thalweg Survey	3451	2988	3791	1054	6960	1160	7008	2583	4788

- ## विस्तृत/बंडालिंग/निकर्षण सर्वेक्षण

वर्ष 2020-21 के दौरान विभागीय रूप से 117 उथले स्थानों पर पूर्व और पश्चात् बंडालिंग/निकर्षण और विस्तृत सर्वेक्षण और 18 अन्य सर्वेक्षणों का विवरण बार-चार्ट के रूप में दर्शाया गया है।

- ## टर्मिनल सर्वेक्षण

वर्ष 2020-21 के दौरान 13 मौजूदा टर्मिनल/प्रस्तावित टर्मिनलों पर टर्मिनल सर्वेक्षण किए गए। फ्लोटिंग टूरिस्ट जेट्टी स्थापित करने के लिए प्रिंसेप घाट, कोलकाता में टोही सर्वेक्षण किया गया था। फ्लोटिंग टूरिस्ट जेट्टी की स्थापना के लिए प्रिंसेप घाट, कोलकाता में टोही सर्वेक्षण किया गया था।

रा.ज.–1 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करता ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है:

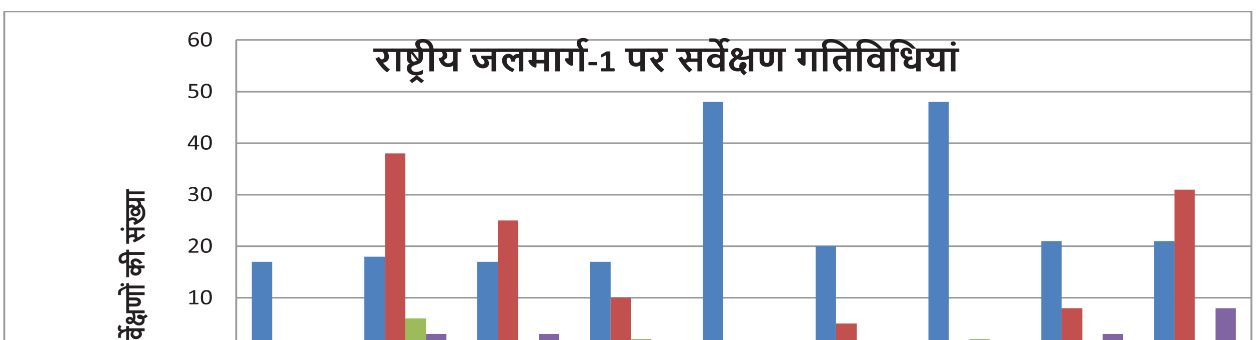

	Prayagraj-Chunar	Chunar-Ghazipur	Ghazipur-Patna	Patna-Barh	Barh-Sultanganj	Sultanganj-Kahalgaon	Kahalgaon-Farakka	Farakka-Behrampur	Behrampur-Tribeni
Thalweg Survey	17	18	17	17	48	20	48	21	21
Detailed Survey	0	38	25	10	0	5	0	8	31
Terminal Survey	0	6	1	2	1	1	2	0	0
Other Survey	0	3	3	0	0	0	1	3	8

13.2 राष्ट्रीय जलमार्ग–2 (ब्रह्मपुत्र नदी)

- **तलस्पर्शी सर्वेक्षण**

वर्ष 2020-21 के दौरान, कम बरसात में पाक्षिक आधार पर और बाढ़ के समय मासिक आधार पर तलस्पर्शी सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे और अजप उपयोगकर्ताओं को नदी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) जारी की गई हैं। वर्ष 2020-21 में कुल 14,038 लाइन–किमी का तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया गया।

- **विस्तृत/बंडालिंग/निकर्षण सर्वेक्षण**

वर्ष 2020-21 के दौरान आरसी कार्यों को आरंभ करने और सुचारू नौवहन सुनिश्चित करने के लिए 125 स्थानों पर पूर्व/पश्चात् **बंडालिंग**/ड्रेजिंग/विस्तृत सर्वेक्षण विभागीय रूप से किए गए थे। संबंधित विवरण बार–चार्ट के रूप में दर्शाया गया है।

- **टर्मिनल सर्वेक्षण**

वर्ष 2020–21 में 47 मौजूदा/प्रस्तावित टर्मिनल साइटों पर टर्मिनल सर्वेक्षण किए गए।

रा.ज.–2 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करता ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है:

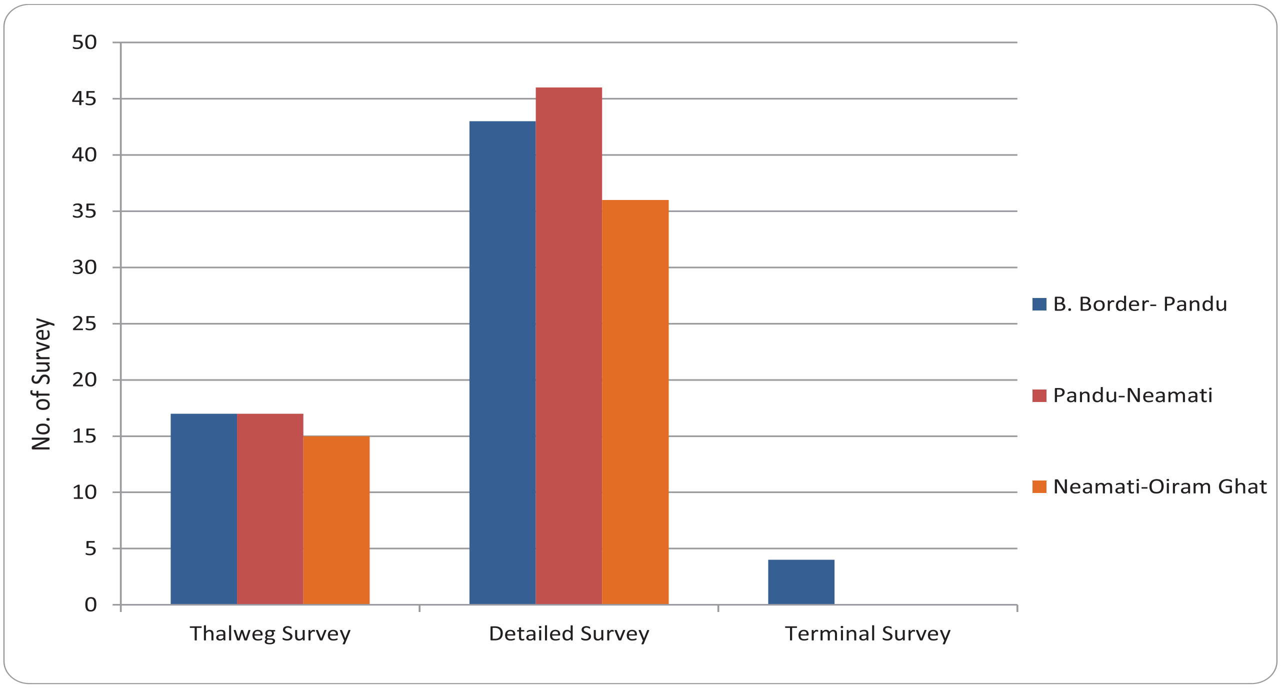

13.3 डीजीपीएस आधारित नौचालन प्रणाली:

अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित अंतर्देशीय नौचालन विधियां प्रारंभ करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, भाअजप्रा ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 में डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) तकनीक के साथ नौवहन की शुरुआत की थी। वर्तमान में, रा.ज.-1 (1547किमी) और रा. ज. -2 (891 किमी) के पूरे खंड के लिए डीजीपीएस सम्बद्धता उपलब्ध है।

13.4 राष्ट्रीय जलमार्ग–3 (पश्चिम तटीय कैनाल, उद्योगमंडल एवं चम्पाकारा कैनाल)

- **तलस्पर्शी सर्वेक्षण**

विभागीय रूप से कोट्टापुरम-कोच्चि-कोल्लम खंड (उद्योगमांडा 1 और चंपाकारा नहरों के साथ पश्चिमी तट नहर) में मासिक आधार पर तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया जाता है और नदी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) जारी की गईं। वर्ष 2020-21 में कुल 2,298.00 लाइन-किमी के तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए।

- **विस्तृत सर्वेक्षण**

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15 स्थानों पर पूर्व और पश्चात् ड्रेजिंग सर्वेक्षण किए गए।

- टर्मिनल सर्वेक्षण

वर्ष 2020-21 में मौजूदा टर्मिनल स्थलों पर कोई टर्मिनल सर्वेक्षण नहीं किया गया।

रा.ज.–3 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करता ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है :

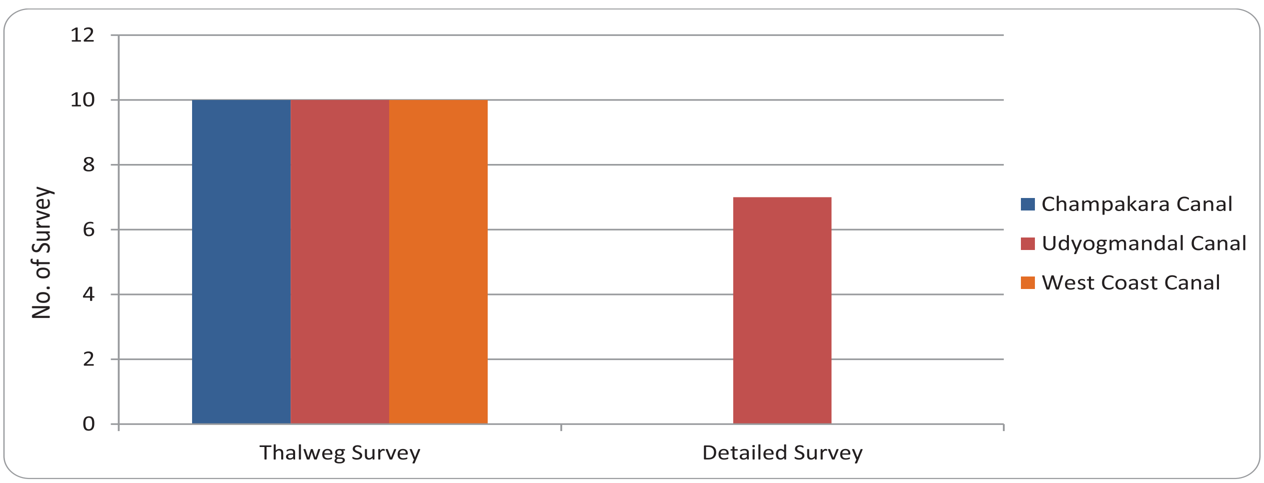

13.5 राष्ट्रीय जलमार्ग– 4 (एकीकृत नहरों का काकीनाड़ा–पुदुचेरी प्रखण्ड, गोदावरी नदी का भद्राचलम–राजमुंद्री प्रखण्ड और कृष्णा नदी का वजीरा–विजयवाड़ा प्रखण्ड)

एकीकृत वर्ष 2020-21 में एक ड्रेजिंग के पश्चात् सर्वेक्षण किया गया।

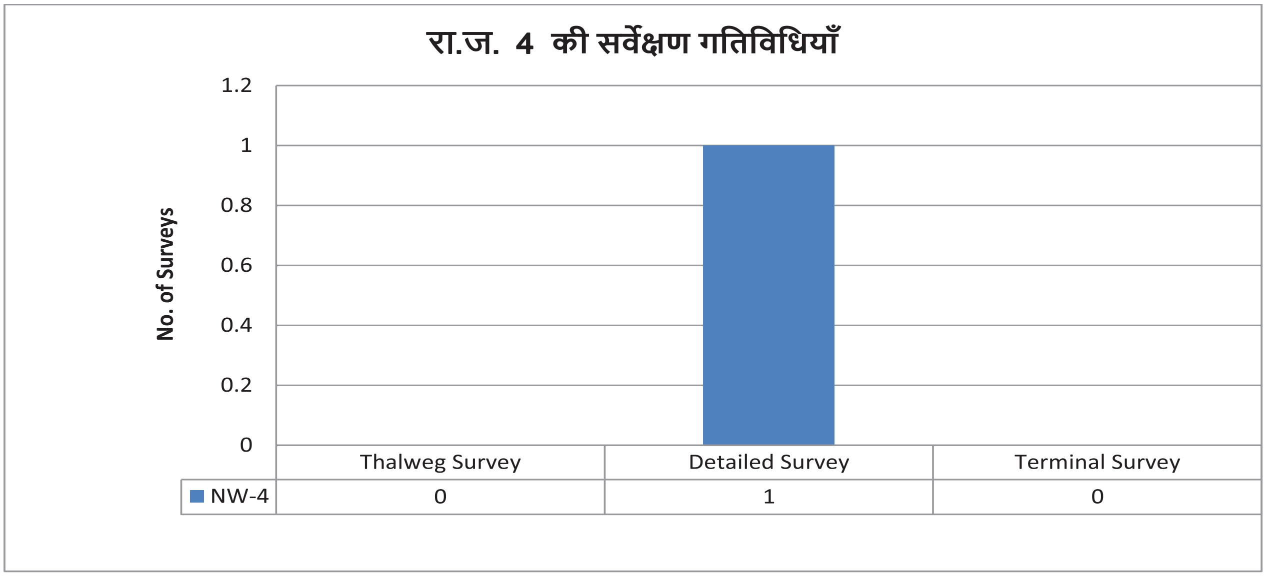

13.6 राष्ट्रीय जलमार्ग –5 (ब्राह्मणी और महानदी डेल्टा के साथ पूर्वी तट नहर)

वर्ष 2020-21 **में कुल** 1,996.257 **लाइन–किमी के** 11 **तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए।** संथापाडा (तालचेर) में टर्मिनल के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण भी पूरा किया गया।

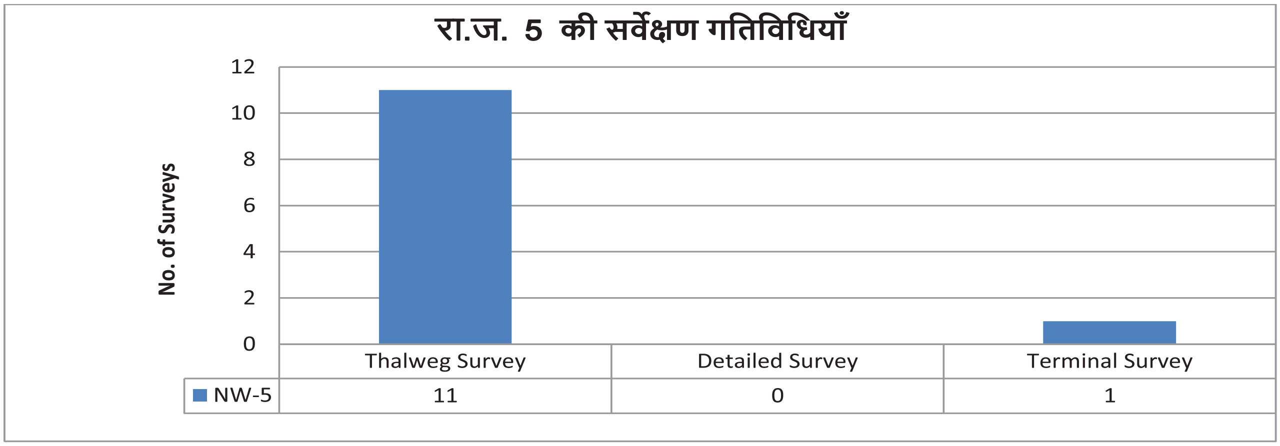

13.7 राष्ट्रीय जलमार्ग –8

वर्ष 2020-21 में कुल 260.00 लाइन–किमी पर 10 तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए।

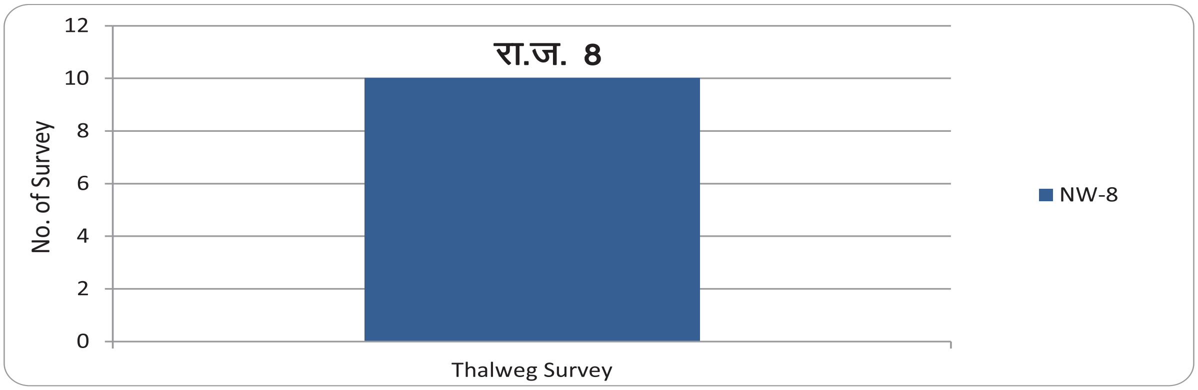

13.8 राष्ट्रीय जलमार्ग–9

वर्ष 2020-21 में कुल 260.00 किमी लाइन के 10 तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए। 2020-21 में पलोम में विस्तृत जलीय सर्वेक्षण किया गया।

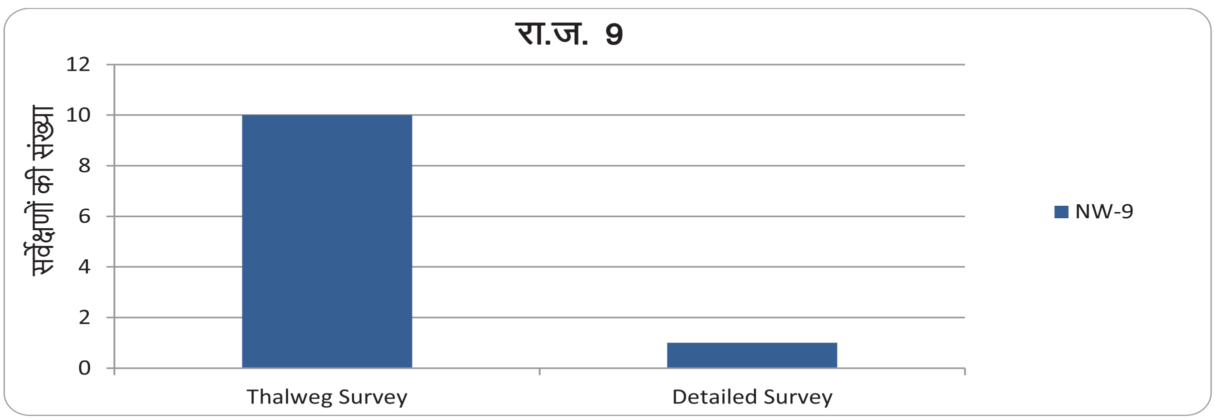

13.9 राष्ट्रीय जलमार्ग–16 (बराक नदी)

वर्ष 2020-21 में कुल 55.00 किमी लाइन के 5 तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए । इसके अतिरिक्त, आईबीपी रूट सं 3 और 4 में भांगा से बी'बॉर्डर तक 36 किमी की लंबाई के लिए 4 और तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए।

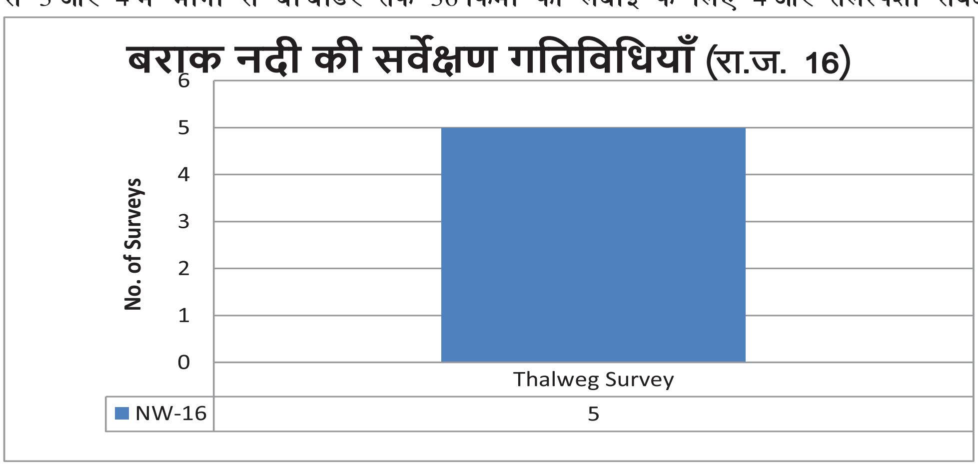

13.10 राष्ट्रीय जलमार्ग -86 (रूपनारायण नदी)

वर्ष 2020-21 में आयोजित 15 सर्वेक्षणों में कुल 525.00 लाइन-किमी का तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया गया।

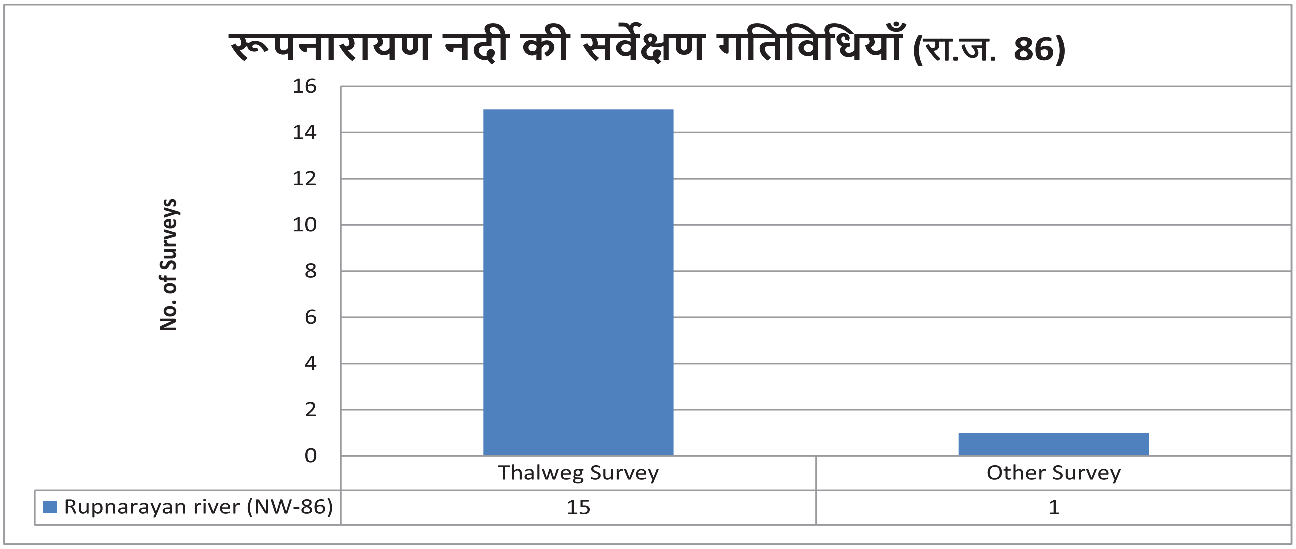

13.11 राष्ट्रीय जलमार्ग -95 (सुबनसिरी नदी)

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 90.00 लाइन-किमी का एक तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया गया।

13.12 भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (सुंदरबन– रा.ज. – 97)

वर्ष 2020-21 में भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में सिल्वर ट्री पॉइंट से अथरबंकी खाल तक 201 किमी की लंबाई के लिए 21 मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए थे और भाअजप्रा वेब साइट पर एलएडी और नदी सूचना प्रकाशित की गईं। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 4,221 लाइन-किमी पर तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए। सुंदरबन जलमार्ग में आई.बी.पी. मार्ग पर 01 विस्तृत सर्वेक्षण किया गया।

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 5 और 6 में राजशाही से धुलियन तक 3 मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए थे और वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 90.3 लाइन-किमी पर तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए थे।

भारत और बांग्लादेश के बीच पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत 20वीं स्थायी समिति की बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार इस मार्ग को पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत शामिल करने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए 100 किमी की दूरी के लिए हेमनगर और बशीरहाट के बीच 15 अदद अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण किए गए थे।

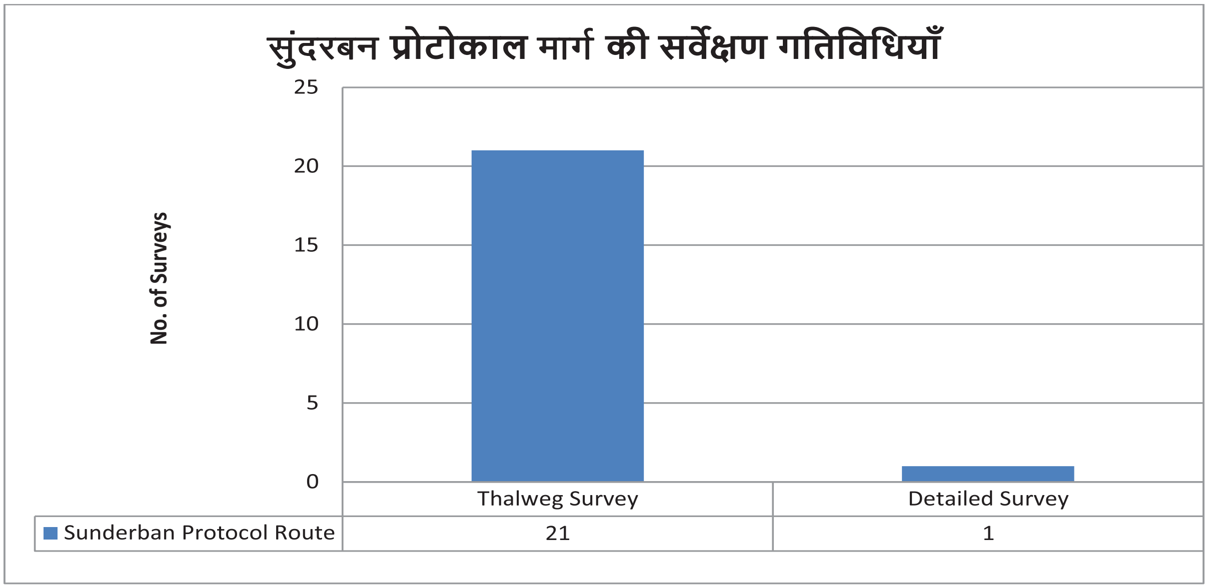

13.13 सर्वेक्षण जलयान

भाअजप्रा ने 18 सर्वेक्षण जलयानों सहित 30 जलयानों में डेटा संग्रह के लिए डिजिटल इको साउंडर, डीजीपीएस रिसीवर, लैपटॉप/डेस्कटॉप और करंट–मीटर सेट के साथ एकीकृत स्वचालित जलीय सर्वेक्षण प्रणाली जैसे अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरण लगाए हैं। रा.ज.–1 में आरआईएस नियंत्रण स्टेशनों द्वारा जलयानों की निगरानी की जाती है।

जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत रा.ज.–1 में अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरण एसएल गंगा और एसएल जाह्नवी से लैस 02 सर्वेक्षण जलयान भी तैनात किए गए हैं।

विभिन्न जलमार्गों में निम्नलिखित सर्वेक्षण जलयान प्रचालित हैं और सर्वेक्षण कार्य के लिए तैनात किए गए हैं- :

राष्ट्रीय जलमार्ग	जलयान का नाम			
राष्ट्रीय जलमार्ग -1	1) एस.एल.कोयल	2) एस.एल.गंडक	3) एस.एल.मेघना	4) एस.एल.अनुपल्लव
	5) एस.एल.कमला	6) एस.एल.घाघरा	7) एस.एल.मंदाकिनी	8) एस.एल.द्वारकेश्वर
	9) एस.एल.पुनपुन	10) एस.एल.रिहंद	11) एस.एल.दिहांग	12) एस.एल.गंगा
	13) एस.एल.			
राष्ट्रीय जलमार्ग-2	1) एस.एल.लोहित	2) एस.एल.बरक	3) एस.एल.सुबनसिरी	4) एस.एल.बुढ़ी दिहिंग
	5) एस.एल.दिबांग	6) एस.एल.कोसी		
राष्ट्रीय जलमार्ग -3	1) एस.एल.पंबा			

13.14 हल्दिया–फरक्का, फरक्का–पटना और पटना–वाराणसी खंड में नदी सूचना सेवा (आरआईएस) प्रणाली की स्थापना:–

नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) अंतर्देशीय नौचालन में यातायात और परिवहन प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किए गए आधुनिक ट्रैकिंग उपकरण संबंधित हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर का संयोजन हैं। यह प्रणाली सूचना के अग्रिम और वास्तविक समय के आदान–प्रदान के माध्यम से गतिशील जलयानों और किनारे (बेस स्टेशनों) के बीच तेजी से इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर को बढ़ाती है। आरआईएस का उद्देश्य जलमार्ग परिचालकों और उपयोगकर्ताओं के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान को सुव्यवस्थित करना है।

इससे निम्नलिखित सुविधा होगी:

- पत्तनों और नदियों में अंतर्देशीय नौवहन सुरक्षा में वृद्धि।
- अंतर्देशीय जलमार्गों का बेहतर उपयोग

अंतर्देशीय नौचालन जलयानों की ट्रैकिंग और अनुरेखण सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए "नदी सूचना सेवा" (आरआईएस) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जहाज पर नौचालन, तट–आधारित यातायात निगरानी और आपदा निवारण जैसे अन्य कार्यों का समर्थन करता है। अंतर्देशीय एआईएस (स्वचालित पहचान प्रणाली) जलयानों के बीच और जलयानों और तट के संस्थानों के बीच समुद्री डेटा के स्वचालित आदान–प्रदान की एक मानकीकृत प्रक्रिया है।

परियोजना को तीन चरणों अर्थात् हल्दिया–फरक्का, फरक्का–पटना और पटना–वाराणसी में लागू किया जा रहा है। विवरण निम्नानुसार हैं:

	चरण -I:	चरण -II:	चरण -III:
	हल्दिया –फरक्का	फरक्का -पटना	पटना -वाराणसी
कवरेज	545 किमी	410 किमी	353 किमी
नियंत्रण स्टेशन	बीआईएसएन जेटी (कोलकाता) ओर फरक्का	पटना	रामनगर
बेस स्टेशन	1. हल्दिया 2. त्रिवेणी 3. स्वरूपगंज 4. बलिया 5. कुमारपुर	1. मनिहारी 2. भागलपुर 3. मुंगेर 4. हाथीदह 5. बाढ़	1. मौजमपुर 2. गोविंदपुर खास (बक्सर) 3. जमनिया
आरंभ होने की तारीख	01.10.2015	15.03.2018	26.08.2020

फरक्का आरआईएस नियंत्रण स्टेशन का नदी दृश्य

रा.ज.-1 में मैकेनाइज्ड कंट्री बोट में तलस्पर्शी सर्वेक्षण (त्रिबेनी से बरहमपुर)

आईबीपी मार्ग सं. 5 और 6 पर विस्तृत सर्वेक्षण

जहाज पर नदी सूचना प्रणाली

रा. ज. -3 पर तलस्पर्शी सर्वेक्षण 3

13.15 मानचित्र संबंधी प्रकोष्ठ (कार्टोग्राफिक सेल) /सेमिनार/प्रशिक्षण

नोएडा में स्थित भाअजप्रा प्रधान कार्यालय **मानचित्र संबंधी प्रकोष्ठ** सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सीएआरआईएस, ईआरडीएएस, इमेजिन, ऑटोकैड, ग्लोबल मैपर आदि इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजिटल चार्ट तैयार करने के लिए आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर से लैस है। भाअजप्रा के कार्टोग्राफरों को जीआईएस सॉफ्टवेयर और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

मानचित्र संबंधी अनुभाग में नए पहचाने गए 106 जलमार्गों की खोज की गई है और नए जलमार्गों के इंडेक्स मानचित्र तैयार करने के लिए मानचित्र प्रयोगशाला में स्थापित अत्याधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नदी के क्रम को डिजिटलीकृत किया गया है।

भाअजप्रा राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 1986 से सर्वेक्षण कर रहा है। भाअजप्रा अधिनियम 2016 की धारा 14(2) (ग) में जलीय सर्वेक्षण करने और नदी चार्ट के प्रकाशन की परिकल्पना की गई है और भाअजप्रा ने सुरक्षित नौचालन के उद्देश्य से जलमार्ग सं. 1,2,3 और संुदरवन रा. ज.–97 के लिए निम्नलिखित नदी एटलस और नदी पायलट राष्ट्रीय जलमार्ग प्रकाशित किए हैं:

क्रम सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	विवरण	चार्ट की संख्या
1.	रा. ज. 1	इलाहाबाद से सागर (कागज चार्ट)	103
2.	रा. ज. 2	बांग्लादेश सीमा से सादिया (कागज चार्ट)	40
3.	रा. ज. 3	चंपाकारा और उद्योगमंडल नहरों सहित कोट्टापुरम से कोल्लम (पेपर चार्ट)	49
4.	सुंदरवन	नामखाना से अथराबंकीखान	25
5.	रा. ज. 1	सागर से फरक्का में अद्यतनीकरण (पेपर चार्ट) नई ईएनसी का उत्पादन	66
6.	रा. ज. 1	फरक्का से पटना (पेपर चार्ट और ईएनसी)	

जलमार्ग के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद से उपग्रह डेटा प्राप्त किया गया था और जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे संसाधित और डिजिटाइज़ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ट तैयार करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण डेटा (हाइपैक से) और नवीनतम एनआरएससी डेटा के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) की स्थलाकृतिक विशेषताओं को संकलित किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान जलमार्ग के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद से उपग्रह डेटा प्राप्त किया गया था और इसे जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके संसाधित और डिजिटाइज़ किया गया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016

भारत सरकार ने 12.04.2016 को अधिनियमित राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के माध्यम से 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। ये निम्नलिखित हैं:-

क्रमांक#	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.	लंबाई (किमी)	जलमार्गों का विवरण	राज्य
1	राष्ट्रीय जलमार्ग 1	1620	गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - प्रयागराज)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल
2	राष्ट्रीय जलमार्ग 2	891	ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी - सादिया)	असम
3	राष्ट्रीय जलमार्ग 3	205	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम - कोल्लम), चंपाकारा और उद्योगमंडल नहरें	केरल
		170	पश्चिमी तट नहर (कोट्टापुरम - कोझीकोड)	
4	राष्ट्रीय जलमार्ग 4	50	काकीनाडा नहर (काकीनाडा से राजमुंदरी)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,

		171	गोदावरी नदी (भद्राचलम से राजमुंदरी)	कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र
		139	एलुरु नहर (राजमुंदरी से विजयवाड़ा)	
		157	कृष्णा नदी (वजीराबाद से विजयवाड़ा)	
		113	कममूर नहर (विजयवाड़ा से पेद्दागंजम)	
		316	उत्तर बकिंघम नहर (चेन्नई के सेंट्रल स्टेशन से पेद्दागंजम)	
		110	दक्षिण बकिंघम नहर (चेन्नई का सेंट्रल स्टेशन से मराकानम)	
		22	कालुवेली टैंक के माध्यम से मराकनाम से पुडुचेरी	
		1202	गोदावरी नदी (भद्राचलम – नासिक) महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़	
		636	कृष्णा नदी (वजीराबाद – गलागली) कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	
5	राष्ट्रीय जलमार्ग 5	256	पूर्वी तट नहर और मताई नदी	ओडिशा और पश्चिम बंगाल
		265	ब्राह्मणी–खरसुआ–धामरा नदियाँ	
		67	महानदी डेल्टा नदियाँ (हंसुआ नदी, नुनानाला, गोब्रिनाला, खरनासी नदी और महानदी नदी से मिलकर)	
6	राष्ट्रीय जलमार्ग 6	68	एएआई नदी	असम
7	राष्ट्रीय जलमार्ग 7	90	अजय (अजय) नदी	पश्चिम बंगाल
8	राष्ट्रीय जलमार्ग 8	29	अलाप्पुझा–चंगानासेरी नहर	केरल
9	राष्ट्रीय जलमार्ग 9	40	अलाप्पुझा–कोट्टायम–अतिरामपुझा नहर	केरल
10	राष्ट्रीय जलमार्ग 10	45	अंबा नदी	महाराष्ट्र
11	राष्ट्रीय जलमार्ग 11	99	अरुणावती – अरन नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
12	राष्ट्रीय जलमार्ग 12	6	एएसआई नदी	उत्तर प्रदेश
13	राष्ट्रीय जलमार्ग 13	11	एवीएम नहर	केरल और तमिलनाडु (8.5 किमी)
14	राष्ट्रीय जलमार्ग 14	48	बैतरनी नदी	उड़ीसा
15	राष्ट्रीय जलमार्ग 15	135	बकरेश्वर – मयूराक्षी नदी प्रणाली	पश्चिम बंगाल
16	राष्ट्रीय जलमार्ग 16	121	बराक नदी	असम
17	राष्ट्रीय जलमार्ग 17	189	ब्यास नदी	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
18	राष्ट्रीय जलमार्ग 18	69	बेकी नदी	असम
19	राष्ट्रीय जलमार्ग 19	67	बेतवा नदी	उत्तर प्रदेश

20	राष्ट्रीय जलमार्ग 20	95	भवानी नदी	तमिलनाडु
21	राष्ट्रीय जलमार्ग 21	139	भीमा नदी	कर्नाटक और तेलंगाना
22	राष्ट्रीय जलमार्ग 22	156	बिरुपा – बड़ी गेंगुटी – ब्राह्मणी नदी प्रणाली	उड़ीसा
23	राष्ट्रीय जलमार्ग 23	56	बुद्ध बलंगा	उड़ीसा
24	राष्ट्रीय जलमार्ग 24	61	चंबल नदी	उत्तर प्रदेश
25	राष्ट्रीय जलमार्ग 25	33	चापोरा नदी	गोवा
26	राष्ट्रीय जलमार्ग 26	51	चिनाब नदी	जम्मू और कश्मीर
27	राष्ट्रीय जलमार्ग 27	17	कंबरजुआ नदी	गोवा
28	राष्ट्रीय जलमार्ग 28	45	दाभोल क्रीक–वशिष्ठी नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
29	राष्ट्रीय जलमार्ग 29	132	दामोदर नदी	पश्चिम बंगाल
30	राष्ट्रीय जलमार्ग 30	109	देहिंग नदी	असम
31	राष्ट्रीय जलमार्ग 31	114	धनसिरी / चाथे	असम
32	राष्ट्रीय जलमार्ग 32	63	दीखु नदी	असम
33	राष्ट्रीय जलमार्ग 33	61	डोयंस नदी	असम
34	राष्ट्रीय जलमार्ग 34	137	डीवीसी नहर	पश्चिम बंगाल
35	राष्ट्रीय जलमार्ग 35	108	द्वारकेस्वर नदी	पश्चिम बंगाल
36	राष्ट्रीय जलमार्ग 36	119	द्वारका नदी	पश्चिम बंगाल
37	राष्ट्रीय जलमार्ग 37	296	गंडक नदी	बिहार और उत्तर प्रदेश
38	राष्ट्रीय जलमार्ग 38	62	गंगाधर नदी	असम और पश्चिम बंगाल
39	राष्ट्रीय जलमार्ग 39	49	गणोल नदी	मेघालय
40	राष्ट्रीय जलमार्ग 40	354	घाघरा नदी	बिहार और उत्तर प्रदेश
41	राष्ट्रीय जलमार्ग 41	112	घटप्रभा नदी	कर्नाटक
42	राष्ट्रीय जलमार्ग 42	514	गोमती नदी	उत्तर प्रदेश
43	राष्ट्रीय जलमार्ग 43	10	गुरुपुर नदी	कर्नाटक
44	राष्ट्रीय जलमार्ग 44	63	इचमती नदी	पश्चिम बंगाल
45	राष्ट्रीय जलमार्ग 45	650	इंदिरा गांधी नहर	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
46	राष्ट्रीय जलमार्ग 46	35	सिंधु नदी	जम्मू और कश्मीर
47	राष्ट्रीय जलमार्ग 47	131	जालंगी नदी	पश्चिम बंगाल
48	राष्ट्रीय जलमार्ग 48	615	कच्छ नदी प्रणाली का जवाई–लूनी–रण	गुजरात और राजस्थान
49	राष्ट्रीय जलमार्ग 49	110	झेलम नदी	जम्मू और कश्मीर
50	राष्ट्रीय जलमार्ग 50	43	जिंजीराम नदी	असम और मेघालय

51	राष्ट्रीय जलमार्ग 51	23	काबिनी नदी	कर्नाटक
52	राष्ट्रीय जलमार्ग 52	53	काली नदी	कर्नाटक
53	राष्ट्रीय जलमार्ग 53	145	कल्याण–ठाणे–मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
54	राष्ट्रीय जलमार्ग 54	86	कर्मनासा नदी	बिहार और उत्तर प्रदेश
55	राष्ट्रीय जलमार्ग 55	311	कावेरी – कोलिडम नदी प्रणाली	तमिलनाडु
56	राष्ट्रीय जलमार्ग 56	22	खेरकाई नदी	झारखंड
57	राष्ट्रीय जलमार्ग 57	50	कोपिली नदी	असम
58	राष्ट्रीय जलमार्ग 58	233	कोसी नदी	बिहार
59	राष्ट्रीय जलमार्ग 59	19	कोट्टायम–वैकोम नहर	केरल
60	राष्ट्रीय जलमार्ग 60	80	कुमारी नदी	पश्चिम बंगाल
61	राष्ट्रीय जलमार्ग 61	28	किंसी नदी	मेघालय
62	राष्ट्रीय जलमार्ग 62	86	लोहित नदी	असम और अरुणाचल प्रदेश
63	राष्ट्रीय जलमार्ग 63	336	लूनी नदी	राजस्थान
64	राष्ट्रीय जलमार्ग 64	426	महानदी नदी	उड़ीसा
65	राष्ट्रीय जलमार्ग 65	80	महानंदा नदी	पश्चिम बंगाल
66	राष्ट्रीय जलमार्ग 66	247	माही नदी	गुजरात
67	राष्ट्रीय जलमार्ग 67	94	मालाप्रभा नदी	कर्नाटक
68	राष्ट्रीय जलमार्ग 68	41	मंडोवी नदी	गोवा
69	राष्ट्रीय जलमार्ग 69	5	मणिमुथारू नदी	तमिलनाडु
70	राष्ट्रीय जलमार्ग 70	245	मंजीरा नदी	महाराष्ट्र और तेलंगाना
71	राष्ट्रीय जलमार्ग 71	27	मापुसा / मोइदे नदी	गोवा
72	राष्ट्रीय जलमार्ग 72	59	नाग नदी	महाराष्ट्र
73	राष्ट्रीय जलमार्ग 73	226	नर्मदा नदी	महाराष्ट्र और गुजरात
74	राष्ट्रीय जलमार्ग 74	79	नेत्रावती नदी	कर्नाटक
75	राष्ट्रीय जलमार्ग 75	142	पलार नदी	तमिलनाडु
76	राष्ट्रीय जलमार्ग 76	23	पंचगंगावली (पंचगंगोली) नदी	कर्नाटक
77	राष्ट्रीय जलमार्ग 77	20	पझ्यार नदी	तमिलनाडु
78	राष्ट्रीय जलमार्ग 78	262	पेंगानागा – वर्धा नदी प्रणाली	महाराष्ट्र और तेलंगाना
79	राष्ट्रीय जलमार्ग 79	28	पेन्नार नदी	आंध्र प्रदेश
80	राष्ट्रीय जलमार्ग 80	126	पोन्नियार नदी	तमिलनाडु
81	राष्ट्रीय जलमार्ग 81	35	पुनपुन नदी	बिहार
82	राष्ट्रीय जलमार्ग 82	58	पुथिमारी नदी	असम
83	राष्ट्रीय जलमार्ग 83	31	राजपुरी क्रीक	महाराष्ट्र
84	राष्ट्रीय जलमार्ग 84	44	रावी नदी	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब

85	राष्ट्रीय जलमार्ग 85	31	रेवदंडा क्रीक – कुंडलिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
86	राष्ट्रीय जलमार्ग 86	72	रूपनारायण नदी	पश्चिम बंगाल
87	राष्ट्रीय जलमार्ग 87	210	साबरमती नदी	गुजरात
88	राष्ट्रीय जलमार्ग 88	14	वर्ष नदी	गोवा
89	राष्ट्रीय जलमार्ग 89	45	सावित्री नदी (बैंकोट क्रीक)	महाराष्ट्र
90	राष्ट्रीय जलमार्ग 90	29	शरवती नदी	कर्नाटक
91	राष्ट्रीय जलमार्ग 91	52	शास्त्री नदी – जयगढ़ क्रीक प्रणाली	महाराष्ट्र
92	राष्ट्रीय जलमार्ग 92	26	सिलाबती नदी	पश्चिम बंगाल
93	राष्ट्रीय जलमार्ग 93	63	सिमसंग नदी	मेघालय
94	राष्ट्रीय जलमार्ग 94	141	सोन नदी	बिहार
95	राष्ट्रीय जलमार्ग 95	106	सुबनसिरी नदी	असम
96	राष्ट्रीय जलमार्ग 96	311	सुवर्णरिखा नदी	झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा
97	राष्ट्रीय जलमार्ग 97	172	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल
		56	बिद्या नदी	पश्चिम बंगाल
		15	छोटा कालागाछी (छोटो कलेरगाछी) नदी	पश्चिम बंगाल
		7	गोमर नदी	पश्चिम बंगाल
		16	हरिभंगा नदी	पश्चिम बंगाल
		37	होगला (होगल)–पठानखली नदी	पश्चिम बंगाल
		9	कालिंदी (कलंदी) नदी	पश्चिम बंगाल
		22	कताखली नदी	पश्चिम बंगाल
		99	मतला नदी	पश्चिम बंगाल
		28	मुरी गंगा (बरताला) नदी	पश्चिम बंगाल
		53	रायमंगल नदी	पश्चिम बंगाल
		14	साहिबखाली (साहेबखाली) नदी	पश्चिम बंगाल
		37	सप्तमुखी नदी	पश्चिम बंगाल
		64	ठाकुरन नदी	पश्चिम बंगाल
98	राष्ट्रीय जलमार्ग 98	377	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
99	राष्ट्रीय जलमार्ग 99	62	तामारपरानी नदी	तमिलनाडु
100	राष्ट्रीय जलमार्ग 100	436	तापी नदी	महाराष्ट्र और गुजरात
101	राष्ट्रीय जलमार्ग 101	42	टिज़ू – ज़ुंगकी नदियाँ	नगालैंड
102	राष्ट्रीय जलमार्ग 102	87	तलवांग (धलेश्वरी नदी)	असम और मिजोरम
103	राष्ट्रीय जलमार्ग 103	73	टोंस नदी	उत्तर प्रदेश
104	राष्ट्रीय जलमार्ग 104	232	तुंगभद्रा नदी	कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
105	राष्ट्रीय जलमार्ग 105	15	उदयवारा नदी	कर्नाटक

106	राष्ट्रीय जलमार्ग 106	20	उमंगोट (डावकी) नदी	मेघालय
107	राष्ट्रीय जलमार्ग 107	46	वैगई नदी	तमिलनाडु
108	राष्ट्रीय जलमार्ग 108	53	वरुणा नदी	उत्तर प्रदेश
109	राष्ट्रीय जलमार्ग 109	166	वाणगंगा – प्रानहिता नदी प्रणाली	महाराष्ट्र और तेलंगाना
110	राष्ट्रीय जलमार्ग 110	1081	यमुना नदी	दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश
111	राष्ट्रीय जलमार्ग 111	50	जुआरी नदी	गोवा

14. राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना

अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकसित करने की दृष्टि से फरवरी 2004 में पटना, बिहार में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) द्वारा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी) की स्थापना की गई थी। संस्थान का प्रबंधन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थीं:

क. गतिविधियां

(i) निम्नलिखित प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन किया गया :

- प्रारंभिक प्रशिक्षण जीपी रेटिंग कोर्स (33वां बैच)
- जीपी रेटिंग (अंतर्देशीय जलयान) प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण जलयान टी. एस. सर्वेक्षक और सी. एस. डी. बक्सर पर दिया गया।
- बिहार सरकार के कर्मियों के लिए "सुरक्षित तैराकी" का पुनश्चर्या प्रशिक्षण, मुख्य प्रशिक्षको के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
- भाअजप्रा के नव नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों के प्रवेश प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

(ii) अंतर्देशीय जलयान सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु **प्रारंभिक पाठ्यक्रम।**

- अंतर्देशीय जलयान परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित प्रारंभिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए :–
- सेरंग
- मास्टर क्लास II
- मास्टर क्लास I
- द्वितीय श्रेणी इंजन ड्राइवर
- प्रथम श्रेणी इंजन ड्राइवर

ख. प्रशिक्षण

- निनी नियमित आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करता है और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अपने पाठ्यक्रम का विज्ञापन देता है।

- डेक और इंजन पर प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए निजी बार्ज ऑपरेटरों के साथ प्रशिक्षुओं की नियुक्ति की व्यवस्था।

- सी. ओ. सी. परीक्षा और प्रमाणपत्रों का डेटा बेस का संग्रह।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रशिक्षितों का कुल विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षुओं की सं.
1.	सेरंग के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	07
2.	मास्टर II के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	20
3.	मास्टर I के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	07
4.	इंजन चालक II के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	01
5.	इंजन चालक I के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	05
6.	अंतर्देशीय जलयान कौशल सिम्युलेटर पाठ्यक्रम	07
7.	भाअजप्रा के नवनियुक्त अस्थायी कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण।	28
8.	"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनर का पुनश्चर्या प्रशिक्षण	68
	कुल =	**143**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान **राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (**निनी**)** में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की कुल संख्या 143 है।

टिप्पणी: **2020-21** की अधिकांश अवधि में कोविड-**19** महामारी के कारण लॉक डाउन रहा।

ग. मानव संसाधन

संस्थान ने, संस्थान के प्रबंधन के लिए संकाय सदस्यों और प्रशिक्षकों का एक समूह विकसित किया है। संस्थान नियमित परामर्श संकाय, नियमित अतिथि संकाय और आवश्यकता आधारित अतिथि संकाय की तीन श्रेणियों में संकायों की नियुक्ति करता है।

घ. संबद्धता और संघ:

- संस्थान के निरीक्षण के बाद अमेरिकी नौवहन ब्यूरो (ए. बी. एस.) द्वारा उसके आई. एस. ओ. 9001:2015 प्रमाणपत्र को नवीनीकृत किया गया।
- निनी, अजप, बिहार की ओर से निनी के परिसर में सी. ओ. सी. (योग्यता प्रमाणपत्र) परीक्षा आयोजित करता है।

सुरक्षित तैराकी पाठ्यक्रम और भाअजप्रा के नवनियुक्त अस्थाई कर्मचारियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण।

माननीय उपाध्यक्ष और जलीय सर्वेक्षण प्रमुख, भाअजप्रा का दौरा

15. वर्ष के दौरान यातायात, कार्गो, आवाजाही और अन्य मुख्य गतिविधियों के विवरण

अंतर्देशीय जल परिवहन यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए एक व्यवहार्य पूरक माध्यम के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसे परिवहन का लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन माना जाता है। रेल/सड़क परिवहन में कोई भी व्यवधान न केवल यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए मुश्किलें पैदा करता है बल्कि देश के आर्थिक विकास पर भी रोक लगाता है। इसलिए, अजप क्षेत्र को विकसित और प्रोत्साहित करना और भी आवश्यक हो जाता है।

अंतर्देशीय जल परिवहन की गति को देखते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के

माध्यम से 106 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.) घोषित किए हैं, जिससे कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए है। इन नए घोषित 106 राष्ट्रीय जलमार्गों में से, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 2030 तक आगे के विकास और तकनीकी और वाणिज्यिक अध्ययन करने और अजप को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं की 23 व्यवहार्य रा. ज. की पहचान की है।

यातायात की यह वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिचालन राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात प्रवाह का एक सिंहावलोकन के साथ ही यह तेजी से नौवहन अवसंरचना के विकास, अर्थात्, पर्याप्त फेयरवे, लॉक्स, नदी सूचना प्रणाली, टर्मिनल और कार्गो के परिवहन की सुविधा के लिए संबद्ध अवसंरचना और अजप मोड का उपयोग करने वाले यात्री का विवरण प्रदान करती है।

इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में यातायात की मात्रा और प्रवृत्ति के विस्तृत विश्लेषण के साथ-साथ परिचालन रा. ज. पर आवाजाही के कमोडिटी प्रोफाइल को भी शामिल किया गया है।

मैरीटाइम इंडिया विजन (2030) में वर्ष 2030 तक 140 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) के प्रक्षेपण के अनुरूप, भाअजप्रा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय जलमार्ग पर कार्गो के परिवहन के लिए 75 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के बारे में राज्य समुद्री बोर्डों, भाअजप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को सूचित किया गया था। भाअजप्रा द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्रगति की बारीकी से निगरानी करने के लिए ट्रैफिक एंड लॉजिस्टिक्स विंग में एक टीम का गठन किया गया था। सभी के सम्मिलित प्रयासों से, भाअजप्रा ने न केवल 75 एमएमटी का लक्ष्य हासिल किया है, बल्कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 83.64 एमएमटी से इसे पार कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.8% की तुलना में 13.54% की भारी वृद्धि दर्ज की है।

राष्ट्रीय जलमार्ग	**वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य (एमएमटी)**	**लक्ष्य के लिए वास्तविक उपलब्धि (एमएमटी)**
रा.ज.-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली)	11.0	9.21
रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी)	0.50	0.31
रा.ज.-3 (वेस्ट कोस्ट नहर)	0.60	0.73
रा. ज.-4 (कृष्ण गोदावरी नदी प्रणाली)	0.10	6.83
गुजरात मैरीटाइम बोर्ड	30.60	25.71
महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड	24.30	28.21
गोवा जलमार्ग	2.70	8.46
अन्य जलमार्ग (रा.ज.-16,रा. ज.-44, रा. ज.-97, रा. ज.-86)	5.21	4.15
कुल	**75.01**	**83.61**

भाअजप्रा ने परिवहन का एक आत्मनिर्भर, लागत प्रभावी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल साधन विकसित करने के लिए अपना दृष्टिकोण निर्धारित किया है। वर्तमान में, भाअजप्रा ने थोक और कंटेनरीकृत कार्गो को शामिल करके अजप के मोडल शेयर को 2% से बढ़ाकर 2.5% करने का लक्ष्य निर्धारित करके इसे पूरा करने के लिए कई पहलें की हैं; जिनमें राज्यों में 5,000 किमी अजप मार्गों का विकास (नीति आयोग के अनुसार भारत@75); पूर्वी जलमार्ग ग्रिड के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत और पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार) के साथ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना; तटीय नौवहन और अन्य तरीकों के साथ अजप को एकीकृत करना; निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करके जलमार्गों पर यात्री/क्रूज़ पर्यटन को लक्षित करना; अवसंरचना और सेवा अंतराल और ई-पहल की आरंभ पर ध्यान केंद्रित करना आदि शामिल हैं।

समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के दौरान भाअजप्रा ने यातायात/कार्गो, क्रूज़ आवाजाही बढ़ाने के लिए, अवसंरचनात्मक विकास तथा भाअजप्रा द्वारा पहले से बनाई गई अवसंरचना के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 (पंद्रह) संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेसर्स किटको (राष्ट्रीय जलमार्गों में परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए) एनएचआईडीसीएल (पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाअजप्रा के सिविल कार्यों के निर्माण के लिए), आईसीएसएल (राष्ट्रीय जलमार्गों में अंतर्देशीय जलयानों के संचालन की सुविधा के लिए); आईपीआरसीएल (एमएमटी साहिबगंज आदि कुछ नाम है, सड़क-रेल संपर्क के लिए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भाअजप्रा ने विभिन्न गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार लाने और व्यवसाय करने में सरलता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में हितधारकों तक राष्ट्रीय जलमार्गों पर महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाने के लिए कार्गो डेटा पोर्टल (कार-डी) और परिसंपत्ति और नौवहन सूचना के लिए पोर्टल (पीएएनआई) के लिए पोर्टल जैसे डिजिटल समाधान विकसित किए हैं।

मार्च/अप्रैल, 2020 के महीने में लॉकडाउन (कोविड -19 के फैलने के कारण) के दौरान, परिवहन के अन्य साधनों के काम करने में सक्षम न होने पर भी, अंतर्देशीय जल परिवहन कार्य कर रहा था। 24 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), डिजाइन और प्रकाशित की गई थी। लॉकडाउन अवधि के दौरान भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों (आईबीपी) पर भारत और बांग्लादेश के बीच जलयानों की आवाजाही जारी रखने के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा भी इसी तरह का एसओपी डिजाइन किया गया था, और 29 अप्रैल, 2021 को जारी किया गया। इस अवधि के दौरान स्पंज आयरन और कपड़ों को कोलकाता से बांग्लादेश ले जाने के लिए आईबीपी मार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली का उपयोग किया गया। कोयला, उर्वरक, कपड़ा, भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्गो का कुछ प्रतिशत अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से आवंटित करें।

हितधारकों में जागरूकता पैदा करने और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, भाअजप्रा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हितधारकों के सम्मेलन, सेमिनार और वेबिनार भी आयोजित किए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण इस रिपोर्ट में प्रस्तुत दिया गया है।

अन्य प्रमुख विशेषताओं में समुद्री बोर्डों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम शामिल हैं।

भाग-I
यातायात संचालन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट

16. राष्ट्रीय जलमार्गों (रा. ज.) पर यातायात

पिछले चार वर्षों में अंतर्देशीय जलमार्ग पर यातायात में सीएजीआर के साथ 10.81% की घातीय वृद्धि देखी गई है और महामारी के बावजूद वर्ष 2020-21 में यह 83.61 मिलियन टन तक पहुंच गया है। क्षमता का उपयोग करते हुए, भाअजप्रा का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2030 तक अजप के माध्यम से माल ढुलाई के मोडल शेयर को 2% से बढ़ाकर 2.5% करना है। नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग पर यातायात के रुझान प्रस्तुत किए गए हैं:

वित्तीय वर्ष **20-21** के लिए कार्गो/यातायात संचलन का विवरण		
राष्ट्रीय जलमार्ग	**मात्रा टन में**	वित्तीय वर्ष **19-20 एवं वित्तीय वर्ष 20-21 में बदलाव**

				का%
	वित्तीय वर्ष 18-19	**वित्तीय वर्ष 19-20**	**वित्तीय वर्ष 20-21**	
रा.ज.-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली)	6,793,981	91,13,297	92,06,984	1%
रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी)	502,003	3,92,768	3,07,191	-22%
रा.ज.-3 (पश्चिम तट नहर)	408,790	5,46,051	7,33,977	34%
रा. ज.-4 (कृष्णा गोदावरी नदी प्रणाली)	452,066	82,226	68,31,824	8209%
उप योग (राष्ट्रीय जलमार्ग 1-4)	8,156,840	1,01,34,342	1,70,79,977	69%
महाराष्ट्र जलमार्ग				
रा.ज.-10 (अम्बा नदी)	22,381,100	2,20,14,466	1,76,85,737	-20%
रा. ज.-83 (राजपुरी क्रीक)	816,205	6,66,755	2,05,567	-69%
रा. ज.-85 (रेवदंडा क्रीक-कुंडलिका नदी प्रणाली)	1769,947	15,92,477	10,83,701	-32%
रा. ज.-91 (शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली)	3374,399	1,19,443	92,34,983	7632%
योग	28,341,651	2,43,93,141	2,82,09,987	16%
गोवा जलमार्ग				
रा. ज.-68 (मांडोवी नदी)	1,653,751	15,75,640	39,96,431	154%
रा.ज.-111 (जुआरी नदी)	2,104,219	13,58,202	44,64,662	229%
योग	3,757,970	29,33,842	84,61,093	188%
गुजरात जलमार्ग				
रा. ज.-73 (नर्मदा नदी)	40,941	99,614	82,311	-17%
रा.ज.-100 (तापी नदी)	28,780,183	3,09,16,062	2,56,29,554	-17%
योग	28,821,124	3,10,15,676	2,57,11,865	-17%
रा.ज.-16 (बराक नदी)	-	4,417	1,032	-77%
रा. ज.-44 इच्छामती नदी)	-	8,98,641	2,80,353	-69%
रा. ज.-94 (सोन नदी)	-	8,00,000	0	-100%
रा. ज.-97 (सुंदरवन जलमार्ग)	3,227,460	34,59,540	38,61,439	12%
रा. ज.-86 (रूपनारायण नदी)	-	0	1,443	
कुल योग मेट्रिक टन	72,305,045	7,36,39,599	8,36,07,189	13.54%
कुल योग मेट्रिक मिलियन टन	**72.30**	**73.64**	**83.61**	**13.54%**

कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर यातायात की आवाजाही जारी रखने के प्रयास किए गए। आरंभ में भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर विदेशी जलयानों का प्रवेश रोक दिया गया था, जिसे कार्गो के परिवहन के लिए बांग्लादेशी जलयानों और चालक दल के प्रवेश के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करके बहाल किया गया। इससे थर्मल पावर स्टेशनों से फ्लाई-ऐश निकालने और उन्हें चालू रखने में सहायता मिली।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2018-19 (72.30 एमएमटी) के बाद 2019-20 (73.64 एमएमटी) और 2020-21 (83.61 एमएमटी) के दौरान कार्गो/यातायात संचालन का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित चित्र में प्रस्तुत किया गया है। यह देखा जा सकता है कि महामारी के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2020-21 में यातायात संचालन में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1.8% की तुलना में 13.54% की तीव्र वृद्धि हुई है।

चित्र (1): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान यातायात की आवाजाही का तुलनात्मक विश्लेषण

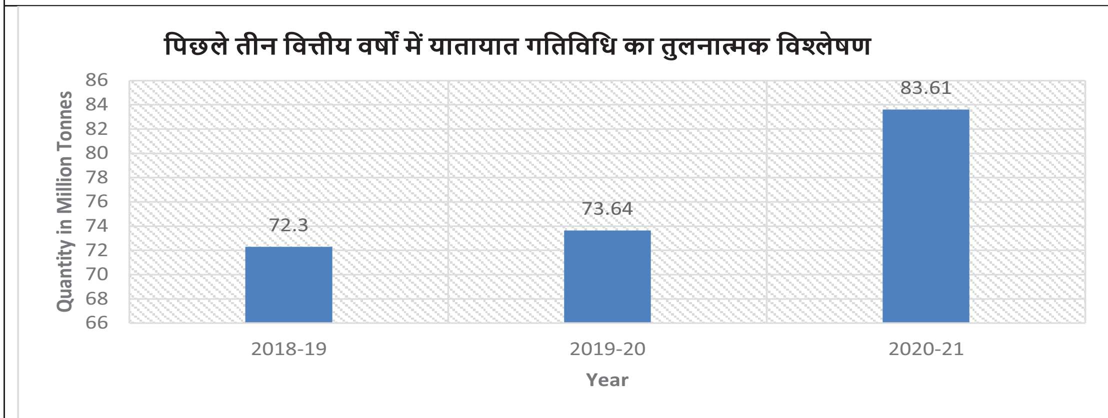

स्रोत: कार्गो डेटा पोर्टल, भाअजप्रा, अप्रैल *2021*

2. राष्ट्रीय जलमार्ग–वार यातायात का भाग

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग–वार यातायात का अधिकांशत: भाग महाराष्ट्र जलमार्ग (34%) का रहा है, इसके बाद गुजरात जलमार्ग (31%), रा.ज.–1 (11%), गोवा जलमार्ग (10%), रा. ज.- 4 (8%) और सुंदरबन जलमार्ग (5%) का स्थान है। यह निम्नलिखित चित्र (2) में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र (2): राष्ट्रीय जलमार्ग–वार यातायात का भाग–वित्तीय वर्ष 2020-21

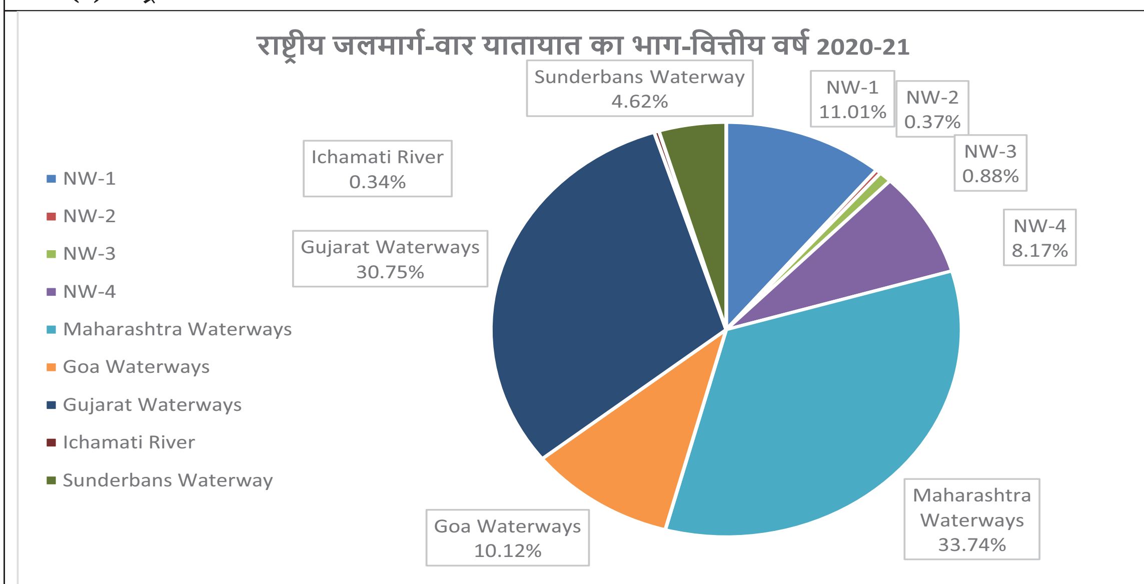

स्रोत: कार्गो डेटा पोर्टल, भाअजप्रा, अप्रैल 2021

3. राष्ट्रीय जलमार्ग – यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल

कुल यातायात में सबसे प्रमुख वस्तु लौह अयस्क (34%) है, उसके बाद कोयला और कोक (31%), फ्लाई-ऐश (8%), चूना पत्थर (4%) और स्टील (3%) है। अन्य (20%) में मुख्य रूप से रेत, पत्थर के चिप्स, सीमेंट आदि शामिल हैं, जैसा कि चित्र (3) में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र (3): राष्ट्रीय जलमार्ग – यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल – वित्तीय वर्ष 2020-21

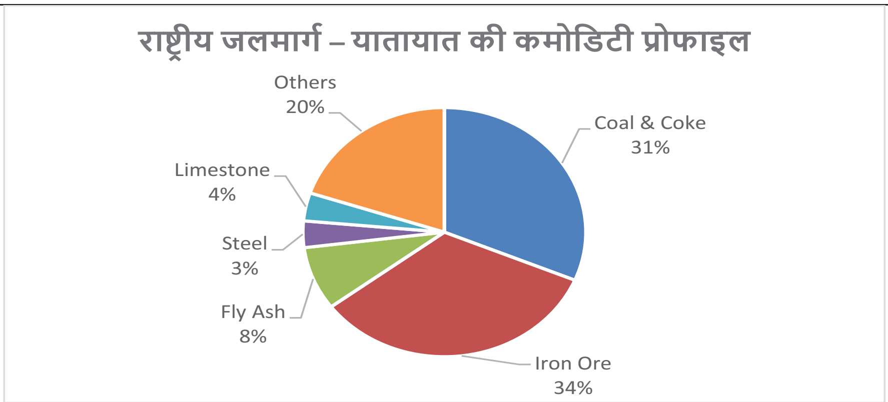

स्रोत: कार्गो डेटा पोर्टल, भाअजप्रा, अप्रैल 2021

लॉकडाउन के दौरान, 243 बांग्लादेशी जहाज भारतीय क्षेत्र में थे, जिन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया।

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग

20 मई 2020 को ढाका में पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर

भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (पीआईडब्ल्यूटी एंड टी) पर एक प्रोटोकॉल 1972 से अस्तित्व में है, जो एक देश के अंतर्देशीय मालवाहक जलयानों को अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल के पारगमन और व्यापार के लिए दूसरे देश के निर्दिष्ट मार्गों पर आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। प्रोटोकॉल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, पीआईडब्ल्यूटी एंड टी पर स्थायी समिति की पिछली दो (19वीं और 20वीं) बैठकों और अक्टूबर 2018 में नई दिल्ली में और ढाका में दिसंबर 2019 में हुई सचिव शिपिंग स्तर की वार्ता में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। ये निर्णय 20 मई, 2020 को ढाका, बांग्लादेश में पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करने के साथ प्रभावी हो गए हैं।

मार्ग: भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्गों की संख्या 08 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है और मौजूदा मार्गों में नए स्थान भी जोड़े गए हैं:

- गोमती नदी के सोनामुरा–दाउदकंडी खंड (93 किमी) को आईबीपी मार्ग संख्या 9 और 10 के रूप में शामिल करने से भारतीय और बांग्लादेश के आर्थिक केंद्रों के साथ त्रिपुरा और आसपास के राज्यों की सम्बद्धता में सुधार होगा और दोनों देशों के पड़ोसी क्षेत्रों को सहायता मिलेगी।
- आईबीपी रूट नंबर 5 और 6 अर्थात् राजशाही–धुलियन के संचालन और अरिचा (270 किमी) तक इसके विस्तार से बांग्लादेश में अवसंरचनात्मक के विकास में सहायता मिलेगी क्योंकि इससे बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में स्टोन चिप्स/एग्रीगेट्स की परिवहन लागत कम हो जाएगी।

- रा. ज.–86 में कोलाघाट अर्थात् रूपनारायण नदी को भी आईबीपी रूट नंबर 1, 2 और 3, 4 में शामिल किया गया है।

- आईबीपी रूट नंबर 3, 4 और 7, 8 को रा.ज.–16 (नदी बराक) पर बदरपुर तक बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश में घोड़ाशाल को भी इन मार्गों में जोड़ा गया है। पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत नामित आईबीपी मार्ग हैं:
  1 और 2 - कोलकाता–सिलघाट और इसके विपरीत
  3 और 4 - कोलकाता–बदरपुर और इसके विपरीत
  5 और 6 - धूलियां–राजशाही–अरिचा और इसके विपरीत
  7 और 8 - सिलघाट–बदरपुर और इसके विपरीत
  9 और 10 - दाउदकंडी–सोनामुरा और इसके विपरीत

इसके अलावा, पोर्टस ऑफ कॉल की संख्या 6 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है और कॉल के 2 विस्तारित पोर्ट भी जोड़े गए हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

बांग्लादेश		भारत	
आगमन के पत्तन	**आगमन के विस्तारित पत्तन**	**आगमन के पत्तन**	**आगमन के विस्तारित पत्तन**
नारायणगंज	घोड़ासाल	कोलकाता	त्रिवेणी (बैंडेल)
खुलना	--	हल्दिया	--
मोंगला	--	करीमगंज	बदरपुर
सिराजगंज	--	पांडु	--
असुगंज	--	सिलघाट	--
पानगांव	मुख्तारपुर	धुबरी	--
राजशाही	--	धुलियान	--
सुल्तानगंज	--	माइया	--
चिलमारी	--	कोलाघाट	--
दाउदखंडी	--	सोनामुरा	--
बहादुरबाद	--	जोगीगोफा	--

भाअजप्रा और बीआईडब्लयूटीए के सहयोगात्मक प्रयासों से, आईबीपी मार्ग पर यातायात लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 3.56 मिलियन टन यातायात आईबीपी मार्ग से गया और वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले लगभग 2.89% वृद्धि प्रदर्शित की। लगभग 700 अंतर्देशीय जलयानों ने (लगभग 650 बांग्लादेश–ध्वज जलयानों सहित) लगभग 4,000 यात्राएं पूरी कीं।

आईबीपी मार्ग: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष–2021)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आईबीपी मार्ग पर नियंत्रित यातायात का कमोडिटी प्रोफाइल निम्नलिखित चित्र (4) में प्रस्तुत किया गया है:

चित्र (4): भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट 2020-21 में कार्गो की आवाजाही

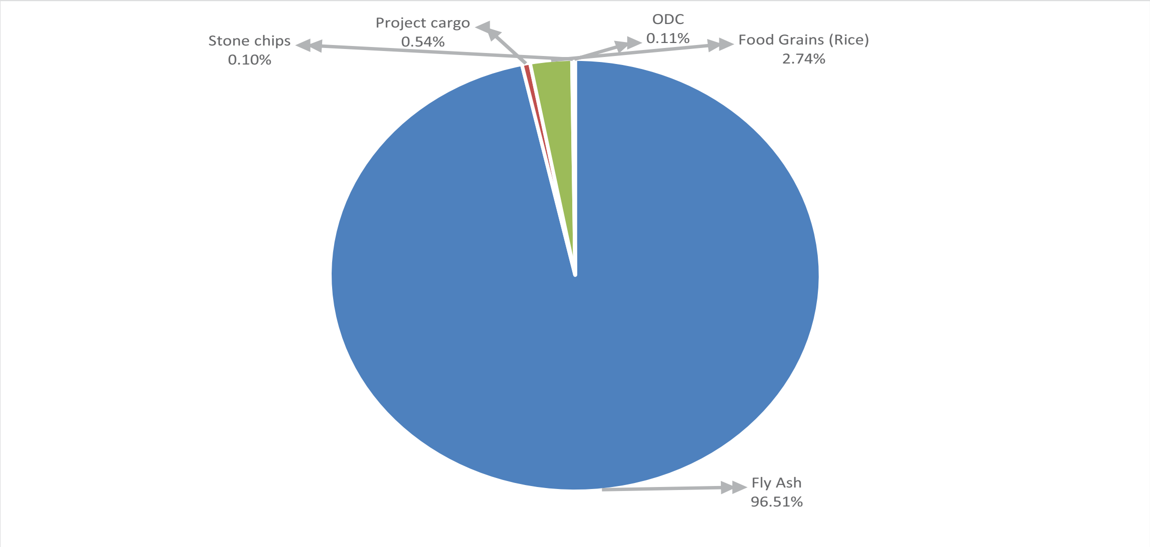

स्रोत: कार्गो डेटा पोर्टल, भाअजप्रा, अप्रैल 2021

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि आईबीपी मार्ग पर फ्लाई ऐश सबसे मुख्य वस्तु है (लगभग 97%) उसके बाद चावल (3%) है। प्रोजेक्ट कार्गो, ओडीसी और स्टोन सामूहिक रूप से 1% से कम का योगदान करते हैं।

व्यवसाय करने में सरलता के लिए डिजिटल समाधान

- **सीएआर-डी (कार्गो डेटा) पोर्टल:** सीएआर-डी हितधारकों के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग के सभी कार्गो और क्रूज संचालन डेटा के संग्रह और संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल है। यह विभिन्न टर्मिनलों, ऑपरेटरों, समुद्री बोर्डों, आदि से कार्गो और क्रूज के लिए वास्तविक समय मोड में यातायात डेटा को कैप्चर करता है।

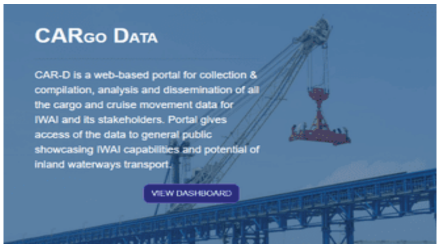

सीएआर-डी के लाभ: यह सभी हितधारकों के लिए सुलभ है और इस क्षेत्र में यातायात प्रवाह पैटर्न, प्रमुख वस्तुओं और संभावित प्रमुख लॉजिस्टिक खिलाड़ियों को समझने में सहायता करता है और कार्गो समेकन और राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान कर सकता है।

- **पीएएनआई (परिसंपत्ति और नौवहन सूचना के लिए पोर्टल) :** पीएएनआई एक एकीकृत समाधान है, जो नदी नौवहन और अवसंरचना की जानकारी को एक मंच पर लाता है। यह राष्ट्रीय जलमार्गों की विभिन्न विशेषताओं और फेयरवे, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, क्रॉस-नदी संरचनाओं, जेट्टियों पर सम्बद्धता, कार्गो के परिवहन की सुविधा के लिए आपातकालीन सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान

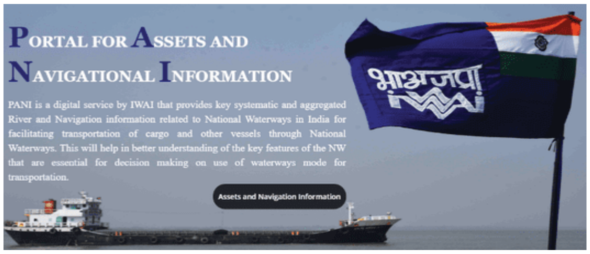

करता है। जीआईएस आधारित भारत मैप पोर्टल यात्रा योजना में बाहरी हितधारकों की भी सहायता करता है, जिससे व्यापार में आसानी होती है। सूचना के आसान प्रसार और जलयानों की ट्रैकिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी तैयार किया गया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

पीएएनआई के लाभ: यह प्लेटफार्म सत्य के एकल स्रोत के आधार पर समय पर निर्णय लेने के लिए सूचना की पारदर्शिता लाता है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो के परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। यह आवश्यक ड्राफ्ट, अनुलंब और क्षैतिज क्लीयरेंस के समक्ष ऐतिहासिक डेटा का अनुकरण करके यात्रा की प्रत्याशित तिथि पर परिवहन की व्यवहार्यता का आकलन करने में भी सहायता करता है।

ये समाधान अलग-अलग हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाते हैं, संगठनात्मक स्थिरता में सुधार करते हैं, संसाधन चपलता में वृद्धि करते हैं तथा प्रत्येक हितधारक के लिए स्वामित्व और उत्तरदायित्व बढ़ाते हैं, जिससे वह गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन की ओर अग्रसर होता है। इस क्षेत्र के लिए भाअजप्रा द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यों तक सार्वजनिक पहुंच होने से, बाजार में भाअजप्रा की स्थिति बढ़ेगी और इस क्षेत्र पर विश्वास बढ़ेगा।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात के विकास के लिए अन्य पहलें

1. लेवी का संशोधन और शुल्क का संग्रह:

भारत सरकार के, परिवहन के पूरक साधन के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए जलमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क की छूट देने पर विचार किया है। वर्तमान में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अंतर्देशीय मालवाहक जलयानों में प्रति किलोमीटर ले जाए जानेवाले, प्रति सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) के लिए 0.02 रुपए की दर से जलमार्ग उपयोग शुल्क लगाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.) पर क्रूज जलयानों को चलाए जाने वाले जलयानों के लिए प्रति सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी) प्रति किलोमीटर 0.05 रुपए की दर से शुल्क लगाता है। चूंकि अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात प्रारंभिक चरण में है और वर्तमान में कुल कार्गो यातायात का केवल 2% योगदान देता है, जलमार्गों पर यातायात को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जलयानों को चलाने के लिए जल उपयोग शुल्क को हटा दिया गया है। 2016 में, राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 राष्ट्रीय जलमार्ग से बढ़ाकर 111 राष्ट्रीय जलमार्ग कर दी गई थी। राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर शुल्क और शुल्क का आरोपण उन सभी राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर लागू था जो यातायात संचालन के प्रशासन और यातायात डेटा के संग्रह में बाधा के रूप में कार्य कर रहे थे।

अंतर्देशीय जलयानों की आवाजाही के लिए पिछले पांच वर्षों, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 67.92 लाख रुपए, 99.86 लाख रुपए, 49.11 लाख रुपए, 68.7 लाख रुपए और 111.93 लाख रुपए का जलमार्ग उपयोग शुल्क एकत्रित हुआ है। इस प्रकार, औसतन, हर वर्ष राजकोष को लगभग एक करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी। इस कदम से कुछ सड़क अवरोधों को हटाकर अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने और "व्यवसाय करने में सरलता" प्रदान करने की आशा है।

2. निजी ऑपरेटरों द्वारा जेट्टी के निर्माण के लिए मसौदा दिशानिर्देश

निजी जेट्टी/टर्मिनल के विकास की नीति: रा. ज. पर अजप यातायात की वृद्धि के साथ, निजी संस्थाओं ने रा. ज. पर निजी टर्मिनल बनाने और संचालित करने में रुचि दर्शाई है। निजी संस्थाओं को टर्मिनलों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन की अनुमति देने से रा. ज. पर टर्मिनल नेटवर्क का तेजी से विकास हो सकेगा। रा. ज. पर टर्मिनलों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़े लाभों को देखते हुए, भाअजप्रा ने निजी क्षेत्र को अपने स्वयं की जेटी विकसित करने और उन्हें वाणिज्यिक आधार पर संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। हाल ही में, भाअजप्रा ने अस्थायी आधार पर लैंडिंग पॉइंट के रूप में तटों पर अपनी भूमि का उपयोग करते हुए रा.ज.-1 पर निजी ऑपरेटरों द्वारा रो-रो संचालन की अनुमति दी है। इस पहल से अजप के

पक्ष में अवसंरचना के विकास और कार्गो के मोडल शिफ्ट को बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भागीदारी आने की आशा है, जो बहुत आवश्यक है।

3. अजप मोड का उपयोग करके उन्नत क्षेत्रीय व्यापार:

क. **पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश में नए पत्तनों और मार्गों को जोड़ना:** भारत और बांग्लादेश के बीच पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत जलमार्ग मार्गों के अतिरिक्त/विस्तार के साथ-साथ व्यापार के लिए अजप मोड की पहुंच के साथ प्रत्येक पक्ष से 7 नए पत्तनों को जोड़ने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके परिणामस्वरूप भारत और बांग्लादेश के बीच यातायात में वृद्धि होगी। एक आकलन के अनुसार, बांग्लादेश में अरिचा तक राजशाही-धुलियान मार्ग के विस्तार के साथ 25 लाख टन यातायात को अजप मोड की ओर मोड़ने की आशा है।

ख. **भारत-नेपाल व्यापार संधि में अजप मोड को शामिल करना:** भारत और नेपाल के बीच व्यापार संधि में अंतर्देशीय जलमार्ग मोड को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है। यह नेपाल की ओर जानेवाले कार्गो (तीसरे देश से कोलकाता पत्तन होकर आनेवाले और भारत के निर्यात) को साहिबगंज एमएमटी (झारखंड), पटना (बिहार) और वाराणसी एमएमटी (यूपी) के पास प्रस्तावित कालूघाट टर्मिनल तक जलमार्ग और नेपाल के लिए आगे सड़क के माध्यम से परिवहन की अनुमति दी जाएगी। अजप मार्ग यातायात के लिए एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान करेगा, जो वर्तमान में रेल और सड़क मोड पर भीड़भाड़ और देरी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है।

ग. **भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार:** भूटान के पत्थर निर्यातकों ने अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में पहचाना है, जो कम परिवहन लागत, सड़क की तुलना में बड़ा शिपमेंट आकार, भूमि मार्गों पर भीड़ से बचने आदि जलमार्ग मोड से जुड़े लाभों पर विचार कर रहे हैं। पहला परिचालन भाअजप्रा की देखरेख में जुलाई 2019 में सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया था। इस संचालन ने भूटानी निर्यातकों में तेजी से जलमार्ग मोड में स्थानांतरित होने और भूटान और बांग्लादेश के बीच पत्थर के समुच्चय और अन्य वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्वास दिखाई दिया। पहले परिगमन की सफलता के परिणामस्वरूप, धुबरी और चिलमारी (बांग्लादेश) बीच पत्थर के समुच्चय का परिवहन नियमित हो गया है और वित्तीय वर्ष-21 में लगभग 4369 टन के 15 से अधिक शिपमेंट का काम पूरा हो चुका है। आने वाले वर्षों में, अजप मोड का उपयोग करने वाले इस व्यापार के जारी रहने और एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचने की आशा है।

4. अंतर्देशीय जल परिवहन का उपयोग करने और राष्ट्रीय जलमार्ग से संबंधित विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध करने के लिए हितधारकों की सुविधा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी)

विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की भाअजप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची, नीचे दी गई है:

i. बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच भारत से और भारत में माल की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पत्तनों के उपयोग पर समझौते की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

ii. बांग्लादेश गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच तटीय और प्रोटोकॉल मार्ग पर यात्री और क्रूज सेवाओं पर समझौता ज्ञापन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

iii. बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन कार्गो के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग पर समझौता ज्ञापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

iv. कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (पीआईडब्ल्यूटी एंड टी) पर प्रोटोकॉल पर जलयानों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

v. राष्ट्रीय जलमार्ग पर रो-रो/रो-पैक्स जलयान संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और जांच सूची।

vi. कार-डी पोर्टल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।

5. विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों में आरंभ हुई रो-रो/रो-पैक्स सेवा

निम्नलिखित मार्गों के लिए फरवरी 2021 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए रो-रो/रो-पैक्स जलयानों का संचालन:

जलयान का नाम	.... के बीच रो-रो/रो-पैक्स सेवा	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की तारीख
एमवी रानी गैडिनल्यू और एमवी सचिन देव बर्मन	नियामती और कमलाबाड़ी (माजुली)	18.02.2021
एमवी जेएफआर जैकब	गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी	18.02.2021
एमवी बॉब खथिंग	धुबरी और फकीरगंज (यू/एस हत्सिंगमारी)	18.02.2021
एमवी आदि शंकरा और एमवी सी.वी. रमन	वेलिंगडन द्वीप और बोलघाटी	14.02.2021

6. रो-रो/रो-पैक्स सेवाओं का विवरण

- **रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) पर माजुली द्वीप और नियामती के बीच रो-पैक्स सेवा**

माजुली ब्रह्मपुत्र नदी, असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 2016 में यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया। इस द्वीप में 150,000 से अधिक आबादी वाले 144 गांव हैं और प्रति वर्ग किमी 300 व्यक्तियों का घनत्व है। आय का मुख्य स्रोत कृषि है, जिसमें धान मुख्य फसल है। मत्स्य पालन, डेयरी, मिट्टी के बर्तन बनाना और नाव बनाना अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियाँ हैं। हथकरघा गांवों की महिला आबादी का एक प्रमुख व्यवसाय है। द्वीप पर 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज और स्कूल हैं।

वर्तमान परिवहन चुनौतियाँ: माजुली द्वीप जोरहाट शहर (नेमाटी के माध्यम से) से नावों द्वारा पहुँचा जा सकता है। माजुली और जोरहाट के बीच का दूसरा मार्ग तेजपुर ब्रिज के माध्यम से लगभग 420 किमी. की लंबी दूरी को कवर करते हुए एक घुमावदार सड़क द्वारा है। सम्बद्धता नदी द्वीप में छोटे पैमाने और कुटीर उद्योगों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। खराब परिवहन व्यवस्था के कारण कच्चे माल को राज्य के अन्य हिस्सों से अपने स्रोतों से औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाना बहुत मुश्किल है।

वर्तमान में, लगभग 2,000 यात्री, 240 दुपहिया वाहन, 54 हल्के मोटर वाहन और 100 साइकिल प्रतिदिन जोरहाट और माजुली के बीच नौका सेवा का उपयोग करते हैं। हालांकि, रो-रो सेवाएं प्रदान करने वाली नावें लकड़ी की छोटी नावें होती हैं जो अधिकतर क्षमता से अधिक भार के साथ चलती हैं, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा असुरक्षित हो जाती है।

प्रस्तावित रो-पैक्स सेवा के लाभ: 2 रो-पैक्स जलयानों (एमवी रानी गैडिनल्यू और एमवी सचिन देव बर्मन 2 ट्रक + 4 कार + 200 यात्री की क्षमता के साथ (प्रत्येक) की तैनाती से निम्नलिखित लाभ होंगे-

i. सड़क मार्ग से दूरी को 420 किमी घटाकर जलमार्ग द्वारा 12 किमी किया गया
ii. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिपिंग और नौचालन की सुरक्षा प्रदान करना
iii. वर्ष भर सेवा सक्षम करना
iv. नदी पार करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रकों, बसों आदि जैसे भारी वाहनों की पहुंच को सक्षम बनाना।
v. आर्थिक विकास के एजेंडे में माजुली को शामिल करना
vi.

नेमाटी और कमलाबाड़ी (माजुली) के बीच सेवा के लिए एमवी रानी गाइदिनल्यू

नेमाटी और कमलाबाड़ी (माजुली) के बीच सेवा के लिए एमवी सचिन देव बर्मन

- **रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) पर उत्तरी गुवाहाटी और दक्षिण गुवाहाटी के बीच रो-पैक्स जलयान**

गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पूर्वोत्तर राज्य असम का केंद्र है। गुवाहाटी भारतीय राज्य असम का सबसे बड़ा शहर और उत्तर-पूर्वी भारत का सबसे बड़ा महानगर भी है। पहाड़ियों के साथ एक प्रमुख नदी पत्तन शहर और भारत में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक, गुवाहाटी मुख्य शहर, ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे 'गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया' कहा जाता है।

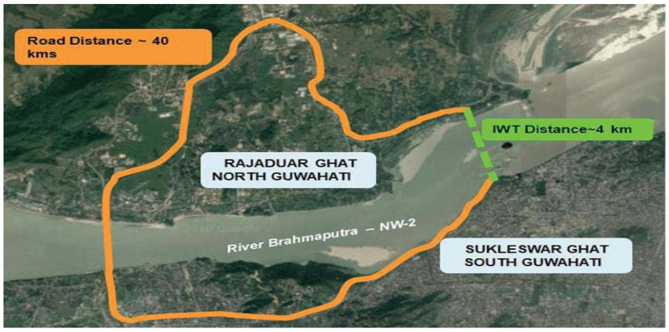

दक्षिण गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, उग्रतारा मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, डोलगोविंदा और उमानंद मंदिर जैसे कई

प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, जो इसे "मंदिरों का शहर" की उपाधि देते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, गुवाहाटी के भीतर स्थित सर्किट सिटी क्षेत्र में है और यह असम सरकार की सीट है।

उत्तरी गुवाहाटी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर है, धीरे-धीरे शहर की सीमा में शामिल किया जा रहा है। यहां आइ आइटी, गुवाहाटी, कॉलेज, स्कूल और औद्योगिक क्षेत्र सहित कई शैक्षणिक संस्थान हैं और यह केवल सरायघाट पुल नामक एक पुल से जुड़ा हुआ है।

वर्तमान परिवहन चुनौतियां: दक्षिण गुवाहाटी शहर (ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से) से नावों द्वारा उत्तरी गुवाहाटी पहुँचा जा सकता है। इन दोनों के बीच का दूसरा मार्ग एक सड़क पुल द्वारा है जो दक्षिण गुवाहाटी के भारी यातायात से लगभग 40 किमी लंबी दूरी तय करता है। पुल के साथ-साथ शहर के क्षेत्र में भी लगातार यातायात जाम हो रहा है। खराब परिवहन व्यवस्था के कारण काम के सिलसिले में ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे यात्रियों और व्यापारियों के लिए यह बहुत कठिन और समय लेने वाला है।

लगभग 3,000 यात्री और कई हल्के मोटर वाहन/दोपहिया/साइकिलें सड़क मार्ग से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करके गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी को पार करते हैं। हालांकि, रो-रो सेवाएं प्रदान करने वाली नावें, लकड़ी की छोटी नावें/अजप के छोटे जहाज हैं जो अधिकतर यात्रियों के लिए यात्रा को असुरक्षित बनाते हुए क्षमता से अधिक भार के साथ चलती हैं।

प्रस्तावित रो-पैक्स सेवा के लाभ: दक्षिण गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच असम सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले 2 रो-पैक्स जलयानों एमवी बॉब खथिंग और एमवी जेएफआर जैकब की तैनाती से (2 ट्रक + 4 कारों + 200 यात्रियों की क्षमता) निम्नलिखित लाभ होंगे-

क) सड़क मार्ग से 40 किलोमीटर की दूरी को जलमार्ग से घटाकर 4 किलोमीटर किया जाए और शहरी क्षेत्र में सड़कों की भीड़ को भी कम करना

ख) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और शिपिंग और नौवहन की सुरक्षा प्रदान करना

ग) वर्ष भर सेवा सक्षम करना

घ) नदी पार करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रकों, बसों आदि जैसे भारी वाहनों की पहुंच को सक्षम बनाना।

ङ) उत्तर गुवाहाटी को आर्थिक विकास के एजेंडे में शामिल करना

गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच सेवा के लिए एमवी जेएफआर जैकब

- **रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) पर धुबरी और हत्सिंघमारी के बीच रो-पैक्स जहाज**

पश्चिमी असम के दो निकटवर्ती जिले धुबरी और हत्सिंगमारी, ब्रह्मपुत्र द्वारा विभाजित हैं। जलयान की नियमित आवाजाही, उत्तर में धुबरी और ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर हत्सिंगिमारी के बीच, मेघालय से कार्गो और आसपास के क्षेत्र के यात्रियों की आवाजाही के साथ-साथ पश्चिमी मेघालय का गारो हिल्स क्षेत्र के यात्रियों की आसान और तेज आवाजाही के लिए एक वरदान साबित होगी। जोगीघोपा को पंचरत्न से जोड़ने वाले नरनारायण सेतु पर ब्रह्मपुत्र को पार करते हुए दो शहरों के बीच सड़क की दूरी 220 किमी है।

वर्तमान परिवहन चुनौतियाँ: धुबरी में एक स्थायी रो-रो जेट्टी चालू है और हत्सिंघीमारी में एक अस्थायी रो-रो जेट्टी है। धुबरी और हत्सिंगमारी सम्बद्धता मेघालय और धुबरी (असम) के बीच वाहनों की यात्रा दूरी को कम करती है, जो वर्तमान में जोगीघोपा पुल (सड़क दूरी -220 किमी; अजप दूरी 28 किमी) से होकर जाती है और परिवहन के सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल मोड के साथ आवश्यक आवागमन सुविधा प्रदान करती है। प्रतिदिन लगभग 1000 यात्री और कई दुपहिया/साइकिलें धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी को पार करते हैं। हालांकि, रो-रो सेवाएं प्रदान करने वाली नावें लकड़ी की छोटी नावें होती हैं जो क्षमता से अधिक भार के साथ चलती हैं, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा असुरक्षित हो जाती है।

प्रस्तावित रो-पैक्स सेवा के लाभ: दक्षिण गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी (2 ट्रक + 4 कारों + 200 यात्रियों की क्षमता) के बीच असम सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले एक रो-पैक्स जलयानों **एमवी बॉब खथिंग** की तैनाती से निम्नलिखित लाभ होंगे:

क) सड़क मार्ग से 220 किलोमीटर की दूरी को जलमार्ग से घटाकर 28 किलोमीटर करना और शहरी क्षेत्र में सड़कों की भीड़ को भी कम करना।

ख) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिपिंग और नौवहन की सुरक्षा प्रदान करना।

ग) वर्ष भर सेवा सक्षम करना।

घ) नदी पार करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रकों, बसों आदि जैसे भारी वाहनों की पहुंच को सक्षम बनाना।

ङ) पश्चिमी असम और मेघालय को आर्थिक विकास के एजेंडे में शामिल करना।

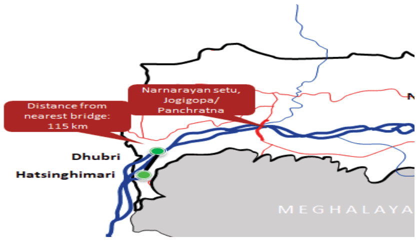

धुबरी और हत्सिंगिमारी के बीच सेवा के लिए – एमवी बॉब खथिंग

- **बोलघाटी और विलिंगडन द्वीप के बीच रो–रो जलयानों की तैनाती**

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग–3 पर बोलगट्टी और विलिंगडन द्वीप के बीच दो नए रोल–ऑन/रोल–ऑफ जलयान तैनात करेगा। जलयानों को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से खरीदा गया है और केरल राज्य अंतर्देशीय नौवहन निगम (केएसआईएनसी) द्वारा संचालित किया जाएगा। रो–रो जहाज, एमवी आदि शंकरा और एमवी सीवी रमन, छह 20-फीट ट्रक, तीन 20-फीट ट्रेलर ट्रक, तीन 40-फीट ट्रेलर ट्रक और 30 यात्रियों को ले जाने की क्षमता के साथ, जल्द ही बोलगट्टी और विलिंगडन द्वीप के बीच चालू हो जाएंगे।

दक्षिणी केरल में स्थानों जैसे कोल्लम, अल्लाप्पुझा आदि और अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी), वल्लारपदम के बीच चलने वाले कंटेनर ले जाने वाले वाहन वर्तमान में लगभग सड़क मार्ग का उपयोग करते हैं और कोच्चि शहर से गुजरने वाले 25-30 किमी और यातायात की भीड़, प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि करते हैं। दिन के घंटों में शहर में प्रवेश प्रतिबंध भी इन वाहनों के पारगमन समय को बढ़ाते हैं, जिससे परिवहन लागत में वृद्धि होती है।

प्रस्तावित रो–रो सेवाओं के आरंभ होने के साथ, कंटेनर ले जाने वाले वाहन विलिंगडन द्वीप जेट्टी से बोलगट्टी तक रो–रो सेवा ले सकते हैं, जहां से सड़क मार्ग से वाहन आईसीटीटी, वल्लारपदम तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह, आईसीटीटी से जावक लोड/खाली वाहन आगे की सड़क आवाजाही के लिए बोलगट्टी से विलिंगडन द्वीप तक समान सेवा ले सकते हैं। यह सेवा सड़क यात्रा की 25- 30 किमी की मौजूदा दूरी को घटाकर जलमार्ग पर 3.5 किमी कर देगी, जिससे परिवहन लागत और पारगमन समय में कमी के साथ व्यापार को लाभ होगा। महत्वपूर्ण रूप से, यह सेवा सड़क पर भीड़भाड़ के स्तर को कम करके और सार्वजनिक सुरक्षा में योगदान देकर कोच्चि शहर को आवश्यक राहत देगी।

सोनामुरा पर माल ढुलाई की शुरुआत

सोनामुरा टर्मिनल का विकास

पीआईडब्ल्यूटी एंड टी की स्थायी समिति की 19वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, गोमती नदी के बांग्लादेश हिस्से (अर्थात्, सोनामुरा से दाउदकंडी/सतनाल खंड को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के क्रमशः 9 और 10 हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। एसएफसी में सोनामुरा में एक स्थायी टर्मिनल के निर्माण के लिए 23.15 करोड़ रुपए की राशि की परिकल्पना की गई है।

भाअजप्रा ने दोनों देशों के व्यापारियों की सुविधा के लिए सोनामुरा में एक अस्थायी फ्लोटिंग जेट्टी स्थापित की है। टर्मिनल के निर्माण के लिए लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) के पास जमीन उपलब्ध है।

सोनामुरा में विकास टर्मिनल के वांछित लाभ निम्नानुसार हैं:

- इन खंडों के पूरी तरह से नौगम्य हो जाने पर वे बांग्लादेश जलमार्गों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (रा.ज.-1 (नदी गंगा), रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) को जोड़ने वाले कार्गो संचालन की लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी लाने में सहायता करेंगे।
- इसके परिणामस्वरूप सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के माध्यम से भीड़भाड़ वाले सड़क यातायात में कमी आएगी।
- सोनामुरा को निकटवर्ती उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए सड़क के माध्यम से कार्गो के आगे परिवहन के लिए ट्रांसशिपमेंट हब भी माना जा सकता है।
- यह बांग्लादेश सरकार और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा और भारत सरकार की 'लुक ईस्ट' नीति को भी बढ़ावा देगा।

टर्मिनल भारत और बांग्लादेश दोनों के व्यापारियों को जलमार्ग के माध्यम से अपने माल की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां

1. पिछले 04 (चार) वर्षों में @ 10.81% सीजीएआर की दर से यातायात वृद्धि ।
2. परिचालन रा. ज. की संख्या वित्तीय वर्ष -19 के 13 से बढ़कर वित्तीय वर्ष -21 में 17 हो गई।
3. निम्नलिखित हिस्सों/रा. ज. पर कार्गो मैपिंग आरंभ की गई:

   क) इच्छामती नदी (~ 0.9 एमएमटी) से कार्गो डेटा का संग्रह।
   ख) गोदावरी नदी से डेटा का संग्रह।

4. **रा.ज.-2 के माध्यम से भूटान कार्गो का निर्यात:** धुबरी-चिलमारी मार्ग का संचालन: आईबीपी मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश में भूटान कार्गो की 15 आवाजाही वित्तीय वर्ष 2011 (4369 मीट्रिक टन) के दौरान हुई।

5. वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 3.56 मिलियन टन यातायात आईबीपी मार्ग पर चला गया, जो वित्तीय वर्ष 2020 में 3.46 मिलियन टन था, जो 2.89% की वृद्धि दर्ज करता है।

6. कोलकाता/हल्दिया पत्तन से रा.ज.-1/आईबीपी और रा.ज.-2 मार्गों पर रा.ज.-1, आईबीपी और रा.ज.-2 के गंतव्यों तक 24 बड़े आकार के कार्गो की आवाजाही। (पावरग्रिड, एचयूआरएल, भेल आदि)।

7. जुलाई 2020 में अंतर्देशीय जलमार्गों पर परिवहन के लिए इस्पात, कपड़ा, कोयला, खाद्य, पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया गया है। आईबीपी पर कपड़ा, प्लास्टिक, लोहा और इस्पात पर पायलट संचालन शुरू किया गया है।

8. भाअजप्रा प्रिंसेप घाट पर्यटक जेट्टी, कोलकाता से सुंदरवन तक मेसर्स हेरिटेज रिवर जर्नी के पहले क्रूज जलयान गंगा वॉयाजर-द्वितीय का उद्घाटन समारोह 26.02.2021 को एसएमपी अध्यक्ष, निदेशक, भाअजप्रा, आईआरएस के वरिष्ठ अधिकारी, अजप और अन्य हितधारकों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था।

9. एससीआई लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल) को तीन भाअजप्रा जलयानों, एमवी रवींद्रनाथ टैगोर, एमवी लाल बहादुर शास्त्री और एमवी होमी भाभा को सौंपने के लिए समझौता ज्ञापन पर 22 जनवरी 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। और एक जलयान, एमवी आरएन टैगोर उसी दिन आईसीएसएल को और उसके बाद एमवी लाल बहादुर शास्त्री, 26.02.2021 को पटना के गायघाट में सौंप दिया गया। तीसरा जलयान ड्राई-डॉकिंग पूरा होने के बाद एससीआई को सौंप दिया जाएगा।

एमवी आरएन टैगोर के साथ 28.12.2020 से 22.01.2021 के बीच वाराणसी से उर्वरक ले जाने वाले 5 कंटेनरों और पटना से पॉलीप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स के साथ वाराणसी से कोलकाता के लिए अनुसूचित सेवा का परीक्षण किया गया था, जिसके बाद (i) 10.02.2021 से 22.02.2021 के दौरान, एमवी आरएन टैगोर से कोलकाता से पटना तक नियमित अनुसूचित सेवा आयोजित की गई थी, (ii) वाराणसी और पटना से कोलकाता एमवी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, 58 टन चावल की भूसी के साथ 21.03.2021 को पूरा किया गया, (iii) पटना से कोलकाता एमवी आरएन टैगोर के साथ 23.03.2021 को शुरू हुआ।

10. सीमा शुल्क विभीग द्वारा दूसरे परिशिष्ट में शामिल नए पोर्टस ऑफ कॉल को अधिसूचित किया गया है।

11. यात्री की आवाजाही के लिए एसओपी और आईबीपी पर क्रूज चालू कर दिया गया है।

12. भाअजप्रा ने गोवा में राष्ट्रीय जलमार्ग पर अजप को बढ़ावा देने और विकास कार्यों को देखने/समन्वित करने के लिए 14.01.2021 को मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स में एक उप-कार्यालय खोला है।

भाअजप्रा **गोवा उप-कार्यालय – उद्घाटन समारोह**

13. प्रिंसेप घाट, कोलकाता (विद्यासागर सेतु के अपस्ट्रीम) में "नए पर्यटक/क्रूज जेट्टी के निर्माण" के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से 18.01. 2021 को 446.75 वर्गमीटर भूमि ली गई है।

14. भारत से रा.ज.-1 और अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार मार्ग पर प्रोटोकॉल के माध्यम से 13 यात्राओं में 17,085.339 मीट्रिक टन चावल केपीडी, कोलकाता से मोंगला, बांग्लादेश पहुंचाया गया।

15. 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 आयोजित किया गया था, जिसमें भाअजप्रा ने निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं –

i. परिचालनात्मक राष्ट्रीय जलमार्ग में अजप संचालन के लिए एमओएल शिपिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,;

ii. राष्ट्रीय जलमार्ग में फेयरवे विकास/रखरखाव के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीसीआई);

iii. एसएमटी साहिबगंज की सड़क-रेल सम्बद्धता के लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) से;

iv. राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जलयान संचालन की सुविधा के लिए इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल),

v. भाअजप्रा जलयानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) से;

vi. पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाअजप्रा के सभी सिविल कार्यों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) से;

vii. ई–पहल के कार्यक्रम प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान (एनआईएसजी) से;

viii. वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) से;

ix. भाअजप्रा की ई–पहल के समर्थन के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू–सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी–एन) से;

x. राष्ट्रीय जलमार्ग–3 में परामर्श सेवाओं की सुविधा के लिए मेसर्स किटको लिमिटेड से।

xi. रा.ज.–1 और सुंदरबन जलमार्ग और अन्य परिचालन राष्ट्रीय जलमार्गों पर क्रूज सेवाओं के लिए मेसर्स हेरिटेज रिवर जर्नी प्रा. लिमिटेड से;

xii. राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पत्तन, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) से;

xiii. कक्कनड टर्मिनल पर 30 वर्ष के लिए भूमि और कक्कनड टर्मिनल भूमि पर जेट्टी के हस्तांतरण के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) से;

xiv. विभिन्न रा. ज. पर भाअजप्रा जलयानों के संचालन के दौरान उनके के पर्यवेक्षण के लिए भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) से;

xv. माननीय वाणिज्य और परिवहन मंत्री, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में रो-रो जलयान, एमवी भूपेन हजारिका के संचालन और प्रबंधन के लिए 15-मार्च-2021 को ओडिशा सरकार से, ओडिशा सरकार के वाणिज्य और परिवहन मंत्री

16. जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथघाट और नेमती में पर्यटक घाटों के निर्माण की आधारशिला। जोगीघोपा में अजप टर्मिनल के निर्माण की आधारशिला।

17. ओडिशा राज्य में भाअजप्रा जलयान एमवी भूपेन हजारिका की तैनाती के लिए 15.03.2021 को भाअजप्रा और ओडिशा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

18. बांग्लादेश के प्रान समूह के 40,000 कार्टन फ्रूट ड्रिंक (512 मीट्रिक टन) की पहली वाणिज्यिक खेप 16 मार्च 2021 को नारायणगंज, बांग्लादेश के विस्तारित पोर्ट ऑफ कॉल, घोड़ाशाल से शुरू हुई और जीआर जेट्टी कोलकाता पहुंची।

19. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) वाइज़ाग से 28.03.2021 को 10 वैगनों में 644 मीट्रिक टन स्टील राउंड बार की पहली खेप प्राप्त करके ब्रॉड-गेज रेलवे सिदिंगट पांडु का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ।

20. पांडु और अन्य स्थानों पर भाअजप्रा और रेलवे की अवसंरचना के संयुक्त उपयोग के लिए 31.03.2021 को भाअजप्रा और एनएफ रेलवे के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फोटो संलग्न करना है।

21. बांग्लादेश में करमगंज से नारायणगंज तक कार्गो का परिवहन बांग्लादेशी जलयान एमवी मुस्लिम नोउ परिवपन के साथ जारी रहा जिसमें 66 मीट्रिक टन चूना पत्थर था। इसी तरह, 15 बांग्लादेशी जलयानों के साथ धुबरी से चिलमारी तक कुल 4369 मीट्रिक टन पत्थर के चिप्स का परिवहन जारी रहा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) की गतिविधियों का विवरण

अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (अजप) परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में इसके कई गुना अधिक गुणों के कारण यह बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) के परिवहन का सबसे पसंदीदा तरीका है। ओडीसी कार्गो की आवाजाही के लिए, सड़क परिवहन को मार्ग और समय प्रतिबंध, कई अनुमतियों की आवश्यकता, मार्ग सर्वेक्षण आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रेल परिवहन को अपने मानक वैगन आकार के कारण ओडीसी कार्गो को समायोजित करने के लिए लचीलेपन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय जलमार्ग और आईबीपी मार्ग में ओडीसी पारगमन

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग और आईबीपी मार्ग में ओवर–डायमेंशनल कार्गो संचलन का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है। ये ओडीसी कार्गो परिवहन मेसर्स एचयूआरएल, बीएचईएल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से संबंधित हैं।

तालिका (): वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग और आईबीपी रूट में बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) की गतिविधियों का विवरण

क्रम सं.	रा. ज.	माह	वर्ष	स्रोत	गंतव्य	उपभोग्य वस्तु	कार्गो मेट्रिक टन में	जलयान वाहक
1	रा.ज.–1	अप्रैल	2020	कोलकाता	सेमरिया	प्रोजेक्ट कार्गो	550	एचयूआरएल
2	रा.ज.–1	अप्रैल	2020	सेमरिया	साहिबगंज	प्रोजेक्ट कार्गो	45	एचयूआरएल
3	रा.ज.–1	मई	2020	डायमंड हार्बर	सेमरिया	प्रोजेक्ट कार्गो	240	एचयूआरएल
4	रा.ज.–1	मई	2020	डायमंड हार्बर	सेमरिया	प्रोजेक्ट कार्गो	240	एचयूआरएल
5	रा.ज.–1	मई	2020	डायमंड हार्बर	सेमरिया	प्रोजेक्ट कार्गो	35	एचयूआरएल
6	रा.ज.–1	मई	2020	डायमंड हार्बर	सेमरिया	प्रोजेक्ट कार्गो	417	एचयूआरएल
7	रा.ज.–1	मई	2020	डायमंड हार्बर	सेमरिया	प्रोजेक्ट कार्गो	413	एचयूआरएल
8	रा.ज.–1	जून	2020	डायमंड हार्बर	कोलाघाट	प्रोजेक्ट कार्गो	387	एचयूआरएल
9	रा. ज.-86, रा.ज.–1, आईबीपी,	जुलाई	2020	कोलाघाट	सिलघाट	प्रोजेक्ट कार्गो	312	बीएचईएल

तालिका (): वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग और आईबीपी रूट में बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) की गतिविधियों का विवरण								
क्रम सं.	रा. ज.	माह	वर्ष	स्रोत	गंतव्य	उपभोग्य वस्तु	कार्गो मेट्रिक टन में	जलयान वाहक
	रा.ज.-2							
10	रा. ज.-86, रा.ज.-1, आईबीपी, रा.ज.-2	जुलाई	2020	कोलाघाट	सिलघाट	ट्रांसफार्मर	456	पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन
11	रा.ज.-1, आईबीपी	अगस्त	2020	कोलकाता	मोंगला	प्रोजेक्ट कार्गो	436	बीएचईएल
12	रा.ज.-1	सितंबर	2020	कोलकाता	साहिबगंज	प्रोजेक्ट कार्गो	227	एचयूआरएल
13	रा. ज. -1, आईबीपी, रा. ज. 2	सितंबर	2020	कोलकाता	सिलघाट	ट्रांसफार्मर	500	बीएचईएल
14	रा. ज.-86, रा.ज.-1, आईबीपी	अक्तूबर	2020	कोलाघाट	मोंगला	प्रोजेक्ट कार्गो	346	बीएचईएल
15	रा.ज.-1	नवंबर	2020	कोलकाता	साहिबगंज	प्रोजेक्ट कार्गो	227	एचयूआरएल
16	रा.ज.-1	नवंबर	2020	कोलकाता	साहिबगंज	प्रोजेक्ट कार्गो	324	एचयूआरएल
17	रा.ज.-1, आईबीपी	नवंबर	2020	कोलकाता	मोंगला	प्रोजेक्ट कार्गो	203	बीएचईएल
18	रा.ज.-1	दिसंबर	2020	कोलकाता	साहिबगंज	प्रोजेक्ट कार्गो	162	एचयूआरएल
19	रा.ज.-1	दिसंबर	2020	कोलकाता	साहिबगंज	प्रोजेक्ट कार्गो	227	एचयूआरएल
20	रा.ज.-1	दिसंबर	2020	कोलकाता	सेमरिया	प्रोजेक्ट कार्गो	162	एचयूआरएल
21	रा.ज.-1	दिसंबर	2020	कोलकाता	सेमरिया	प्रोजेक्ट कार्गो	227	एचयूआरएल
22	रा.ज.-1, आईबीपी	जनवरी	2021	कोलकाता	मोंगला	प्रोजेक्ट कार्गो	458	बीएचईएल
23	रा.ज.-1, आईबीपी	फरवरी	2021	कोलकाता	मोंगला	प्रोजेक्ट कार्गो	348	बीएचईएल
24	रा.ज.-1, आईबीपी	मार्च	2021	कोलकाता	नारायणगंज	प्रोजेक्ट कार्गो	53	बीएचईएल
योग (मेट्रिक टन में)							**6,994**	

हितधारकों के सम्मेलन, सेमिनार और वेबिनार

हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, भाअजप्रा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न स्थानों पर हितधारकों के सम्मेलन, सेमिनार और वेबिनार भी आयोजित किए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है।

भाग -II

हितधारकों के सम्मेलन, सेमिनार और वेबिनार

1. भाअजप्रा द्वारा 4 अगस्त 2020 को आयोजित "सोनामुरा – जलमार्ग के माध्यम से त्रिपुरा का प्रवेश द्वार" पर वेबिनार

अंतर्देशीय जल व्यापार और पारगमन के लिए प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटी एंड टी) पर 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग सम्बद्धता प्रदान करने के साथ-साथ जलमार्गों के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सम्बद्धता में सुधार करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में 3.5 एमएमटी कार्गो भारत और बांग्लादेश के बीच प्रोटोकॉल मार्गों पर ले जाया जाता है।

द्विपक्षीय व्यापार को और सुविधाजनक बनाने और उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) की सम्बद्धता में सुधार करने के लिए, 20.05.2020 को पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करके पीअजपएंडटी के दायरे का विस्तार किया गया है। दूसरे परिशिष्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

- ✓ रूपनारायण नदी को कोलाघाट (45 किमी) तक प्रोटोकॉल रूट 1 और 2 में शामिल किया गया है।
- ✓ धुलियान –राजशाही (78 किमी) (प्रोटोकॉल रूट 5 और 6) को परिचालित करने और अरिचा (270 किमी) तक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
- ✓ दाउदकंडी – गोमती नदी के 93 किमी के सोनामुरा खंड को प्रोटोकॉल रूट नंबर 9 और 10 में शामिल किया गया है।.
- ✓ आगमन के छह पत्तनों को बढ़ाकर से प्रत्येक देश में आगमन पत्तनों को 13 कर दिया गया है।

"सोनामुरा – जलमार्ग के माध्यम से त्रिपुरा का प्रवेश द्वार" पर यह वेबिनार उद्योग और हितधारकों के बीच दाउदकंडी–सोनामुरा व्यापार मार्ग को बढ़ावा देने और नए जोड़े गए जलमार्ग के उपयोग पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस वेबिनार में मार्ग के संचालन में तकनीकी, वाणिज्यिक, नियामक और प्रक्रियात्मक मुद्दों के साथ गोमती नदी पर कार्गो आवाजाही की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा शामिल थी।

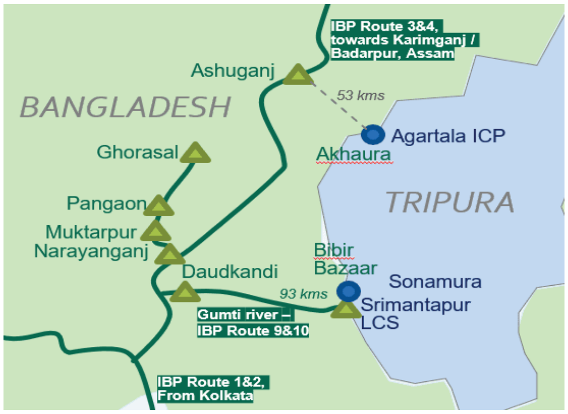

1.1. वक्ताओं की सूची

1.	**डॉ. अमिता प्रसाद** अध्यक्ष, भाअजप्रा	8.	**श्री शशि भूषण शुक्ला,** सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), भाअजप्रा
2.	**श्री एन शिवशैलम** पूर्व विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	9.	**श्री गिते किरणकुमार दिनकरराव,** सचिव, उद्योग और वाणिज्य, त्रिपुरा सरकार।
3.	**कमोडोर गुलाम सादिक** अध्यक्ष, बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (बीअजपए), बांग्लादेश	10.	**श्री अब्दुल मतलुब अहमद,** अध्यक्ष, नितोल निलॉय समूह और अध्यक्ष, इंडो–बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स
4.	**श्री रजत सच्चर,** वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार	11.	**श्री तारिक कमल,** मुख्य परिचालन अधिकारी, प्रीमियर सीमेंट, बांग्लादेश
5.	**श्रीमती रीवा गांगुली दास,** उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायोग, एचसी ढाका	12.	**श्री तुषार कांति चक्रवर्ती,** अध्यक्ष, ऑल त्रिपुरा मर्चेंट एसोसिएशन
6.	**डॉ. अलका भार्गव,** अतिरिक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	13.	**श्रीमती श्रुति अरोड़ा,** एसोसिएट डायरेक्टर, पीडब्ल्यूसी
7.	**श्री जी एम कामेई,** आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), उत्तर पूर्व क्षेत्र, शिलांग		

1.2. मुख्य बिंदु

डॉ. अमिता प्रसाद, अध्यक्ष, भाअजप्रा के मुख्य भाषण से उद्घाटन समारोह आरंभ हुआ। उन्होंने पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स और नए जोड़े गए रूट दाउदखंडी-सोनामुरा पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने त्रिपुरा के साथ स्थापित जलमार्ग की सम्बद्धता के महत्व पर जोर दिया और मौजूदा अवसंरचना पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उद्योग से इस सम्बद्धता का लाभ उठाने, 100 मीट्रिक टन तक क्षमता वाले उथले ड्राफ्ट जलयानों का उपयोग करने और मार्ग को व्यवहार्य और लागत प्रभावी बनाने के लिए मसाले, रबर, बांस, फल और बागवानी आदि जैसे रिटर्न कार्गो का पता लगाने का आग्रह किया।

कमोडोर गोलम सादिक, अध्यक्ष, बीआईडब्लूटीए, बांग्लादेश ने, दोनों सरकारों के भारत और बांग्लादेश के बीच नए जलमार्ग मार्ग खोलने के कदम का स्वागत किया। उन्होंने उद्योग से व्यापार और परिवहन के लिए इस जलमार्ग का उपयोग करने के लिए आगे आने का आग्रह किया और कहा कि दोनों देशों की सरकारें बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए जोड़े गए जलमार्ग पर उपयोगकर्ता के सामने आने वाली चुनौतियों का समय पर समाधान करने का प्रयास करेंगी।

श्री रजत सच्चर, वरिष्ठ इको एडवाइजर, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि दोनों सरकारों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कई मोर्चों पर कई पहलें की हैं। कई समझौतों और संशोधनों, एसओपी, आईबीपी मार्गों के फेयरवे विकास ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है और इनसे दोनों देशों के नागरिकों को लाभ होगा। उन्होंने उद्योग को त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच नए जोड़े गए जलमार्ग के बारे में समय पर पहल करने के लिए भाअजप्रा द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की और उनसे पहल को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि जलमार्ग के माध्यम से त्रिपुरा से संपर्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ व्यापार के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी संरचना तैयार कर दी गई है और अब शिपर्स को आगे आने की आवश्यकता है।

श्रीमती रीवा गांगुली दास, ढाका में भारत की उच्चायुक्त ने बताया कि बांग्लादेश के साथ अन्य तरीकों (रेल और अजप) के माध्यम से सम्बद्धता के विकास ने मुख्य रूप से पेट्रापोल/बेनापोल एलसीएस पर सड़क मार्गों पर निर्भरता को कम कर दिया है, जो आम तौर पर देरी और लागत बढ़ने में योगदान देने वाले तथा अत्यधिक भीड़भाड़ वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान, दोनों सरकारों ने रेलवे के माध्यम से माल के कंटेनरीकृत परिवहन की अनुमति देने के लिए कई पहले की हैं, जो पहले केवल बल्क कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। नए जलमार्ग मार्गों के जुड़ने से सम्बद्धता और मजबूत हुई है और व्यापारियों और शिपरों को व्यापार करने के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने के विकल्प दिए गए हैं। उन्होंने उद्योग से इस अवसर का उपयोग करने और अजप मोड का प्रभावी ढंग से उपयोग करके अपनी आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने का आग्रह किया।

भारत सरकार के पूर्व विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) श्री एन शिवसैलम ने दाउदखंडी और सोनामुरा के बीच नए जोड़े गए जलमार्ग मार्ग पर बड़ी संख्या में लगभग 100 टन क्षमता वाले छोटे जलयानों को चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। जो आगे कोलकाता/हल्दिया और एनईआर क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यह भारत के व्यापारिक समुदाय के लिए लाभकर होने के साथ-साथ बांग्लादेश में बार्ज मालिकों के लिए दोनों देशों के बीच एक्जिम कार्गो की जलमार्ग आवाजाही के और एनईआर को/से ट्रांसशिपमेंट कार्गो को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने टर्मिनल की अवसंरचना को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और लॉजिस्टिक्स से संबद्ध को यह समझने की जरूरत है कि गति पर ध्यान देने के बजाय जलमार्गों के माध्यम से यात्रा करके समय की बचत करें। उन्होंने भाअजप्रा और बीआईडब्लूटीए से उन छोटे बार्ज मालिकों को बढ़ावा, सुविधा

और समर्थन देने का आग्रह किया, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच इस जलमार्ग के संचालन में निर्णायक हितधारक हैं।

श्रीमती अलका भार्गव, अपर सचिव, कृषि, भारत सरकार ने बताया कि एनईआर के ग्रीन गोल्ड अर्थात् बांस उद्योग, नए जलमार्ग सम्बद्धता द्वारा बनाए गए इस अवसर को तुरंत हासिल कर सकता है। उच्च मात्रा, गैर–नाशयोग्यता, कम परिवहन लागत जलमार्गों का उपयोग करके उद्योग के लिए एक लाभदायक स्थिति पैदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि एनईआर वस्तुओं के लिए जलमार्ग के आसपास एकत्रीकरण केंद्र और शीत भंडारण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है, जो मुख्य रूप से अदरक, हल्दी, विश्व प्रसिद्ध त्रिपुरा अनानास और अन्य बागवानी और फूलों की खेती जैसे जैविक उत्पाद (अत्यधिक खराब होने वाले) के लिए आवश्यक हैं। श्री शुक्ल ने बताया कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा 6.91 एकड़ की आवंटित भूमि के साथ सोनामुरा टर्मिनल का संचालन किया जा रहा है, जिसका उपयोग कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण केंद्र के रूप में किया जा सकता है और आवश्यक शीत भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है।

श्री जीएम कमी, आयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), उत्तर पूर्व क्षेत्र, शिलांग ने प्रतिभागियों को सोनामुरा फ्लोटिंग टर्मिनल से सटे श्रीमंतपुर एलसीएस में मौजूदा सीमा शुल्क क्षेत्र के बारे में बताया जो भारत–बांग्लादेश सीमा से 50 मीटर दूर है। श्रीमंतपुर एलसीएस ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सड़क मार्ग के माध्यम से लगभग 100 करोड़ भारतीय रुपए का एक्जिम व्यापार (मुख्य रूप से आयात) हुआ है। इस व्यापार में से कुछ को जलमार्ग मार्ग से स्थानांतरित करने का अवसर है। श्रीमंतपुर में सीमा शुल्क क्षेत्र में एक भंडारण सुविधा और एक तौल पुल भी बन रहा है जिसका उपयोग जलमार्गों के माध्यम से व्यापार द्वारा भी किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रीमंतपुर एलसीएस दो निरीक्षकों के साथ एक सीमा शुल्क अधीक्षक द्वारा शासित है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं की निकासी की देखरेख करते हैं और ये अधिकारी सोनामुरा में जलमार्ग के माध्यम से एक्जिम व्यापार को संभालने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि वस्तुओं के एक्जिम संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जिसमें दोनों देशों के संयंत्र संगरोध प्राधिकरणों से निरीक्षण/परीक्षा/मंजूरी की भी आवश्यकता होती है, इन प्राधिकरणों की सुविधाओं को न केवल सोनामुरा में बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य रणनीतिक एलसीएस में भी स्थापित करने की आवश्यकता है। यह एनईआर से कृषि सामान के निर्यात को बढ़ावा देने में एक क्रांति ला सकता है।

श्री गिते किरणकुमार दिनकरराव, सचिव, उद्योग और वाणिज्य, त्रिपुरा सरकार, ने प्रतिभागियों को त्रिपुरा से/मुख्यभूमि भारत और बांग्लादेश से/को मौजूदा व्यापार के बारे में सूचित किया। त्रिपुरा को मुख्य भूमि भारत से 20,000 करोड़ रुपए की वस्तुएं प्राप्त होती हैं और वह बांग्लादेश से 630 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का आयात करता है, जबकि त्रिपुरा लगभग 2000 करोड़ भारतीय रुपए के मूल्य की रबर, बांस, चाय और अन्य कृषि उत्पाद जैसी वस्तुएं भारत की मुख्य भूमि को भेजता है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में कोलकाता पत्तन से चटगांव होते हुए अगरतला तक कंटेनरों में टीएमटी बार और दालों के हालिया प्रायोगिक परिवहन में, परिवहन लागत में प्रति मेट्रिक टन 600 भारतीय रुपए की बचत देखी गई। दिसंबर 2020 में सबरूम एलसीएस (बांग्लादेश के साथ दक्षिण त्रिपुरा सीमा पर) के पास फेनी नदी पुल के पूरा होने के बाद ये बचत 200 रुपए तक बढ़ जाएगी, जो चटगांव से त्रिपुरा की सड़क की दूरी को कम कर देगी। सबरूम में एक लॉजिस्टिक पार्क की भी योजना है। उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा सरकार पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों से सोनामुरा तक कार्गो लाने और जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश और मुख्य भूमि भारत भेजने के लिए काम कर रही है। अगस्त 2020 में गोमती नदी पर एक परीक्षण करने की भी योजना है जो परिचालन संबंधी मुद्दों की पहचान करने में सहायता करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जलमार्ग के माध्यम से व्यापार को नियमित करने के लिए इन मुद्दों को समय पर हल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं/संयंत्र संगरोध सुविधा की आवश्यकता को दूर करने के लिए, त्रिपुरा सरकार इस मामले को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ जल्द से जल्द उठाएगी। बांग्लादेश और त्रिपुरा के उद्योग प्रतिनिधि दोनों देशों के बीच जलमार्ग द्वारा सक्षम अतिरिक्त सम्बद्धता के आरंभ होने से उत्साहित थे।

श्री अब्दुल मतलुब अहमद, अध्यक्ष, इंडो बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स और श्री तुषार कांति चक्रवर्ती, अध्यक्ष,

ऑल त्रिपुरा मर्चेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि उद्योग नई सम्बद्धता के प्रति सकारात्मक है और जलमार्ग के माध्यम से माल की आवाजाही का पता लगाने का आश्वासन दिया है। श्री तारिक कमल, सीओओ, प्रीमियर सीमेंट, बांग्लादेश ने कहा कि उन्होंने नौगम्य मुद्दों की पहचान करने के लिए मार्ग का सर्वेक्षण किया है और अगस्त 2020 में भारत को सीमेंट निर्यात का परीक्षण कर इसे बहुत ही आशाजनक पाया। श्री चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि भारत से अधिक वस्तुओं की अनुमति देने के लिए बांग्लादेश कस्टम अधिकारियों के साथ मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह त्रिपुरा के निर्यातकों के लिए एक अड़चन है जो इस जलमार्ग संपर्क का उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

एक संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर सत्र भी था जिसमें उपलब्ध अवसंरचना, ड्राफ्ट उपलब्धता, मार्ग और ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं पर प्रतिनिधियों के प्रश्नों का पैनल द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया था।

श्रीमती श्रुति अरोड़ा, एसोसिएट डायरेक्टर, पीडब्ल्यूसी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

1.4. फोटो गैलरी

Dr. Amita Prasad, Chairperson, IWAI

Commodore Golam Sadeq, Chairman BIWTA

Shri Rajat Sachar, Sr Eco Advisor, Ministry of Shipping

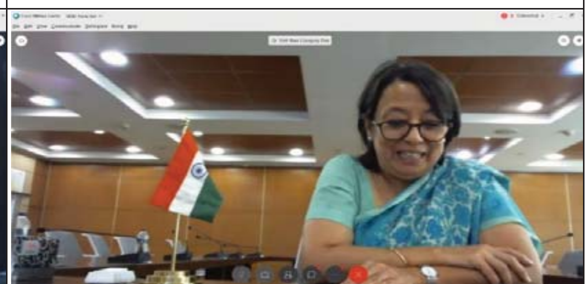
Smt Riva Ganguly Das, High Commissioner of India, Dhaka

Shri N Sivasailam, Ex-Special Secretary (Logistics)
Govt of India

Smt. Alka Bhargava, Additional Secretary, Agriculture,
Govt of India

Shri GM Kamei, Commissioner of Customs (Preventive),
North East Region, Shillong

Shri Gitte Kirankumar Dinkarrao, Secretary, Industries & Commerce,
Govt. of Tripura

Shri Abdul Matlub Ahmed
Chairman, Indo Bangladesh Chamber of Commerce

Shri Tarique Kamal
COO, Premier Cement Bangladesh

2. कोटा बैराज के अपस्ट्रीम चंबल नदी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित रिवर क्रूज सर्विस/ऑपरेशन द्वारा इको-टूरिज्म के विकास के लिए 06-01-2021 को वेबिनार आयोजित किया गया।

कोटा बैराज के चंबल नदी के अपस्ट्रीम में रिवर क्रूज पर्यटन की संभावना के संबंध में अध्यक्ष, भाअजप्रा की अध्यक्षता में, 06-01-2021 को एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भाअजप्रा, प्रमुख सचिव (पर्यटन), राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर कोटा, पर्यटन विभाग और वन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारी, विभिन्न क्रूज ऑपरेटरों, आईआईटी-मद्रास और मैरीनटेक के अधिकारियों ने भाग लिया।

चंबल नदी की 960 किमी लंबाई में से, चकरपुरा (उत्तर प्रदेश में यमुना और चंबल नदी का संगम) से लेकर आवारी (उत्तर प्रदेश में) तक 60.860 किमी के खंड को उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग-24 घोषित किया गया है।

2.1 वक्ताओं की सूची

1.	**डॉ. अमिता प्रसाद** अध्यक्ष, भाअजप्रा
2.	**श्री आलोक गुप्ता** प्रमुख सचिव (पर्यटन) राजस्थान सरकार
2.	**श्री शशि भूषण शुक्ला** सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), भाअजप्रा
3.	**श्री एके मिश्रा** निदेशक (तकनीकी), भाअजप्रा
4.	**श्री उज्ज्वल राठौर** जिलाधिकारी, कोटा
5.	**श्री राज सिंह** मेसर्स हेरिटेज रिवर क्रूजस प्रा. लिमिटेड
6.	**श्री संजय बसु** प्रबंध निदेशक द फार होरीजन टूर्स प्राइवेट लिमिटेड

2.2 मुख्य बिंदु

✓ **सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स) भाअजप्रा द्वारा भारत में रिवर क्रूज पर्यटन पर प्रस्तुति:** सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), भाअजप्रा, श्री शशि भूषण शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए भारत में नदी क्रूज पर्यटन पर एक प्रस्तुति दी और भारत में रिवर क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेष रूप से रा.ज.-1, रा.ज.-2, रा.ज.-3, रा. ज.-8, रा. ज.-97, आईबीपी, रा. ज.-68 और रा.ज.-111 में नदी क्रूज पर्यटन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।चंबल नदी में

रिवर क्रूज पर्यटन के विशेष संदर्भ में, भाअजप्रा के सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), ने रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई कई पहलों की सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि इस खंड में भाअजप्रा द्वारा पहले ही एक सर्वेक्षण और अध्ययन किया जा चुका है। एक रिवर क्रूज ऑपरेटर, श्री राज सिंह ने भी इस साइट का दौरा किया और भाअजप्रा ने अन्य क्रूज ऑपरेटरों से क्षेत्र का दौरा करने और अपने अनुभव साझा करने का अनुरोध किया। देखा गया कि इस क्षेत्र में कंक्रीट फ्लोटिंग जेट्टी की आवश्यकता है। उन्होंने व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। भाअजप्रा राजस्थान सरकार को सभी सहायता प्रदान करेगा और उसके बाद राजस्थान सरकार और पर्यटन मंत्रालय से धन की मांग कर सकता है।

✓ **चंबल नदी में रिवर क्रूज टूरिज्म पर निदेशक (तकनीक), भाअजप्रा, श्री एके मिश्रा द्वारा प्रस्तुति:** निदेशक (तकनीक) ने कोटा बैराज के ऊपर चंबल नदी में इको–टूरिज्म के विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। यमुना नदी की एक सहायक नदी चंबल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और इसकी कुल लंबाई 960 किमी है। उत्तर प्रदेश में चकरपुरा से आवारी (यमुना नदी का मिलन स्थल) तक मात्र 60 किमी का जलीय सर्वेक्षण किया गया और इसे राष्ट्रीय जलमार्ग–24 घोषित किया गया। निदेशक (तकनीक) ने आगे बताया कि कोटा बैराज के अंतर्गत 20 किमी का पूरा खंड राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कवर किया गया है। दोनों बैंक क्षेत्र मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (एमएनपीआर) के अंतर्गत संरक्षित हैं। नावों और जलयानों को चलाने के लिए पानी की गहराई की कोई कमी नहीं है। बल्कि पूरे वर्ष भर में 4 मीटर से अधिक पानी की गहराई उपलब्ध है। यह भी देखा गया कि सुरक्षित आरोहण और अवरोहण के लिए मार्ग में कोई उचित बर्थिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिला; नदी के दोनों किनारे 10 मीटर से 15 मीटर ऊंचाई वाले चट्टानी ऊर्ध्वाधर किनारे हैं; राजस्थान नाव अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पर्यटक नौकाओं का संचालन किया जा रहा है; नाव पंजीकरण, सर्वेक्षण और लाइसेंसिंग आदि भी परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन है। यदि राजस्थान सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी/अनुमति शीघ्र प्रदान की जाती है, तो स्थानीय क्रूज जलयान संचालक इसमें रुचि रखते हैं। निदेशक (तकनीकी) ने राजस्थान सरकार को यह भी अवगत कराया कि अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के अंतर्गत अजप निदेशालय स्थापित करना आवश्यक है। भाअजप्रा स्थान की पहचान के साथ उपयुक्त फ्लोटिंग जेट्टी के डिजाइन और निर्माण के संबंध में आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। यह भी बताया गया कि भाअजप्रा की भूमिका सर्वेक्षण की सुविधा और नौचालन में सहायता तक सीमित है। पर्यटन को बढ़ावा देने में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

✓ **मेसर्स हेरिटेज रिवर क्रूज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुति:** एक क्रूज परिचालक, मेसर्स हेरिटेज रिवर क्रूज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री राज सिंहने एक प्रस्तुति दी और चंबल नदी की यात्रा के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने इस नए विकास के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि कोटा बैराज कोटा के शानदार पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां लोग पूरी ताकत से बहते सफेद झागदार पानी के दृश्य का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह पूरा खंड भव्य जंगलों और वन्य जीवन से आच्छादित है। इसे गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, तीन बांधों से संग्रहित जल के भंडारण के लिए बनाया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, कंसुआ मंदिर, गोदावरी धाम मंदिर, कटिया भील और गरड़िया महादेव मंदिर, सुकुंदरा हिल्स और भैंसरोरगढ़ जैसे विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी उल्लेख किया। श्री राज सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंबल नदी क्रूज के लिए अवसंरचना और अन्य अनुमतियों की आवश्यकता है। इस खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की आवश्यकता है। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नदी पर्यटन नीति जिसमें सुरक्षा, संरक्षा, जहाज का पंजीकरण, नदी को प्राचीन बनाए रखने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के उपाय आदि के मानदंड शामिल होंगे।

✓ **राजस्थान सरकार द्वारा नीति का शुभारंभ:** श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव (पर्यटन), राजस्थान सरकार ने नदी परिभ्रमण के सभी विशेषज्ञों के साथ इस वेबिनार के आयोजन के लिए भाअजप्रा को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान केवल खूबसूरत महलों के लिए ही नहीं बल्कि रिवर क्रूज टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने इस खंड को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए भाअजप्रा का समर्थन मांगा। राजस्थान

सरकार भी इस क्षेत्र के विकास के लिए क्रूज ऑपरेटरों के साथ बैठक करने की योजना बना रही है। उन्होंने आगे बताया कि वे इस खंड को जल्द से जल्द विकसित करने की पूरी कोशिश करेंगे। भाअजप्रा के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि भाअजप्रा से जो भी समर्थन आवश्यक है, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अध्यक्ष ने गोवा और गुजरात में एक टीम भेजने का भी सुझाव दिया जो स्पष्ट रूप से बताएगी कि किस प्रकार की तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। अध्यक्ष, भाअजप्रा ने आगे बढ़ने के लिए एक अजप सेल बनाने का सुझाव दिया। अध्यक्ष, भाअजप्रा ने यह भी उल्लेख किया कि भाअजप्रा के पास एक अतिरिक्त जेट्टी उपलब्ध है, जिसे उधार भी दिया जा सकता है।

✓ कोटा के जिला कलेक्टर ने बताया कि कोटा जिले में रिवर फ्रंट के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रिवर क्रूज पर्यटन के विकास के लिए घाट निर्माण, नौवहन सहायता, सर्वेक्षण आदि के संबंध में आवश्यक प्रावधान को इस स्वीकृत राशि से पूरा किया जाएगा।

✓ परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार चंबल नदी में कोटा बैराज के बैकवाटर में नदी पर्यटन के लिए नीतिगत सहायता प्रदान करेगी।

✓ भाअजप्रा ने जल सर्वेक्षण सहित जेट्टी के निर्माण और इससे संबंधित अवसंरचना के संबंध में हर प्रकार की तकनीकी सहायता देने पर सहमति व्यक्त की। भाअजप्रा ने चंबल नदी में कोटा बैराज के बैकवाटर में लागत प्रभावी–नदी पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में निदेशक (यातायात और लॉजिस्टिक्स) और वरिष्ठ जलिय सर्वेक्षक को भी नामित किया।

✓ भाअजप्रा ने यह भी सुझाव दिया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रो. के. मुरली, एनटीसीपीडब्ल्यूसी, आआईटी मद्रास से तकनीकी सहायता और जेट्टी के डिजाइन आदि के लिए संपर्क किया जाना चाहिए।

✓ राजस्थान सरकार द्वारा एक समय योजना और विभिन्न विभागों की भूमिका तैयार की जाएगी।

2.3 कार्यवाही के मुख्य बिंदु

✓ दिनांक 12.01.2021 को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा, यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी वहाँ रिवर क्रूज़ पर्यटन के लिए स्थापित सुविधाओं को देखने के लिए केवड़िया (गुजरात) और गोवा का दौरा करेंगे जिसके लिए आवश्यक सहायता के लिए भाअजप्रा से संपर्क किया जाएगा।

✓ राजस्थान सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है और इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 16.02.2021 के पत्र द्वारा आदेश जारी किया गया है।

✓ निदेशक (पर्यटन), राजस्थान सरकार के साथ चर्चा करने पर, यह पता चला कि वे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में केवड़िया (गुजरात) स्थल का दौरा करना चाहेंगे और भाअजप्रा की सहायता लेंगे।

✓ यह सूचित किया जाता है कि केवड़िया के दौरे के बाद, राजस्थान सरकार, भाअजप्रा के अधिकारियों और एनटीसीपीडब्ल्यूसी, आईआईटी मद्रास के प्रो. के. मुरली की टीम चंबल नदी में कोटा बैराज स्थल का दौरा करेगी ताकि जेट्टी निर्माण, नौवहन सहायता, सर्वेक्षण आदि जैसे विभिन्न विकास कार्यों के लिए व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके।

✓ इस मामले को राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संभाला जा रहा है। जब भी ऐसा अनुरोध किया जाएगा, भाअजप्रा तकनीकी रूप से पूरा समर्थन करेगा।

2.4 फोटो गैलरी (चित्र दीर्घा)

डॉ. अमिता प्रसाद, अध्यक्ष, आईडब्ल्यूएआई

श्री शशी भूषण शुक्ला, सदस्य (टी एवं एल), IWAI

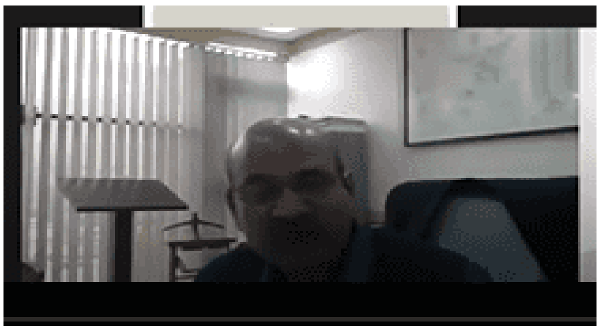

Shri Sanjay Kumar Gangwar, Member (Tech), IWAI

Shri Sanjay Basu, Managing Director
The Far Horizon Tours Pvt Ltd.

Shri Alok Gupta, Principle Secretary (Tourism)
Government of Rajasthan

Shri Ujjwal Rathor, District Magistrate
Kota (Rajasthan)

Shri Raj Singh
Heritage River Crusies Pvt. Ltd

Shri A.K.Mishra, Director (Tech), IWAI

3. भाअजप्रा द्वारा 14.01.2021 को गोवा के अपने उप-कार्यालय में उद्योग-हितधारकों की इंटरएक्टिव बैठक के संबंध में सीआईआई के सहयोग से हितधारकों का सम्मेलन

गोवा में भाअजप्रा उप-कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जलमार्ग में कार्गो को स्थानांतरित करने जलमार्ग का लाभ उठाने और इसके लिए जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, उन पर विचार करने के लिए उद्योग-हितधारकों की बैठक आयोजित की गई थी। मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने जलमार्गों का लाभ उठाने के लिए उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों और कार्गो को जलमार्गों में स्थानांतरित करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें प्रस्तुत किया। सभी हितधारकों, उपयोगकर्ताओं और परिचालकों के समर्थन से "भविष्य के प्रमाण" कार्यनीति विकसित की जाएगी।

भाअजप्रा ने हितधारकों को उद्योग की ओर से सीआईआई द्वारा उठाए गए सभी संबंधित मुद्दों को सुविधाजनक बनाने और हल करने का आश्वासन दिया है, इस बैठक में जलमार्गों के माध्यम से यात्रियों और कार्गो की आवाजाही के लिए शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ भाअजप्रा, एमपीटी, सीआईआई और अन्य के अधिकारी तथा उद्योग जगत के अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

3.1 वक्ताओं की सूची

1.	**डॉ. अमिता प्रसाद** अध्यक्ष , भाअजप्रा	7.	**श्री अतुल जाधव** उपाध्यक्ष, सीआईआई गोवा राज्य परिषद और प्रबंध निदेशक, न्यू एरा शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
2.	**डॉ. ई. रमेश कुमार, आईएएस** अध्यक्ष, एमपीटी	8.	**श्री आत्रेय सावंत** लॉजिस्टिक्स और निदेशक, सेंट्रान्स शिपिंग पर सीआईआई गोवा पैनल के पूर्व अध्यक्ष
3.	**श्री प्रवीर पाण्डेय** उपाध्यक्ष	9.	**श्री गौरव खुंटे** सदस्य सीआईआई गोवा परिषद और निदेशक, एल्कॉन सीमेंट कंपनी पी. लिमिटेड।
4.	**श्री शशि भूषण शुक्ला** सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), भाअजप्रा	10.	**श्री यतीश डेम्पो** सदस्य सीआईआई गोवा और निदेशक डेम्पो शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड
5.	**श्री राजेश कुमार पाठक** सदस्य (वित्त), भाअजप्रा	11.	**श्री धीरेंद्र ठक्कर** सह-संयोजक सीआईआई लॉजिस्टिक्स पैनल एंड पार्टनर हीरालाल एंड कंपनी
6.	**श्री संजय कुमार गंगवार** सदस्य (तकनीकी), भाअजप्रा	12.	**श्री विलियम डी'कोस्टा** सदस्य सीआईआई गोवा एंड प्रोपिएटर गोवा ओर कैरियर

3.2 मुख्य बिंदु

देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) गोवा में अवसंरचना के विकास, फेयरवे विकास और नौवहन के लिए सहायता सहित कई कदम उठा रहा है। कैप्टन ऑफ पोर्ट्स जेट्टी, पंजिम में क्रूज और पैसेंजर टर्मिनल स्थापित किए गए हैं, और पुराने गोवा में भी जेट्टी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

उल्लेखनीय है कि मंडोवी और जुआरी नदियों (क्रमशः राष्ट्रीय जलमार्ग–68 और राष्ट्रीय जलमार्ग–111) में पहले से ही लौह अयस्क का पर्याप्त परिवहन हो रहा है और पिछले कुछ महीनों से इस रुझान में वृद्धि दिख रही है।

3.3 कार्यवाही के मुख्य बिंदु

भाअजप्रा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कार्गो, यात्रियों और क्रूज आवाजाही सहित अंतर्देशीय जल परिवहन को मजबूत करने के लिए, हितधारकों के साथ नियमित रूप से घनिष्ठ समन्वय हेतु मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय परिसर में एक कार्यालय खोला गया है।

3.4 फोटो गैलरी

4. भाअजप्रा द्वारा कोलकाता में भाअजप्रा क्षेत्रीय कार्यालय में 22.01.2021 को अंतर्देशीय जलमार्ग में निवेश के अवसरों पर सीआईआई के सहयोग से सम्मेलन–सह–वेबिनार

अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने, अवसंरचना में सुधार के लिए निवेश बढ़ाने और भारत सरकार की जारी विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीआईआई के सहयोग से भाअजप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा हितधारकों के एक सम्मेलन (भौतिक और आभासी दोनों) का आयोजन किया गया।

भाअजप्रा ने मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर तीन भाअजप्रा अंतर्देशीय कार्गो जलयानों का उपयोग करके कार्गो के परिवहन के लिए सेवाएं चलाने के लिए एससीआई की पूर्ण सहायक कंपनी, इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग पर भाअजप्रा कार्गो जलयानों के सुचारू संचालन और भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल में कार्गो उत्पन्न करने और विभिन्न प्रकार के कार्गो और वस्तुओं के परिवहन के लिए मौजूदा अवसरों को

प्रदर्शित करने के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वाणिज्यिक ज्ञान प्रबंधन विशेषज्ञता और व्यावसायिक कौशल का उपयोग करना है। इसमें उद्योग के हितधारकों के साथ भाअजप्रा के अधिकारियों ने भाग लिया।

4.1 वक्ताओं की सूची

1.	**डॉ. अमिता प्रसाद** अध्यक्ष, भाअजप्रा	8.	**श्री राज सिंह** अंतरा क्रूज
2.	**श्री देबाशीष दत्ता** अध्यक्ष, सीआईआई लॉजिस्टिक्स और एससीएम टास्क फोर्स और प्रबंध निदेशक, बीजीएस समूह और अध्यक्ष, रिप्ले एंड कंपनी	9.	**श्री अब्दुल मतलुब अहमद** (आभासी पता) अध्यक्ष, नितोल निलॉय समूह और अध्यक्ष भारत बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
3.	**श्रीमती एचके जोशी (आभासी पता)** अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.	**श्री अमलान बसु** प्रबंध निदेशक, एवीएस समूह
4.	**श्री राजेश जिंदल, आईआरएस** प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, भारत सरकार	11.	**श्री प्रशांत कुमार** एजीएम – अंतर्देशीय जलमार्ग, अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आभासी पता)
5.	**श्री शशि भूषण शुक्ला** सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), भाअजप्रा	12.	**कैप्टन प्रभाकर प्रकाश** निदेशक, ओशनव्हेल शिपिंग
6.	**श्री बीके त्यागी** निदेशक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड		
7.	**सीएमडीई बी कमद्रे नागपाल** (आभासी पता), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड		

4.2 मुख्य बिंदु

अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख हस्तक्षेप किए गए हैं:

- **फेयरवे का विकास:** ड्रेजिंग, नदी प्रशिक्षण और संरक्षण कार्य, बैंडलिंग, रिवर मार्किंग और तट संरक्षण कार्य।
- **नौवहन संबंधी सहायता:** नौवहन संबंधी सहायता के लिए बोया, नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस), डीजीपीएस, बीकन लाइट आदि की स्थापना।
- **टर्मिनल विकास:** मल्टी-मोडल टर्मिनलों (एमएमटी), इंटर मॉडल टर्मिनलों (आईएमटी) और रो-रो टर्मिनलों का विकास।
- **अन्य नदी संरचनाएँ:** नौवहन तालों का निर्माण, जहाज की मरम्मत की सुविधा, बंकरिंग स्टेशन आदि।
- **जलयान संचालन:** जलयान डिजाइन और प्रायोगिक नौवहन।
- **रा.ज.-1 पर आयातित कोयला परिवहन के अवसर:** बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रा.ज.-1 के आसपास (10 किमी के भीतर) में 11 बिजली संयंत्र (एनटीपीसी, बीएसईबी, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, सीईएससी से संबंधित) हैं। पिछले 2 वर्षों में इन बिजली संयंत्रों में प्रति वर्ष लगभग 0.3-0.4 मिलियन टन आयातित कोयले की खपत हुई है।
- **रा.ज.-1, आईबीपी मार्गों, रा.ज.-2 का उपयोग करके कोयला परिवहन के अवसर:** उत्तर पूर्व में सीमेंट उद्योग के लिए लगभग 1.00-1.25 मिलियन टन कोयले की वार्षिक मांग है और लगभग 20-25 प्रतिशत मांग हल्दिया (केओपीटी) से आने वाले आयातित कोयले से पूरी होती है। तटीय + अजप मार्ग का उपयोग करके इस क्षेत्र में सीमेंट निर्माताओं को कोयले की आपूर्ति की संभावना है।

4.3 कार्रवाई के प्रमुख बिंदु

- हितधारकों की बातचीत और लक्षित आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से संभावनाओं और संभावित लाभों का प्रसार किया जा रहा है।
- गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोवा और केरल जलमार्ग पर नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016-2026)
- रा.ज.-1 पर साहिबगंज और रा.ज.-2 पर पांडु में जहाज मरम्मत सुविधाएं प्रस्तावित हैं
- नया अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2020 प्रस्तावित
- जलयानों का दोहरा पंजीकरण (एमएस अधिनियम और IV अधिनियम)
- मल्टीमॉडल/इंटरमॉडल टर्मिनलों का विकास
- भाअजप्रा टर्मिनलों के लिए निजी ओ एंड एम ऑपरेटरों की नियुक्ति
- संभावित नुकसान को रोकने के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का नियमित आकलन करना
- राष्ट्रीय जलमार्ग के आवश्यक हिस्सों पर नियमित रूप से सुनिश्चित गहराई आधारित ड्रेजिंग

4.4 फोटो गैलरी

5. विलिंगडन द्वीप और बोलघाटी के बीच रो-रो सेवा के माध्यम से ट्रेलर आवागमन पर चर्चा करने के लिए भाअजप्रा, कोच्चि आरओ द्वारा वर्चुअल मीटिंग 29.01.2021 को आयोजित की गई थी।

विलिंगडन द्वीप और बोलघाटी के बीच रो-रो सेवा के माध्यम से ट्रेलर आवागमन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों की एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी हितधारकों के बीच 11.01.2021 को आरंभ हुई रो-रो सेवा की मात्रा बढ़ाने के लिए एक संक्षिप्त चर्चा हुई। कोचीन पोर्ट ने हितधारकों से रो-रो सेवा की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया। बैठक में कोचीन पत्तन, केएसआईएनसी, भाअजप्रा और व्यापार के प्रतिनिधि के अधिकारी उपस्थित थे।

5.1 मुख्य बिंदु

रो-रो सेवा की मात्रा बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के बीच एक संक्षिप्त चर्चा 11.01.2021 को आयोजित की गई। कोचीन पत्तन के श्री विपिन आर. मेनोथ ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए रो-रो सेवा की मात्रा को बढ़ाने पर जोर दिया। चर्चा से उभरे मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- सेवा 11.01.2021 को शुरू हो गई है और वर्तमान में लगभग 60 टीईयू और कुछ स्थानीय यात्रियों की कारों और बाइकों का परिवहन कर रही है।

- केएसआईएनसी ने सभी हितधारकों को बताया कि उपरोक्त आंकड़े सेवा के लिए पर्याप्त नहीं हैं और अपर्याप्त संचलन के कारण एक जलयान को निष्क्रिय रखना पड़ रहा है, लंबे समय तक सेवा जारी रखने के लिए स्थायी

स्थिति भी नहीं है। इसलिए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे सेवा की मात्रा में सुधार के लिए सुझावों और प्रयासों के साथ आगे आएं।

- निदेशक, भाअजप्रा ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से जून 2017 में अंतिम सेवा बंद कर दी गई थी और यह सेवा व्यापार और पर्यावरण के लिए लाभकारी है, और वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न्यूनतम परिवहन प्राप्त किए बिना, इसे बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे सेवा को जारी रखने के लिए ईमानदारी से अपना सहयोग दें।

- सीओपीटी ने सभी हितधारकों से व्यापार और पर्यावरण की बेहतरी के लिए सेवा का समर्थन करने का भी अनुरोध किया।

- सभी हितधारकों द्वारा पहचाने गए कम मात्रा के कारणों पर चर्चा की गई क्योंकि सेवा प्रारंभिक चरण में है इसलिए इसे गति लेने में कुछ समय लगेगा।

- शाम के समय आवाजाही अधिक होती है क्योंकि ट्रेलर अपना कागजी काम पूरा करने के बाद पत्तन से बाहर जा रहे हैं, जिसमें आमतौर पर दिन में कुछ घंटे लगते हैं।

- सेवा की समय-सारणी के बारे में एकल बिंदु संपर्क की सलाह दी गई है ताकि चालकों को यह निश्चित रूप से बताया जा सके कि गंतव्य बिंदु पर पहुंचने से पहले सेवा रद्द कर दी गई है या फिर से निर्धारित की गई है।

- समय के बारे में भी सलाह दी गई क्योंकि शाम और रात में ट्रेलरों के आने की आवृत्ति अधिक होती है।

- ट्रेलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने सेवा के बारे में और चर्चा करने के लिए आमने-सामने की बैठक आयोजित करने की सलाह दी।

5.4 फोटो गैलरी

अपनी प्रस्तुति की ब्रीफिंग

6. भाअजप्रा द्वारा क्षेत्रीय संपर्क के लिए पूर्वी जलमार्ग ग्रिड पर एसोचैम के सहयोग से 08.02.2021 को आयोजित वेबिनार

भाअजप्रा उप क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देशों – बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ लगातार बातचीत कर रहा है, यह पत्तनों पर व्यापार करने में सरलता का समर्थन करता है और उद्योग को लाभान्वित करने वाले अधिक मार्ग खोलता है। माननीय पोत परिवहन मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग में सुधार परियोजना के लिए लगभग 3000 करोड़ की एक विस्तृत रूपरेखा साझा की है। भारत ने निरंतर उन्नयन दिखाया है और पूर्वी गलियारे में क्षेत्रीय

व्यापार बढ़ाने के लिए जलमार्गों के अधिक मितव्ययी और कुशल उपयोग की दिशा में काम कर रहा है।

6.1 वक्ताओं की सूची

1.	**श्री विनीत अग्रवाल** अध्यक्ष, एसोचैम और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल	10.	**डॉ. अमिता प्रसाद** अध्यक्ष, भाअजप्रा
2.	**श्री प्रकाश दहाली** संयुक्त सचिव – द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार प्रभाग, नेपाल सरकार	11.	**कैप्टन संदीप मेहता** अध्यक्ष अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और अध्यक्ष, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन पोर्ट्स एंड शिपिंग
3.	**श्री मोनेमुल हक** संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय– बांग्लादेश	12.	**श्री शशि भूषण शुक्ला** सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), भाअजप्रा
4.	**कमोडोर गोलम सादिक** अध्यक्ष, बीआईडब्ल्यूटीए	13.	**श्री एके मेहरा** उप. अध्यक्ष, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
5.	**श्री कर्म शेरिंग** सचिव (आर्थिक मामले), भूटान सरकार।	14.	**श्री सूर्य तेजा कोडुरी** अतिरिक्त आयुक्त, कोलकाता सीमा शुल्क
6.	**महामहिम श्रीमती रुचिरा कम्बोजो** **भूटान में भारत के उच्चायुक्त**	15.	**श्री सैयद मोनोवर हुसैन** पूर्व सचिव, बीआईडब्ल्यूटीए और अजप विशेषज्ञ, बांग्लादेश
7.	**महामहिम श्री विक्रम दोराईस्वामी** बांग्लादेश में भारत के माननीय उच्चायुक्त	16.	**श्री अब्दुल अहमद** अध्यक्ष, नितोल निलॉय समूह और अध्यक्ष भारत–बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बांग्लादेश
8.	**श्री एस के महफूज हमीद** प्रबंध निदेशक, गल्फ ओरिएंट सीवेज लिमिटेड	17.	**श्री जगत बी. खड़का** प्रबंध निदेशक, नेपाल शिपिंग एंड एयर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल
9.	**श्री दोरजी नोरबु** प्रबंध निदेशक, ताशी वांगमो लॉजिस्टिक एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोल्डर एंड एग्रीगेट्स, भूटान	18.	**श्री सिंगे नामग्याल दोरजी** प्रबंध निदेशक, आरएसए प्रा. लिमिटेड, भूटान

6.2 मुख्य बिंदु

एसोचैम ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) के संकेत पर 8 फरवरी, 2021 को क्षेत्रीय संपर्क के लिए पूर्वी जलमार्ग ग्रिड पर वेबिनार का आयोजन किया। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के अधिकारियों, राजनयिकों और उद्योग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपना दृष्टिकोण साझा किया। चर्चाओं से उभरे मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

श्री विनीत अग्रवाल, अध्यक्ष, एसोचैम और प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और कहा, यह एक उपयुक्त समय पर आयोजित सत्र है क्योंकि वेबिनार में मौजूद सभी देश पूर्वी ग्रिड के माध्यम से व्यापार में सुधार और वृद्धि करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है और व्यापार में काफी वृद्धि की संभावना है। प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण है और यह तभी संभव है जब हम लागत, गति और गुणवत्ता को ध्यान में रखें। जलमार्ग भूमि से घिरे देशों को समर्थन सुनिश्चित करता है और केवल लागत और दक्षता के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण भी इसका महत्व है।

श्री प्रकाश दहल, संयुक्त सचिव – द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार प्रभाग, नेपाल सरकार ने कहा कि अंतर-क्षेत्रीय व्यापार केवल 5% है, जो आसियान और यूरोपीय संघ के ब्लॉक की तुलना में बहुत कम है। कमजोर सम्बद्धता एक प्रमुख बाधा है जो इस क्षेत्र में व्यापार और समावेशी विकास को सीमित करती है। जलमार्ग में पारगमन की लागत और समय को कम करने के साथ-साथ क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण विकसित करने की अत्यधिक क्षमता है। वाराणसी से बंगाल की खाड़ी के माध्यम से एक पारगमन मार्ग विकसित करना नेपाल और बांग्लादेश के लिए एक अवसर है।

श्री मोनेमुल हक, संयुक्त सचिव, नौवहन मंत्रालय-बांग्लादेश ने कहा, "भारत बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार है। कहा जाता है कि बांग्लादेश के पास जलमार्ग सम्बद्धता का एक अच्छा नेटवर्क है और भारत के पूर्वी राज्यों से जुड़ने के लिए बांग्लादेश सरकार उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

बीअजपएके अध्यक्ष, कमोडोर गोलाम सादिक ने कहा कि भारत और बांग्लादेश परिवहन के सभी तीनों साधनों के माध्यम से जुड़े होने के अवसर का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं और वे उत्तर में नेपाल और भूटान तक सम्बद्धता का विस्तार करना चाहते हैं। भारी गाद एक चुनौती है, नदी के प्रवाह को सही दिशा में सुनिश्चित करने के लिए ड्रेजिंग और तटबंध संरक्षण की आवश्यकता है। यदि दोनों देश सहयोग करते हैं और इस तरह के संवाद जारी रखते हैं, तो इससे व्यापार में सुधार होगा और परिवहन के अन्य साधनों का भार कम होगा।

श्री कर्मा शेरिंग, सचिव (आर्थिक मामले), भूटान सरकार ने कहा कि भूटान अपने हित के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और उपयोग के लाभों को पहचानता है। बिम्सटेक मास्टरप्लान में भारत, बांग्लादेश और नेपाल के साथ व्यापार संबंधों को और विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं और यह योजना बहु-मोडल परिवहन को बढ़ाने में सहायता करेगी। भूटान अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास को न केवल परिवहन के तरीके के रूप में बल्कि आर्थिक विकास के तरीके के रूप में देखता है।

भूटान में भारत की उच्चायुक्त महामहिम श्रीमती रुचिरा कंबोज ने कहा कि यह तालमेल का एक स्पष्ट मामला है क्योंकि भारत उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए प्रतिबद्ध है और भूटान जैसे देशों को अपने व्यापार के अवसरों को बढ़ाने की अनुमति देगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रा. ज. 2 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और भूटान भारत के साथ और भारत के माध्यम से अपने व्यापार के लिए धुबरी पत्तन का उपयोग कर रहा है। भारत 2 नए नदी मार्ग खोलने पर सहमत हो गया है, जो हमारे देशों के लिए लाभदायक होगा। परिवहन का यह तरीका पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी है जो भूमि मार्गों की भीड़ को भी कम करेगा। भूटान के दृष्टिकोण से, भारत के साथ उनका द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन अमरीकी डालर है और बढ़ रहा है, कोविड के बावजूद नए मार्ग खोलने और आवश्यक और अनावश्यक दोनों तरह के सामानों की निरंतर आपूर्ति में भारत से बहुत समर्थन मिला है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल से परिचित होने और इसके कार्यान्वयन के लिए व्यापार बाधाओं को हल करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को नियमित बैठकें जारी रखनी चाहिए।

बांग्लादेश में भारत के माननीय उच्चायुक्त, महामहिम श्री विक्रम दोराईस्वामी ने उन ऐतिहासिक सुविधाओं के समूह को पुनः प्राप्त करने के बारे में बात की जो अनुपयोगी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि "जलमार्ग प्रति लीटर ईंधन से रोडवेज की तुलना में चार गुना अधिक उपभोग्य सामग्री ले जाते हैं"। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ एसओपी तैयार करने, माल की आवाजाही को सरल बनाने और पड़ोसी देशों और विश्व बैंक तथा एडीबी जैसे वित्तीय संस्थानों के बीच सूचना साझा करण में सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही रात्रि नौवहन, पहचान सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षा मानकों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है।

भाअजप्रा की अध्यक्ष, डॉ. अमिता प्रसाद, आईएएस ने विश्व बैंक और पूर्वी ग्रिड जलमार्ग विकास पर भारत सरकार की पहलों और यह कैसे फायदेमंद होगा, इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर पर्याप्त जहाज होने चाहिए। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनका समाधान करना आवश्यक है:

- सड़क से माल कार्गो को जोड़ने के लिए निश्चित जलयान समय सूचियां,
- वस्तुओं और स्थानों की पहचान करना आवश्यक है।
- **कमोडिटी केंद्रित दृष्टिकोण:** सभी वस्तुओं को पानी के माध्यम से लाभप्रद रूप से नहीं ले जाया जाता है। जलमार्ग में रिवर क्रूज़, बड़े आकार के प्रोजेक्ट कार्गो मूवमेंट और बल्क कार्गो (लौह अयस्क, कोयला और कोक, स्टील, चूना पत्थर, उर्वरक और कच्चा माल, स्लोग, खाद्यान्न और फ्लाई ऐश) के लिए काफी गुंजाइश है। विशेष वस्तु द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए भी एक खंड होना चाहिए। तटीय नौवहन के साथ संयुक्त रूप से कार्गो के प्रतिशत को जलमार्गों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।
- भाअजप्रा एक डिजिटल पोर्टल विकसित कर रहा है i) पीएएनआई मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध गहराई, टर्मिनलों, पोंटूनों, पर्यटक घाटों और जहाज की मरम्मत सुविधाओं, टैरिफ विवरण और आपातकालीन सेवाओं के संबंध में वास्तविक समय की जानकारी देगा। ii) कार डी (कार्गो डेटा) सभी कार्गो और क्रूज मूवमेंट डेटा के संग्रह और संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए एक पोर्टल होगा। iii) नौकायन अनुमति आईबीपी मार्ग पर जलयान पंजीकरण की अनुमति प्रदान करने के लिए डिजिटल पोर्टल होगा।
- जल्द ही अन्य देशों की इन पोर्टलों पर मौजूद चुनिंदा डेटा तक पहुंच होगी। भारत द्वारा बनाए गए समुद्री दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में विकास में आनेवाली बाधाओं के अलावा कराधान संरचना पर भी विचार किया जा रहा है।

कैप्टन संदीप मेहता, अध्यक्ष अडानी पोर्ट्स और एसईजेड और अध्यक्ष, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन पोर्ट्स एंड शिपिंग ने उल्लेख किया कि जिन देशों के पास जलमार्ग उपलब्ध हैं, उन्हें विकासशील जलमार्गों पर ध्यान देना चाहिए, अडानी पोर्ट्स और एसईजेड भी अपने पत्तनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। उद्योग और सरकार को मिलकर परिवहन के हरित साधन के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक रोडमैप बनाने की दिशा में सहयोग करना चाहिए और काम करना चाहिए।

श्री शशि भूषण शुक्ला, सदस्य (यातायात), भाअजप्रा ने कहा कि भारत रा. ज. 1 विकसित कर रहा है, जो सुंदरबन के माध्यम से वाराणसी से 400 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश से जुड़ता है। भारत की भूटान और बांग्लादेश के साथ संधि है। नेपाल के साथ संधि में संशोधन किया जा रहा है। नियामक तंत्र के होने और चीजों के आगे बढ़ने के साथ, पूर्वी ग्रिड रा. ज. 1, रा. ज. 2 और रा. ज. 16 सहित अच्छी तरह से विकसित होगा। इस नेटवर्क और टर्मिनलों को कार्गो और क्रूज दोनों के लिए विकसित किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल फॉर एसेट्स एंड नौवहनल इंफॉर्मेशन (पीएएनआई) पोर्टल विकसित किया जा रहा है और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय की जानकारी साझा करने में सक्षम होने के लिए सर्वेक्षण जारी है।

श्री ए. के. मेहरा, उपाध्यक्ष कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कहा, "कोलकाता से अजप यातायात में 58% की वृद्धि हुई है"। उन्होंने उल्लेख किया कि पत्तनों पर लागत, समय और प्रयास को कम करने के लिए कई हैंडलिंग बिंदुओं को कम करना इसके लिए एक चुनौती है। कंटेनरों को संभालने वाले फ्लोटिंग क्रेनों के लिए 180 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।

- रात्रि नौचालन की अनुमति केवल हल्दिया तक है लेकिन पत्तन के चारों ओर तारों को प्रकाशित करने की योजना बना रहा है और शेष भाअजप्रा द्वारा विकसित किया जाना है।
- 4 वर्षों की अवधि के भीतर, टीयू की संख्या 300 से 8000 हो गई है, जो काफी संभावनाएं दिखाती है, लेकिन जब तक स्थानीय मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है, हम पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
- इसकी 15-20 अमरीकी डालर/टन तक लागत आ रही है जो इस समय एक और चुनौती है।
- बार्ज में एआईएस सम्बद्धता होनी चाहिए क्योंकि हाल ही में 3 बार्ज डूब गए हैं।
- त्रिपुरा और म्यांमार के निकट कुछ उपकरणों और ड्रेजिंग की आवश्यकता है जिससे आवाजाही भी बढ़ेगी।

कोलकाता सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त, श्री सूर्य तेजा कोदुरी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ नदी मार्ग के माध्यम से केवल कोलकाता पत्तन पर सम्बद्धता है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सभी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन प्रधान आयुक्त, असम के अधीन आ रहे हैं। सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा पत्तन पर दो कदम: मूल्यांकन और परीक्षा उठाए जाते हैं।

- निर्यात का बिल मूल्यांकन के लिए देश में कहीं भी अपलोड किया जा सकता है, हालांकि इसकी जांच केवल कोलाघाट में आयोजित की जाती है। फ्लाई-ऐश और स्टोन-चिप्स के अलावा, अब बांग्लादेश के लिए पत्तन से बिजली की मशीनरी को भी भेजा जा रहा है।
- बंदेल पत्तन पर किसी विदेशी नौका को आने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है।
- कुछ पत्तनों में कस्टम क्लीयरेंस के लिए जलयानों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है, हालांकि अधिकारी सहायता के लिए मौजूद हैं।
- कुछ खाद्य उत्पादों के लिए अनुमति देने पर भी विचार किया जाएगा क्योंकि वर्तमान में इसका परिवहन सड़क मार्ग से किया जा रहा है, लेकिन यह लागत प्रभावी नहीं है।

श्री सैयद मोनवर हुसैन, पूर्व सचिव, बीआईडब्ल्यूटीए और अजप विशेषज्ञ, बांग्लादेश ने यह कहते हुए अपने विचार रखे कि वर्तमान में पीआईडब्ल्यूटीटी के अंतर्गत कार्गो की आवाजाही केवल एक जगह अर्थात् कोलकाता से है।

- वर्तमान में पीआईडब्ल्यूटीटी के अंतर्गत कार्गो की आवाजाही केवल एक जगह अर्थात् कोलकाता से होती है। पीआईडब्ल्यूटीटी पश्चिम बंगाल और एनईआई के बीच और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच अजप सम्बद्धता जैसा दिखता है। धुलियन-गोडागरी-राजशाही-अरिचा (पद्मा और ब्रह्मपुत्र का संगम) के नए जोड़े गए आईबीपी रूट के संचालन से उत्तर भारत और एनईआई के बीच और उत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच परिवहन संपर्क स्थापित होगा। इससे रा. ज. 1 और रा. ज. 2 को भी आपस में जोड़ा जा सकेगा।
- क्षेत्रीय मल्टीमॉडल सम्बद्धता स्थापित करने के लिए भी चांदपुर से चटगांव खंड (220 किमी) तक को प्रोटोकॉल रूट में शामिल करने के साथ बीडी में प्रमुख समुद्री पत्तन अर्थात् चटगांव पत्तन को जोड़ा जाएगा।
- रांगामाटी (बीडी) से डेमागिरी (भारत) मार्ग (लगभग 80 किमी) को शामिल करके भारत के पूर्वोत्तर राज्य, मिजोरम को पीआईडब्ल्यूटीटी में जोड़ा जाना चाहिए। रांगामाटी चटगांव पत्तन से लगभग 75 किमी दूर है। डेमागिरी-रांगामाटी-चटगांव पत्तन का मल्टीमॉडल परिवहन मार्ग मिजोरम को बंगाल की खाड़ी तक पहुंच प्रदान करेगा।
- कुल टन भार में वृद्धि के बावजूद, दोनों देशों के बीच मौजूदा अजप व्यापार पर्याप्त नहीं है क्योंकि केवल एक श्रेणी अर्थात् फ्लाई ऐश कुल टन भार का 95% से अधिक हिस्सा है। बीडी में अब निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों के चालू होने के बाद, सीमा पार अजप व्यापार को नुकसान होगा। इसलिए यह सीमा पार व्यापार कार्गो के सड़क से नदी की ओर मोडल शिफ्ट के लिए संयुक्त पहल करने का समय है।
- प्रोटोकॉल के अंतर्गत जलयान की आवाजाही के औसत समय की 45 दिनों की सीमा बहुत अधिक है। अंतर-देशीय व्यापार में कार्गो से लदे एक जलयान को 4 स्थानों पर और पारगमन कार्गो से लदे जलयान को6 स्थानों पर सीमा शुल्क का सामना करना पड़ता है। यदि सभी प्रवेश/निकास बिंदुओं को उन बिंदुओं पर पूर्ण सीमा शुल्क औपचारिकताएं प्रदान करने के लिए पोर्ट ऑफ कॉल माना जाता है और यदि उसके बाद किसी भी देश के जलयानों को लदान-उतराई के लिए किसी भी गंतव्य पर जाने की अनुमति दी जाती है; तो इससे समय को कम करने में काफी हद तक सहायता मिलेगी।
- पीआईडब्ल्यूटीटी को एक स्वतंत्र समझौते में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
- मौजूदा यूनिमॉडल परिवहन व्यवस्था को क्षेत्रीय मल्टीमॉडल परिवहन व्यवस्था में बदला जाना चाहिए। इसी तरह सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारा जाना चाहिए। बीबीआईएन उप-क्षेत्र में सभी पत्तनों और

समेकन स्थानों से युक्त एक एकीकृत पत्तन प्रणाली नेपाल, भूटान और एनईआई तक फैले एक बड़े जलग्रहण क्षेत्र का निर्माण कर सकती है। सीमा पार जल क्षेत्र अंतर्देशीय नौपरिवहन के अन्य साधनों से प्रभावी ढंग से जुड़ा हुआ है, यह सभी के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए अजप के साथ प्रमुख मोड के रूप में मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट सम्बद्धता विकसित करने के लिए उप-क्षेत्रीय पहल करने का समय आ गया है। संयुक्त पहल के मुख्य मुद्दे निम्नलिखित होने चाहिए:

- आईबीपी मार्गों के साथ नौवहन क्षमता में सुधार
- सबसे कुशल आर्थिक परिवहन श्रृंखला का पता लगाना।
- कंटेनर सेवा की आरंभ करना।
- नए मार्गों को शामिल करना।
- नदियों की बिगड़ती दशा के कारणों का पता लगाना।
- सीमा पार व्यापार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाना।
- सामाजिक-अर्थशास्त्र के लाभों का पता लगाना।
- पर्यावरण पर लाभ का पता लगाना।

श्री अब्दुल अहमद, अध्यक्ष, नितोल निलॉय समूह और अध्यक्ष, भारत-बांग्लादेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बांग्लादेश ने कहा कि भूमि, सड़क और रेल की दिशा में काम जारी है लेकिन जलमार्ग के विकास पर चर्चा करना एक समय पर उठाया गया कदम है। उप-महाद्वीप के विभाजन के बाद कुछ देशों में जलमार्ग के उपयोग की आवश्यकता शुरू हो गई थी। उद्योग (चाय, कोयला, फ्लाई ऐश, जहाज के मालिक, एफसीआई) के साथ एक अनुवर्ती बैठक, जलमार्गों के उपयोग में सुधार के लिए बी2बी स्तर पर अधिक जानकारी प्रदान करेगी। शेष भागों के साथ उत्तर-पूर्व भारत की सम्बद्धता उपयोगी होगी और दो-तरफा यातायात की आवश्यकता होगी। बांग्लादेश और भारत में चैंबर इन मुद्दों को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।

गल्फ ओरिएंट सीवेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्री एसके महफूज हामिद ने कहा कि भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर आवश्यक जलयानों के प्रकार सबसे महत्वपूर्ण लापता लिंक हैं। अभी तक, बांग्लादेश में ऐसा कोई भी जहाज नहीं है जो उत्तर-पूर्व मार्ग पर संचालित कर सके क्योंकि इसके लिए न्यूनतम 4 मीटर गहराई की आवश्यकता होती है, जबकि केवल 2-2.5 मेट्रिक टन ड्राफ्ट उपलब्ध है। पिछले 4-5 वर्ष से ड्रेजिंग ठप है और नए जलयानों का निर्माण नहीं हो रहा है। भारत सरकार वित्तीय सुविधाएं दे रही है, जो बांग्लादेश में मौजूद नहीं है। कुछ आयात-निर्यात समुद्री पत्तनों के माध्यम से किया जा रहा है, जहां लागत बहुत अधिक है। अंतर्देशीय पत्तनों का उपयोग करने के बारे में अनभिज्ञता के कारण उपयोगकर्ता इसका उपयोग करना जारी रखते हैं।

श्री जगत बी. खड़का, प्रबंध निदेशक, नेपाल शिपिंग एंड एयर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल ने कहा कि नेपाल भारत के गेटवे पत्तनों पर अधिक निर्भर है और विशाखापत्तनम पत्तन काफी अनुकूलित है। साहिबगंज, बनारस और कालूघाट चर्चा में हैं और नेपाल के आर्थिक विकास को बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन पत्तनों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी जानी अभी बाकी है। इन पत्तनों के क्षमता आवंटन, त्वरित प्रलेखन, मूल्य निर्धारण और पारगमन प्रतिबद्धताओं में अस्पष्ट क्षेत्र हैं जो नेपाल को प्रभावित करेंगे। इसी तरह की चिंता चटगांव पत्तन के संबंध में भी है। इससे नए निर्यात बाजारों को खोजने में नुकसान हुआ है और इन मुद्दों की मंजूरी से आने वाली पीढ़ियों को भी सहायता करेगी।

श्री दोरजी नोरबू, प्रबंध निदेशक, ताशी वांगमो लॉजिस्टिक एंड एक्सपोर्ट ऑफ बोल्डर एंड एग्रीगेट्स, भूटान ने भूटान ब्रह्मपुत्र/जमुना नदी मार्ग के लिए जोगीघोपा/डुबरी से जमुना बहुउद्देशीय पुल से जाना, जिसे अब बंगबंधु ब्रिज के रूप में जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूटान में सड़क परिवहन, लॉजिस्टिक्स लागत कुल लैंडिंग लागत का 75% है और यदि यह इस नदी मार्ग से आता है तो यह सड़क परिवहन लागत का केवल 27% होगा। श्री नोरबू ने इन नदी मार्गों और ऊपर उल्लिखित नदी तट के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस नदी तट/बैंक को विकसित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

I. **जोगीघोपा नदी पत्तन:** निम्नलिखित सुविधाओं की आवश्यकता है:

- कम से कम 3 जलयानों/फ्लोटिला/मोटर वाले जलयानों केr मूरिंग के लिए एंकर पोल के साथ यू–आकार में आरसीसी क्वे दीवारें, ताकि स्टॉक पाइल से लीड दूरी स्थिर रहे। वर्तमान में जेट्टी/डंब बार्ज के स्थान में परिवर्तन होता है और तदनुसार बांस जेट्टी से डंब बार्ज की लंबाई में उतार–चढ़ाव होता रहता है।
- 3000 टन क्षमता वाले बार्ज/स्व–चालित जलयान के लिए पूरे वर्ष पर्याप्त ड्राफ्ट बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर टर्मिनल/क्वे पर ड्रेजिंग सुविधा।
- आरंभ में या तो पंटून माउंटेड अथवा जमीन पर फिक्स या टर्मिनल पर गतिशील रखा गया एक 20 टन क्लैमशेल क्रेन ।
- स्टोन क्लेमशेल को सीधे जलयानों/बार्जों में उतारने के लिए रो–रो स्टील जेट्टी सुविधा। क्रेन हैंडलिंग सीमित और धीमा है।
- पूर्ण विकसित सीमा शुल्क और भाअजप्रा कार्यालय, क्वार्टर, गेस्ट हाउस और उसमें सक्षम व्यक्तियों की तैनाती।
- डुबरी, भाअजप्रा घाट में इलेक्ट्रॉनिक वेटब्रिज।
- क्षेत्र को विकसित करना जरूरी है। दलदली क्षेत्र को एक पूर्ण नदी पत्तन में परिवर्तित किया जाए।
- विस्फोटित चट्टान के नुकसान को रोकने के लिए नदी के किनारे जोगीघोपा आरसीसी दीवार या गोल नदी चिनाई की दीवार बनाई जानी चाहिए। यदि उल्लिखित दीवार है, तो जहाज इस तरफ डॉकिंग कर सकता है और लोडिंग हो सकती है। साथ ही यदि संभव हो तो क्रेनें भी लगाई जा सकती हैं ताकि चट्टानों को सीधे तट से जलयान पर लादा जा सके। इससे लागत कम होगी और अंततः उपभोक्ता को सस्ती कीमत मिलेगी।

II. **डुबरी भाअजप्रा घाट:**

- क्रेन की क्षमता बढ़ाएँ
- अधिक टर्मिनल विकसित करके क्षेत्र का विस्तार करें।
- डुबरी घाट तक पहुंचने का रास्ता भीड़भाड़ वाले शहर से होकर जाता है, जहां ट्रकों को केवल रात में चलने की अनुमति है, साथ ही निवासियों की बहुत सारी चिंताएं भी हैं। नदी पत्तन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता है।

III. **ब्रह्मपुत्र/जमुना नदी:**

- भाअजप्रा, भारत और बीआईडब्ल्यूटीए बांग्लादेश दोनों से अनुरोध है कि कृपया जलयानों के सुचारू संचालन के लिए मासिक मसौदा सर्वेक्षण रिपोर्ट वेबसाइट पर साझा करें।
- कमजोर मौसम में कुछ स्थानों पर ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है। मैंने सुना है कि वर्तमान में अपर्याप्त ड्राफ्ट के कारण जलयानों को जोगीघोपा तक जाने की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि हाल ही में बांग्लादेश के लिए 1000 टन पत्थर का संग्रह डुबरी से लिया गया था जो 153 किमी है जबकि जोगीघोपा केवल 98 किमी है। जहाज फंस गए हैं और कई दिनों के बाद भी जहाज गंतव्य तक नहीं पहुंच रहे हैं जो बांग्लादेश में केवल 57 किमी दूर है।
- हम दोनों प्राधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें अपनी वेबसाइट के माध्यम से अनुमोदित फ्लोटिला और मोटर वाले जलयानों के बारे में बताएं ताकि निर्यातक नदी परिवहन के लिए उनसे संपर्क कर सकें।
- भूटान को ब्रह्मपुत्र नदी रा. ज. 2 से जोड़ने के लिए भूटान की चार नदियों– वांगचु (रैदक), पुना

त्सांगचु (संकोश), माखोला (एआईई) और कुरीगोंगरी (मानस) का अध्ययन किया जा सकता है। ताकि कम से कम 200-300 टन भार वाले जहाज भूटान के सीमावर्ती शहरों में आ सकें, जिससे 2-3 दिनों के भीतर जहाज नारंग पहुंच सकें या चटगांव तक आगे बढ़ सकें। उन्होंने बांग्लादेश सरकार को चटगांव पायरा पत्तन और मंगोला पत्तन को पारगमन के पत्तन के रूप में देने की सिफारिश की है।

- भारतीय और बांग्लादेशी जलयान विनिर्माताओं से अनुरोध है कि वे सपाट तल वाले जलयान का निर्माण या परिनियोजन करें ताकि सर्दियों में यह अधिक भार वहन कर सके।

IV. **गंतव्य :**

- हम बीअजपए से अनुरोध करते हैं कि कृपया पोर्ट–ऑफ–कॉल के गंतव्य में कुछ सुविधाजनक अनलोडिंग टर्मिनलों को मंजूरी दें, ताकि टर्मिनल से कार्गो को तेजी से हटाया जा सके।

V. **नौचालन सुविधाएं :**

- हम जलयानों को रात्रि नौवहन की मंजूरी देने के लिए अनुरोध करते हैं ताकि प्रति माह संचालन का चक्र अधिक हो और माल ढुलाई की लागत उचित हो। नदी की गहराई आदि का निर्धारण करने के लिए जलयानों को जीपीएस, आईडीडी और इको–साउंडर से लैस करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में नारायणगंज की एक यात्रा में लगभग आधा महीना लगता है, जबकि हम आधे महीने में दो यात्राओं की उम्मीद करते हैं।
- यदि नदी मार्ग उपलब्ध और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, तो हम निर्यातकों को ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा आदि के माध्यम से भूटान से बांग्लादेश और कोलकाता के लिए पत्थर के चिप्स, पत्थर, संतरे, सेब, इलायची आदि निर्यात करने के लिए मना सकते हैं। भारत और बांग्लादेश की शक्तिशाली नदियों का उपयोग करने के लिए भूटान से प्रचुर मात्रा में माल उपलब्ध है।

श्री सिंगे नामग्याल दोरजी, प्रबंध निदेशक, आरएसए प्रा. लिमिटेड, भूटान ने कहा कि रा. ज. 2 के माध्यम से भूटान के साथ भारत के उत्तर पूर्व और पूर्वी हिस्से और भारत और बांग्लादेश के बाजार के साथ सम्बद्धता प्रासंगिक है और विशेष रूप से भूटान के लिए समय पर और जरूरी है। भारत बिजली के निर्यात को छोड़कर भूटान के 75% से अधिक कमोडिटी निर्यात का गंतव्य है और भूटान का लगभग 80% आयात भारत से होता है। बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा बाजार, प्रशिक्षण भागीदार और लगभग 20% वस्तुओं का निर्यात गंतव्य है।

श्री दोरजी ने कहा कि भूटान भारत और बांग्लादेश को जिप्सम, कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट, बोल्डर, डोलोमाइट आदि का निर्यात करता है। जलमार्ग के उपयोग से इन व्यवसायों को लाभ होगा। इसलिए हमें सस्ते क्षेत्रीय व्यापार और निवेश एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का लाभ उठाने के अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। ताकि क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन हो सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए, हमें निम्नलिखित मुद्दों और बाधाओं का समाधान करना चाहिए जो हैं:

- जलयानों की सीमित संख्या।
- जोगीघोपा और डुबरी जैसे अंतर्देशीय जलमार्ग पत्तन में कार्बन प्रबंधन के लिए अवसंरचना की कमी।
- जोगीघोपा, भारत और बांग्लादेश में चिलमारी में सीमा शुल्क सुविधा का अभाव।
- विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में रा. ज. 2 की गहराई का सीमित मसौदा।
- जलमार्गों तक पहुँचने के लिए प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं पर स्पष्टता का अभाव।
- अंतर्देशीय जलमार्ग में नौकाओं को प्रत्येक पत्तन पर ठहरने, लदान और उतराई करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6.4 फोटो गैलरी

डॉ. अमिता प्रसाद आईएएस, अध्यक्ष, भाअजप्रा क्षेत्रीय संपर्क के लिए पूर्वी जलमार्ग ग्रिड में मुख्य भाषण देते हुए

कमोडोर गोलम सादिक (जी) एनजीपी, एनडीसी, एनएससी , पीएससी, बीएन, अध्यक्ष, बीअजपए उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

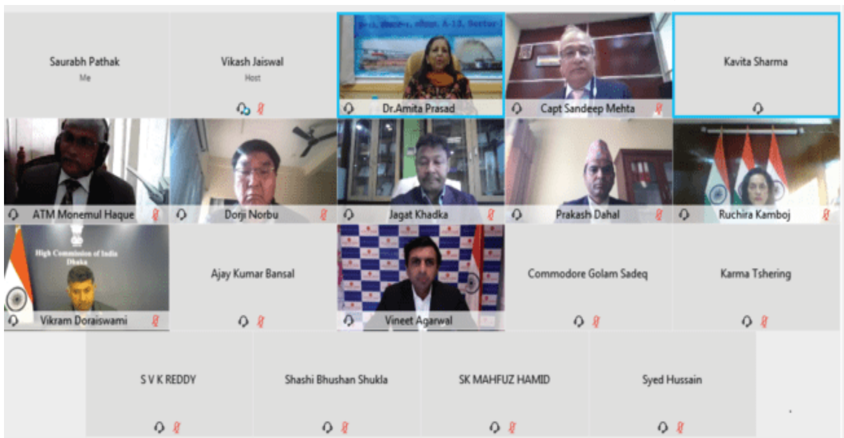

क्षेत्रीय संपर्क के लिए पूर्वी जलमार्ग ग्रिड पर उद्घाटन सत्र में पैनलिस्ट

7. भाअजप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में, 10.02.2021 को अजप उपयोगकर्ताओं पर हितधारकों की बैठक आयोजित की गई थी

दिनांक 10.02.2021 को भाअजप्रा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में हितधारकों की एक बैठक आयोजित की गई। भाअजप्रा द्वारा भाअजप्रा के प्रमुख लाभों, रा.ज.-2, रा.ज.-16 और आईबीपी रूट की स्थिति और विकास को शामिल करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई।

7.1 वक्ताओं की सूची

1.	**श्री वी.वी. जितुरी, आईआरटीएस** पीआर. मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, एनएफ रा इलवे, मालीगांव, गुवाहाटी – 11,	8.	**श्री अजय सेन,** उप महाप्रबंधक (विपणन) और वरिष्ठ बीएम, आरआईएनएल, कोलकाता
2.	**श्री हरि सिंह,** एडीआरएम, एनएफ रेलवे, मालीगांव, गुवाहाटी – 11	9.	**श्री प्रबीर पॉल** निर्यातक और आयातक, लालगणेश, गुवाहाटी
3.	श्री मुस्फिकुर रहमान , अतिरिक्त । निदेशक, अंतर्देशीय जल परिवहन, असम	10.	**श्री सुरेंद्र सिंह,** निदेशक, भाअजप्रा, गुवाहाटी
4.	**श्री प्रदीप पुरोहित** वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट, स्टार सीमेंट, गुवाहाटी	11.	**श्री प्रबीन बोरा,** सहायक निदेशक, भाअजप्रा, गुवाहाटी
5.	**श्री केसी वैश्य** उप निदेशक (चाय विकास), चाय बोर्ड भारत, गुवाहाटी	12.	**श्री खालिद सैफुल्ला** तकनीकी सहायक (सिविल), भाअजप्रा, गुवाहाटी
6.	**श्री देबजीत बोरा, निदेशक,** ब्रह्मपुत्र क्रूज प्रा. लिमिटेड, गुवाहाटी	13.	**श्री अभिनय वर्मा** कनिष्ठ जलीय सर्वेक्षक, भाअजप्रा
7.	**श्री प्रणब ठाकुरिया,** सीजे डार्कल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, गुवाहाटी		

7.2 मुख्य बिंदु

रा. ज. और आईबीपी के उपयोगकर्ताओं के हितधारकों ने वापसी कार्गो की कमी, कार्गो के समेकन की आवश्यकता, छोटे आकार के जलयानों की उपलब्धता, पारगमन समय में कमी और यातायात बढ़ाने के उपायों जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है।

यह अनुमान लगाया गया है कि प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से कोलकाता/हल्दिया की ओर से रा. ज. 2 तक पर्याप्त कार्गो है लेकिन वापसी कार्गो की कमी है जो लागत मूल्यांकन में अव्यवहार्यता की ओर ले जाती है। हितधारकों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं पर नीचे चर्चा की गई:

- हितधारकों में से एक (श्री प्रबीर पॉल, आयातक) ने कहा कि वे सिराजगंज, बांग्लादेश से कंटेनर कार्गो लाना चाहते थे, लेकिन उसकी मात्रा कम है (एक समय में एक-दो कंटेनर)। टी बोर्ड के प्रतिनिधि (श्री केसी वैश्य, डीडी) द्वारा भी एक समय में कार्गो की कम मात्रा का संकेत दिया गया था।

यह राय दी गई कि 200-300 मेट्रिक टन क्षमता तक के छोटे आकार के जलयान की उपलब्धता का उपयोग किया जा सकता है। कार्गो जमा करने के लिए विभिन्न आयातकों/निर्यातकों की खोज करना भी इस मुद्दे का समाधान हो सकता है।

- डाउन कार्गो के रूप में चाय लाने के संबंध में उप-निदेशक, श्री वैश्य ने सूचित किया है कि असम से महत्वपूर्ण चाय देश के विभिन्न राज्यों में जा रही है, लेकिन ये कम मात्रा में ट्रक/ट्रेन द्वारा डोर-टू-डोर सेवाओं के साथ ले जाई जाती है। परिवहन किए जाने वाले चाय कार्गो की मात्रा, परिवहन में लगने वाला समय और परिवहन के दौरान संरक्षण जैसे मुद्दे हैं। एक बार में 15-16 टीईयू या 200-300 मेट्रिक टन की बड़ी मात्रा प्राप्त करना कठिन होगा। उन्होंने राज्य की बड़ी चाय कंपनियों/उत्पादकों लक्ष्मी टी ग्रुप, विलियमसन मैगर ग्रुप आदि से संपर्क करने का सुझाव दिया।

इसके उत्तर में भाअजप्रा ने सूचित किया कि रा. ज. 2 से कोलकाता क्षेत्र तक पहुँचने में लगने वाला समय लगभग 10-12 दिनों का है जिसे कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों तरफ सीमा शुल्क/आव्रजन, रक्षा चौकियाँ हैं जो यात्रा के समय के अलावा लगभग 3 दिनों का समय लेती हैं। हालांकि, चार्टर्ड/अनुसूचित यात्रा के साथ कार्गो का एकीकरण/एकत्रीकरण एक समाधान हो सकता है। इसके अलावा, बड़े चाय उत्पादकों से संपर्क किया जा सकता है।

- स्टार सीमेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री. प्रदीप पुरोहित ने सूचित किया है कि अजप के माध्यम से परिवहन के लिए जल्दी नष्ट न होनेवाले, कम लागत, उच्च मात्रा वाले कार्गो पर ध्यान देना उचित होगा। उन्होंने कहलगांव से पांडु तक फ्लाई ऐश के साथ उनके प्रायोगिक परिवहन पर जोर दिया, लेकिन बांग्लादेश की ओर से कुछ तकनीकी मुद्दों, सीएए आदि के कारण क्षेत्र में संचालन आदि होने के कारण यात्रा में देरी हो गई। हालांकि, वह संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों से प्रभावित होते हैं और आगे प्रयास करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त करते हैं। श्री पुरोहित ने यह भी बताया कि वे प्रोटोकॉल रूट 3-4 और 7-8 का उपयोग करते हुए 6 महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए करीमगंज/बदरपुर से बांग्लादेश तक परीक्षण परिवहन करने के लिए 2 बांग्लादेशी जलयानों को लेने की प्रक्रिया में हैं। श्री पुरोहित ने आगे बताया कि वे पारंपरिक नावों द्वारा कोपिली नदी (रा. ज.57) से हटसिंगमारी तक सीमेंट के परिवहन का पता लगाने की योजना बना रहे हैं।

- भाअजप्रा ने एनएफ रेलवे से अजप का उपयोग करने के लिए कार्गो मालिकों के विवरण को एक लिंकेज और यात्रा के विकल्प/वैकल्पिक मोड के रूप में साझा करने का अनुरोध किया है। उत्तर में प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (प्र. सी.सी.एम.) श्री. वीवी जितुरी, (आईआरटीएस), एनएफ रेलवे ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

- डीजीएम (एम) और वरिष्ठ व्यवसाय प्रबंधक, आरआईएनएल, कोलकाता (श्री अजय सेन) ने सूचित किया है कि वे मार्च, 21 के पहले सप्ताह तक पांडु बीजी साइडिंग में अपना पहला रेक रखेंगे और इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस संबंध में पांडु पोर्ट बीजी साइडिंग को जोड़ने वाली लाइन को साफ करने के लिए एनएफ रेलवे प्राधिकरण पहले ही आवश्यक कार्रवाई कर चुका है। श्री सेन ने आगे बताया कि बीजी साइडिंग से पांडु पत्तन पर आने वाले स्टील कार्गो की पहली खेप को सड़क मार्ग से विभिन्न गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि, भविष्य के लिए, उन्होंने बताया कि आरआईएनएल अजप मार्ग का उपयोग करने की संभावना तलाश रहा है।

- पीआर. सीसीएम एनएफ रेलवे ने श्री पुरोहित से भाअजप्रा साइडिंग का सह-उपयोगकर्ता बनने और सुविधा का उपयोग करने का भी अनुरोध किया है। जवाब में श्री पुरोहित मामले पर विचार करने के लिए सहमत हुए।

- ब्रह्मपुत्र क्रूज, गुवाहाटी के निदेशक, (श्री देबजीत बोरा) ने जानना चाहा कि क्या पर्यटक जलयानों/संचालकों की सहायता के लिए सुविधाओं के साथ कुछ पर्यटन स्थल बन रहे हैं। इसके उत्तर में, भाअजप्रा ने बताया कि वह 4 स्थानों (जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथघाट और नियामती) पर पर्यटक घाट विकसित करने की

योजना बना रहा है। इसके अलावा, अतिरिक्त निदेशक, अजप असम (श्री एम रहमान) ने सूचित किया कि फैंसी बाजार क्षेत्र के पास यात्री/पर्यटक के लिए गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी में अजप जेटी भी बनाए जा रहे हैं।

- भाअजप्रा ने यह भी सूचित किया कि कोलकाता/हल्दिया से रा. ज. 2 के लिए एक निर्धारित परिवहन के जल्द ही संचालित होने की संभावना है और उन्होंने अजप मोड के माध्यम से इसे संचालित करने के लिए हर प्रकार का आवश्यक समर्थन देने का आश्वासन दिया।

7.3 फोटो गैलरी

8. भाअजप्रा द्वारा 22.02.2021 को वाराणसी में "अंतर्देशीय जलमार्ग – संभावनाएं और अवसर" पर हितधारकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।

भाअजप्रा द्वारा वाराणसी में हितधारकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। भाअजप्रा द्वारा अर्थ गंगा और फ्रेट विलेज – वाराणसी और साहिबगंज पर एक पीपीटी प्रस्तुत किया गया। रा.ज.-1 के भूमि अधिग्रहण और कार्गो प्रोत्साहन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। भाअजप्रा के अधिकारियों, एससीआई के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित उद्योग के हितधारकों ने भाग लिया।

8.1 वक्ताओं की सूची

1.	**डॉ. अमिता प्रसाद** अध्यक्ष, भाअजप्रा	6.	**श्रीमती एच के जोशी** अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	**श्री शशि भूषण शुक्ला** सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), भाअजप्रा	7.	श्री विकास मालवीय मेसर्स नॉर्डिक क्रूज लाइन, प्रा. लिमिटेड, वाराणसी
3.	**श्री एके मिश्रा**	8.	**डॉ. सीबी सिंह**

	निदेशक (तकनीकी), भाअजप्रा		सहायक महाप्रबंधक, एपीडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
4.	**सुश्री श्रुति अरोड़ा** पीडब्ल्यूसी	9.	**श्री आर के चौधरी** बीसीसी, वाराणसी
5.	**श्री दीपक अग्रवाल** मंडल आयुक्त, वाराणसी		

8.2 फोटो गैलरी

9. रा.ज.-3 और रा. ज.-9 के माध्यम से बार्ज संचालन शुरू करने के संबंध में 28.01.2021 को कोट्टायम पत्तन पर आयोजित हितधारकों की बैठक ।

कोच्चि पोर्ट, डीपी वर्ल्ड, केरल मैरीटाइम बोर्ड, शिपिंग लाइन्स और भाअजप्रा के अधिकारियों की उपस्थिति में रा.ज.-3 और 9 के माध्यम से तटीय कंटेनर आवाजाही की शुरुआत के संबंध में 28 जनवरी 2021 को कोट्टायम पत्तन पर हितधारकों की एक बैठक आयोजित की गई थी। वहां व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान सभी हितधारकों के बीच एक संक्षिप्त चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य कोच्चि से कोट्टायम और कोट्टायम से कोच्चि तक माल की आवाजाही को सड़क मार्ग से अजप की तरफ मोड़ना था। कोचीन पत्तन से श्री गौतम गुप्ता ने चर्चा शुरू की और इस परियोजना को सफल बनाने के लिए शिपिंग लाइन्स और डीपी वर्ल्ड से कोट्टायम पत्तन और शिपर्स के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया। भाअजप्रा ने बार्ज परिवहन को सफल बनाने के लिए अधिकतम समर्थन और सहयोग का भी आश्वासन दिया।

9.1 वक्ताओं की सूची

1.	**श्री मैथ्यू जॉर्ज** निदेशक, भाअजप्रा	5.	**श्री अब्राहम वरगीस** प्रबंध निदेशक, कोट्टायम पोर्ट
2.	**श्री आर. वेंकटेशन** जलीय सर्वेक्षक, भाअजप्रा	6.	**श्री रूपेश बाबू केएन** महाप्रबंधक, कोट्टायम पोर्ट
3.	**श्री आशीष कुमार भटनागर** सलाहकार विपणन और लॉजिस्टिक्स	7.	**श्री कृष्ण कुमार** प्रबंधक, श्रेयस शिपिंग
4.	**श्री गौतम गुप्ता** यातायात (प्रबंधक), कोचीन पोर्ट	8.	**श्री सुशांत अवस्थी** प्रबंधक –वाणिज्यिक, डीपी वर्ल्ड, टीसीएल

9.2 मुख्य बिंदु

- तटीय कंटेनरों के भारी भार को देखते हुए मौजूदा बार्ज के साथ बी X20' कंटेनरों के साथ आवाजाही शुरू होगी।
- मौजूदा बार्ज की ड्राई–डॉकिंग और छोटी–मोटी मरम्मत का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
- मौजूदा बार्ज के साथ आवाजाही शुरू करने की लक्षित ताराख 1–6 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है।
- 24 टीईयू की क्षमता वाले नए बार्ज को बहुत जल्द आरंभ किया जाएगा और छह महीने के भीतर मौजूदा बार्ज के साथ चालू होने की उम्मीद है।
- कोच्चि और कोट्टायम से और वहां के लिए प्रति माह लगभग 1000 टीईयू की आवाजाही'।
- मौजूदा सड़क भाड़ा 10,000 रुपए है, कोट्टायम पत्तन ने इसे अजप का उपयोग करके कम करने का आश्वासन दिया है।
- इस पर भी चर्चा की गई कि भारत में कंटेनरों की अत्यधिक कमी के कारण ढुलाई के माल में वृद्धि भी शिपरों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक है। चीनी नव वर्ष के बाद कंटेनरों की अपेक्षित आवाजाही सामान्य हो जाएगी और भारत में पर्याप्त माल की उपलब्धता के साथ माल ढुलाई में कमी आएगी ।
- इस कोट्टायम के लिए आईसीटीटी को ट्रांसशिपमेंट प्वाइंट बनाने पर चर्चा हुई और ऐसा करने की सलाह दी गई ताकि शिपर द्वारा सीधे आईसीटीटी से अपने कंटेनर लेने पर फ्री डिटेंशन अवधि को 10 दिनों के बदले 21 दिनों तक बढ़ाया जा सके।
- शिपर्स और कोट्टायम पोर्ट ने अभी उपयोग करने के लिए उपलब्ध न होनेवाले अजप को केरल सरकार द्वारा दिए जानेवाले प्रोत्साहन (सब्सिडी) के बारे में भीचर्चा की। यह अजप परिवहन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- टाइल और गेहूं के शिपर्स ने कोट्टायम पत्तन को सड़क की तुलना में प्रतिस्पर्धी दरों द्वारा प्रदान किए जाने पर अपने वर्तमान परिवहन को सड़क मार्ग से अजप की ओर मोड़कर इसकी गतिविधियों को समर्थन देने का आश्वासन दिया।
- सीओपीटी द्वारा रात्रि नें नौचालन संभव होने पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर के रूप में भाअजप्रा के श्री मैथ्यू जॉर्ज ने बताया कि चैनल रात के नौचालन के लिए अच्छी तरह से तैयार है और प्लव को सही स्थिति में रखा गया है।
- शिपर्स ने कोट्टायम पत्तन से दो बार्ज के साथ आवाजाही शुरू करने की सलाह दी, जिस पर सीओपीटी ने दो बार्ज के साथ पूर्ण संचालन प्राप्त करने से पहले सभी बाधाओं और जटिलताओं को दूर करने के लिए मौजूदा बार्ज के साथ परिवहन आरंभ करने को कहा।

वेबिनार/सम्मेलन/सेमिनारों में भाअजप्रा की भागीदारी

भाअजप्रा द्वारा आयोजित उपरोक्त वेबिनार के अलावा, भाअजप्रा ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी और सरकारी निकायों द्वारा आयोजित विभिन्न अन्य वेबिनार/सम्मेलनों/सेमिनारों में भी भाग लिया। ये वेबिनार/सम्मेलन/सेमिनार मूल रूप से पूरी दुनिया में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए थे। भाअजप्रा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वेबिनारों में भागीदार करने का विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष 2020-21 में भाअजप्रा द्वारा वेबिनार/हितधारकों के सम्मेलनों के आयोजन/भागीदारी का सारांश				
क्रम सं.	**तारीख**	**विषय**	**उद्देश्य**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1.	17.07.2020	समुद्री अभियंता संस्थान (भारत) द्वारा "अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन समुद्री अभियंता संस्थान (भारत) द्वारा "अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहल" पर वेबिनार	भाअजप्रा के अध्यक्ष ने अजप मोड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों से अवगत कराया: इन पहलों में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौचालन की क्षमता वृद्धि के लिए जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का कार्यान्वयन; क्षेत्रीय सम्बद्धता; फेयरवे विकास; भाअजप्रा के टर्मिनलों पर ओ एंड एम ऑपरेटरों की नियुक्ति; रो-रो यातायात को बढ़ावा देना; संपत्ति और नौवहन सूचना के लिए पोर्टल (पैनआई); यातायात रिकॉर्डिंग और प्रसार और यातायात की वर्तमान स्थिति के लिए डिजिटल पोर्टल शामिल हैं।	490
2.	22.07.2020	टेक्सप्रोसिल (द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) द्वारा बांग्लादेश को कपड़े के निर्यात के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (अजप) गलियारा	टेक्सप्रोसिल ने भाअजप्रा के सहयोग से और कपड़ा मंत्रालय के मार्गदर्शन में रोडवेज और रेलवे के अलावा भारत से बांग्लादेश को वस्त्र निर्यात करने के लिए परिवहन के एक पूरक साधन के रूप में अजप का उपयोग करने की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक वेबिनार का आयोजन किया। विभिन्न कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्ष, एफआईईओ के अध्यक्ष, निर्यात और व्यापारिक घरानों और एमएसएमई के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में वेबिनार में भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि रोडवेज के विकल्प के रूप में अजप के माध्यम से शिपमेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जाने चाहिए।	100
3.	22.07.2020	विश्व बैंक द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए बाजार विकास पर वेबिनार	भाअजप्रा के सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स) ने वेबिनार में भाग लिया और क्रूज पर्यटन के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग पर प्रकाश डाला। रा.ज.-1, रा.ज.-2, रा.ज.-3 पर पहले से ही क्रूज सेवाएं चालू हैं और इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर निजी ऑपरेटरों द्वारा 250 से अधिक क्रूज ट्रिप (3,000 से अधिक यात्री) आयोजित किए गए थे। इस क्षेत्र को और विकसित करने की संभावना है और	100

			भाअजप्रा इस क्षेत्र में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ काम कर रहा है।	
4.	24.07.2020	सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स पर वेबिनार	भाअजप्रा के सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स) ने बांग्लादेश को ऑटोमोबाइल के निर्यात के लिए परिवहन के पूरक मोड पर बात की। प्रतिभागियों में महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, होंडा, बजाज ऑटो आदि जैसे प्रमुख वाहन निर्माण ओईएम के लॉजिस्टिक्स प्रमुख और ऑटो उद्योग की सेवा करने वाले 3 पीएल शामिल थे।	50
5.	30.07.2020	राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा "बांस निर्माण सामग्री का उपयोग कर निर्माण" पर वेबिनार।	भाअजप्रा के सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स) ने लॉजिस्टिक्स सहित निर्माण में बांस के उपयोग को बढ़ाने पर वेबिनार में भाग लिया। बांस आधारित निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी और बांस आधारित निर्माण सामग्री के मानक आदि अन्य विषयों पर चर्चा की गई।	90
6.	25.07.2020	सीआईआई पूर्वी क्षेत्र "बाधाओं से परे इंटरलिंकेज: पोर्ट सम्बद्धता, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन" पर सत्र। बी2बी और बी2जी हितधारकों को शामिल करने के लिए एक अनूठा मंच	पोर्ट सम्बद्धता और तटीय नौवहन पर सत्र: एक्जिम ट्रेड का वैश्विक परिप्रेक्ष्य, समुद्री व्यवसाय: पत्तन अवसंरचना को मजबूत करना: मल्टीमॉडल सम्बद्धता और एससीएम इंटरलिंकेज को बढ़ाना: सीमा शुल्क, सीएफएस, आईसीडी और वेयरहाउसिंग की भूमिका पर सत्र आयोजित किए गए। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग संगठनों और उद्योग के हितधारकों ने इन सत्रों में भाग लिया।	350
7.	18.08.2020	श्री एम. नागराजू, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, कोयला उद्योग के लिए जलमार्ग सम्बद्धता के उपयोग के संबंध में वीसी।	कोयला उद्योग के लिए जलमार्ग सम्बद्धता के उपयोग पर कोयला मंत्रालय, भाअजप्रा, कोल इंडिया लिमिटेड, ईसीएल और एमसीएल के बीच एक वीसी बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य कार्गो को नदियों के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित और नियोजित अवसंरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्यनीतियों पर काम करना था। यह निर्णय लिया गया कि	9 प्रतिभागी

			सीआईएल को संभावित उपभोक्ताओं को अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के बारे में बताना चाहिए और उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। कोयला परिवहन के लिए आंतरिक जलमार्ग मोड को अपनाने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीआईएल को बिजली कंपनियों, बड़ी कोयला खनन कंपनियों, ऑपरेटरों, विक्रेताओं और गैर-विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित करनी है।	
8.	20.08.2020	रूसी कंपनियों के लिए भारत में जहाज निर्माण और मरम्मत पर वेबिनार।	ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने और भारत में जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत को मजबूत करने और बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा श्री मनसुख मंडाविया, माननीय राज्य मंत्री (आईसी), पोत परिवहन, रसायन और उर्वरक, भारत सरकार की अध्यक्षता में व्यापार आयोग, रूस के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। भाअजप्रा के अध्यक्ष ने निवेश के अवसरों के साथ एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि साझा की जो रूसी निवेश समुदाय के सामने संभावनाओं को प्रदर्शित कर सकती है। वेबिनार में माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रूस के उद्योग और व्यापार उपमंत्री, उप सचिव, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; भारत में रूस के व्यापार आयुक्त, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, रूस; अध्यक्ष, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, चौगुले एंड कंपनी, एल एंड टी शिपबिल्डिंग, टीटागढ़ वैगन्स और रूसी व्यापार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।	15
9.	21.08.2020	समुद्री प्रौद्योगिकी 2020– भारतीय समुद्री उद्योग में आत्मनिर्भर: भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने पर सीआईआई ई-कॉन्फ्रेंस	अध्यक्ष, भाअजप्रा ने भारतीय समुद्री उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अजप सम्बद्धता का लाभ उठाने के बारे में चर्चा की । माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित उद्योग हितधारकों ने भाग लिया।	100
10.	11.09.2020	सिंगापुर में मुख्यालय वाली फिलिप कैपिटल की	मुख्य अभियंता (तकनीकी), भाअजप्रा ने मोडल शिफ्ट, एक्सप्रेस और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, 3पीएल और सप्लाई चेन	125

		पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, फिलिप कैपिटल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, ने "इंडिया लॉजिस्टिक्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस – कनेक्टिंग द डॉट्स" पर एक वेबिनार का आयोजन किया।	लॉजिस्टिक्स के साथ-साथ इस क्षेत्र में उभरते रुझानों और व्यवधानों के अवसरों के बारे में बताया। इस वेबिनार का उद्देश्य को आगे के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भारत के अग्रणी लॉजिस्टिक्स संचालकों, सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और औद्योगिक निवेशक समुदाय एक साझा मंच पर लाना है। चर्चा का मुख्य क्षेत्र था:- भारत में आपूर्ति श्रृंखला और 3पीएल आउटसोर्सिंग में विकास और विदेशों में विकसित बाजारों से हमारी तुलना कैसे की जाती है को समझना, नियामक परिवर्तन और इसका प्रभाव, मोडल शिफ्ट में अवसर, एक्सप्रेस और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स, 3पीएल और आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और क्षेत्र में उभरते रुझान और व्यवधान। लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों, सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और औद्योगिक निवेशक समुदाय ने इस सम्मेलन में भाग लिया।	
11.	19.09.2020	आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स समूह (एससीएलए) और आईसीसी द्वारा "अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से उत्तर पूर्वी सम्बद्धता" "पूर्वोत्तर – नए व्यापार के अवसर और लॉजिस्टिक्स उपलब्धि" पर वेबिनार आयोजित किया गया।	सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स), भाअजप्रा ने अंतर्देशीय जल परिवहन (अजप) विकास के लाभों, अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र, वैश्विक सफलता, किए गए प्रमुख हस्तक्षेप, अजप में यातायात संचालन, क्षेत्रीय जलमार्ग एकीकरण के लिए शुरू की गई पहल, नदी क्रूज पर्यटन, एनईआर में हाल की उपलब्धियां और क्षेत्र के बारे में अवगत कराया।	150
12.	13.10.2020	भाअजप्रा द्वारा अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के साथ वीसी बैठक	भाअजप्रा के अध्यक्ष ने अमेरिकी कंपनियों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों में अवसरों, अर्थात, उथले ड्राफ्ट कार्गो और यात्री जलयानों का निर्माण, वेसल ड्राफ्ट को कम करने के लिए साइड फ्लोटर्स, जहाज की मरम्मत की सुविधा, टर्मिनल प्रबंधन, रिवर क्रूज पर्यटन और प्रौद्योगिकी को अपनाने और कौशल विकास पर एक प्रस्तुति दी।	
13.	20.10.2020	भारत-रूस सामरिक आर्थिक वार्ता	भाअजप्रा के अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को भारत में अजप क्षेत्र के विकास की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और देश के	25

		(आईआरएसईडी) के अंतर्गत परिवहन अवसंरचना और प्रौद्योगिकियों पर समन्वय समिति की आभासी बैठक	समग्र आर्थिक विकास के लिए परिवहन के एक आत्मनिर्भर, किफायती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पूरक साधन विकसित करने के लिए भाअजप्रा की पहल पर विस्तार से बताया। उन्होंने प्रतिभागियों को उन क्षेत्रों से भी अवगत कराया जिनका रूसी फर्मों द्वारा निवेश और सहयोग के लिए पता लगाया जा सकता है। श्री पवन कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव, लॉजिस्टिक्स प्रभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार की ओर से बैठक में सरकार ने भाग लिया। बैठक में नीति आयोग, नौवहन, नागरिक उड्डयन, भारतीय रेलवे, भाअजप्रा, कॉनकॉर और अन्य के अधिकारी भी उपस्थित थे।	
14.	05.11.2020	भारत और म्यांमार के बीच दूसरे जेडब्ल्यूजी समुद्री परिवहन पर वीडियो सम्मेलन	भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 05.11.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक के एजेंडे में म्यांमार के साथ तटीय शिपिंग पर समझौता, म्यांमार में एलआरआईटी सेवाओं का विस्तार, अंडमान मार्ग के माध्यम से भारत और म्यांमार के बीच सीधी शिपिंग सेवा, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट (भाअजप्रा इसका परियोजना विकास सलाहकार है), समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण (सुविधाएं) शामिल हैं। भारत में उपलब्ध आईएमयू, आईआरक्लास अकादमी, एससीआई, सीएसएल, आदि) वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।	25
15	04.12.2020	भारतीय दूतावास, मास्को ने "अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं" पर एक भारत-रूस बी2बी वेबिनार का आयोजन किया	भारतीय दूतावास, मॉस्को द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं पर भारतीय और रूसी व्यापार प्रतिनिधियों के बीच एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस वेबिनार में, रूस में भारतीय राजदूत, अध्यक्ष, भाअजप्रा, निदेशक, जहाज निर्माण उद्योग और समुद्री सुविधाएं विभाग, रूसी संघ के उद्योग और व्यापार मंत्रालय, भारतीय और रूसी व्यापार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रूसी और भारतीय कंपनियों द्वारा विशिष्ट भारतीय जलमार्ग परियोजनाओं पर प्रस्तुति दी गई और आगे सहयोग के लिए सरकारी सहायता के अंतर्गत बीटूबी संपर्क करने का निर्णय लिया गया।	50
16	24.12.2020	"कोयला उद्योगों के	एएस एमओसी द्वारा "कोयला उद्योगों के	25

		लिए जलमार्ग सम्बद्धता के उपयोग" के संबंध में 18.8.2020 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती वीसी बैठक।	लिए जलमार्ग सम्बद्धता का उपयोग" के संबंध में 18.08.2020 को लिए गए निर्णय की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक अनुवर्ती वीसी बैठक आयोजित की गई थी। एमओसी, भाअजप्रा, सीआईएल, सीएमपीडीआई, ईसीएल और एमसीएल के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को कोयला परिवहन के लिए आंतरिक जलमार्ग मोड को अपनाने के मुद्दों पर चर्चा करने और हल्दिया से बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में स्थित उपभोक्ताओं को आपूर्ति का आकलन करने के लिए सीआईएल द्वारा बिजली कंपनियों, बड़ी कोयला खनन कंपनियों, ऑपरेटरों, विक्रेताओं और गैर-विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कई लोडिंग/अनलोडिंग से बचने के लिए अवसंरचना की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए कुशल जल मार्गों का पता लगाया जा सकता है और कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त बार्ज उपलब्ध कराया जा सकता है और एनटीपीसी के साथ उनके फरक्का बिजली संयंत्र के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करने के पुनरुद्धार पर चर्चा की जा सकती है।	
17.	06.01.2021	रा. ज. 1 और रा. ज. 2 के किनारे स्थित विभिन्न ईसीएल कोयला उपभोक्ताओं के साथ अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कोयले की आवाजाही की क्षमता पर चर्चा करने के लिए वीसी।	रा. ज. 1 और रा. ज. 2 के पास स्थित, विभिन्न ईसीएल कोयला उपभोक्ताओं के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से कोयले की आवाजाही की क्षमता पर चर्चा करने के लिए एक वीसी बैठक आयोजित की गई थी। ब्राह्मणी नदी में कोयले की आवाजाही के लिए अवसंरचना की आवश्यकता पर चर्चा की। इस वीडियो सम्मेलन में एमओसी, भाअजप्रा, सीआईएल, ईसीएल और विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं के अधिकारियों ने भाग लिया।	25
18.	08.01.2021		बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आभासी मंच पर 'बीसीसी एंड आई इंफ्रास्ट्रक्चर ई-कॉन्क्लेव: री-स्ट्रेटेजाइज इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर ग्लोबल प्ले' का आयोजन किया। .	203

		भारतीय अवसंरचना के विकास और वैश्विक परिचालन के लिए तैयारी पर पुनःरणनीति बनाने के लिए बीसीसी एंड आई इंफ्रास्ट्रक्चर ई–कॉन्क्लेव	भाअजप्रा के अध्यक्ष ने कहा कि भाअजप्रा को उम्मीद है कि उद्योग जलमार्ग का लाभ उठाएगा, कार्गो के एक हिस्से को अजप मोड में स्थानांतरित करेगा, समस्याओं की पहचान करेगा और उनके समाधान के लिए संवाद करेगा, सभी हितधारकों, उपयोगकर्ताओं और ऑपरेटरों के समर्थन से "भविष्य के लिए सुरक्षित" कार्यनीति विकसित करेगा। भाअजप्रा पीपीपी मोड में निजी जेटी बनाने के लिए तैयार है। चर्चा के अन्य बिंदुओं में पूर्वी क्षेत्र को समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और एक इंटरमॉडल सिस्टम शामिल थे, जो कॉरिडोर को रेल, सड़क और जलमार्ग से जोड़कर शहर को परिवर्तित कर सकता है। सरकार के गणमान्य प्रतिभागियों और उद्योग के हितधारकों ने भाग लिया।	
19.	13.01.2021	भूटान के साथ चौथा डीवीसी	भाअजप्रा के सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स) ने फरवरी 2020 में माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की यात्रा से उभरे कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए भूटान के साथ चौथे डीवीसी में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान, भारत और भूटान दोनों ने व्यापारिक मुद्दों के समाधान के लिए महीने में एक बार, व्यापार/वाणिज्य के संबंधित विभागों के नेतृत्व में दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच वीडियो सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।	30
20.	2-3.02.2021	इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैगज़ीन द्वारा "भारत में कंटेनर इन्फ्रास्ट्रक्चर" पर आयोजित पंद्रहवाँ वार्षिक सम्मेलन (आभासी)	सदस्य (यातायात और लॉजिस्टिक्स) ने वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कंटेनर कार्गो की आवाजाही के संबंध में अनुभव, जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत प्रगति, तटीय शिपिंग के माध्यम से कंटेनर आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई। चर्चा के विषयों में रुझान, विकास और दृष्टिकोण, शिपिंग मंत्रालय का दृष्टिकोण: सागरमाला के अंतर्गत संभावनाएं, अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय शिपिंग के माध्यम से कंटेनर परिवहन, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर: प्रभाव, चुनौतियां और भविष्य की क्षमता, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर का दृष्टिकोण, कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर का दृष्टिकोण, व्यापार और	150

			लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, कंटेनर परिवहन, प्रत्यक्ष पत्तन वितरण: प्रभाव और क्षमता, कंटेनर हैंडलिंग अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करना, प्रौद्योगिकी में नवाचार, स्वचालन और कंटेनर सौंपने वाले उपकरण शामिल थे। वार्षिक सम्मेलन में पत्तनों और टर्मिनलों (सार्वजनिक/निजी), कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, कंटेनर कार्गो ऑपरेटरों, रेल/सड़क लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाताओं, उपकरण निर्माताओं, आईसीडी, सीएफएस, वेयरहाउसिंग कंपनियों, लॉजिस्टिक्स पार्कों, अंतिम उपयोगकर्ता, सलाहकार, शिपिंग लाइन, प्रौद्योगिकी प्रदाता, वित्तीय संस्थान/निवेशक, लॉजिस्टिक्स फर्म, क्रेन ऑपरेटर/निर्माता, बीमा प्रदाता, आदि आदि के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।	
21.	06.02.2021	6 फरवरी, 2021 को वीसी के माध्यम से बीसीसी एंड आई का वार्षिक शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2020-21	भाअजप्रा के अधिकारियों के साथ भाअजप्रा अध्यक्ष ने इसमें भाग लिया। परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में अजप के उपयोग, जिसने कई संभावनाओं को उन्मोचित करते हुए तेजी से विकास दिखाया है, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए किए गए प्रमुख हस्तक्षेप, अजप में पंचवर्षीय दृष्टि और अवसर पर एक प्रस्तुति दी गई। हब के रूप में कोलकाता के साथ पूर्व, उत्तर पूर्व और पड़ोसी देशों में लॉजिस्टिक्स पर चर्चा। अन्य विषयों में तटीय नौवहन, पत्तन, अंतर्देशीय जलमार्ग, सड़क मार्ग, रेलवे, आईसीडी, सीएफएस, कोल्ड स्टोरेज आदि शामिल हैं।	550

माल ढुलाई के लिए व्यवहार्य पाए गए 23 राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची

क्रम सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.) सं.	जलमार्गों के विवरण	राज्य	स्थिति
1	रा.ज.-1	गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम	विश्व बैंक **जलमार्ग विकास परियोजना** से सहायता के साथ शुरू किया गया विकास

क्रम सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग (रा. ज.) सं.	जलमार्गों के विवरण	राज्य	स्थिति
			बंगाल	
2	रा.ज.-2	रा.ज.-2ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी – सादिया)	असम	वित्तीय वर्ष2020-21 से 2024-25 के लिए अनुमोदित एसएफसी के अनुसार विकास कार्य किया गया
3	रा.ज.-16	बराक नदी	असम	
4	रा.ज.-3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम – कोल्लम), चंपाकारा और उद्योगमंडल नहरें	केरल	अधिकतर परिचालन जलमार्ग और विकास और रखरखाव का काम किया गया
5	रा. ज.-4	कृष्णा नदी (विजयवाड़ा – मुक्ताला)	आंध्र प्रदेश	
6	रा. ज.-5	धामरा– पैराडियो वाया मंगलागड़ी से पंकोपाल	ओडिशा	
7	रा. ज.-8	अलाप्पुझा– चंगनास्सेरी नहर	केरल	
8	रा. ज.-9	अलाप्पुझा–कोट्टायम – अथिरामपुझा नहर	केरल वैकल्पिक मार्ग : 11.5किमी.	
9	रा.ज.-27	कम्बरजुआ नदी	गोवा	
10	रा. ज.-68	मांडोवी नदी	गोवा	
11	रा. ज.-86	रूपनारायण नदी	पश्चिम बंगाल	
12	रा. ज.-97	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल	
13	रा.ज.-111	जुआरी नदी	गोवा	
14	रा.ज.-10	अम्बा नदी	महाराष्ट्र	कार्य एसएफसी/ईएफसी अनुमोदन के बाद आरंभ किया जाएगा।
15	रा. ज.-44	इच्छामती नदी	पश्चिम बंगाल	
16	रा. ज.-52	काली नदी	कर्नाटक	
17	रा. ज.-57	कोपिली नदी	असम	
18	रा. ज.-73	नर्मदा नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड के अंतर्गत ज्वारीय जल/नदी के मुहाने में पर्याप्त माल ढुलाई। अभी तक भाअजप्रा द्वारा किसी हस्तक्षेप पर विचार नहीं किया गया है।
19	रा. ज.-83	राजपुरी क्रीक	महाराष्ट्र	
20	रा. ज.-85	रेवदंडा क्रीक – कुंडलिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र	
21	रा. ज.-91	शास्त्री नदी – जयगढ़ क्रीक प्रणाली	महाराष्ट्र	
22	रा. ज.-94	सोन नदी	बिहार	
23	रा.ज.-100	तापी नदी	महाराष्ट्र और गुजरात	

16. रा.ज.-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना

16.1 मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता के साथ रा. ज. -1 (हल्दिया-वाराणसी खंड) पर नौचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) को लागू कर रहा है।

16.2 परियोजना निर्माण के लिए रा.ज.-1 पर विस्तृत इंजीनियरिंग और एफईईडी, ईएसआईए और अजप क्षेत्र विकास कार्यनीति और व्यवसाय विकास अध्ययन किए गए। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर, 4633.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ जेएमवीपी कार्यान्वयन के अधीन है। जल मार्ग विकास परियोजना गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के साथ हल्दिया-वाराणसी खंड पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा. ज. -1) की नौगम्यता में सुधार करने की परिकल्पना करती है।

16.3 विश्व बैंक द्वारा 8 से 21 दिसंबर 2020 के बीच मध्यावधि समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जल मार्ग विकास परियोजना के समग्र विकास को विश्व बैंक समूह द्वारा संतोषजनक का दर्जा दिया गया है।

(i) **फेयरवे विकास:** जेएमवीपी परियोजना का लक्ष्य हल्दिया-वाराणसी खंड पर 2.2/3 मीटर एलएडी प्रदान करना है, जिसके निचले चैनल की चौड़ाई 35/45 मीटर है। इस घटक में नदी तल की पुनः-अभियांत्रिकी, ड्रेजिंग, बैंडलिंग और तट सुरक्षा कार्य आदि शामिल हैं। नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) और जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) आदि रा.ज.-1 में चलने वाले जलयानों को नौवहन सहायता प्रदान करते हैं।

(ii) **सिविल निर्माण कार्य:** वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में रा.ज.-1 अर्थात् मल्टीमॉडल टर्मिनलों के साथ विभिन्न स्थानों पर विशाल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के निर्माण का कार्य अर्थात् गाजीपुर और कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल, राजमहल, मानिकचक, समदाघाट, मनिहारी, कहलगांव, तिनटांगा, हसनपुर, बख्तियारपुर, बक्सर और सरायकोटा में रो-रो टर्मिनल; और फरक्का आदि में एक नया नौवहन लॉक का काम चल रहा है।

(iii) **संस्थागत मजबूती और निवेश के माहौल में सुधार; जलयानों की डिजाइन और खरीद; और निर्माण ढांचा।**

16.4 नदियों में ड्रेजिंग के रखरखाव के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता का मुद्दा भी सुलझाया गया और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने अपने निर्णय से अवगत कराया कि नदियों में रखरखाव ड्रेजिंग के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और एमओईएफ और सीसी द्वारा निर्धारित कुछ पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करने वाले भाअजप्रा के कार्यान्वयन के लिए जेएमवीपी को मंजूरी दे दी गई है। । इसके अलावा, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली ने दिनांक 01.11.2018 के एक आदेश के द्वारा श्री भारत झुनझुनवाला और अन्य द्वारा समय-समय पर संशोधित 2006 की ईआईए अधिसूचना के अंतर्गत जेएमवीपी के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग करने के लिए भाअजप्रा और अन्य के खिलाफ दायर 2015 के ओए संख्या 487 को खारिज कर दिया।

16.5 सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा मूल्यांकित और अनुशंसित, 5369.18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के जेएमवीपैट के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 03.01.2018 को निम्नलिखित फंडिंग पैटर्न के साथ अनुमोदित किया गया था:

(क) आईबीआरडी ऋण - 2,512.00 करोड़ रुपए (375.00 मिलियन अमरीकी डॉलर);

(ख) भारत सरकार समकक्ष निधि (बजटीय आवंटन और अवसंरचना बांड जारी करने से आय: 2,556.00 करोड़

रुपए (380.00 मिलियन अमरीकी डॉलर); तथा

(ग) पीपीपी मोड के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी: 301.00 करोड़ रुपए (US$45.00 मिलियन अमरीकी डॉलर)।

16.6 भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच उचित बातचीत के बाद, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक मंडल ने 12.04. 2017 को परियोजना के लिए 375 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण समझौते और विश्व बैंक और भाअजप्रा के बीच परियोजना समझौते पर 02.02.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। ऋण समझौता और परियोजना समझौता 23 मार्च, 2018 से प्रभावी हो गए हैं।

16.7 काम पूरा होने पर, जेएमवीपी परिवहन का एक वैकल्पिक, लागत प्रभावी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल साधन प्रदान करेगा और प्रोजेक्ट कॉरिडोर में और उसके आसपास उद्योगों और लॉजिस्टिक से संबद्ध लोगों के लिए एक आकर्षण होगा, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों को आवृत करने वाले क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम किया जा सकेगा।

16.8 परियोजना कार्यान्वयन को दिसंबर, 2023 तक पूरा करने की योजना है और यह प्रगति पर है लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कार्य प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक की त्रिपक्षीय परियोजना समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें जेएमवीपी द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को मान्यता दी जानी है और भाअजप्रा में कई अन्य अजप परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मॉडलिंग की जानी है। कोविड-19 प्रभावित अवधि के दौरान भी परियोजना आगे बढ़ रही है, हालांकि, खरीद गतिविधियों में बाजार की प्रतिक्रिया काफी प्रभावित हुई है, जेएमवीपी टीम ने खरीद और निविदा गतिविधि में तेजी लाने और फिसल गई समयसीमा को पकड़ने के लिए पहले ही पहल की है।

16.9 प्रतिवेदन की अवधि में जेएमवीपी के प्रत्येक घटक के अंतर्गत हासिल की गई प्रगति का सारांश नीचे दिया गया है:

I. फेयरवे विकास

(i) एलएडी का प्रावधान:

- भाअजप्रा बोर्ड द्वारा दिनांक 02.06.2017 को आयोजित 164वीं बोर्ड बैठक में एजेंडा बिंदु 164.20 पर लागू की गई रा.ज.-1 के लिए ड्रेजिंग प्रबंधन योजना और रणनीति पर कार्यान्वयन आरंभ किया गया था।

- फरक्का-कहलगांव खंड (146 किलोमीटर) पर 3 मीटर की न्यूनतम सुनिश्चित गहराई (एलएडी) और 35/45 मीटर की निचली चैनल चौड़ाई के प्रावधान के लिए 177.00 करोड़ रुपए की लागत का अनुबंध प्रदर्शन आधारित सुनिश्चित ड्रेजिंग अनुबंध के माध्यम से 09.04.2018 को मेसर्स अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किया गया था।

- सुल्तानगंज-महेंद्रपुर (74 किमी) और महेंद्रपुर-बाढ़ (71 किमी) में 2.5/3.0 मीटर के एलएडी और 35/45 मीटर की निचली चैनल चौड़ाई के प्रावधान के लिए क्रमशः 159.3 करोड़ और 182.9 करोड़ रुपए के अनुबंध प्रदर्शन आधारित सुनिश्चित ड्रेजिंग के माध्यम से 12.04.2019 को मेसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को प्रदान किया गया था।

- बाढ़-डोरीगंज (109 किमी) और डोरीगंज-गाजीपुर (178 किमी) पर 2.5 मीटर के एलएडी और 35/45 मीटर की निचले चैनल की चौड़ाई का प्रावधान मात्रा आधारित रखरखाव ड्रेजिंग अनुबंधों के माध्यम से (मिक्स एंड मैच - भाअजप्रा ड्रेजर + सेवा प्रदाता से एसपी-सीएसडी); मात्रा के आधार पर एलएडी को बनाए रखने के लिए प्रदर्शन मानदंड के साथ, ओ एंड एम आधार पर विभागीय ड्रेजर की तैनाती के

माध्यम से गाजीपुर-सैदपुर खंड (76 किमी) पर 2.2 मीटर के एलएडी और 35/45 मीटर के निचले चैनल की चौड़ाई का प्रावधान; और सैदपुर-वाराणसी खंड (57 किमी) पर प्रदर्शन आधारित आश्वासित ड्रेजिंग अनुबंध के माध्यम से 2.2 मीटर के एलएडी और 35/45 मीटर के निचले चैनल की चौड़ाई का प्रावधान उन्नत चरणों में है।

- फरक्का-त्रिवेणी खंड में मात्रा आधारित ड्रेजिंग के माध्यम से 351 किलोमीटर के क्षेत्र में 3.00 मीटर के लिए एलएडी का प्रावधान भी परिकल्पित है।

(ii) तट सुरक्षा कार्य:

- फरक्का फीडर नहर (9.438 किमी) के साथ फरक्का से हल्दिया पहुंच (33.095 किमी) और फरक्का (3.20 किमी) में नदी मोड़ के साथ तट संरक्षण कार्यों की आवश्यकता वाले स्थानों की पहचान की गई है।

- फरक्का फीडर नहर और फरक्का में नदी के घुमाव पर भू-तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है।

- विश्व बैंक, फरक्का बैराज परियोजना और आईआईटी, मद्रास से प्राप्त जानकारी के आधार पर डीपीआर और चित्र तैयार किए गए हैं ।

- उपरोक्त कार्यों को करने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (आई एंड डब्ल्यूडी, पश्चिम बंगाल सरकार), केओपीटी और भाअजप्रा के साथ 17.03.18 को एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक 19.06.18 और 18.01.2019 को हुई।

- फरक्का फीडर नहर के संबंध में - फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति ने 20 और 21 फरवरी 2020 को हुई बैठक में निर्णय लिया कि एफबीपी नियमित आधार पर इस तरह के रखरखाव का काम करे। इसके अलावा, परियोजना के मालिक होने के नाते फीडर नहर को लंबे समय तक बनाए रखने की जिम्मेदारी एफबीपी पर है।

- भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में तट संरक्षण कार्यों के संबंध में: राज्य मंत्री ने दिनांक 02.12.2019 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुर्शिदाबाद और नदिया जिले सहित नदी प्रणाली के तट संरक्षण कार्यों को अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से अपने अधिकार क्षेत्र में लिया जाएगा।

(iii) नौचालन संबंधी सहायता और आरआईएस

- एमएफ लिंक के साथ डीजीपीएस संदर्भ स्टेशन को स्थिति निर्धारण में सब-मीटर सटीकता प्रदान करने की दृष्टि से स्वरूपगंज में स्थापित किया गया था ताकि ऑपरेटरों को नौवहन चैनल के साथ अपने जलयान को सुचारू और प्रभावी रूप से प्रचालित करने में सुविधा हो सके।

- हल्दिया, गार्डन रीच (जीआर) जेट्टी, त्रिवेणी, स्वरूपगंज, कुमारपुर, बलिया और फरक्का में दूरस्थ बेस स्टेशनों के माध्यम से जलयान की गतिविधियों की निगरानी के लिए नदी सूचना प्रणाली को पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया गया था। इन स्टेशनों को फरक्का और जीआर जेट्टी में दो नियंत्रण स्टेशनों में एकीकृत किया गया था। दोनों नियंत्रण

स्टेशन स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) के माध्यम से इस नदी खंड में चलने वाले जलयानों की निगरानी करेंगे और वीएचएफ के माध्यम से जलयानों के साथ संचार करेंगे। 30 भाअजप्रा जलयान अंतर्देशीय एआईएस प्रणाली, कम दूरी के रडार और वीएचएफ से लैस थे।

(II) सिविल निर्माण कार्य:

(i) **वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण:**

- राल्हूपुरखास, रामनगर, वाराणसी में 1.26 एमटीपीए की टर्मिनल क्षमता के साथ मल्टीमॉडल टर्मिनल के पहले चरण का निर्माण किया गया है। एमएमटी वाराणसी के विकास के लिए कुल 67.12 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से भाअजप्रा के नाम पर चरण-I, चरण-II के लिए 22.351 हेक्टेयर और एनएच-7 से सड़क संपर्क अधिग्रहित और पंजीकृत किया गया है।

- टर्मिनल के पहले चरण के लिए सिविल निर्माण कार्य, मई, 2016 में 169.59 करोड़ रुपए की लागत से मेसर्स एफकान्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रदान किया गया, **जो अक्टूबर, 2018 में पूरा हुआ।** माननीय प्रधानमंत्री ने 12.11.2018 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री और माननीय सांसद, चंदौली की उपस्थिति में टर्मिनल का उद्घाटन किया।
- एनएच-7 से सड़क संपर्क का कार्य **जनवरी, 2019 में पूरा किया गया।**
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) रेल हेड पर अजप टर्मिनल से जियोनाथपुर रेलवे स्टेशन तक रेल सम्बद्धता की योजना है। मेसर्स ईपीआईएल और मेसर्स आरवी एसोसिएट्स, सलाहकार ने मार्च, 2018 में डीएफसीसीआईएल द्वारा अनुमोदित रेलवे सम्बद्धता के लिए डीपीआर प्रस्तुत किया। मार्च, 2019 में प्रस्तुत इंजीनियरिंग स्केल योजना को उत्तर मध्य रेलवे और डीएफसीसीआईएल द्वारा अनुमोदित किया गया। सलाहकार द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण और पुलों की सामान्य व्यवस्था की ड्राइंग तैयार की जा रही है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 15.05.17 को आयोजित अपनी बैठक में, वाराणसी में काशी कछुआ वन्य जीवन अभयारण्य के माध्यम से अंतर्देशीय जलयानों की आवाजाही और चलने की अनुमति देने की सिफारिश की थी, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार भाअजप्रा द्वारा निर्धारित मानक शमन उपायों पर आधारित है। भाअजप्रा ने शर्तों के अनुसार इन शमन उपायों का अनुपालन किया है/कर रहा है।

(ii) **साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण:**

- साहिबगंज के समदानला गांव में 3.03 एमपीटीए की टर्मिनल क्षमता वाला मल्टीमॉडल टर्मिनल दो चरणों में बनाया गया है । माननीय प्रधानमंत्री ने 06.04.2017 को इस मल्टीमॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखी। टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12.09.2019 को किया गया है।

- अजप टर्मिनल के लिए और टर्मिनल से एनएच-80 तक सड़क संपर्क के लिए 192.37 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और भूमि पूरी तरह से भाअजप्रा के कब्जे में है। अजप टर्मिनल सड़क के माध्यम से एनएच-80 से जुड़ा है और सकारीगली रेलवे स्टेशन से यह रेल द्वारा जुड़ा होगा।

- जिला प्रशासन, साहिबगंज द्वारा 485 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है। भाअजप्रा ने आर एंड आर के कार्यान्वियन के लिए जिला प्रशासन को 67.63 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। 485 पीएएफ में से, 417 पीएएफ को आर एंड आर सहायता राशि का भुगतान किया गया। समदानाला और पलटनगंज गांवों में 32.28 एकड़ भूमि पर सभी आवश्यक अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं के साथ दो पुनर्वास कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। दोनों कॉलोनियों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। समदानला कॉलोनी की प्लॉटिंग का काम पूरा कर 288 परिवारों को पति–पत्नी के संयुक्त नाम से प्लॉट आवंटित किए गए; पलटनगंज पुनर्वास कॉलोनी में प्लॉटिंग का काम पूरा कर लिया गया है। आवासों का निर्माण जिला प्रशासन द्वारा 5.93 रुपए प्रति घर की अनुमोदित लागत पर किया जाएगा और परिवारों को सौंप दिए जाएंगे। जिला प्रशासन साहिबगंज द्वारा 417 आवासों के निर्माण का ठेका दिया गया। 42 घरों का निर्माण पूरा हो गया है और 42 पीएएफ को परियोजना भूमि से आर एंड आर कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया है। आर एंड आर कॉलोनी में चारदीवारी, दो सामुदायिक केंद्रों और दो मंदिरों के साथ प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण पूरा हो गया है।
- मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो को 280.90 करोड़ रुपए की लागत और मई, 2019 की लक्षित पूर्णता समय सीमा के साथ 27.10.2016 को मल्टीमॉडल टर्मिनल के **चरण-I का निर्माण कार्य सौंपा गया।** 31.03.2021 तक , प्राप्त भौतिक लक्ष्य 99.50 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 251.39 करोड़ रुपए थी।
- रेल संपर्क: मेसर्स राइट्स को 25.07.2018 को टर्मिनल से सकरीगली रेलवे स्टेशन तक रेल संपर्क के विकास के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। सलाहकार ने अगस्त 2018 में क्षेत्र सर्वेक्षण पूरा किया और शुरू में विकसित 3 वैकल्पिक संरेखणों में से 1 संरेखण व्यवहार्य पाया गया, जिसे पूर्वी रेलवे मंडल, मालदा द्वारा 19.09.2018 को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी दिनांक 29.11.2018 को पूर्वी रेलवे द्वारा की गई टिप्पणियों पर एनएच–80, साहिबगंज में आरओबी के लिए प्रमुख के अनुमोदन से अवगत कराया, मेसर्स राइट्स ने साइट का पुन: सर्वेक्षण किया और संरेखण की लागत के साथ नाले पर पुल के साथ और बिना लेआउट योजना प्रस्तुत की। लेआउट को भाअजप्रा द्वारा अनुमोदित किया गया है और सलाहकार से व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(iii) **हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण:**

- हल्दिया के, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट) से 30 साल के लिए लीज पर ली गई 61 एकड़ भूमि पर 3.18 एमपीटीए की टर्मिनल क्षमता वाला मल्टीमॉडल टर्मिनल दो चरणों में बनाया जा रहा है ।
- प्रथम चरण का कार्य, 517.36 करोड़ रुपए की लागत और जनवरी, 2020 की मूल पूर्णता समय सीमा के साथ 30.06.2017 को मेसर्स आईटीडी सीमेंटेशन को प्रदान किया गया।, अब कोविड-19 के कारण संशोधित पूर्णता समय सीमा मई 2022 तक बढ़ा दी गई है। 31.03.2021 तक 97.01 % की भौतिक प्रगति और 465.53 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई है।

- एमओईएफएंडसीसी ने भाअजप्रा द्वारा निर्धारित मानक शमन उपाय पूरा करने की शर्त पर 06.11.2017 को टर्मिनल के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र की मंजूरी दी। भाअजप्रा ने शर्तों के अनुसार इन शमन उपायों का अनुपालन किया है/कर रहा है।

(iv) **फरक्का में नौचालन संबंधी लॉकः**

- फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) में 02.03.2016 को एफबीपी से हस्तांतरण पर ली गई 14.86 हेक्टेयर भूमि पर नया नौचालन लॉक बनाया जा रहा है।
- इस लॉक का निर्माण कार्य 359.19 करोड़ रुपए की लागत और मार्च, 2022 की पूर्णता समय सीमा के साथ मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को 24.11.2016 को सौंपा गया। मार्च 2021 तक 82.42% की भौतिक प्रगति और 283.88 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रगति हासिल की गई है।
- फरक्का में मौजूदा नौचालन लॉक, 7.155 हेक्टेयर भूमि के साथ, एफबीपी द्वारा 06.04.2018 को भाअजप्रा को सौंप दिया गया था। भाअजप्रा ने नए नौवहन लॉक के आरंभ होने के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसके आधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
- काम पूरा होने पर, दोनों लॉक फरक्का बैराज के पार जलयानों को दो-तरफा मार्ग प्रदान करेंगे, जिससे रा. ज. -1 पर जलयानों की सुचारू और निर्बाध आवाजाही की सुविधा होगी।

(v) **कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल:**

- एनएच-19 से सड़क संपर्क के साथ इस टर्मिनल का निर्माण बिहार के सारण जिले के कालूघाट में 5.159 हेक्टेयर (12.80 एकड़) भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। 29.12.2016 को जिला प्रशासन, सारण में भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुरोध दायर किया गया था। भूमि की मैपिंग/सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिला प्रशासन सारण से दिनांक 26.09.2020 को 13.17 एकड़ भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

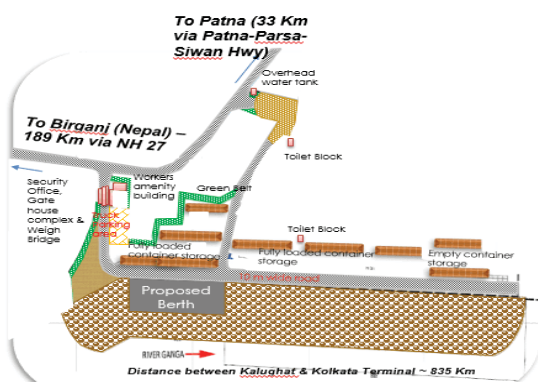

- भाअजप्रा ने दिनांक 9.11.2019 को भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को 17.83 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। जिला प्रशासन, सारण ने एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा एसआईए अध्ययन करवाया। डीएम सारण की जनसुनवाई की कार्यवाही को शामिल करने के बाद एसआईए की रिपोर्ट को टिप्पणियों और पुनरीक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति के पास भेजा गया था और समिति ने भूमि अधिग्रहण की सिफारिश की थी। जिला प्रशासन सारण से दिनांक 26.09.2020 को 13.17 एकड़ भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।
- कालूघाट टर्मिनल के लिए डीपीआर को सितंबर 2020 को अंतिम रूप दिया गया है और ईपीसी ठेकेदार को काम पर रखने के लिए 17.12.2020 को एनआईटी मंगाई गई थी, बोली पूर्व बैठक 06.01.2021 को आयोजित की गई थी और बोली खोलने की तारीख 30.03.2021 थी, जिसमें 2 बोलियां प्राप्त हुई थीं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।
- टर्मिनल की योजना ज्यादातर नेपाल जाने वाले कंटेनर यातायात को संभालने के लिए बनाई जा रही है।

(vi) **गाजीपुर में इंटरमॉडल टर्मिनल:**

- टर्मिनल का निर्माण उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 8.917 हेक्टेयर भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है । 4.386 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है। शेष 4.531 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के अंतिम चरण में है।
- शेष 4.531 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण में देरी हुई क्योंकि भूमि पानी में डूबी हुई थी और

मानचित्रण/सर्वेक्षण नहीं किया जा सका। मालिकाना हक का विवाद, सरकार को हस्तांतरण, भूमि और भूस्वामियों की सहमति जिला प्रशासन द्वारा संबोधित की जाने वाली कुछ प्रमुख बाधाएं हैं।

- टर्मिनल की आधारशिला 25 जनवरी, 2018 को माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा रखी गई थी।
- टर्मिनल के विकास के लिए डीपीआर तैयार किया गया है, हालांकि, गाजीपुर में तट के अवसंरचना के विकास के लिए व्यापार प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध (आरओईआई) 21.02.2020 को प्रकाशित किया गया था, ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 23.03.2020 थी। जिसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

परिसंपत्ति प्रबंधन सलाहकार ने फिर से निविदा आमंत्रित करने की सिफारिश की है और आरईओआई की प्रतिक्रिया न मिलने के संभावित कारणों का विश्लेषण किया है, इसके प्राथमिक कारण निम्नलिखित हैं-

- महामारी की शुरुआत ने व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया है।
- आवेदक द्वारा अपने व्यवसाय मॉडल आदि को साझा करने के लिए प्रोत्साहन की कमी।
- हितधारकों के बीच उच्च कथित जोखिम युक्त अजप के रूप में नवजात क्षेत्र है
- तदनुसार, उचित विज्ञापन और संगठित हितधारकों के परामर्श से आरओईआई को फिर से शुरू किया गया था।

(vii) **रो-रो टर्मिनल:**

- टर्मिनलों के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
- राजमहल, मानिकचक और मनिहारी रो-रो टर्मिनलों के लिए भू-तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है।
- टर्मिनल जेएमवीपी-II के अंतर्गत विचाराधीन हैं।

एकीकृत जलयान मरम्मत और रखरखाव परिसर:

एकीकृत जलयान मरम्मत और अनुरक्षण परिसरों को विकसित करने की योजना के लिए विस्तृत अध्ययन किए गए हैं और साहिबगंज और गायघाट (पटना) में सुविधा स्थापित करने के लिए साइट प्रस्तावित हैं।

(क) **गायघाट परिसर**

- मेसर्स होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट डीपीआर प्रस्तुत किया गया है। मई 2018 में भाअजप्रा में इसकी विस्तार से जांच की गई और भाअजप्रा की टिप्पणियों को मई 2018 में सलाहकार के पास भेजा गया। सलाहकार द्वारा संशोधित डीपीआर और निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना के लिए सिविल निर्माण की अनुमानित लागत 5.60 करोड़ रुपए है।

(ख) **साहिबगंज परिसर**

- मेसर्स होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नवंबर 2016 में ड्राफ्ट व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
- सिविल निर्माण की अनुमानित लागत 140 करोड़ रुपए है।
- अधिगृहित की जाने वाली भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल 19.35 हेक्टेयर है। दिनांक 05.11.2018 को जिला प्रशासन साहिबगंज में याचिका दायर की गई थी।
- भाअजप्रा ने परामर्शदाता से साहिबगंज में जलजलयान की मरम्मत इकाई के लिए रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया और सलाहकार द्वारा इसे जमा कर दिया गया है।

III. संस्थागत सुदृढ़ीकरण और निवेश के माहौल में सुधार; जलयान डिजाइन और खरीद, परिसंपत्ति प्रबंधन, बाजार विकास और नागरिक निर्माण ढांचा आदि।

निम्नलिखित परामर्श चल रहे हैं और इस घटक के अंतर्गत खरीद कार्रवाई भी शुरू की गई थी, कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद कार्य में काफी हद तक प्रगति की जा रही है।

(i) **अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों की डिजाइन**

- अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों के डिजाइन के लिए नियुक्त सलाहकार, मेसर्स डीएसटी, जर्मनी ने अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों के 13 डिजाइन प्रस्तुत किए। इन मॉडलों का परीक्षण जर्मनी के नूर्नबर्ग में सलाहकार की इकाइयों में किया गया था। संभावित जलयान निर्माताओं के सार्वजनिक सूचना के लिए अनुमोदित डिजाइन भाअजप्रा वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।
- इस बीच, बाजार की स्थितियों के उचित मूल्यांकन के बाद, भाअजप्रा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भाअजप्रा के पास इन डिजाइनों के अनुरूप कम से कम एक जलयान होना चाहिए ताकि जलयान निर्माण गतिविधि शुरू की जा सके और निजी जलयान निर्माताओं/शिपर्स को उनकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया जा सके। तदनुसार, भारत में इन जलयानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ii) **रा.ज.–1 पर व्यावसायीकरण**

- रा.ज.–1 पर व्यावसायीकरण की योजना और कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त सलाहकार, मेसर्स हैम्बर्ग पोर्ट कंसल्टिंग ने राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के लिए व्यावसायीकरण पहलुओं को आरंभ करने के लिए भाअजप्रा द्वारा रा.ज.–1 पर कार्गो जलयानों के 20 प्रायोगिक नौवहन की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। इनमें से 18 प्रायोगिक नौवहनों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जलमार्ग विकास परियोजना इकाई द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित और कार्यान्वित किया गया था।
- भारत के कंटेनर अंतर्देशीय जलयान एमवी रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा एक प्रायोगिक गतिविधि शुरू की गई थी, जिसमें कोलकाता से वाराणसी तक भोजन और स्नैक्स के 16 कंटेनर (16 ट्रक लोड के बराबर) से युक्त कंटेनर कार्गो का परिवहन किया गया था। यह कंटेनर जलयान 12 नवंबर, 2018 को वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त किया गया था।

(iii) **रा.ज.–1 पर नौका सेवाओं का विकास।**

- रा.ज.–1 पर फेरी सेवाओं के विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त सलाहकारों, मेसर्स थॉम्पसन डिजाइन ग्रुप और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी/आईएएल, को वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता और हल्दिया शहरों में सड़क यातायात को कम करने के लिए नौका सेवाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करनी थी।
- ग्रुप–ए सिटी अर्थात् वाराणसी और पटना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो गई है और ग्रुप–बी शहरों अर्थात् मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता और हल्दिया के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन और साइट विश्लेषण रिपोर्ट भी सलाहकारों द्वारा पूरी की गई है।

(iv) **संचार और आउटरीच कार्यक्रम**

- जेएमवीपी के लिए संचार आवश्यकता आकलन अध्ययन करने के लिए नियुक्त सलाहकार, मेसर्स. एएमएस कंसल्टिंग (पी) लिमिटेड, लखनऊ ने कई उपायों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के विभिन्न स्थानों पर 16 जुलाई से 09 अगस्त, 2018 तक 26-दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(v) **जेएमवीपी वेबसाइट की डिजाइन बनाना**

- जेएमवीपी के लिए वेबसाइट डिजाइन मेसर्स कॉम्पटन कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, कालकाजी, दिल्ली द्वारा की गई है।

(vi) **रा.ज.-1 में मौजूद डॉल्फ़िनों पर नौचालन गतिविधियों के प्रभाव पर अध्ययन के लिए परामर्श सेवाएं।**

- अध्ययन करने के लिए 20.12.2017 को मेसर्स ईक्यूएमएस को नियुक्त किया गया था। अध्ययन पूरा हो गया है और सलाहकार द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(vii) **रा.ज.-1 के लिए जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना।**

- मेसर्स किटको लिमिटेड, कोच्चि को 04.04.2018 को रा.ज.-1 के लिए जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना के लिए परामर्श सेवा प्रदान की गई, जिसकी लागत रुपए 69.47 लाख है। अध्ययन पूरा हो गया है और सलाहकार द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

(viii) **रा.ज.-1.के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन ढांचे का विकास**

- मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उद्यम; मेसर्स मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस सॉल्यूशंस बी.वी. और मेसर्स अद्वैत लीगल को, 13.02.2018 को रा.ज.-1 के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए, 7.95 करोड़ रुपए की लागत से परामर्श कार्य सौंपा गया था।
- सलाहकार ने जल मार्ग विकास परियोजना द्वारा निर्मित टर्मिनलों और संपत्ति के लिए पीपीपी रियायतग्राही को काम पर रखने के लिए आरएफक्यू, आरएफपी और अनुबंध प्रस्तुत किया है।

एमएमटी वाराणसी के संचालन के लिए प्रयास: परिसंपत्ति प्रबंधन सलाहकार ने बोली दस्तावेजों और मॉडल रियायत समझौतों आदि के विकास में सहायता की है। एमएमटी वाराणसी के लिए पीपीपी रियायतग्राही को काम पर रखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं।

पहला प्रयास

- ➢ वाराणसी एमएमटी के संचालन, प्रबंधन और विकास (ओएमडी मॉडल) के लिए आरएफक्यू 11 जुलाई 2018 को प्रकाशित किया गया था।
- ➢ आरएफक्यू के प्रत्युत्तर में चार आवेदन प्राप्त हुए और आरएफपी चरण के लिए पात्र पाए गए।
- ➢ बोली जमा करने के समय अर्थात 15 जनवरी, 2020 को कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी ।

दूसरा प्रयास

- ➢ इक्विप, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (ईओटी) मॉडल पर खरीद प्रक्रिया फिर से शुरू की गई थी ।
- ➢ आरएफपी के लिए बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी, 2021 निर्धारित की गई थी।
- ➢ केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी।
- ➢ चूंकि एक ही बोली प्राप्त हुई थी, अतएव भाअजप्रा बोर्ड के अनुमोदन से, बोलियों को फिर से आमंत्रित किया गया था।

एमएमटी साहिबगंज के संचालन के प्रयास: परिसंपत्ति प्रबंधन सलाहकार ने बोली दस्तावेजों और मॉडल रियायत समझौतों आदि के विकास में सहायता की है। एमएमटी साहिबगंज के लिए पीपीपी रियायतग्राही को काम पर रखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं।

पहला प्रयास

- ➢ साहिबगंज एमएमटी के संचालन, प्रबंधन और विकास (ओएमडी मॉडल) के लिए आरएफक्यू 14 अगस्त 2019 को प्रकाशित किया गया था।
- ➢ आरएफक्यू के प्रत्युत्तर में तीन आवेदन प्राप्त हुए।
- ➢ चूंकि केवल एक आवेदन पर्याप्त रूप से उत्तरदायी पाया गया था, अतएव पुन: निविदा प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

दूसरा प्रयास

- ➢ 30 मार्च 2021 को जमा करने की अंतिम तिथि के साथ दुबारा आरएफक्यू आमंत्रित किया गया था।

- केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ था।
- आरएफक्यू चरण में एक ही आवेदन प्राप्त होने के कारण, प्रतिस्पर्धी मूल्य बोली सुनिश्चित करने के लिए निविदा रद्द कर दी गई थी।

एमएमटी हल्दिया के संचालन के लिए प्रयास : परिसंपत्ति प्रबंधन सलाहकार ने बोली दस्तावेजों और मॉडल रियायत समझौतों आदि के विकास में सहायता की है। एमएमटी हल्दिया के लिए पीपीपी रियायतग्राही को काम पर रखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं।

- हल्दिया एमएमटी ईओटी परियोजना के लिए निविदा 14.05.2020 को प्रकाशित की गई थी।
- बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख 21.01.2021 थी।
- बोलियां प्राप्त हुईं और सभी चारों बोलियां तकनीकी रूप से योग्य पाई गईं।
- सुरक्षा मंजूरी प्रतीक्षित है।

(ix) **जेएमवीपी के अंतर्गत सिविल कार्यों के निष्पादन के लिए तकनीकी सहायता सेवाएं**

- मेसर्स एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और एजिस फ्रांस इंटरनेशनल के संयुक्त उद्यम को 22.01.2018 को वाराणसी-साहिबगंज खंड पर सिविल कार्यों के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं के लिए परामर्श अनुबंध सौंपा किया गया था।
- मेसर्स आर्किटेक्रो कंसल्टेंट्स (आई) प्रा. लिमिटेड, भुवनेश्वर और मेसर्स आईआर क्लास सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स प्रा. लिमिटेड, मुंबई के संयुक्त उद्यम को 08.11.2017 को फरक्का–हल्दिया खंड पर सिविल कार्यों के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं के लिए परामर्श अनुबंध सौंपा गया था।
- मेसर्स आईएनआरओएसएस लेकनर एसई जर्मनी को 06.01.2020 को चल रहे ड्रेजिंग अनुबंधों अर्थात् फरक्का–कहलगांव, सुल्तानगंज–महेंद्रपुर, महेंद्रपुर–बाड़ और रा.ज.–1 पर आगामी ड्रेजिंग अनुबंधों के पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी सहायता सलाहकार नियुक्त किया गया।

(XI) **साहिबगंज के लिए पुनर्वास कार्य योजना का कार्यान्वयन**

एनजीओ मेसर्स क्रैडल को 16 दिसंबर, 2019 को साहिबगंज में पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किया गया है। एनजीओ ने निरीक्षण रिपोर्ट, माइक्रो–प्लान, आजीविका कार्य योजना, पीएएफ को आईडी कार्ड का वितरण प्रस्तुत किया है और परामर्श अध्ययन प्रगति पर है।

(XII) **जेएमवीपी में अतिरिक्त हस्तक्षेप के लिए ईएसआईए, ईएमपी और आरएपी**

मेसर्स इको -केम सेल्स एंड सर्विसेज को ईएसआईए , ईएमपी और आरएपी के लिए परामर्श का कार्य सौंपा गया। सलाहकारों ने ईएसआईए ,ईएमपी और आरएपी रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया है। अध्ययन प्रगति पर है।

जलमार्ग विकास परियोजना – II (अर्थ गंगा कार्यक्रम)

माननीय प्रधानमंत्री ने 14 दिसंबर, 2019 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में एक समग्र सोच प्रक्रिया के लिए आग्रह किया, जिससे 'नमामि गंगे' को 'अर्थ गंगा' के रूप में विकसित किया जा सके।

जलमार्गों के विकास से नदी के दोनों किनारों के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री ने "अर्थ गंगा" की अवधारणा की है। नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को ऊर्जा देने की योजनाएँ चल रही हैं।"

'अर्थ गंगा' का तात्पर्य गंगा और उसके आसपास की आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित एक सतत विकास मॉडल से है। अर्थ गंगा स्थायी आय की धाराएं पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि जल मार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी को व्यावसायिक रूप से टिकाऊ और सुरक्षित नौवहन मोड के रूप में विकसित करना है। चूंकि, गंगा नदी के किनारे आर्थिक विकास को बनाए रखने और तेज करने के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रणालियां एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं, इसलिए, जेएमवीपी में गंगा नदी के साथ आर्थिक गतिविधियों को व्यापक रूप से व्यवस्थित करने और इस प्रकार अर्थ गंगा के उद्देश्य के साथ संरेखित करने की क्षमता है।

विकास की संभावनाएं

जल मार्ग विकास परियोजना (गंगा नदी) के साथ अर्थ गंगा योजना के अंतर्गत विकास को 3 व्यापक श्रेणियों में परिकल्पित किया जा सकता है:

(क) घरेलू एवं क्षेत्रीय व्यापार	(ख) स्थानीय समुदाय का विस्तार	(ग) यात्री आवागमन सुविधा
• मल्टीमॉडल टर्मिनल और नौचालन लॉक • इंटरमॉडल टर्मिनल • रो-रो टर्मिनल • रसद केंद्र	• कृषि उपज के लिए लघु सामुदायिक घाट • फ़्लोटिंग टर्मिनल	• फेरी टर्मिनल • पर्यटक आधारित टर्मिनल

स्थानीय समुदाय का विस्तार

बड़े माल की ढुलाई के लिए एक परिवहन साधन होने के अलावा, गंगा नदी छोटे दियारा किसानों को अपनी उपज को जलमार्ग के माध्यम से परिवहन करने का अवसर भी प्रदान करेगी, जो लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है। भाअजप्रा के आंतरिक संचार अध्ययनों में पाया गया है कि वाराणसी में कैथी से गेंदा, गाजीपुर और मुंगेर से सब्जियां, हाजीपुर से केला और पान और भागलपुर से फल जैसे उत्पादों को आसपास के शहरों में बहुतायत में ले जाया जाता है।

अर्थ गंगा का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गंगा के किनारे छोटे घाटों की स्थापना करना है। गंगा के किनारे के समुदाय भी राज्य आजीविका मिशनों और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसी अन्य योजनाओं के समन्वय में आजीविका बढ़ाने के लिए भाअजप्रा द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, गंगा नदी पर 19 तैरते हुए घाट भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग स्थानीय उत्पादों की आवाजाही के लिए किया जा सकता है

जेएमवीपी का अर्थ गंगा कार्यक्रम सतत विकास मॉडल के सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण पर विकसित किया जा रहा है, जो स्थानीय समुदायों को अपने माल और यात्रियों (पर्यटक सहित) के परिवहन के लिए अवसर प्रदान करके रा. ज. -1 के भीतरी इलाकों में और उसके आसपास आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। जलमार्गों के साथ-साथ कौशल विकास और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की क्षमता विकास निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए:

गंगा पट्टी के आसपास रहने वाले किसानों ,व्यापारियों और जनता को आर्थिक लाभ;

लघु उद्योगों का विकास;

#	परियोजना घटक	अनुमानित लागत
1.	फेयरवे विकास (उप घटक)	225

2.	चैनल स्थिरीकरण कार्य (उप घटक)	75
3.	नदी सूचना प्रणाली और डीजीपीएस (उप घटक)	50
4.	रिवर चार्टिंग और जलीय उपकरण, एचडीपी सॉफ्टवेयर, स्वचालित गेज स्टेशन (उप घटक – क)	61
5.	फरक्का में मौजूदा नौचालन लॉक का आधुनिकीकरण (उप घटक – क 4)	100
6.	रो-रो टर्मिनलों का निर्माण (उप घटक –क 5)	25
7.	सामुदायिक घाट (निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा) (उप घटक – क5)	120
8.	मौजूदा घाटों का आधुनिकीकरण (उप घटक –क 5)	30
9.	अजप प्रचार (उप घटक – ख2)	20
10.	परामर्श/अध्ययन पीएमसी आदि (उप घटक –क 1)	30
11.	लागत में वृद्धि	10
कुल		746

रोजगार के अवसर;
कार्गो का आसान, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन;

छोटे घाटों के माध्यम से बेहतर लॉजिस्टिक्स; तथा
कार्गो आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स मोड का व्यापक विकल्प

अर्थ गंगा के भाग के रूप में पहचाने गए घटक गंगा जेएमवीपी के उपसेट हैं और जेएमवीपी के स्वीकृत दायरे और उद्देश्यों के भीतर हैं। परियोजना की परिकल्पना जेएमवीपी की बचत से की गई है, जिसकी कुल लागत 746.00 करोड़ रुपए को "अर्थ गंगा" कार्यक्रम के प्रासंगिक घटकों का समर्थन करने के लिए उपयोग करने का इरादा है, जिसे दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना है। जेएमवीपी उप घटक से प्राप्त "अर्थ गंगा" परियोजना के प्रमुख घटकों की गणना निम्नानुसार की गई है:

चूंकि, गंगा नदी के किनारे आर्थिक विकास को बनाए रखने के साथ-साथ तेज करने के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रणालियां एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं, इस संबंध में, जेएमवीपी में गंगा नदी के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को व्यापक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता है, इस प्रकार यह अर्थ गंगा कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुरूप है।

गंगा नदी के किनारे उपयोगकर्ता के अनुकूल छोटे सामुदायिक घाटों के निर्माण से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नदी के किनारे/उसके आसपास पर्यटन सहित सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। गंगा नदी के तट पर ये सामुदायिक घाट स्थानीय उपज की आवाजाही में किसानों की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेंगे।

यह कार्यक्रम अगले 5 वर्षों में स्थानीय लोगों, व्यापारियों, नाविकों, लघु उद्योगों, नौका संचालकों आदि के लिए आर्थिक लाभ उत्पन्न कर गंगा बेसिन में आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करेगा। यह परियोजना बड़े पैमाने पर कौशल वृद्धि और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की क्षमता विकास को भी सुनिश्चित करेगी।

कोविड–19 महामारी ने जल मार्ग विकास परियोजना की प्रगति को प्रभावित किया:

सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की कठिनाई को कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी तालाबंदी लागू की गई थी, अप्रत्याशित घटना के समय लागू किये गए निषेधों से जलमार्ग विकास परियोजना के सभी चल रहे निर्माण स्थलों के कार्य को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया था। ।

प्रगति को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारण निम्नलिखित हैं।

- आपूर्ति–श्रृंखला प्रबंधन में व्यवधान के कारण कच्चे माल की प्रदायगी में देरी हुई है।
- कार्यबल की कमी और श्रम के प्रवास आदि की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।
- कोविड–19 संगरोध प्रतिबंधों का कार्यान्वियन
- यात्रा प्रतिबंधों के कारण विभिन्न राज्यों में कारखानों के दूरस्थ स्थान पर स्थित सामग्रियों के निरीक्षण में देर हुई है।
- कोविड–19 के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्र के खुलने के कारण निर्माण की धीमी प्रगति
- कोविड–19 के लिए एसओपी और दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वियन के कारण निर्माण प्रगति धीमी रही, जहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, तापमान जांच आदि का पालन किया जाता है।
- श्रम बल की उत्पादकता में 40 से 60 प्रतिशत की गिरावट आई।
- लॉकडाउन लागू होने के कारण शुष्क महीने की अवधि में साइट पर आयोजित की जाने वाली गतिविधि को मानसून की अवधि में किया गया था, इसलिए इसमें देरी हो रही है।
- औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी के कारण निर्माण कार्य ठप रहे।
- कोविड ने साइट पर कामगारों के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और क्वारंटाइन सहित उनके ठीक होने में लंबा समय लगा है।

साइट पर संविदाकार कोविड–19 की रोकथाम के लागू दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं।

Samsung Triple camera

17. वित्तीय प्रदर्शन

आय व्यय:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से रु. 53112.30 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। रु. 1950.05 लाख की राशि प्राधिकरण द्वारा अल्पावधि जमा पर ब्याज, टेंडर फार्मो की बिक्री, बड़े आकार के कार्गो/सामान्य कार्गो की ढुलाई, बर्थिंग/पायलटेज प्रभार आदि से अर्जित की गई थी। मुख्य योजनावार व्यय नीचे दिया गया है :–

(लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय	
		पूर्व वर्ष 2019-20	चालू वर्ष 2020- 21
1	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–1**		
(i)	नदी संरक्षण /फेयरवे	3776.16	2736.48
(ii)	टर्मिनल का निर्माण और अनुरक्षण	6497.56	2142.06
(iii)	24 घंटे सुरक्षित नौचालन	865.84	583.27
(iv)	आरआईएस स्टेशन की स्थापना	143.40	15.09
(v)	आरओ–पैक्स जलयान का अधिग्रहण	3776.72	7.05
(vi)	निनी	219.06	205.53
(vii)	कार्गो / अजप को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां	231.91	94.43
(viii)	फ्रेट विलेज	78.80	128.38
	उप–योग	**15589.45**	**5912.29**
2	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–2**		
(i)	नदी संरक्षण /फेयरवे	2214.72	1379.81
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण एवं रखरखाव	550.43	400.93
(iii)	अजप टर्मिनल का विकास		498.00
(iv)	आरओ–पैक्स जलयान का अधिग्रहण	2086.31	7.05
(v)	24 घंटे सुरक्षित नौचालन	0.00	432.70
(vi)	डीजीपीएस स्टेशन की स्थापना	0.13	0.00
(vii)	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यय	1.97	2.57
(viii)	प्रोटोकॉल मार्ग का विकास	270.63	320.49
(ix)	कार्गो जलयान और अजप को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां	304.23	526.67
(x)	राष्ट्रीय जलमार्गो (एनईआर) के लिए टीईएफ / डीपीआर / सीआरजेड / अध्ययन	248.86	45.87
(xi)	परामर्शी शुल्क और पीएमयू व्यय	164.79	0.00
	उप–योग	**5842.07**	**3614.09**
3	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–3**		
(i)	नदी संरक्षण /फेयरवे	399.67	415.62
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण	114.80	7.39
(iii)	लॉक का निर्माण एवं मरम्मत	796.66	861.66
(iv)	आरओ–पैक्स जलयान का अधिग्रहण	1295.82	606.92
(v)	24 घंटे सुरक्षित नौचालन	0.00	260.67
	उप–योग	**2606.95**	**2152.26**
4	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–4**		
(i)	विकास कार्य	413.43	295.75

(ii)	फ्लोटिंग स्टील पांटून का निर्माण	27.81	0.00
	उप–योग	**441.24**	**295.75**
5	**राष्ट्रीय जलमार्ग सं.–5**		
(i)	विकास कार्य	329.60	212.57
	उप–योग	**329.60**	**212.57**
6	**जलमार्ग विकास परियोजना**		
(i)	पट्टा भूमि हल्दिया	1365.82	34.00
(ii)	परामर्शी व्यय तथा पीएमयू व्यय	2617.16	2355.94
(iii)	टर्मिनल सुविधा खर्च	0.00	
(iv)	भूमि अधिग्रहण–साहिबगंज	0.00	
(v)	रा.ज.–1 के फरक्का कहलगांव में नौचालनात्मक अनुरक्षण	6170.48	5841.86
(vi)	हल्दिया मल्टी–मोडल टर्मिनल का निर्माण	20191.15	5003.14
(vii)	मल्टी–मोडल का निर्माण–साहिबगंज	4573.81	1441.47
(viii)	मल्टी–मोडल का निर्माण–वाराणसी	756.69	0.00
(ix)	नए नौचालनात्मक लॉक फरक्का का निर्माण	8732.07	5982.54
(x)	भूमि अधिग्रहण–राम नगर	0.00	146.01
(xi)	कालूघाट टर्मिनल हेतु अध्ययन	1775.58	600.14
	उप–योग	**46182.76**	**21405.10**
7	आई.टी. गतिविधियों का खर्च	45.69	80.07
8	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	0.00	330.65
9	अजप विकास निधि	221.60	210.79
10	स्थापना	4380.88	4340.66
11	निदेशक, पत्तन और अजप		270.00
12	बॉण्ड संबंधित खर्च	7643.34	7624.77
13	मॉर्मुगाव पत्तन न्यास	815.04	0.00
14	इनको मेकेल प्रा. लि.	71.78	14.22
15	नए राष्ट्रीय जलमार्ग	1144.35	339.93
	उप–योग	**14322.68**	**13211.09**
	सकल योग	**85314.75**	**46803.15**

18. प्राधिकरण में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः

प्राधिकरण अपने सभी कार्यकलापों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रगामी रूप में कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समय–समय पर हिन्दी कार्यशालाएं और अन्य संबंधित कार्यकलाप आयोजित किए गए। प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह/ पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्राधिकरण को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) (कार्यालय), नौएडा के सभी सदस्य कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति को कार्यान्वित कराने का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष नराकास (कार्यालय), नौएडा के अध्यक्ष हैं। नराकास (कार्यालय), नौएडा के विभिन्न सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए अर्द्धवार्षिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई। सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और अन्य संबंधित गतिविधियाँ नराकास (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में हिन्दी विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर प्रत्येक वर्ष 'हिन्दी प्रतिभा पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है।

19. कार्मिक और प्रशासन :

यथा दिनांक 31.03.2021 को मुख्यालय में 40 अधिकारी एवं 60 स्टाफ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 30 अधिकारी एवं 163 स्टाफ कार्यरत थे।

131

आभारोक्ति

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए अमूल्य सहयोग एवं योगदान के लिए कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त करता है।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य सरकारी विभागों/अभिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निमित्त

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

20. **31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र**

(राशि रूपए में)

विवरण	विवरण	विवरण	विवरण
I. निधि के स्रोत			
(i) आधारभूत निधि/पूंजी	3		
(क) भाअजप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(ग) के तहत पूंजी		94,37,244.00	94,37,244.00
(ख) भाअजप्रा अधिनियम की धारा 19 के तहत भाअजप्रा निधि		19,81,20,59,194.00	17,76,42,89,668.00
(ii) आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	4	-	-
(iii) निर्धारित/अक्षय निधि	5	-	-
(iv) गैर चालू देयताएं एवं प्रावधान			
(क) दीर्घावधि उधार राशियां	6	10,00,00,00,000.00	10,00,00,00,000.00
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	7	76,61,53,575.00	72,30,49,770.00
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	8	1,79,47,467.00	1,65,57,618.00
(v) चालू देयताएं एवं प्रावधान			
(क) अल्पावधि उधार राशियां	9	25,09,66,575.00	25,16,27,916.00
(ख) विविध जमाकर्ता	10	84,54,40,716.00	1,83,92,68,669.00
(ग) अन्य चालू देयताएं	11	1,24,70,03,429.00	80,83,90,903.00
(घ) प्रावधान	12	5,58,48,466.00	1,07,91,641.00
कुल		**33,00,48,56,666.00**	**31,42,34,13,429.00**
II. निधि का प्रयोग			
(i) स्थायी परिसंपत्तियां	13		
(क) मूर्त परिसंपत्तियां सकल ब्लॉक		17,15,17,40,311.00	16,73,47,60,431.00
घटाएं : मूल्यह्रास		(3,60,12,25,019.00)	(3,21,09,81,476.00)
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां सकल ब्लॉक		1,48,11,743.00	1,47,40,301.00
घटाएं : मूल्यह्रास		(1,33,73,799.00)	(1,23,38,199.00)
(ग) चालू पूंजीगत कार्य	14	13,51,55,37,060.00	11,49,81,46,365.00
(घ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	14	-	

(ii) गैर चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम			
(क) गैर चालू निवेश	15	12,56,08,484.00	10,42,35,203.00
(ख) जमाएं, ऋण एवं अग्रिम	16	2,98,17,38,737.00	1,71,87,48,100.00
(ग) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	17	8,31,62,116.00	18,09,13,276.00
(घ) विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाता नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)			
(iii) चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम			
(क) चालू निवेश	18	(16,79,181.00)	2,13,73,281.00
(ख) माल सूची	19	2,05,25,481.00	2,22,91,414.00
(ग) विविध देनदार	20	15,10,82,029.00	11,95,32,070.00
(घ) नकद तथा नकद समतुल्य	21	2,29,70,87,672.00	2,71,02,16,410.00
(ङ) जमाएं, ऋण एवं अग्रिम	22	17,17,64,749.00	1,51,15,75,773.00
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	23	10,80,76,283.00	1,02,00,480.00
कुल		**33,00,48,56,666.00**	**31,42,34,13,429.00**
टिप्पणी : (क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (ख) लेखा संबंधी टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग है	1 2	-	-

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

21. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा

(राशि रूपए में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. आय			
(क) राजस्व अनुदान/सहायता			
– केंद्रीय सरकार से		1,17,62,30,000.00	1,20,17,65,000.00
– राज्य सरकारों से			
– अंतर्राष्ट्रीय संगठन			
– अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
(ख) भाअजप्रा निधि से अंतरित		37,79,71,573.00	32,15,76,653.00
(ग) अन्य आय (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)			
कुल आय (क)		**1,55,42,01,573.00**	**1,52,33,41,653.00**
II. व्यय			
(क) प्रचालनात्मक एवं रखरखाव खर्च	24	1,15,66,78,460.00	1,74,76,73,373.00
(ख) कार्मिक एवं प्रशासनिक खर्च	25	43,24,86,338.00	42,00,16,647.00
(ग) वित्त प्रभार	26	76,24,76,986.00	76,44,23,890.00
(घ) मूल्यह्रास	13	37,79,71,573.00	32,15,76,653.00
(ङ) सहायता		-	-
(च) अनुदान, सहायता आदि पर व्यय		-	-
कुल व्यय (ख)		**2,72,96,13,357.00**	**3,25,36,90,563.00**
व्यय से अधिक आय/अधिक व्यय यदि यह आय से अधिक हो (क–ख)		(1,17,54,11,784.00)	(1,73,03,48,910.00)
घटाएं/जोड़ें : पूर्व अवधि मद	27	(38,49,667.00)	(11,67,889.00)
घटाएं/जोड़ें : असाधारण मद			
घटाएं/जोड़ें : विशेष आरक्षित निधि को/से अंतरण (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)		-	-
घटाएं/जोड़ें : सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण			
शेष के अधिशेष/(कमी) होने के कारण भाअजप्रा निधि में अंतरित			
		(1,17,92,61,451.00)	(1,73,15,16,799.00)
टिप्पणी : (क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (ख) लेखा संबंधी टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग है	1 2		

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार) मुख्य लेखा अधिकारी / प्रभारी	(आशुतोष गौतम) सदस्य (वित्त)	(जयंत सिंह) उपाध्यक्ष	(संजय बंदोपाध्याय) अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

22. 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रूपए में)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
प्राप्तियां		
(I) प्रारंभिक शेष		
(क) उपूलब्ध नकद		
–भारतीय रुपए	27,492.00	33,876.00
–विदेशी मुद्रा	-	
(ख) उपलब्ध स्टाम्प	-	1,940.00
(ग) बैंक में जमा नकद	13,81,95,608.00	(93,00,176.09)
(घ) बैंक में अल्पावधि जमा	2,57,16,93,930.00	4,94,07,08,362.89
(ङ) मार्गस्थ विप्रेषण	-	-
(II) प्राप्त अनुदान		
(क) केन्द्र सरकार से	5,31,12,30,000.00	5,33,00,72,454.00
(ख) राज्य सरकार से	-	-
(ग) अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
(घ) **अन्य अनुदान** (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)	-	-
(III) उधार राशियों से प्राप्ति		
(क) बॉण्ड/प्रतिभूतियों से प्राप्ति		-
(ख) ऋण से प्राप्ति	-	-
(ग) **अन्य से प्राप्ति** (भाअजप्रा फण्ड एवं अन्य)	2,07,34,37,171.00	2,21,89,96,738.67
(IV) आंतरिक प्राप्ति		
(क) प्राप्त किराया		
– किराया आय (भवन)	73,78,200.00	85,65,773.00
– किराया आय (अन्य विनिर्दिष्ट करें)	-	5,34,885.00
(ख) प्राप्त ब्याज आय		
– अल्पावधि जमाओं पर ब्याज	7,16,55,705.00	20,36,31,213.17
– स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	-	

		2,256.00
– संग्रहण अग्रिम पर ब्याज	57,05,052.00	-
– प्राप्त अन्य ब्याज (विनिर्दिष्ट करें)	6,27,241.00	65,45,152.75
(ग) अन्य आंतरिक प्राप्तियां (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)		
–निवेशों से आय	-	-
–परामर्शी खर्च	-	3,647.00
–जलमार्ग प्रयोग प्रभार	21,85,762.00	40,47,523.00
–बर्थिंग प्रभार	1,54,56,319.00	20,79,000.00
–अनुकर्षण प्रभार	-	-
–पायलटेज प्रभार	6,01,501.00	8,03,581.00
–टर्मिनल प्रभार	39,42,163.00	7,43,06,079.64
–ट्रांजिट शेड प्रभार		
–बड़े आकार के सामान (ओडीसी) की ढुलाई	80,84,876.00	-
–क्रेन (पंटून क्रेन सहित) किराया प्रभार	2,11,701.00	-
–कंटेनर क्रेन प्रभार	-	-
–फोर्क लिफ्ट प्रभार		-
–जलयान को विद्युत आपूर्ति		-
–वार्फेज		-
–डेमरेज	-	-
–निविदा प्रपत्र की बिक्री	1,00,119.00	3,84,624.02
–प्रोटोकॉल शुल्क	27,97,600.00	3,662.24
–नौचालन चार्ट की बिक्री	-	68,350.00
–जलयान किराया प्रभार	6,27,82,129.00	-
–हॉस्टल आदि प्रभार	4,04,301.00	-
–ट्यूशन शुल्क	-	
–वर्दी शुल्क	-	
–स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	4,825.00	-
–प्राप्त सुरक्षा जमा	17,74,757.00	1,23,55,718.00
–प्राप्त बयाना राशि	29,77,016.00	2,73,27,851.36
–अग्रिमों की वसूली	14,81,851.00	1,12,44,823.61

–देनदार से प्राप्त	-	-
–एनपीएस ट्रस्ट से वसूली	-	-
–विविध प्राप्तियां	8,91,077.00	10,68,28,585.00
- अन्य आय	5,99,108.00	
कुल	**10,28,42,45,504.00**	12,93,92,45,920.26
विवरण	**चालू वर्ष**	**पूर्व वर्ष**
भुगतान		
(I) व्यय		
(क) प्रचालनात्मक तथा रखरखाव खर्च	3,69,56,53,405.64	4,08,19,65,972.94
(ख) कार्मिक खर्च	25,64,56,391.40	22,74,82,746.00
(ग) वित्त प्रभार	75,92,17,020.00	3,59,510.40
(घ) पूर्व अवधि खर्च	(3,51,579.67)	-
(II) उधार राशियों की चुकौती		
(क) बॉण्ड/प्रतिभूतियों की चुकौती	-	-
(ख) ऋण की चुकौती	-	-
(III) किए गए निवेश एवं जमा		
(क) निश्चित निधि में से	-	-
(ख) निजी निधि में से	-	-
(IV) स्थायी परिसंपत्तियों एवं चालू पूंजीगत कार्य पर व्यय		
(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	5,75,340.00	2,92,14,662.00
(ख) चालू पूंजीगत कार्य व्यय	25,22,24,511.67	40,83,00,000.00
(ग) फ्लोटिंग जेट्टियां	7,54,30,000.00	-
(V) ऋण एवं अग्रिम का भुगतान		
(क) गृह निर्माण अग्रिम	40,16,033.00	12,06,371.00
(ख) विभागीय अग्रिम	4,94,865.00	69,13,937.00
(ग) यात्रा अग्रिम	15,65,918.00	24,52,926.00
(घ) एलटीसी अग्रिम	4,04,202.00	29,614.00
(ङ) स्टाफ को मेडिकल अग्रिम	1,75,113.00	

		4,54,822.00
(च) पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) अग्रिम	(4,780.00)	-
(छ) स्टाफ को अन्य अग्रिम	-	76,27,891.00
(ज) आपूर्तिकर्ताओं एवं संविदाकर्ताओं को अग्रिम	7,61,17,455.00	34,28,90,537.00
(झ) जीपीएफ अंशदान को भुगतान		
(ञ)विभिन्न वसूली संबंधी भुगतान (दावे)		
(VI) अप्रयुक्त अनुदान/अनुदान की वापसी		
(क) भारत सरकार को	-	
(ख) राज्य सरकार को	-	
(ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	
(VII) अन्य भुगतान		
(क) प्रतिभूति जमा की वापसी	2,45,39,170.00	25,69,22,642.00
(ख) बयाना राशि की वापसी	85,94,375.00	4,18,77,961.00
(ग) प्रदत्त प्रतिभूति जमा	8,79,66,663.00	5,00,000.00
(घ) प्रदत्त शुल्क तथा कर	16,61,37,330.00	31,20,74,430.91
(ड.) पूर्वप्रदत्त व्यय	-	-
(च) पोत परिवहन मंत्रालय को भुगतान (आंतरिक प्राप्ति)	15,40,94,408.00	17,38,90,019.00
(छ) पेंशन अंशदान भुगतान		-
(ज) तीसरी पार्टी के एवज में भुगतान		-
(झ) जीपीएफ अंशदान को भुगतान	49,24,000.00	43,64,440.00
(ञ) जीपीएफ अग्रिम वसूली को भुगतान	-	78,432.00
(ट) रूके हुए करों का भुगतान	-	62,55,44,297.00
(ठ) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता को भुगतान	-	20,30,12,034.00
(ड) बॉण्ड संबंधित व्यय को भुगतान	33,189.00	41,986.00
(ण) संबंधित विभागों को विभिन्न वसूली का भुगतान	44,34,761.00	(72,09,539.00)
(त) प्रावधानों के लिए भूगतान	51,18,990.00	4,64,71,178.00
(थ) प्रोटोकॉल संबंधी व्यय	1,24,58,008.00	-
(द) अन्य व्यय	18,27,227.00	9,71,74,390.52
(ध) सहायता निधि को दान	-	-
(VIII) अंतिम शेष		
(क) उपलब्ध नकद		
–भारतीय रुपए	14,426.00	27,492.00

–विदेशी मुद्रा	-	-
(ख) उपलब्ध स्टाम्प	-	-
(ग) बैंक में जमा नकद	(22,83,63,422.00)	3,36,53,88,249.27
(घ) बैंक में अल्पावधि जमा	2,52,54,36,667.00	2,71,01,88,918.22
(ङ) मार्गस्थ विप्रेषण	-	
(च) अंतिम शेष – मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय	2,39,50,55,816.96	
कुल	**10,28,42,45,504.00**	**12,93,92,45,920.26**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

अनुसूची–1

23. ''महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां''

1. वित्तीय विवरणियों की तैयारी का आधार :

वित्तीय विवरणियों को भारत के सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है। ये सिद्धांत प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक कॉस्ट कन्वेंशन तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अन्यथा सूचित के अलावा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं। इन लेखांकन नीतियों और मानकों को नियमित रूप से लागू किया गया है।

भाअजप्रा अधिनियम 1985 की धारा 19 के तहत भाअजप्रा निधि :

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि का गठन अधिनियम की धारा 19 के तहत किया गया है। निधि में निम्नलिखित को जमा किया जाएगा :

क. परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने , विकसित करने तथा अवसंरचना सुविधा के रखरखाव के लिए सरकार (रों) से प्राप्त कोई अनुदान।

ख. भाअजप्रा अधिनियम के तहत प्राधिकरण को प्राप्त सभी शुल्क, प्रभार और अन्य आंतरिक प्राप्तियां।

ग. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से प्राधिकरण को प्राप्त सभी राशियाँ।

घ. प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य अनुदान।

ड. आय तथा व्यय लेखा का कोई अधिशेष।

निधि से निम्नलिखित को नामे डाला जाएगा अर्थात :

क. भारत सरकार को उनके अनुदेशों के अनुसार देय कोई राशि।

ख. अनुदान में से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के बराबर राशि।

स्थायी परिसंपत्तियों का बही मूल्य जो वर्ष के दौरान बेची/बट्टे खाते डाली जाती हैं तथा वे परिसंपत्तियां जो पूर्व में अनुदान में से खरीदी गई थी।

घ. 'आय तथा व्यय' लेखा का कोई घाटा।

सरकारी अनुदान :

राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान में कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन के व्यय और राजस्व अनुदान के रूप में विनिर्दिष्ट कोई अन्य अनुदान को 'आय तथा व्यय लेखा' में राजस्व अनुदान के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए अनुदान। सरकारी अनुदानों से संबंधित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, अवसंरचना के विकास और रखरखाव तथा इनसे संबंधित गतिविधियों को भाअजप्रा निधि में जमा किया जाएगा और ऐसे अनुदानों के लेखांकन को आस्थगित आय विधि से प्राधिकरण द्वारा अपनाया जाएगा।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (स्थायी परिसंपत्ति) :

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभिक तौर पर अधिग्रहण या निर्माण की लागत पर मापा जाता है जिसमें परिसंपत्तियों को स्थल पर लाने या इच्छित ढंग से प्रबंधन द्वारा प्रचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक

स्थिति के संबंध में आयी कोई प्रत्यक्ष लागत शामिल की जाएगी।

प्रारंभिक मान्यता मिलने के बाद स्थायी परिसंपत्ति की लागत निर्धारित की जाती है जिसमें संचयी मूल्यह्रास या परिशोधन और संचयी हानियाँ यदि कोई हो, तो उसकी कटौती की जाती है।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को स्वामित्व के अंतरण की तारीख में अथवा उपयोग में लाने की तारीख में, जो भी पहले हो, से पूंजीकृत किया जाएगा।

ग. पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है :
सामग्री की लागत, निर्माण या स्थापना पर खर्चे तथा स्थायी सम्पत्ति के निर्माण पर आए अन्य खर्चों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर है के रूप में पूंजीकृत होने की तिथि तक दर्शाया जाता है, जो कि निर्माण की प्रगति या स्थापना कार्य पर आधारित है।

घ. मूल्यह्रास या ऋण परिशोधन :

- मूल्यह्रास को सीधी रेखा प्रणाली के अनुसार प्रभारित किया गया है।
- मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट दरों तथा विधि से प्रदान किया जाता है। यह उपयोगी जीवन के उपयोग तथा अवशेष मूल्यों के आधार पर लाया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को भाअजप्रा बोर्ड द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किया जाता है।
- वर्ष के दौरान नई अधिगृहीत अथवा निपटान की गई परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यह्रास अनुपातिक समय समानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों को सीधी रेखा प्रणाली पर उनसे संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है, इसका प्रारंभ प्राधिकरण को उसके उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्ति की तारीख से होता है, परंतु दस वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं।

5. सामान सूची मूल्यांकन :

सामान सूची अर्थात भंडारों, कलपुर्जों तथा औजारों (मशीनरी कलपुर्जों सहित) की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

6. राजस्व निर्धारण :

समस्त राजस्व का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

7. निवेश :

''दीर्घावधि निवेश'' के रूप में वर्गीकृत निवेश को लागत पर किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर, इस तरह के निवेश की लागत को वहन करने के लिए कमी का प्रावधान किया गया है।

8. पट्टा :

पट्टा शर्तों के अनुसार पट्टा किराया को व्यय के रूप में रखा जाएगा।

9. सेवानिवृत्ति लाभ :

सभी कार्मिकों के लाभ हेतु प्रावधान प्रयोज्य लेखांकन मानक–15 के अनुसार प्रयोज्य किए जाते हैं।

10. पूर्व अवधि मद :

पूर्व अवधि मद आय और व्यय के रूप में रु. 25,000/– से अधिक होने पर एक या एक से अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण को तैयार करने में त्रुटियों या चूकों के परिणामस्वरूप मौजूदा अवधि में उत्पन्न होती है। आय और व्यय लेखे के विवरण में इस प्रकार अलग से प्रकट किया जाएगा कि प्रयोज्य लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा अधिशेष अथवा घाटे में उनका प्रभाव देखा जा सकता है।

11. व्यय का प्रबंधन :

जलीय सर्वेक्षण, अध्ययनों (अर्थात व्यवहार्यता अध्ययन, डीपीआर, ईआईए, एसआईए आदि), बंडालिंग, सतह–पैनलिंग, निकर्षण, प्रचालन एवं टर्मिनलों का प्रचालन एवं रखरखाव, चैनल मार्किंग में अस्थायी संरचना और जलयानों के अनुरक्षण और ऐसे अन्य व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा। चैनल मार्किंग, टर्मिनल निर्माण तथा भूमि, जलयानों की लागत, सर्वेक्षण लॉन्च, टग्स, बार्ज, निकर्षकों और ऐसे अन्य व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाएगा। जलमार्गों की विभिन्न परियोजनाओं पर हुए प्रशासन संबंधी व्यय, वेतन, मजदूरी, परिनियोजन के अनुसार संबंधित जलमार्गों को आबंटित किए जाते हैं।

12. अशोध्य या संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान :

प्रबंधन के अनुमान के आधार पर अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान स्वीकृत किए जाएंगे जो कि प्रबंधन के पूर्व अनुभव और देनदारों के साथ हुए किसी विवाद या घटना पर आधारित होंगे।

13. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तिया :

कोई प्रावधान तब स्वीकृत किया जाएगा यदि, पूर्व घटना के परिणामस्वरूप, प्राधिकरण के पास मौजूदा विधि दायित्व हो जिसका अनुमान विश्वसनीय आधार पर लगाया जा सकता है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभ का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित होगा। प्रावधानों का निर्धारण रिपोर्टिंग तिथि के समय दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्गमन के सर्वोतम अनुमान द्वारा किया जाएगा। जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो वहां आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकटन किया जा सकता है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब भी किया जाता है जब एक संभव देयता या एक मौजूदा देयता हो किंतु संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित नहीं हो सकेगा। आकस्मिक परिसंपतियां वित्तीय विवरणों में न तो मानी जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं।

14. विदेशी मुद्रा अंतरण :

विदेशी मुद्रा अंतरण की गणना स्थायी परिसंपत्तियों, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में या उनकी खरीद या अधिग्रहण के संबंध में अंतरण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार की जाती है।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार) मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी	(आशुतोष गौतम) सदस्य (वित्त)	(जयंत सिंह) उपाध्यक्ष	(संजय बंदोपाध्याय) अध्यक्ष

अनुसूची–2

24. 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार लेखा टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का अभिन्न भाग हैं

1. (i) वित्तीय वर्ष 2020–21 में, प्राधिकरण ने मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) तथा पूर्णकालिक सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित खर्च किए हैं :–

(आंकड़े रुपए में)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि (से–तक)	परिलब्धियां	यात्रा खर्चे	योग
1.	डॉ. अमिता प्रसाद	अध्यक्ष	अप्रैल 20 से मार्च 21	3159000	325995	3484995
2.	श्री प्रवीर पाण्डेय	उपाध्यक्ष	अप्रैल 20 से मार्च 21	3381965	337993	3719958
3.	श्री आलोक रंजन	सदस्य (वित्त)	अप्रैल 20 से अगस्त 20	1709904	-	1709904
4.	श्री शशि भूषण शुक्ल	सदस्य (यातायात और प्रचालन)	अप्रैल 20 से फरवरी 21	2827608	277017	3104625
5.	श्री संजय कुमार गंगवार	सदस्य (तकनीकी)	अप्रैल 20 से जनवरी 21	2835702	193967	3029669
6.	श्री आशुतोष गौतम	सदस्य (तकनीकी)	मार्च 21	368010	34981	34981
7.	श्री राजेश कुमार पाठक	सदस्य (वित्त)	अक्टूबर 20 से मार्च 21	1356767	103725	1460492
	योग			**15270946**	**1273678**	**16544624**
	योग (पूर्व वर्ष)			**16223011**	**6564025**	**22787036**

(ii) भाअजप्रा बोर्ड के किसी सदस्य पर कर्ज/ऋण/अग्रिम बकाया नहीं हैं।

2. आर्थिक कार्य विभाग ने अपने दिनांक 03.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.15(4)–बी(सीडीएन)/2015 के तहत भाअजप्रा को वर्ष 2016–17 के दौरान रु. 1,000.00 करोड़ की सीमा तक ईबीआर को अर्जित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था।

दिनांक 20.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.15(4)–बी(सीडीएन)/2015 के अनुसार, ''अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को अर्जित करने के लिए बॉण्ड जारी करने हेतु पृथक सरकारी गारंटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बॉण्ड सामान्य बजट के जरिए भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित (ब्याज का सिद्धांत) होंगे''।

पोत परिवहन मंत्रालय उपयुक्त रूप से अर्धवार्षिक ब्याज के भुगतान हेतु बजटीय प्रावधान करता है तथा बॉण्ड की

अवधि के दौरान खर्चों तथा अन्य विविध खर्चों को जारी करता है तथा परिपक्वता के समय मूलधन की चुकौती करता है।

भाअजप्रा ने इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.03.2017 को प्राइवेट प्लेसमेंट मोड में "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" के जरिए 10 वर्षों की अवधि के लिए 7.90 प्रतिशत (अर्द्ध वार्षिकी) कूपन दर पर रु. 340.00 करोड़ के ईबीआर सफलतापूर्वक अर्जित किए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राधिकरण ने पोत परिवहन मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुमोदित रु. 1000.00 करोड़ में से रु. 660.00 करोड़ के लिए पूर्व नियम एवं शर्तों पर ईबीआर अर्जित करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया। पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 27.07.2017 के पत्र सं. अजप/45/2016–अजप(खण्ड–।।) पार्ट, द्वारा सूचित किया कि मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए रु. 660.00 करोड़ के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) अर्जित करने के लिए अनुमति के पुनर्वैधीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भाअजप्रा ने इलेक्ट्रॉनिक बोली प्लेटफार्म पर दिनांक 11.10.2017 को प्राइवेट प्लेसमेंट मोड में "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड" के जरिए कूपन दर 7.47 प्रतिशत (अर्धवार्षिकी) पर 10 वर्ष की अवधि के साथ रु. 660.00 करोड़ के ईबीआर सफलतापूर्वक अर्जित किए। वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राधिकरण ने कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) अर्जित नहीं किया और अर्जित ईबीआर निधि का पूर्णतः उपयोग किया।

3. माननीय वित्त मंत्री द्वारा उनके जुलाई, 2014 के बजट भाषण में घोषित जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) में मूल रूप से रा.ज.–1 के समग्र प्रखंड (गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली–1620 कि.मी. के हल्दिया – इलाहाबाद प्रखंड) को विश्व बैंक के तकनीकी तथा निवेश समर्थन से रु. 4200 करोड़ की अनुमानित लागत पर छह वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने हेतु विचार किया गया था। उसके बाद, विश्व बैंक की अनुशंसा पर, हल्दिया–वाराणसी खंड पर परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था।

पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 15.10.2014 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) को जेएमवीपी की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के साथ नामित किया था। परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाएं की गई है :–

(i) भाअजप्रा मुख्यालय में पीएमयू की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा परियोजना निदेशक के रूप में की गई। परियोजना निदेशक को सदस्य (तकनीकी) उप परियोजना निदेशक के रूप में, मुख्य अभियंता परियोजना प्रबंधक के रूप में , मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासन, वित्त एवं लेखा, इंजीनियरिंग, प्रापण, विपणन एवं कारोबार विकास, पर्यावरण, सामाजिक विकास तथा संचार के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।

(ii) विवेचनात्मक परामर्श प्रदान करने तथा परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए भाअजप्रा के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारीगण, पोत परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के प्रतिनिधि परियोजना पर्यवेक्षण समिति में शामिल हैं।

(iii) पटना, कोलकाता, वाराणसी, साहिबगंज, फरक्का और हल्दिया में संबंधित निदेशकों के प्रभार के तहत परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को इंजीनियरिंग, भूमि अधिग्रहण, जीवन–यापन प्रबंधन, सामाजिक विकास आदि के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा सहायता दी गई।

पूर्व–निवेश गतिविधियों के रूप में, इंजीनियरिंग, फीड तथा सहायक कार्यों; ईएसआईए; तथा विपणन एवं कारोबार विकास के क्षेत्र में परामर्शदाताओं ने हल्दिया–वाराणसी प्रखंड पर अध्ययन किया। इन परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर, परियोजना के हल्दिया–वाराणसी प्रखंड संबंधी जेएमवीपी की अनुमानित लागत को संशोधित कर रु. 5369.18 करोड़ कर दिया गया था, यहि आगे परियोजना की मध्यावधि जाँच के दौरान संशोधित होकर रु. 4633.81 करोड़ हो गया। अब प्रस्तावित हस्तक्षेपों में 2.2 मी. से 3 मी. एलएडी तथा संपूर्ण प्रखंड के लिए 45 मीटर की सतह चैनल चौड़ाई प्रदान करने के लिए फेयरवे विकास; 5 मल्टीमॉडल/इंटरमॉडल टर्मिनलों का निर्माण; फरक्का में नये नौचालन लॉक का निर्माण आदि शामिल हैं। संशोधित परियोजना लागत में अर्थ गंगा के रु. 746 करोड़ शामिल हैं जो फेयरवे विकास, नदी प्रशिक्षण, विद्यमान फरक्का लॉक के आधुनिकीकरण, रो–रो टर्मिनल, सामुदायिक जेट्टी, फ्लोटिंग टर्मिनल इत्यादि से संबंधित हैं।

निम्नलिखित स्रोतों के जरिए परियोजना लागत को वित्त पोषित किया जा रहा है :–

(i) रु. 2125.37 करोड़ (यूएस डॉलर 317.22 मिलियन) का आईबीआरडी ऋण।

(ii) भारत सरकार प्रतिरूप निधियां (बॉण्ड जारी करके बजटीय संवितरण तथा प्राप्ति) : रु. 2207.58 करोड़ (यूएस डॉलर 329.49 मिलियन) और

(iii) पीपीपी मोड के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारीः रु. 300.86 करोड़ (यूएस डॉलर 44.90 मिलियन)।
दिनांक 27.09.2016 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आईबीआरडी ऋण घटक का मूल्यांकन किया गया था; विश्व बैंक तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 15.03.2017 को ऋण वार्ता आयोजित हुई थी; तथा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने दिनांक 12 अप्रैल 2017 को ऋण (ऋण संख्या 8752–आईएन) अनुमोदित कर दिया था। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 03.01.2018 को रु. 5369.18 करोड़ की अनुमानित लागत पर परियोजना कार्यान्वयन को अनुमोदित किया। विश्व बैंक और आर्थिक कार्य विभाग एवं भाअजप्रा के बीच दिनांक 02.02.2018 को 375.00 मिलियन यूएस डॉलर के आईबीआरडी ऋण से संबंधित ऋण करार तथा परियोजना करार हस्ताक्षरित किए गए और 23 मार्च, 2018 से ये दोनों दस्तावेज प्रभावित हो गए। परियोजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान परियोजना की अनुमानित लागत की जाँच करके दिनांक 11.06.2020 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को 4633.81 करोड़ रूपए की संशोधित अनुमानित लागत की जानकारी दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया। आगे, दिनांक 11.06.2020 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संशोधित लागत प्रस्ताव को विश्व बैंक भेज दिया गया है। दिनांक 03.09.2020 को विश्व बैंक द्वारा ऋण उपबंध में किए गए संशोधन को आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) भेज दिया गया है। ऋण समझौते के सक्रिय वित्त पोषण नियम के तहत, जेएमवीपी ने सीएएए को रु. 784.02 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया। इस रु. 779.22 करोड़ की राशि, जिसमें पूर्वव्यापी और परियोजना तैयारी अग्रिम भी शामिल है, को भारत के संचित कोष में मार्च, 2021 के अंत तक जमा किया गया है। उपरोक्त परियोजना के लिए प्राधिकरण को उक्त परियोजना हेतु बनाए गए बजट शीर्ष के तहत बजटीय संसाधनों के माध्यम से निधि प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2020–21 में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए रु. 261.50 करोड़ का स्वीकृत बजट प्राधिकरण को मिला।

जेएमवीपी की मुख्य परियोजनाएं जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन के अधीन हैं, इस प्रकार हैं : साहिबगंज में रु. 280.90 करोड़ की लागत पर मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण; हल्दिया में रु. 481.37 करोड़ की लागत पर मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण; तथा फरक्का में रु. 359.19 करोड़ की लागत पर नए नौचालन लॉक का निर्माण। उपर्युक्त के अलावा, क्रमशः फरक्का–कहलगांव, सुल्तानगंज–महेन्द्रपुर और महेन्द्रपुर–बाढ के बीच के प्रखण्डों के लिए रु. 150 करोड़, रु. 159.30 करोड़ और रु. 182.90 करोड़ की लागत पर एलएडी निकषर्ण का कार्य संविदा पर सौंपा गया है। परियोजना के सभी व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया है। परियोजना की शुरुआत से यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कुल रु. 190453.46 लाख (पिछले वर्ष रु. 169048.37 लाख) का व्यय किया गया जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु. 46182.74 लाख का व्यय किया गया।

4. 11 टर्मिनलों के लिए भूमि और संकरी कैनाल को चौड़ा करने हेतु भूमि की लागत के रूप में रु. 4816.19 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 4801.60 लाख) की राशि केरल सरकार को अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है। उपर्युक्त में से, 12.3589 हेक्टेयर भूमि को दिनांक 31.03.2021 तक रु. 2212.04 लाख के लिए पूंजीकृत किए गए। कैनाल को चौड़ा करने के लिए, रु. 1783.47 लाख की लागत पर 21.5305 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है। दिनांक 31.03.2021 तक जलमार्गों को चौड़ा करने के बाद भूमि जलमग्न हो जाती है, इसलिए रु. 1621.11 लाख की राशि राजस्व व्यय में डाली गई है। यदि केरल के विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के तहत ऐसा निर्देश मिलता है तो प्राधिकरण अधिगृहीत भूमि पर ब्याज तथा लागत में वृद्धि को अदा करने के लिए जिम्मेदार है। रु. 820.68 लाख की राशि केरल के विभिन्न जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध थे जिसमें मरडु टर्मिनल के लिए नई संपर्क सड़क हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए जमा रु. 797.72 लाख शामिल हैं।

5. सीपीडब्ल्यूडी को टर्मिनलों के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में रु. 3440.02 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 3440.02 लाख) की राशि प्रदान की गई है। रु. 2679.38 लाख की राशि को पूंजीकृत (टर्मिनल और भवन) तथा राजस्व व्यय के रूप में रु. 101.52 लाख को दिनांक 31.03.2021 तक दिखाया गया है। अभी तक रु. 603.98 लाख कायमकुलम टर्मिनल, संपर्क सड़क (रु. 389.00 लाख) तथा चावड़ा संपर्क सड़क एवं परिसर दीवार (रु. 214.98 लाख) के निर्माण हेतु चालू पूंजीगत कार्य के तहत दर्शाया गया है।

6. बोलघाटी तथा विलिंग्टन द्वीप समूह में जेट्टी के निर्माण के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) के पास जमा के रूप में रु. 1660.00 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 1660.00 लाख) की राशि भुगतान की गई है। इसमें से आज तक रु. 1575.02 लाख को पूंजीकृत किया गया है तथा शेष रु. 84.98 लाख सीपीटी के पास उपलब्ध है।

7. कार्यकारी अभियंता, हार्बर अभियांत्रिकी प्रभाग, असरामम, कोल्लम, केरल सरकार को कोविलथोट्टम, चावड़ा में पूरे राष्ट्रीय जलमार्ग–3 में एकल लाइन पुल के निर्माण हेतु अग्रिम के रूप में 138.75 लाख रुपए (पूर्व वर्ष रु. 138.75

लाख) की राशि प्रदान की और उसे पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया।

8. निदेशक, अंतर्देशीय नौवहन निदेशालय, असरामम, कोल्लम, केरल सरकार को राष्ट्रीय जलमार्ग–3 के थ्रीक्कुन्नाप्पुझा में नौचालन लॉक के पुनर्निर्माण हेतु रु. 169.02 लाख के ब्याज सहित रु. 3469.02 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में रु. 2411.97 लाख) जमा किए गए। दिनांक 31.03.2021 तक व्यय किए गए रु. 1397.99 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 536.32 लाख) को राजस्व व्यय के रूप मे दर्शाया गया है और रु. 169.02 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 111.97 लाख) दिनांक 31.03.2021 तक उपर्युक्त जमा पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं।

9. रा.ज.–3 के लिए 02 रो–रो जलयान के निर्माण हेतु मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लि. को लागत के रूप में रु. 2232.58 लाख (पूर्व वर्ष रु. 1638 लाख) जारी किए गए। यही चालू वित्तीय वर्ष में पूंजीकृत किया गया है।

10. रा.ज.–3 के चम्पाकारा कैनाल के दूसरी ओर एचटी लाइन्स की शिफ्टिंग पर मेसर्स केएसईबी लिमिटेड को रु. 515 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 515 लाख) निर्गत की गई है। 31.03.2021 तक रु. 259.97 लाख की राशि राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित की गई है।

11. गायघाट, पटना में कार्यालय भवन, चाहरदीवारी, जनरेटर कक्ष, तथा कार्यालय स्थल के पार्टिशन आदि के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी, पटना के पास रु. 706.22 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 706.22 लाख) की राशि जमा कर दी गई है। इसमें से, कार्य की वित्तीय प्रगति के अनुसार, रु. 674.36 लाख की राशि को पूंजीकृत कर दिया गया है तथा शेष रु. 31.86 लाख की प्राप्ति वर्ष के दौरान सीपीडब्ल्यूडी से हुए हैं।

12. मल्टी–मोडल टर्मिनल, साहिबगंज के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के लिए जिला भूमि अर्जन अधिकारी और उपायुक्त, साहिबगंज को अग्रिम के रूप में रु. 9353.24 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 9352.24 लाख) की राशि अग्रिम रूप में जारी की गई है। उपर्युक्त में से रु. 11719.36 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 11719.36 लाख) की 184.685 एकड़ भूमि ली गई जिसे रु. 2367.12 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 2367.12 लाख) दिनांक 31.03.2021 को भूमि लेने के विरूद्ध बकाया के लिए देयता के रूप में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापन हेतु जिला भूमि अर्जन अधिकारी और उपायुक्त, साहिबगंज को रु. 6767.22 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 6767.22 लाख) की राशि जारी की गई। उपर्युक्त में से रु. 4216.51 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 4216.51 लाख) की राशि को चालू पूंजीगत कार्य और शेष रु. 2550.71 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 2550.71 लाख) को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

13. भाअजप्रा के स्टाफ के लिए लाइट हाउस एवं लाइट शिप महानिदेशक (डीजीएलएल), पोत परिवहन मंत्रालय से दिसम्बर, 2002 में सेक्टर–34, नौएडा में 53 फ्लैट कुल अंतरण मूल्य रु. 225.28 लाख सहित अंतरण फीस, स्टाम्प शुल्क आदि पर लिए गए थे। शीर्षक विलेख अभी निष्पादित किया जाना है।

घरों की मुख्य मरम्मत करने के बाद, रु. 307.33 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 307.33 लाख) की राशि पूंजीकृत की गई है। तथापि, भाअजप्रा के नाम में फ्लैटों का अंतरण पंजीकृत नहीं हो सका था क्योंकि उन फ्लैटों का पंजीकरण प्रथम स्वामी डीजीएलएल के नाम में नहीं हुआ है। नौएडा को भूमि किराया आदि के भुगतान करने के लिए डीजीएलएल के साथ बातचीत के बाद, नौएडा के साथ प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के समय, फ्लैटों के पंजीकरण हेतु वास्तविक देयता पर ध्यान दिया जाएगा।

14. विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने मार्च, 2009 में एक करार के जरिए प्राधिकरण को कालादान नदी पर म्यांमार में सितवे और पलेत्वा के बीच मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन के लिए परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। इसे ''कालादान मल्टीमॉडल परियोजना'' के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त परियोजना दो चरणों में कार्यन्वित की जा रही है। चरण–। का कार्य दो भागों यथा (i) प्रारंभिक कार्य (ii) अतिरिक्त कार्य में निष्पादित किया गया है। पोर्ट एवं अजप घटक का प्रारंभिक तौर पर दिया गया कार्य पूरा हो गया है। चरण–। के तहत कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे– स्टाफ क्वार्टर्स, ढलान संरक्षण कार्य, तट रक्षण कार्य, ईंधन बंकरिंग स्टेशन, कार्यशाला आदि कार्य पूरे हो चुके हैं।

चरण–।। के कार्यों में सितवे तथा प्लेतवा में कंटेनर टर्मिनल का निर्माण, दो रेकों को हटाना चरण–। के कार्यों के तहत पूर्ण परिसंपत्तियों का ओएंडएम शामिल है। रेक हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण–। के तहत पोर्ट और केएमटीटीपी के आईडब्ल्यूटी घटकों के पूरे हुए परिसंपत्तियों को म्यांमार सरकार के विभागों द्वारा नियुक्त ऑपरेटर को दिनांक 31.01.2020 को सुपुर्द को किया गया और कार्य 01.02.2020 को प्रारंभ हुआ।

करार के अनुसार उपर्युक्त परियोजना विकास परामर्श खर्च विदेश मंत्रालय से प्राप्त परामर्शी शुल्क (परियोजना लागत का 6%) से वहन किया जाता है। चूंकि उपर्युक्त परियोजना पर प्राप्तियां तथा व्यय भाअजप्रा द्वारा प्राप्त अनुदान का हिस्सा नहीं है, परियोजना पर वार्षिक अधिशेष/घाटा भाअजप्रा निधि में नहीं लिया जा सकता है। कालादान परियोजना से संबंधित आय और व्यय परियोजना की स्थापना के बाद से भाअजप्रा के वार्षिक खातों में शामिल नहीं थे चूंकि अगर इसे शामिल किया जाता है, तो इससे आय और व्यय खाते के दोनों तरफ आंकड़े बढ़ जाएंगे और इसके वार्षिक अधिशेष / घाटे का हस्तांतरण होगा। भाअजप्रा फंड के लिए उचित नहीं है। प्राधिकरण पृथक रूप से परियोजना संबंधी लेखा बही अनुरक्षित करता है तथा स्वतंत्र सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा उस पर वार्षिक लेखों को विधिवत लेखा–परीक्षित करके प्रमाणित किया गया। वित्त वर्ष 2020–21 में पूंजी आरक्षित और अचल संपत्ति को छोड़कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के ऑडिट घटकों को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि यह प्राधिकरण के पूंजीगत अनुदान को प्रभावित करेगा, इसे वित्त वर्ष 2020–21 के लिए भाअजप्रा के वार्षिक खातों में शामिल किया गया है।

प्राधिकरण को विदेश मंत्रालय से रु. 3387.04 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 3387.04 लाख) प्राप्त हुए जिसमें रु. 2258.03 लाख का पीडीसी शुल्क, रु. 2904.98 लाख सेवाकर, रु. 211.44 लाख, जीएसटी रु. 171.75 लाख तथा दिनांक 31.03.2021 तक रु. 98.87 लाख के जलीय सर्वेक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। इसके अलावा, मुख्य रूप से परियोजना पर उत्पन्न बैंक ब्याज दिनांक 31.03.2021 तक रु. 271.95 (पूर्व वर्ष में रु. 256.04 लाख) लाख की आंतरिक प्राप्तियां हैं। उपर्युक्त में से रु. 3128.43 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान रु. 143.11 लाख की राशि (पूर्व वर्ष में रु. 226.17 लाख) का व्यय हुआ और रु. 15.91 लाख की राशि (पूर्व वर्ष में रु. 18.55 लाख) परियोजना पर आंतरिक प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुई।

परियोजना का वार्षिक लेखा स्वतंत्र सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखा–परीक्षित एवं प्रमाणित किया गया है जो **अनुबंध 'क'** के रूप में संलग्न है।

15. प्राधिकरण ने भाअजप्रा के कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी के नकदीकरण हेतु पाँच पॉलिसी ली हैं। एलआईसी ने सभी तीनों पॉलिसी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रदान किया है। यथा दिनांक 31.03.2021 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन हेतु रु. 16900.00 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 13725.00 लाख), ग्रेच्युटी हेतु रु. 1872.77 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 1870.94 लाख) तथा छुट्टी नकदीकरण हेतु रु. 1324.78 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 1220.06 लाख) की राशि अपेक्षित है।

प्राधिकरण ने दिनांक 25.03.2003 से प्राधिकरण के कार्मिकों के संबंध में पेंशन/ग्रेच्युटी निधि के प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए ''भाअजप्रा–कर्मचारी पेंशन निधि'' के नाम से एक न्यास की स्थापना की है। भाअजप्रा कर्मचारी पेंशन निधि तथा छुट्टी नकदीकरण का प्रबंध भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। भाअजप्रा–कर्मचारी पेंशन निधि खाता के अनुसार, क्रमशः रु. 16586.57 लाख तथा रु. 1822.96 लाख की निधि पेंशन तथा ग्रेच्युटी के लिए न्यास के पास उपलब्ध है तथा रु. 1236.29 लाख छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए एलआईसी के पास उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान पेंशन रु. 313.43, ग्रेच्युटी रु. 49.82, छुट्टी नकदीकरण रु. 88.49 हेतु प्रावधान दिया गया है।

बीमांकिक मूल्यांकन हेतु पूर्वानुमान हैं :–

मृत्यु दर	:	आईएएलएम (2006-08) अंततः
आहरण दर	:	सभी आयु हेतु 1% से 3%
छूट दर	:	7% प्रति वर्ष
वेतन में बढ़ोतरी	:	7% प्रति वर्ष

16. प्राधिकरण ने, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जिन्होंने प्राधिकरण से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प लिया था, को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) संबंधी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए हैं। प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ हेतु बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र देयता के अनुसार यथा दिनांक 31.03.2021 को रु. 232.01 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 206.97 लाख) अपेक्षित है। वित्त वर्ष 2020–21 में रु. 52.54 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 41.39 लाख) की राशि उपलब्ध कराई गई।

17. प्राधिकरण, तीन कंपनियों जिनके नाम हैं (i) मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लि., कोलकाता (ii) मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लि., कोलकाता और (iii) मैसर्स विवादा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लि., कोलकाता के साथ तीन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में शेयरधारकों के करार में शामिल हुआ था। मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लि., कोलकाता, के साथ शेयरधारकों के करार के अनुसार, प्रत्येक कंपनी की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी रु. 5.00 लाख थी तथा संयुक्त उद्यम भागीदारों के द्वारा 70 प्रतिशत तथा भाअजप्रा द्वारा 30 प्रतिशत के अनुपात में अंशदान किया जना अपेक्षित था। तदनुसार, प्राधिकरण ने मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लि., कोलकाता में प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी के रूप में प्रत्येक में रु. 1.50 लाख के अपने शेयर का अंशदान कर दिया था।

मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लि., कोलकाता जैसी फर्मों से दिनांक 22.8.2016 के पत्र तथा दिनांक 17.01.2017 की ई–मेल द्वारा उनके पास रोकी गई इक्विटी राशि के लेखों के निपटारे के लिए शीघ्र कार्रवाई करने तथा संयुक्त उद्‌यम के समापन का निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया गया था क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई थी।

प्रत्युत्तर में, मैसर्स शाही शिपिंग लि. (पूर्व में एसकेएस लॉजिस्टिक्स लि.) ने अपने दिनांक 16.06.2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि वे रॉयल लॉजिस्टिक्स तथा एसकेएस वाटरवेज जैसी संयुक्त उद्यम फर्मों को बंद करना चाहते हैं जिसके लिए उनकी ओर से आवश्यक औपचारिकताएं की जा रही हैं। तथापि, लेखों का निपटारा प्रतीक्षित है।

18. यथा दिनांक 31.03.2021 को भाअजप्रा पर आकस्मिक देयता वाले तथा भाअजप्रा द्वारा दावा मध्यस्थों के समक्ष चार मध्यस्थता के मामले लंबित हैं। ये हैं : i) रा.ज.–3 में निकर्षण कार्य ii) रा.ज.–5 में निकर्षण कार्य iii) रा.ज. –2 में स्लिपवे कार्य iv) जलयानों का निर्माण v) बराक में निकर्षण कार्य। वर्तमान में आकस्मिक देयता वाला एलएआर/एलएए से संबंधित एक मामला उप न्यायालय, केरल के पास लंबित है। लंबित न्यायालय मामलों की सूची उन पर देयता सहित निम्नलिखित सारणी के रूप में दर्शाए गए हैं :–

(करोड़ रु. में)

न्यायालय	मामले की सं.	भाअजप्रा पर देयता	भाअजप्रा द्वारा दावा
माननीय उच्चतम न्यायालय	04	-	-
एनजीटी, दिल्ली	02	-	-
एनजीटी, दक्षिणी अंचल चेन्नई	02	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली	04	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, केरल	13	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, पटना	04		-
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	12		-
माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	07		
माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी	07		-
माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद	02		-
माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास	01	-	-
जिला न्यायालय, वाराणसी	04	-	-
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांगीपुर, मुर्शीदाबाद	00	-	-
सीएटी, बैंगलोर	01		
लोअर कोर्ट, बालासोर	00	-	-
जिला न्यायालय/ सिटी कोर्ट गुवाहाटी	02		
सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, गुवाहाटी	01	-	-
एएलसी का कार्यालय, गुवाहाटी	02	-	-
उप–न्यायालय, पटना	01	-	-
सिटी कोर्ट, कोलकाता	03	-	-
सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कोलकाता	05	-	-
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, विशाखापत्तनम	01	-	-
मुंसिफ न्यायालय, केरल	04	-	-
मजिस्ट्रेट न्यायालय, केरल	01		
भाअजप्रा बनाम डीडीसीएल के बीच मध्यस्थता	01	-	-
भाअजप्रा बनाम मैसर्स नैप्चून मेरीटाइम के बीच मध्यस्थता	01	29.81	21.04

योजाका बनाम भाअजप्रा के बीच मध्यस्थता	01	12.89	13.60
रीच ड्रेजिंग लिमिटेड बनाम भाअजप्रा के बीच मध्यस्थता	01	78.63	68.71
रीच ड्रेजिंग बराक एसपीवी प्राइवेट बनाम भाअजप्रा के बीच मध्यस्थता	01	14.91	71.04
उप–न्यायालय, केरल (एलएआर/एलएए केस)	04	1.17	0.00
योग	**81**	**137.41**	**174.39**

19. प्राधिकरण को विभिन्न बजट शीर्षों के तहत अनुदान के रूप में रु. 53112.30 लाख प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण द्वारा रु. 23596.74 लाख का पूंजीगत व्यय तथा रु. 23554.91 लाख का राजस्व व्यय किया गया था। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने रु. 1950.05 लाख की आंतरिक प्राप्तियां सृजित की थी। इसे तब तक देयता के रूप में दर्शाया गया है जब तक पोत परिवहन मंत्रालय के तारीख 06.12.2013 के उनके पत्र संख्या जी–20017/7/2013–अजप के तहत दिए गए निदेशों के अनुसार भारत सरकार को वह राशि देय होती है। संक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार हैः–

वित्त वर्ष 2020–21 में प्राप्त निधि तथा व्यय का सार			
			(आकड़े लाख में)
विवरण			**कुल**
प्राप्त अनुदान			
(क) योजना	53112.30		
(ख) वित्त वर्ष 2019–20 का घाटा	(3777.75)		**49334.55**
घटाएं : किया गया व्यय			
(क) राजस्व व्यय	23554.91		
(ख) पूंजीगत व्यय	23596.74		**47151.65**

20. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, रु. 2995.98 लाख (पूर्व वर्ष रु. 3712.88 लाख) की आंतरिक प्राप्तियां सृजित की गई हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 06.12.2013 के पत्र सं0 जी–20017/7/2013–अजप के अनुसार उसे सरकारी खाते में जमा किया जाना है। आंतरिक प्राप्तियों की राशि को भारत सरकार की देयता के रूप में दर्शाया गया है। आंतरिक प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आंतरिक प्राप्तियां	राशि (रु. में)
1.	पायलटेज प्रभार	601501
2.	बर्थिंग प्रभार	15456319
3.	बड़े आकार के कार्गो से आय	6677053
4.	अन्य आय	599108
5.	प्रोटोकॉल फीस	2797600
6.	विविध प्राप्तियां	891077
7.	टर्मिनल से किराए की प्राप्ति	3942163
8.	निविदा प्रपत्र की बिक्री	100119
9.	पाठ्यक्रम फीस एवं हॉस्टल प्रभार निनी	404301
10.	शुष्क कार्गो	1407823
11.	पंटून भाड़ा प्रभार	211701
12.	जलयानों का किराया	62782129
13.	जलमार्ग प्रयोग प्रभार	2106258
14.	जमा राशि/निवेश पर ब्याज	83233472
15.	संग्रहण अग्रिम पर ब्याज	5705052
16.	किराया–भवन	7378200
17.	भंडारण और प्रचालन प्रभार	79504
18.	संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि	4825
19.	एचबीए इत्यादि पर ब्याज	627241

योग	195005446

21. नौएडा, एमएमटी हल्दिया, पतिखली टर्मिनल हल्दिया तथा प्रिंसेप घाट कोलकाता में पट्टा आधारित भूमि को प्रारंभिक भुगतान के आधार पर अधिगृहीत किया गया है। विशिष्ट वित्तीय वर्ष से संबंधित पट्टा किराये की राशि को संबंधित वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय के लिए प्रभारित किया गया है।

22. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वाटर एरोड्रोम की स्थापना के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे का काम डिपॉजिट बेसिस पर कार्य करने के लिए लिए सौंपा गया है। कार्य व्यापकता के अनुसार, निम्नानुसार 5 स्थान प्राधिकरण को सौंपे गए हैं :

(i) शत्रुंजय बांध – गुजरात
(ii) सरदार सरोवर बांध – स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – गुजरात
(iii) साबरमती रिवर फ्रंट – गुजरात
(iv) गुवाहाटी रिवर फ्रंट – असम
(v) उमरंगो जलाशय – असम

उपरोक्त कार्य के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) को रुपये 1183.70 लाख की अनुमानित राशि भेजी गयी थी और उसी पर सहमति बनी। उपरोक्त कार्य के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) से रु. 1003. 14 लाख की राशि अग्रिम के रूप प्राप्त हो गई है। मार्च, 2021 तक इस परियोजना के तहत रु. 833.91 लाख की राशि का व्यय किया गया है। शेष राशि को एएआई से प्राप्त अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

23. भाअजप्रा ने मार्च, 2017 में स्वरूपगंज, नदिया जिला (पश्चिम बंगाल) में लिए गए सेपरेट लैंड पार्सल के अग्रिम पट्टे किराए हेतु 30 वर्षों के लिए दीर्घावधि पट्टे पर रु. 2.17 करोड़ का भुगतान किया। इसे अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और अभी पट्टा करार केपीटी के साथ निष्पादित किया जाना है।

24. (i) आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने जुलाई, 2006 में निर्धारण वर्ष 1988–1989 से 1997–1998 (निर्धारण वर्ष 1990–91 को छोड़कर) के लिए निर्णय किया कि प्राधिकरण को मिलने वाले अनुदान राजस्व की प्रकृति के नहीं हैं और इसलिए कर योग्य नहीं हैं। आईटीएटी के आदेश को अमल में लाते समय, एसीआईटी, नौएडा ने नवम्बर, 2010 में नया निर्धारण आदेश जारी किया जिसमें प्राधिकरण की विविध प्राप्तियों को आय के रूप में माना गया है तथा शास्ति लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शास्ति सहित देय कर वसूल कर लिया गया है। उसके बाद, प्राधिकरण ने लगातार मामले को आईटीएटी, नई दिल्ली में अपील तथा काउंटर अपील के जरिए उठाया; सीआईटी (अपील), गाजियाबाद ने प्राधिकरण द्वारा विविध प्राप्तियों को आय के रूप में समझे जाने संबंधी एसीआईटी, नौएडा के आदेश को यथावत मानते हुए अपीलों को खारिज कर दिया था।

प्राधिकरण ने सीआईटी (अपील) के आदेश के विरूद्ध आईटीएटी, नई दिल्ली में एक अपील दाखिल की। आईटीएटी, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 21.11.2014 के आदेश के तहत इस विचार के साथ आदेश पारित किया था कि अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी करने के दौरान विविध प्राप्तियों को सरकार की ओर समायोजित/वापिस किया जाता है। इसलिए, उसे प्राधिकरण की आय के रूप में नहीं माना जा सकता। आईटीएटी, नई दिल्ली के आदेश को लागू करने के लिए मामला डीसीआईटी (छूट), गाजियाबाद के पास लम्बित है।

(ii) एसीआईटी, नौएडा ने नवम्बर, 2010 के नए निर्धारण आदेश में शास्ति लगाई तथा रु. 11.80 करोड़ की मांग की, जिसकी वसूली आयकर विभाग द्वारा कर ली गई है। आयकर विभाग द्वारा वसूल की गई राशि को उस विशेष वित्त वर्ष में प्राप्त अनुदान से प्रभारित किया गया था।

इसके पश्चात् एसीआईटी, नौएडा ने इस आशय के साथ आदेश जारी किया था कि आईटीएटी के निदेश को ध्यान में रखते हुए धारा–271 (1)(सी) के तहत शास्ति के नए अधिनिर्णय की आवश्यकता नहीं है। एसीआईटी, नौएडा के कथित आदेश के खिलाफ प्राधिकरण ने धारा–154 के तहत आईटीएटी, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार मामले की समीक्षा करने के लिए एसीआईटी, नौएडा/गाजियाबाद में एक आवेदन दाखिल किया था। प्राधिकरण द्वारा मामले को विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और वर्तमान में यह मामला डीसीआईटी, गाजियाबाद के पास लंबित है।

(iii) प्राधिकरण दिनांक 01.04.1998 से धारा 12ए के तहत पंजीकृत है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 10 (23सी) (iv) और (v) के तहत छूट प्राप्त है।

25. भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (आईबीपी)

(i) भारत तथा बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन तथा व्यापार प्रोटोकॉल नामक एक प्रोटोकॉल करार है जिसके तहत किसी भी देश के जलयान प्रत्येक देश के नदी मार्गों के विनिर्दिष्ट मार्गों के जरिए आवागमन कर सकते हैं। इन प्रोटोकॉल मार्गों के तहत प्रत्येक देश में छह (06) पोर्ट्स ऑफ कॉल थे तथा पाँच (05) और पोर्ट्स ऑफ कॉल सहित दो (02) और पोर्ट्स ऑफ कॉल का विस्तार करके जोड़ने से पोर्ट्स ऑफ कॉल की संख्या बढ़कर 11 हो गई। यह करार 2025 तक वैध है और भारत–बांग्लादेश व्यापार समझौते के अनुसार स्वतः नवीकरणीय है।

(ii) बांग्लादेश और भारत के पोत परिवहन सचिवों की 6–7 दिसम्बर, 2016 को ढाका में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच लागत को 80:20 के अनुपात में साझा करते हुए "प्रोटोकॉल मार्गों के दो प्रखंडों में अर्थात ज़ाकीगंज/करीमगंज से आशुगंज तथा सिराजगंज – दैखोवा के 470 कि.मी. में 2.5 मी. गहराई बनाए रखने हेतु निकर्षण किया जाना है"। निविदा को सभी करों सहित बीडीटी 322.95 करोड़ की कुल लागत पर बांग्लादेश सरकार द्वारा मैसर्स धरती – बंगा जेवी को 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। उपर्युक्त कार्य के लिए मैसर्स वापकोस को 30.12.2020 से पीएमसी के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्य 31 मार्च, 2019 से शुरु हुआ और प्रगति पर है। प्रथम दो वर्षों में प्रारंभिक ड्रेजिंग का काम मार्च, 2021 तक पूरा हो गया। अक्टूबर, 2021 से इसके जगह अनुरक्षण ड्रेजिंग (मानसून के बाद) किया जाएगा जो 2026 तक चलेगा। उपर्युक्त प्रोटोकॉल मार्ग के विकास से राष्ट्रीय जलमार्ग–2 के जरिए रा.ज.–1 वाराणसी तक तथा पटना (बिहार), साहिबगंज (झारखंड), हल्दिया (पश्चिम बंगाल) के रास्ते राष्ट्रीय जलमार्ग–16 के जरिए निर्बाध कनेक्टिविटी हो जाएगी।

भारत की ओर से भाअजप्रा इस परियोजना को नोडल एजेंसी के रूप में देख रहा है। संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें सदस्य (तकनीकी), भाअजप्रा, मुख्य अभियंता (प्रौद्योगिकी), भाअजप्रा, निदेशक (अजप), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, प्रथम सचिव, आईएचसी, ढाका शामिल हैं।

26. दिनांक 13.07.2020 को सरकारी गजट में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक लेखा अनुमोदित और अधिसूचित फॉर्मेट में तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण इसी आधार पर तैयार किया गया है।

27. संविदा पर सौंपी गई पूँजी की देयता, मार्च, 2021 के अंत में रु. 56152.61 लाख होने की उम्मीद है।

28. दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से उन्हें प्रदान किए गए कार्यों/ठेकों के एवज में सुरक्षा जमा, बयाना राशि तथा संग्रहण अग्रिम के लिए रु. 29089.78 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 31135.84 लाख) पर मूल्यांकित बैंक गारंटी प्राप्त हुई हैं।

29. दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के कब्जे में स्थान–वार भूमि/पट्टा भूमि का विवरण **"अनुबंध–ख"** में संलग्न है।

30. दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित स्थायी परिसंपत्तियों एवं उन पर मूल्यह्रास का विवरण **"अनुबंध–ग"** में संलग्न है।

31. वार्षिक लेखों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकंन मानकों के अनुसार यथासंभव तैयार किया गया है।

32. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, वहां उनका पुनर्समूहन तथा पुनर्वर्गीकरण कर दिया गया है।

33. सभी आंकड़ों को निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया है तथा कोष्ठक ( ) में ऋणात्मक आंकड़े दर्शाए गए हैं।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार) मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी	(आशुतोष गौतम) सदस्य (वित्त)	(जयंत सिंह) उपाध्यक्ष	(संजय बंदोपाध्याय) अध्यक्ष

25. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सनदी लेखाकार) (अनुबंध 'क')

ATUL K. GARG & CO.
Chartered Accountants
(A Peer Reviewed Firm)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने **भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कालादान परियोजना** के 31 मार्च, 2021 के संलग्न तुलन पत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके साथ संलग्न आय एवं व्यय लेखा का भी अंकेक्षण किया है। परियोजना प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अंकेक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. हम अपना अंकेक्षण भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसरण में संचालित करते हैं। इन मानकों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार अंकेक्षण करें कि यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरणों की सामग्री त्रुटि मुक्त है। अंकेक्षण में, जांच आधारित परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल हैं। अंकेक्षण में, उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के निर्धारण के साथ ही संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारा अंकेक्षण हमारी राय को एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करता है।

3. हम सूचित करते है किः

(i) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमें विश्वास है कि हमारी जानकारी में अंकेक्षण के प्रयोजन से आवश्यक थे;

(ii) हमारी राय में, जहां तक हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, परियोजना स्तर पर विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बही रखी गई हैं।

(iii) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा, परियोजना के लेखा बही के अनुरूप है।

(iv) हमारी राय में और हमारी जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखों के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अनुसूची एवं लेखों में अन्यथा मौजूद लेखों पर टिप्पणियां, भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उचित मत देते हैं:

(क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार परियोजना के मामलों की दशा के तुलन पत्र के मामले में;
(ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु अधिशेष/घाटा के आय और व्यय लेखा के मामले में।

कृते अतुल के. गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 15668एन)

सीए. डी. डी. गोयल
सहभागी
एम. नं. 090332
यूडीआईएन 21090332एएएबीपी9717

स्थानः नौएडा
दिनांक : 14.07.2021

एसएफ–1, द्वितीय तल, ऋषभ इपेक्स मॉल, आईपी एक्सटेंशन, (मैक्स अस्पताल के सामने) पटपड़गंज, दिल्ली – 110092
दूरभाष सं : 011–22246018, 47036029 मोबाइल सं : 9811040543 ई–मेल : ddgoel@gmail.com

भाआजप्रा–कालादान परियोजना
यथा दिनांक 31.03.2021 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

पूर्व वर्ष	देयता		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	आस्ति		चालू वर्ष
	पूंजीगत आरक्षित निधियां				**अचल परिसंपत्तियां**		
362,150	अचल परिसंपत्तियों हेतु पूंजी	362,150.00		362,150.00	सकल ब्लॉक	362,150.00	
326,051	घटाएं:– प्रतिस्थापन आरक्षित	329,802.00		326,051.00	घटाएं: मूल्यह्रास	329,802.00	
36,099	निधियां		32,348.00	36,099.00	निवल ब्लॉक *(अनुसूची I के संदर्भ में)*		32,348.00
	पूंजीगत आरक्षित निधियां				**नकद एवं बैंक शेष**		
4,485,152	व्यय/देय दावा		6,324,486.00	3,276,325.00	केनरा बैंक, नौएडा		7,835,743.00
48,601,160	विदेश मंत्रालय से प्रतिधारण निधि *(अनुसूची II के नोट 1 के संदर्भ में)*		36,717,364.00	500,154.00	पंजाब नेशनल बैंक, नौएडा		104,085.00
					अल्पावधि जमाएं		
				2,080,000.00	केनरा बैंक, नौएडा		16,000.00
198,708	जीएसटी पर देय टीडीएस		0.00	44,106,000.00	पंजाब नेशनल बैंक, नौएडा		34,959,000.00
				3,122,541.00	वसूली योग्य टीडीएस		127,022.00
53,321,119			**43,074,198.00**	**53,121,119.00**			**43,074,198.00**

0

अनुसूची–I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है

समतिथि की संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते अतुल के गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 015668एन)

कृते तथा भाआजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

सीए डी.डी. गोयल
सहभागी
एम. नं. 090332
यूडीआईएन 21090332एएएबीपी9719
स्थान: नौएडा
दिनांक : 14.07.2021

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

(एस.वी.के. रेड्डी)
मुख्य अभियंता

भाअजप्रा–कालादान परियोजना
यथा दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

पूर्व वर्ष	व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	चालू वर्ष
127,421	विशेषज्ञों को पारिश्रमिक	246,203	1,854,038	बैंक ब्याज	1,591,275
22,011,833	परामर्शी प्रभार	14,004,502	908	विविध प्राप्तियां	0
6,004	डाक, टेलीग्राम एवं टेलीग्राम	0	20,762,118	परामर्शी शुल्क *(अनुसूची II के नोट 2 के संदर्भ में)*	11,883,796
442,480	यात्रा खर्च – विदेशी	38,762			
20,807	लेखा परीक्षा शुल्क	20,904	3,751	प्रति के अनुसार प्रतिस्थापन आरक्षित निधि (प्रति के अनुसार मूल्यह्रास)	3,751
8,519	बैंक शुल्क	203			
3,751	मूल्यह्रास	3,751	0	पूर्ववर्ती समायोजन	835,503
22,620,815		**14,314,325**	**22,620,815**		**14,314,325**

अनुसूची–I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है

समतिथि की संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते अतुल के गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 015668एन)

कृते तथा भाअजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

सीए डी.डी. गोयल
सहभागी
एम. नं. 090332
यूडीआईएन 21090332एएएबीपी9719
स्थानः नौएडा
दिनांक : 14.07.2021

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

(एस.वी.के. रेड्डी)
मुख्य अभियंता

अनुसूची– I

भाअजप्रा–कालादान परियोजना

यथा दिनांक 31.03.2021 को अचल परिसंपत्तियों हेतु अनुसूची

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03. 2020 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	यथा 31.03.2021 को सकल ब्लॉक	मूल्यह्रास		कुल मूल्यह्रास	यथा 31.03.2021 को निवल ब्लॉक
						31.03.2020 तक	वर्ष में मूल्यह्रास		
1	फर्नीचर एवं फिक्सचर	103,334	-	-	103,334	79,408	3,751	83,159	20,175
2	कंप्यूटर	243,452	-	-	243,452	231,279	-	231,279	12,173
3	अस्थायी संरचना	15,364	-	-	15,364	15,364	-	15,364	-
	कुल	**362,150**	-	-	**362,150**	**326,051**	**3,751**	**329,802**	**32,348**

अनुसूची– II

यथा दिनांक 31.03.2021 के अनुसार लेखों का टिप्पणी अंश

1. भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच मुख्य भूमि भारत और उत्तर पूर्वी राज्य, विशेषकर मिज़ोरम के बीच एक वैकल्पिक परिवहन संबद्धता के विकास हेतु दिनांक 02.04.2008 के फ्रेमवर्क करार के अनुसार म्यांमार में कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना कार्यान्वित की जानी है। मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली द्वारा म्यांमार के जरिए पारगमन प्रस्तावित संबद्धता का महत्वपूर्ण भाग है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने नोडल एजेंसी के रूप में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 19.03.2009 के करार एवं दिनांक 28.04.2016 के पूरक अनुबंध द्वारा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में भाअजप्रा की जिम्मेदारी केवल पत्तन एवं अजप संघटकों के कार्यान्वयन की है। भाअजप्रा, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित प्रभावी अनुमानित लागत अथवा वास्तविक/निविदा लागत (जो भी कम हो) तथा अन्य सांविधिक करों के 6 प्रतिशत परामर्शी/प्रबंधन शुल्क के साथ परियोजना विकास परामर्शदाता होगा। परियोजना के विशिष्ट मील के पत्थर/प्रदेय के अनुसार भाअजप्रा को किश्तों में धन–राशि जारी की जाएगी। यह परियोजना पूरी तरह से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जानी है।

   यथा दिनांक 31.03.2021 को परामर्शी शुल्क हेतु विदेश मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम की स्थिति इस प्रकार हैः–

विवरण	राशि (रु.)
दिनांक 01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	**4,86,01,160**
जमाः वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय से प्राप्त निधि	0
परामर्शी शुल्क हेतु कुल निधि	**4,86,01,160**
घटाः वर्ष के दौरान प्रयुक्त (नीचे नोट 2 का संदर्भ लें)	1,18,83,796
विदेश मंत्रालय से अग्रिम शेष	**3,67,17,364**

2. वित्तीय वर्ष के दौरान उपगत व्यय की मात्रा हेतु परामर्शी शुल्क का हिसाब रखा गया है और उसे परामर्शी शुल्क हेतु ''विदेश मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम'' से समायोजित किया गया है।

3. अचल परिसंपत्तियों पर मूल लागत के पाँच प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के दृष्टिगत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपभोग अवधि पर एसएलएम पद्धति पर मूल्यह्रास दिया गया है। कंपनी ने परिसंपत्तियों की उपभोग अवधि को कंपनी अधिनियम, 2016 के अनुसार माना है। मूल्यह्रास पूरे क्रय वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है और परिसंपत्ति के प्रशमन/विक्रय वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाएगा।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते अतुल के गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 015668एन)

कृते तथा भाअजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

सीए डी.डी. गोयल
सहभागी
एम. नं. 090332
यूडीआईएन
21090332एएएएबीपी9719
स्थानः नौएडा
दिनांक : 14.07.2021

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

(एस.वी.के. रेड्डी)
मुख्य अभियंता

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

26. 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कार्यालय–वार भूमि विवरण

क्र. सं.	भूमि की अवस्थिति	अधिगृहीत भूमि (प्रति वर्ग मी0)	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ग मी0)	भाअजप्रा के नाम में निष्पादित स्वत्व विलेख	क्या परिवर्तन किया गया (हां / नहीं)	अतिक्रमण (यदि कोई है)	भूमि स्वत्वाधिकार पूर्ण स्वमित्व में या पट्टाधृत	टिप्पणी
कोलकाता कार्यालय								
क	टर्मिनल का परिचालन एवं रखरखाव							
1	हल्दिया अजप टर्मिनल	10319	10319	दिनांक 15.03. 1994 से प्रभावी पट्टा आधार	----	----		पट्टा अवधि 1994 – फरवरी 2016 । पट्टा किराया रु. 1.37 लाख प्रति महीने के दर से प्रति वर्ष रु. 16.41 लाख भुगतान किया जा रहा है। भाअजप्रा ने दीर्घकालिक पट्टे का अनुरोध किया। एचडीसी (केओपीटी) ने 30 वर्षों का प्रस्ताव दिया। मामला मुख्यालय के विचाराधीन है।
2	बीआईएसएन जेट्टी और जी.आर. जेट्टी–1	30409.64	30409.64		---- ----	---- ----	क्रय की गई	जमीन को पहले ही केओपीटी से भाअजप्रा को हस्तांतरित कर दिया गया है और बिक्री विलेख दिनांक 08.02.2020 को निष्पादित की गई है।
3	जी.आर. जेट्टी–।। टर्मिनल	14557	14557		---- ----	---- ----	क्रय की गई	
4	हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण	246858.155 (61एकड़)	246858.155 (61एकड़)	दिनांक 11.02. 2015 से 10.02. 2045 को लीज	---- ----	---- ----		30 वर्षों के दीर्घकालिक पट्टे के लिए एक बार में अपफ्रान्ट प्रीमियम के रूप में रु. 35,24,38,590/– का भुगतान केओपीटी को किया गया।

				डीड तैयार की गई				
5	स्वरूपगंज जेट्टी, डीजीपीएस स्टेशन, आरआईएस स्टेशन	2000	2000	28.02.2011 से प्रभावी पट्टा आधार	----	----		रु. 34275.00 प्रति माह केओपीटी को भुगतान किया गया
	स्वरूपगंज स्टोर नादिया, जिला प. बंगाल	290	290	18.08.2001 से प्रभावी पट्टा आधार	----	----		
					----	----		
		22.5	22.5	18.08.2002 से प्रभावी पट्टा आधार	----	----		
		25	25	01.01.2003 से प्रभावी पट्टा आधार	----	----		
					----	----		
6	बोटैनिकल गार्डन जेट्टी, जिला हावड़ा	996	996		----	----		दिसंबर, 2004 से कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया।
7	भाअजप्रा, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय कार्यालय भवन	941	941	07.01.2005	----	----		11 महीने के पट्टे के लिए लाइसेन्स फीस के रूप में रु. 1,06,300/–
8	प्रिंसेप घाट जेट्टी, कोलकाता	446.75	446.75	18.01.2021 से 17.01.2051	----	----	लागू नहीं	30 वर्षों के दीर्घकालिक पट्टे के लिए एक बार में अपफ्रान्ट प्रीमियम के रूप में रु. 2,73,72,520/– का भुगतान केओपीटी को किया गया।

ख	**फरक्का बैराज परियोजना**							
9	फरक्का में नए नौचालन लॉक (प. बंगाल)	14.86(हेक्टेयर)	544	03.02.2016	----	----		फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का से भाअजप्रा (पोत परिवहन मंत्रालय) में स्थानांतरण।
10	मौजूदा नौचालन लॉक	7.155(हेक्टेयर)	544	04.09.2018	----	----		फरक्का बैराज परियोजना द्वारा भाअजप्रा को सौंप दिया गया।
ग	**राज्य प्रशासन**							
11	शांतिपुर टर्मिनल, जिला नादिया	8000	240		----	----		अगस्त, 2008 में ली गई भूमि जिला मजिस्ट्रेट, नादिया (पश्चिम बंगाल) की ओर से निरूशुल्क उपलब्ध कराया गया।
घ	**निजी मालिक**							
12	कुमारपुर आरआईएस स्टेशन जिला मुर्शिदाबाद	919.12	399	11.01.2012	----	----		5 वर्षों के पट्टा किराया के आधार पर 30 वर्षों तक प्रत्येक 5 वर्षों के बाद 15 प्रति"त की वृद्धि से श्री तपस मंडल, सुपुत्र श्री श"गोपाल मंडल, गग्रम जोड़ पोस्ट कुमारपुर, पुलिस स्टे"ान बेलदंगा, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल–742189, मौजा–कुमारपुर, जेएल सं. 44 प्लॉट सं. 157 और 157/2560 दिनांक 01.11.2013 से प्रभावी है।
13	बलिया आरआईएस स्टेशन जिला मुर्शिदाबाद	539.99	472.5	11.01.2013	----	----		5 वर्षों के पट्टा किराया के आधार पर 30 वर्षों तक प्रत्येक 5 वर्षों के बाद 15 प्रति"त की वृद्धि से श्री असित घोष, सुपुत्र स्व. बंकिम चंद्र घोष, गग्रम जोड़ पोस्ट बलिया, पुलिस स्टे"ान सागर डिगही, पश्चिम बंगाल–742237, मौजा बलिया, जेएल सं. 140 प्लॉट सं. 2196 खाटियान सं. 886/हल खाटियान 610 दिनांक 01.11.2013 से प्रभावी है।

14	त्रिवेणी आरआईएस स्टेशन (बांसबेरिया)	664.26	664.26	01.01.2014	----	----		5 वर्षों के पट्टा किराया के आधार पर 30 वर्षों तक प्रत्येक 5 वर्षों के बाद 15 प्रति”ात की वृद्धि से श्री संजीव कुमार सिंह, सुपुत्र स्व. प्रेम कुमार सिंह, महा कालीतला लेन, बांसबेरिया, आरएस डीएजी सं. 941 (पी), आरएस केएच सं. 1456, क्षेत्र 7150.00 वर्ग फीट (0.164 एकड़) पुलिस स्टे”ान मोगरा, जिला–हुगली (पश्चिम बंगाल) दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी है।
इलाहाबाद								
1	लावेन, कुंड नैनी, इलाहाबाद	8.759(हेक्टेयर)	8.759(हेक्टेयर)	25.01.2004	----	----	पूर्ण स्वामित्व	
पटना कार्यालय								
1	गायघाट, पटना, जिला पटना	11868.23 (2.9327एकड़)	11868.23 (2.9327 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	निम्न तल जेट्टी, टर्मिनल
2		4046.86 (1.00एकड़)	4046.86 (1.00एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	उच्च तल जेट्टी, डीजीपीएस स्टेशन, आरआईएस टर्मिनल
3		17401.50 (4.3एकड़)	17401.50 (4.3एकड़)	----	नहीं	नहीं	----	राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान, निनी
4		5539.34 (1.3688 एकड़)	5539.34 (4.3एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	निनी का विस्तार
5	बाड़ी खंजरपुर, भागलपुर, जिला भागलपुर	15620.87 (3.86एकड़)	15620.87 (3.86 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	डीजीपीएस स्टेशन, आरआईएस स्टेशन
6	खास महल गिर्द किला, मुंगेर, जिला मुंगेर	13759.31 (3.40 एकड़)	13759.31 (3.40 एकड़)	----	नहीं (खास महल भूमि)	हाँ	----	आरआईएस स्टेशन फ्लोटिंग टर्मिनल

7	समदाघाट, साहिबगंज, जिला साहिबगंज	741100.81 (183.13 एकड़)	741100.81 (183.13 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	मल्टीमॉडल टर्मिनल
8	समदाघाट, साहिबगंज, जिला साहिबगंज	37392.95 (9.24 एकड़)	37392.95 (9.24 एकड़)	----	हाँ	नहीं	----	एमएमटी साहिबगंज से सड़क संपर्क
9	सटी चौकी साहिबगंज, जिला साहिबगंज	484044.497 (119.61 एकड़)	484044.497 (119.61 एकड़)	----	----	----	----	जिला प्रशासन द्वारा फ्रेट विलेज, अधिसूचना एवं घोषणा प्रकाशित की गई है
10	लावेन खुर्द	87590 (8.759 हेक्टेयर)	87590 (8.759 हेक्टेयर)	----	हाँ	नहीं	----	फ्लोटिंग टर्मिनल
	पट्टे पर दी गई भूमि			----			----	
12	मनिहारी मस्कान, (मनिहारी), जिला कटिहार	742.52 (18.35 दशमलव)	742.52 (18.35 दशमलव)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
13	मार्ची, हाथीदाह, जिला पटना	744.14 (18.39 दशमलव)	744.14 (18.39 दशमलव)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
14	नवादा, बाढ़, जिला पटना	758.71 (18.75 दशमलव)	758.71 (18.75 दशमलव)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
15	ग्राम मौजमपुर बरहरा, जिला भोजपुर (आरा)	796.73 (8576 वर्ग फुट)	796.73 (8576 वर्ग फुट)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
16	गोविंदपुर खास जिला–बलिया	743.22 (8000 वर्ग फुट)	743.22 (8000 वर्ग फुट)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन

	धर्ममारपुर उपरवार जिला गाजीपुर	632.11 (6804 वर्ग फुट)	632.11 (6804 वर्ग फुट)	----	नहीं	नहीं	----	आरआईएस स्टेशन
कालूघाट सोनपुर जिला सारण छपरा								
1	कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल के लिए भूमि, सोनपुर, जिला–सारण (छपरा), बिहार	53297 .09 (13.17 एकड़)	53297 .09 (13.17 एकड़)	----	नहीं	नहीं	----	डीएलएओ, सारण से दिनांक 26.09.2020 को भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्राप्त हुआ। भूमि पर वास्तविक कब्जा अभी होना है। इस कार्यालय के दिनांक 25.11.2020 के पत्र द्वारा सरकारी भूमि का स्थानानतरण करने के लिए सीओ, सोनपुर से अनुरोध किया गया है। एक गाँव यानी मुरथान का दाखिल खारिज करने के लिए दिनांक 10.12.2020 को ऑनलाइन आवेदन किया गया है।
गुवाहाटी कार्यालय								
1	पांडु कामरूप मेट्रो जिला	77870	77870	भारत सरकार की भूमि (रेलवे) स्वत्व विलेख भाजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया।	नहीं	नहीं	सरकारी भूमि (रेलवे)	वर्ष 1995 में सीआईडब्ल्यूटीसी से सरकारी भूमि ली गई। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पांडु स्थित भूमि रेल विभाग के नाम पर है। हालांकि भूमि भाजप्रा के कब्जे में है। इस कार्यालय के दिनांक 07.07. 2018 के पत्र द्वारा मुख्यालय से उच्च स्तर पर मामले को उठाने के लिए अनुरोध किया गया था। स्थायी टर्मिनल और क्षेत्रीय कार्यालय, भाजप्रा भूमि खंड से चल रहा है।
2	जोगीघोपा (टर्मिनल), जिला बोंगईगांव	164700	164700	भारत सरकार की भूमि स्वत्व विलेख भाजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया।	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	स्वत्व विलेख निष्पादित नहीं किया गया। दाखिल खारिज के लिए इस कार्यालय द्वारा आवेदन किया गया है जो कि प्रक्रियाधीन है। जोगीघोपा भूमि का यह भाग अतिक्रमण से मुक्त है और भाजप्रा के कब्जे में है। इस स्थान पर एक डीजीपीएस स्टे"न और एक अस्थायी टर्मिनल है।
3	निमाती, जिला जोरहट	20000	20000	स्वत्व विलेख भाजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया।	हाँ	हाँ	पूर्ण स्वामित्व	भूमि कुछ सीमा तक (करीब 50 प्रति"ात) नष्ट हो चुकी है। भाजप्रा के रो–रो जलयान इस स्थान से चल रहे हैं। कुछ अजप फेरी भी इस स्थान से चल रहे हैं। एआईडब्लूटीडीएस, असम सरकार से निमाती में भाजप्रा की भूमि का स्थानान्तरण अजप निदे"ालय, असम को करने के लिए दिनांक 11. 03.2021 के पत्र सं. भाजप्रा/गुवा. /3(18)/एनएलए/1998–2008/392 द्वारा किया।

4	हत्सिंगमारी, जिला धुब्री	17240	17240	असम सरकार से अधिगृहीत स्वत्व विलेख भाअजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	–	पूर्ण स्वामित्व	उपायुक्त, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, हत्सिंगमारी के पत्र संख्या एचएलए–1/2017/21 दिनांक 20.09.2018 के अनुसार भूमि पूर्णतया नष्ट हो गई।
5	डिब्रूगढ़, जिला डिब्रूगढ	40190	40190	दिनांक 18.10.2012 को भाअजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	अजप टर्मिनल और डीजीपीएस स्टेशन। ट्रेंच पिलर फिक्सिंग द्वारा 20.02.2019 को टर्मिनल भूमि का सीमांकन किया गया।
6	सिलघाट, जिला नागोन	20070	20070	दिनांक 24.01.2013 को भाअजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	-	पूर्ण स्वामित्व	एडीसी, नागोन के पत्र संख्या एनआरएस–65/2014/63, दिनांक 18.09.2018 के अनुसार भूमि पूर्णतया नष्ट हो गई। इस स्थान पर स्टील पोंटून के साथ अस्थाई बर्थिंग उपलब्ध है।
7	बिश्वनाथ घाट, जिला सोनितपुर	6300	6300	दिनांक 16.03.2013 को भाअजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	इस स्थान पर एक डीजीपीएस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। इस स्थान पर स्टील पोंटून के साथ अस्थायी बर्थिंग उपलब्ध है।
8	धुब्री, जिला धुब्री	32500	32500	भाअजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	इस स्थान पर आरसीसी रो–रो जेट्टी के साथ स्थायी टर्मिनल की सुविधा और अन्य शोर सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इस स्थान पर डीजीपीएस और आईसीपी भी उपलब्ध है। भाअजप्रा के नाम पर दाखिल खारिज संबंधी काम पूरा हो गया है। मुकदमा सं. टीएस 03/2021 अभी भी जिला सिविल जज न्यायालय, धुब्री में लंबित है। भाअजप्रा मुख्यालय के अनुमोदन से भाअजप्रा, गुवाहाटी ने पैरावार टिप्पणी के साथ संबंधित कागजात सरकारी एडवोकेट, धुब्री को प्रस्तुत कर दिया है। इस मुकदमे की अगली सुनवाई दिनांक 17.07.2021 को होगी।

9	ओरियम घाट, जिला धेमाजी	26000	26000	स्वत्व विलेख भाअजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया। असम सरकार द्वारा प्रक्रिया जारी।	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भूमि का नाम परिवर्तन नहीं किया गया चूँकि एसडीओ (सी), जोनाई ने सिर्फ 80 प्रतिशत राशि भूस्वामी को संवितरित कर दी और शेष 20 प्रतिशत गलती से राजस्व में जमा हो गई। मामले को डीसी धेमाजी के समक्ष उठाया गया। एसडीओ जोनल ने निधि निर्गत करने के लिए सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (एलआर), दिसपुर सचिवालय को दिनांक 01.11.2019 को पत्र लिखा है। इस मामले के निपटान और तदुपरान्त पंजीकरण/दाखिल खारिज कराने के लिए इस कार्यालय द्वारा प्रयास किए गए हैं।
10	ओल्ड जोगीघोपा पोर्ट	416826	शून्य	भारत सरकार की भूमि स्वत्व विलेख भाअजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	हाँ	पूर्ण स्वामित्व	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जोगीघोपा में 103 एकड़ भूमि का स्थानान्तरण करने के लिए मार्च, 2021 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सी) 6230 और रिट याचिका (सी) 6299 लंबित है। न्यायालय अदालती मामले के निपटान हेतु उपायुक्त बोनगायगाँव ने भूमि मालिकों और अतिक्रमणकताओं से बातचीत करके 2.64 करोड़ रुपए का भुगतान भाअजप्रा को करने के लिए कहा है। भाअजप्रा मुख्यालय ने इस रा"ा को अनुमोदित करके क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी से आव"यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी ने उपायुक्त बोनगायगाँव को पत्र लिखकर खाता सं. उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। भुगतान के उपरांत अदालती मामले वापस हो जाने के बाद 103 एकड़ भूमि का सीमांकन और दाखिल खारिज का काम पूरा किया जाएगा।
11	डिब्रूगढ़ में एजेंसी बंगला	6314	6314	दिनांक 07.11. 2017 को भाअजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	सीआईडब्ल्यूटीसी से भूमि ली गई। नाम परिवर्तन हो गया। भाअजप्रा उप कार्यालय इस स्थान से चल रहा है।

12	करीमगंज, स्टीमर घाट	7237	7237	दिनांक 30.01.2018 को भाअजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	सीआईडब्ल्यूटीसी से भूमि ली गई। नाम परिवर्तन हो गया।
13	बदरपुर, स्टीमर घाट	4361	4361	दिनांक 29.01.2018 को भाअजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	सीआईडब्ल्यूटीसी की पट्टा भूमि ली गई। नाम परिवर्तन हो गया।
14	उज़ानबाज़ार	1258	1258	दिनांक 26.04.2018 को भाअजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	नाम परिवर्तन हो गया। बाउंड्री फेंसिंग हो गई।
15	फैन्सी बाज़ार, गुवाहाटी	2157.4	2157.4	सरकारी भूमि स्वत्व विलेख भाअजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया। सीआईडब्ल्यूटीसी ने भाअजप्रा को संरक्षक के रूप में भूमि को हस्तांतरित किया।	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	मुख्यालय के निर्देशानुसार दिनांक 20.01.2020 को इस कार्यालय ने उपायुक्त कामरूप (मेट्रो) को अनापत्ति प्रमाण पत्र भेज दिया है।
कोची कार्यालय								
1	कोट्टापुरम टर्मिनल, जिला त्रिसूर	5823	5823	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाअजप्रा के नाम पर भूमि हस्तांतरित
2	आलुवा टर्मिनल, जिला एर्नाकुलम	13310	13310	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
3	मरडु टर्मिनल, एर्नाकुलम जिला	20085	20085	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही

4	काकानाड टर्मिनल, एर्नाकुलम जिला	12205	12205	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
5	वैयकोम टर्मिनल, कोट्टयम जिला	5184	5184	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाअजप्रा के नाम पर भूमि हस्तांतरित
6	थ्रीकुन्नापुझा टर्मिनल, अलप्पुझा जिला	5057	5057	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
7	थानीरमुक्कोम टर्मिनल, अलप्पुझा जिला	9170	9170	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
8	अलप्पुझा टर्मिनल, अलप्पुझा जिला	22550	22550	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
9	कायमकुलम टर्मिनल, कोल्लम जिला	16332	16332	कब्जा और इंज्वायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
10	चावड़ा टर्मिनल, कोल्लम जिला	8061	8061	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाअजप्रा के नाम पर भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन
11	कोल्लम टर्मिनल, कोल्लम जिला	5812	5812	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाअजप्रा के नाम पर भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन
12	**नहर के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण;**							
	1) अलप्पुझा जिला	113147	113147	चूँकि जलमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिगृहीत भूमि नहर में		नहीं	पूर्ण स्वामित्व	गांव के रिकार्ड में राष्ट्रीय जलमार्ग पुरम्बोक के नाम पर भूमि हस्तांतरित

	2) कोल्लम जिला	102178	102178	जलमग्न हो गई है। और भौतिक रूप से कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसके नाम परिवर्तन हेतु कार्रवाई नहीं की गई		नहीं	पूर्ण स्वामित्व	गांव के रिकार्ड में राष्ट्रीय जलमार्ग पुरम्बोक के नाम पर भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।
	उप–योग							
	<u>कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पट्टा आधार पर ली गई भूमि का विवरण</u>							
1	रो–रो टर्मिनल, बोलघाटी जिला एर्नाकुलम	3000	3000	दिनांक 15.06.2016 को 23.04.2010 से प्रभावी 30 वर्षों के लिए भाअजप्रा और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बीच पट्टा विलेख निष्पादित किया गया	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	नहीं
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा जिला–वाराणसी टर्मिनल/बंदरगाह								
1	बन्दरगाह निर्माण राल्हूपुर, रामनगर, वाराणसी (गैर सरकारी भूमि)	55860 (5.586 हेक्टेयर)	55860 (5.586 हेक्टेयर)	----	----	----	----	बन्दरगाह निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं काश्तकार को भूमि का भुगतान किया जा चुका है।

2	बंदरगाह के विस्तार व सम्पर्क मार्ग हेतु राल्हूपुर, रामनगर, वाराणसी की (गैर सरकारी भूमि)	143630 (14.363 हेक्टेयर)	143630 (14.363 हेक्टेयर)	----	----	----	----	बन्दरगाह विस्तार हेतु ग्राम–राल्हूपुर, रामनगर, वाराणसी में प्रस्तावित रकबा 23.868 हे0 में 14.363 हे0 का क्रय किया जा चुका है, शेष भूमि 9.505 हे0 अभी लेना शेष है। जिसका विवरण निम्नवत् है– ☐ 1.064 हे0 (गाटा सं0–140 व 142 के अंश एवं मुआवजा का निर्धारण ए0डी0एम0 (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) द्वारा (मा0 न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार उपलब्ध करायी जायगी)। ☐ 7.597 हे0 भूमि श्री गोपाल सिंह वगै0 का है। जिसमें 0.052 हे0 व 2.312 हे0 भूमि का बैनाम प्राधिकरण के पक्ष में कर दिया गया है ☐ 0.894 हे0 भूमि का विवाद मा0 न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित है (गाटा सं0 119 व 172)। ☐ 0.094 हे0 (गाटा सं0 120, 158, 197 व 126) भूमि के काश्तकार मृतक है व इनके वारिसान का पता नहीं चल पा रहा है। मृतका राजरानी पत्नी स्व0 दिवाकर के वारिसान का नाम खतौनी अभिलेख में अंकित नहीं है। ☐ 0.388 हे0 (गाटा सं0 110/0.125, 193/0.016, 198/0.247) के काश्तकार की सहमति प्राप्त नहीं है और ये आवासीय दर की मांग कर रहे है। काश्तकार कन्हैया, गोपाल, दिनेश, अशोक आदि तथा संतोष, मनोज, अनिल आदि, निवासी–रामनगर। ☐ 1.257 हे0 (गाटा सं0 138) जिसके सम्बन्ध में लेखपाल बनाम विश्वेश्वर शास्त्री उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31, 32 के अन्तर्गत वाद उपजिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है। वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर विचाराधीन है। ☐ 107/0.101 हे0 के काश्तकार की सहमति नहीं है। काश्तकार लक्ष्मीना पत्नी लल्लू वगै0। ☐ गाटा सं0 119, 140, 142 व 172 के काश्तकारों के अंश में विवाद होने के कारण कार्यालय के पत्रांक–3/भा0अ0ज0प्रा0/वारा0/तक0(38)/2020–21/ 384, दिनांक– 05.01.2021 (अनुस्मरण–1) के द्वारा प्रभारी अधिकारी भू–अध्याप्ति/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को अंश निर्धारण की सूची प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3	बंदरगाह के विस्तार हेतु राल्हूपुर, रामनगर, वाराणसी की (सरकारी भूमि)	15780 (1.578 हेक्टेयर)	15780 (1.578 हेक्टेयर)				109/0.053 हे0 भीटा है, 173/0.227, 181/0.125 हे0 नाला है व 190/0.117 हे0 भूमि रास्ता का कुल रकबा 0.522 हे0 है। इस भूमि को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आदेश पारित होना है। सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी, वाराणसी के पत्रांक–5355/सात–भू0सु0–2019, दिनांक–24 जून 2019 के द्वारा वांछित भूमि उपलब्ध कराने के तत्काल बाद विनिमय/पुनर्ग्रहण हेतु प्रदेश शासन/माननीय राजस्व परिषद की अनुमति प्राप्त कर विनिमय/पुनर्ग्रहण की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जायेगी। ☐ 139/0.016 हे0 देवस्थान है। शासन द्वारा निस्तारण किया जाना बाकी है। ☐ 1.680 हे0 भूमि लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 का है। शासन स्तर पर मामला विचाराधीन है। ☐ 121/0.089 हे0 भूमि नवीन परती का है। प्रशासन द्वारा इसका निस्तारण किया जाना है। ☐ क्रय की गयी भूमि की पैमाईश कराने हेतु उपजिलाधिकारी के साथ बैठक किया गया है एवं पत्र के माध्यम से भी आग्रह किया गया है। जिसके क्रम में स्थानीय कानूनगों व लेखपाल को पैमाईश करने हेतु आदश दिया गया है। ☐ कुछ निजि काश्तकार (कुल रकबा 1.040 हे0) जो कि प्रस्तावित क्षेत्र से बाहर है। वो अपनी भूमि भा0अ0ज0प्रा0 को देने के लिए तैयार है जो कि सरकारी भूमि के बदले राज्य सरकार को दिया जाएगा। प्राप्त सर्किल दर के आधार पर निजि काश्तकार से ली जाने वाली भूमि का भू–मूल्य व सरकारी भूमि रकबा 0.582 हे0 का भी प्राप्त सर्किल दर के आधार पर भू–मूल्य तैयार कर लिया गया है। ☐ जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 22.08.2019 को ग्राम पंचायत के सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि से सम्बन्धित भूमि के दर का पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके लिए नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है। सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के बदले निजि काश्तकारों से भूमि क्रय करके प्रशासन को उपलब्ध कराने के लिए निजि काश्तकारों के भूमि का सर्किल दर व मूल्य निर्धारण करने के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक–3–भा0अ0ज0प्रा0/वारा0/तक0(38)/2020–21/378, दिनांक–12.11.2020 के माध्यम से जिलाधिकारी, वाराणसी को अनुरोध किया गया है।
4	बन्दरगाह के सम्पर्क मार्ग	3500 (0.350 हेक्टेयर)	3500 (0.350 हेक्टेयर)				☐ 0.053 जमीन सीकस्त। ☐ 0.297 जमीन सरकारी भूमि।

	हेतु सरकारी भूमि							
5	बन्दरगाह के सम्पर्क मार्ग हेतु गैर सरकारी भूमि, राल्हूपुर	4740 (0.474 हेक्टेयर)	4740 (0.474 हेक्टेयर)					प्राधिकरण के नाम से भूमि क्रय की जा चुकी है।
	कुल	(हेक्टेयर)	(हेक्टेयर)					
फ्रेट विलेज, वाराणसी हेतु जिला–चंदौली एवं जिला मिर्जापुर								
1	फ्रेट विलेज हेतू ग्राम–मिल्कीपुर जनपद–चंदौली	27280 (2.728 हेक्टेयर)	27280 (2.728 हेक्टेयर)	----	----	----	----	वांछित भूमि का लगभग 67: भूमि का सट्टा काश्तकारों द्वारा अन्य व्यक्तियों को किया गया है। निजि कम्पनी द्वारा भूमि का किये गये काश्तकारों के साथ सट्टा का जॉच कर कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन चंदौली को आदेश दिया व शेष रकबों के क्रय के लिए जिलाधिकारी, अपरजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी मुगलसराय, तहसीलदार मुगलसराय, नायब तहसीलदार मुगलसराय से सम्पर्क किया गया है एवं काश्तकारों से भी सम्पर्क कर उनके राजिनामा के अनुसार रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जा रही है। □ मण्डलायुक्त वाराणसी व जिलाधिकारी चदौली के आदेशानुसार क्रय की गयी भूमि का पैमाईश व सीमांकन लेखपाल/कानूनगों द्वारा कराया जा चुका है तथा भूमि पर भा0अ0ज0प्रा0 का बोर्ड लगा दिया गया है। □ ग्राम मिल्कीपुर में राम नरेश बनाम कुमार वाद अन्तर्गत धारा 144 उ0प्र0 रा0संहिता एस.डी. एम. न्यायालय, मुगलसराय में लम्बित है। यथा शिघ्र निस्तारण हेतु पैरवी की जा रही है। □ आयुक्त महोदय, वाराणसी व जिलाधिकारी महोदय चंदौली द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि काश्तकारों के द्वारा भूमि का विक्रय न करने पर परियोजना को अतिशिघ्र पूर्ण करने हेतु शेष भूमि को "अनिवार्य भूमि अधिग्रहण" के माध्यम से जिला प्रशासन चंदौली के सहयोग से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में है।
	योग	(हेक्टेयर)						

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा जिला–गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल/बंदरगाह								
1	बंदरगाह के लिए गैर सरकारी भूमि ग्राम–डुंगुरपुर, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर	36680 (3.668 हेक्टेयर)	36680 (3.668 हेक्टेयर)	----	----	----	----	स्तावित शेष भूमि पूर्वमें क्रय समिति द्वारा निर्धारित किए गये प्रक्रिया के अनुरूप काश्तकार से सहमति प्राप्त नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में भा0अ0ज0प्रा0 के अधिकारी माह– फरवरी 2019 में उप जिलाधिकारी, गाजीपुर के साथ बैठक कर स्थिति से अवगत करा दिया है। पुनः जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा दिनांक– 26.04.2019 को जिला प्रशासन व राजस्व अधिकारी गाजीपुर से भूमि क्रय की प्रक्रिया को आगे बढने के लिए सम्पर्क किया गया है। कुछ काश्तकार अपनी भूमि का विक्रय करने को तैयार है जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज भी भा0अ0ज0प्रा0 को उपलब्ध कराये है, जिसको क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है। जिसके पश्चात् प्राधिकरण द्वारा शासनादेश के नियमानुसार क्रय समिति में एक वर्ष पूर्ण होने के कारण पुनः सर्किल रेट निर्धारण हेतु दिनांक–07.09.2019 को आहूत हो चुकी है।
2	बंदरगाह सम्पर्क मार्ग के लिए गैर सरकारी भूमि ग्राम–जल्लापुर, परगना, तहसील व जिला–गाजीपुर	7180 (0.718 हेक्टेयर)	7180 (0.718 हेक्टेयर)	----	----			इस भूमि हेतु प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा काश्तकार से सम्पर्क किया जा रहा है। परन्तु काश्तकार अभी तक सहमति नहीं दिये है। इस कार्य को आगे बढाने हेतु जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, जिला व राजस्व अधिकारी जनपद–गाजीपुर से सम्पर्क में है।
	गाजीपुर टर्मिनल हेतु वांछित कुल भूमि	(हेक्टेयर)	(हेक्टेयर)					

अनुबंध–ग

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

27. 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

	विवरण	यथा दिनांक 31.03.2020 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/ कटौतियां	यथा दिनांक 31.3.2021 को सकल ब्लॉक (3+4+5)	मूल्यह्रास/परिशोधन यथा दिनांक 31.3.2020	मूल्यह्रास/परिशोधन वर्ष हेतु	बेची गई/अंतरित परिसंपत्तियों हेतु समायोजन	यथा दिनांक 31.03.2021 को कुल मूल्यह्रास (7 + 8 + 9)	यथा दिनांक 31.03. 2021 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नौएडा	सर्वेक्षण उपकरण	25,61,260	-	-	25,61,260	23,91,615	3,679	-	23,95,294	1,65,966
	वाहन	22,58,620	-		22,58,620	15,91,883	2,76,650	-	18,68,533	3,90,087
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	75,67,881	2,56,947	-	78,24,828	51,90,471	4,66,772	-	56,57,243	21,67,585
	कार्यालय उपकरण	1,22,47,320	12,00,820	-	1,34,48,140	83,51,873	15,30,846	-	98,82,719	35,65,421
	विद्युत संस्थापन	1,17,19,138	-		1,17,19,138	67,18,274	10,09,045	-	77,27,319	39,91,819
	एयर कंडीशनर	2,12,60,451	1,07,438		2,13,67,889	1,27,19,711	18,68,492	-	1,45,88,203	67,79,686
	वाटर कूलर एवं							-		
	रेफ्रिजरेटर	1,82,751	-		1,82,751	1,73,614	-	-	1,73,614	9,137
	पंखे एवं एयर कूलर	11,87,013	-		11,87,013	11,20,182	3,353	-	11,23,535	63,478
	जनरेटर सेट	70,47,195	-		70,47,195	34,47,481	3,60,393	-	38,07,874	32,39,321
	साइकिल	27,711	-		27,711	26,380	-	-	26,381	1,331
	अस्थायी संरचना	7,10,114	-		7,10,114	7,10,114	-	-	7,10,114	-

	पुस्तकालय पुस्तकें	14,56,471	74,236		15,30,707	14,56,471	74,236	-	15,30,707	-
	कंप्यूटर	2,93,46,865	12,64,064	-	3,06,10,929	2,39,85,079	23,55,496	-	2,63,40,575	42,70,354
	कंप्यूटर (सर्वेक्षण)	30,77,350	-		30,77,350	9,60,789	9,74,494		19,35,283	11,42,067
	कंप्यूटर (एफवी)	1,39,981	-		1,39,981	32,061	44,327		76,388	63,593
	संचार उपकरण	15,23,420	-		15,23,420	14,47,248	2		14,47,250	76,170
	भवन	11,01,97,880	-		11,01,97,880	3,64,66,869	17,97,692	-	3,82,64,561	7,19,33,319
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	27,25,622	71,442		27,97,064	20,24,190	3,88,513	-	24,12,703	3,84,361
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (सर्वेक्षण)	4,18,621	-		4,18,621	34,906	1,32,563		1,67,469	2,51,152
	आवासीय क्वार्टर	3,08,57,003	-		3,08,57,003	88,82,064	4,74,714	-	93,56,778	2,15,00,225
	कार पार्किंग	2,33,92,491	-		2,33,92,491	39,23,000	3,38,938	-	42,61,938	1,91,30,553
	पट्टा भूमि	1,79,51,542	-		1,79,51,542	5,43,310	2,71,655		8,14,965	1,71,36,577
	यात्री लिफ्ट	46,12,400	-		46,12,400	7,73,515	66,830	-	8,40,345	37,72,055
	योग (क)	**29,24,69,100**	**29,74,947**	**-**	**29,54,44,047**	**12,29,71,100**	**1,24,38,690**	**-**	**13,54,09,791**	**16,00,34,257**
कोलकाता	टर्मिनल	46,99,57,181	88,72,653		47,88,29,834	9,95,05,513	1,39,09,505	-	11,34,15,018	36,54,14,816
	वाहन	11,84,049	-	-	11,84,049	7,03,860	1,08,409	-	8,12,269	3,71,780
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	15,82,331	64,118		16,46,449	12,69,554	82,912		13,52,466	2,93,983
	कार्यालय उपकरण	10,50,845	-	-	10,50,845	7,34,073	89,204	-	8,23,277	2,27,568
	विद्युत संस्थापन	67,889		-	67,889	62,000	2,316	-	64,316	3,573
	सर्वेक्षण औजार	2,72,67,745	23,914		2,72,91,659	2,05,08,747	12,21,944	-	2,17,30,691	55,60,968

	पुस्तकालय पुस्तकें	1,43,886	1,950		1,45,836	1,43,886	1,950		1,45,836	-
	स्पीड बोट	28,33,266		-	28,33,266	26,78,583	13,020	-	26,91,603	1,41,663
	सामान्य जलयान	21,97,18,583	-		21,97,18,583	10,67,72,277	55,60,925	-	11,23,33,202	10,73,85,381
	पंखे एवं एयर कूलर	91,073	48,852		1,39,925	74,001	3,543		77,544	62,381
	संचार नेटवर्क	40,99,567	-	-	40,99,567	14,91,236	5,77,783		20,69,019	20,30,548
	बार्ज	13,41,62,007		-	13,41,62,007	3,96,79,228	28,02,706	-	4,24,81,934	9,16,80,073
	साइकिल	5,975	-		5,975	5,015	297		5,312	663
	जलयान निकर्षण इकाई	20,66,93,296	-	-	20,66,93,296	7,81,50,459	64,11,831	-	8,45,62,290	12,21,31,006
	कंप्यूटर	34,15,382	4,12,484		38,27,866	28,12,536	2,20,612		30,33,148	7,94,718
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	25,62,108	-		25,62,108	20,30,001	2,79,403		23,09,404	2,52,704
	रात्रि नौचालन उपकरण	6,24,95,846	31,89,540	-	6,56,85,386	2,98,01,078	30,32,968	-	3,28,34,046	3,28,51,340
	एयर कंडीशनर	9,13,870	1,32,986	-	10,46,856	4,97,719	84,454	-	5,82,173	4,64,683
	जनरेटर सेट	11,85,869	3,81,400		15,67,269	6,10,221	94,986	-	7,05,207	8,62,062
	आरआईएस स्टेशन संरचना	1,98,69,240			1,98,69,240	13,32,965	3,14,973		16,47,938	1,82,21,302
	आरआईएस उपकरण	14,06,67,890			14,06,67,890	3,77,10,545	89,08,966		4,66,19,511	9,40,48,379
	टर्मिनल–भूमि	1,15,00,00,000	-		1,15,00,00,000	-			-	1,15,00,00,000
	डीजीपी स्टेशन	1,42,15,359	-		1,42,15,359	64,96,861	7,50,255		72,47,116	69,68,243
	Lease Land at Hadia		3,23,49,012		3,23,49,012		10,78,300		10,78,300	3,12,70,712
	LEASE -Land at Princep Ghat									

			2,73,72,520		2,73,72,520		9,12,417		9,12,417	2,64,60,103
	योग (ख)	**2,46,41,83,257**	**7,28,49,429**	**-**	**2,53,70,32,686**	**43,30,70,358**	**4,64,63,679**	**-**	**47,95,34,037**	**2,05,74,98,649**
पटना	भूमि	2,16,20,100		-	2,16,20,100	-			-	2,16,20,100
	वाहन	26,20,377	-	-	26,20,377	11,05,653	2,24,478	-	13,30,131	12,90,246
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	26,85,100	-	-	26,85,100	14,18,090	2,00,708	-	16,18,798	10,66,302
	कार्यालय उपकरण	6,87,002	32,578	-	7,19,580	2,63,359	99,871		3,63,230	3,56,350
	विद्युत संस्थापन	25,73,508	-	-	25,73,508	5,31,882	2,43,984		7,75,866	17,97,642
	एयर कंडीशनर	16,35,485	-	-	16,35,485	7,44,960	1,43,965	-	8,88,925	7,46,560
	वाटर कूलर एवं	-			-	-			-	-
	रेफ्रिजरेटर	1,07,200	-	-	1,07,200	65,676	14,424	-	80,100	27,100
	जनरेटर सेट	-			-	-	-	-	-	-
	सर्वेक्षण औजार	3,72,75,205	-	-	3,72,75,205	1,74,01,096	19,76,864		1,93,77,960	1,78,97,245
	जलयान : निकर्षण इकाई	80,49,99,581		-	80,49,99,581	47,04,56,128	1,34,72,617	-	48,39,28,745	32,10,70,836
	जलयान : सामान्य	54,43,47,583	7,05,168	-	54,50,52,751	5,16,50,874	1,69,25,257	-	6,85,76,131	47,64,76,620
	स्पीड बोट	26,62,309		-	26,62,309	19,53,992	72,513	-	20,26,505	6,35,804
	बार्ज	9,22,33,341	-	-	9,22,33,341	4,46,02,797	16,85,924	-	4,62,88,721	4,59,44,620
	अस्थायी संरचना	4,24,845	-	-	4,24,845	21,747	1,32,994	-	1,54,741	2,70,104
	कंप्यूटर	47,59,903	-	-	47,59,903	42,39,080	1,73,642	-	44,12,722	3,47,181
	पुस्तकालय पुस्तकें	1,17,464	-		1,17,464	1,17,464	-		1,17,464	-

	सर्वेक्षण उपकरण (कंप्यूटर)	53,12,946	1,68,000	-	54,80,946	46,84,528	1,51,277	-	48,35,805	6,45,141
	सर्वेक्षण स्तंभ	6,49,995			6,49,995	4,61,106	22,376		4,83,482	1,66,513
	संचार उपकरण	13,45,844	-	-	13,45,844	11,78,853	43,167	-	12,22,020	1,23,824
	फ्रीहोल्ड भूमि पर भवन	5,70,87,430	-		5,70,87,430	41,39,120	9,04,306		50,43,426	5,20,44,004
	लीजहोल्ड भूमि पर भवन	2,57,08,976	-		2,57,08,976	8,59,037	4,07,085		12,66,122	2,44,42,854
	चारदीवारी	63,93,000		-	63,93,000	4,04,036	1,01,009	-	5,05,045	58,87,955
	टर्मिनल एवं भवन	60,29,09,758	-	-	60,29,09,758	23,70,59,056	1,62,98,803	-	25,33,57,859	34,95,51,899
	रात्रि नौचालन प्लव	92,77,200			92,77,200	55,57,941	4,94,886		60,52,827	32,24,373
	डीजीपीएस स्टेशन	3,22,45,501	-	-	3,22,45,501	1,56,73,909	16,41,180	-	1,73,15,089	1,49,30,412
	बीकन टावर	1,58,95,321	-		1,58,95,321	89,24,184	10,30,336		99,54,520	59,40,801
	शोल विश्लेषण	49,26,846	-	-	49,26,846	46,80,503	-	-	46,80,503	2,46,343
	आरआईएस स्टेशन	10,21,49,566	2,33,44,667	-	12,54,94,233	1,41,02,366	68,94,774	-	2,09,97,140	10,44,97,093
	सीवेज उपचार संयंत्र	1,08,52,000	-		1,08,52,000	24,17,372	6,99,463	-	31,16,835	77,35,165
	क्रेन	4,63,26,824	-		4,63,26,824	4,17,38,583	15,76,827		4,33,15,410	30,11,414
	योग (ग)	**2,43,98,30,210**	**2,42,50,413**	-	**2,46,40,80,623**	**93,64,53,392**	**6,56,32,730**	-	**1,00,20,86,122**	**1,46,19,94,501**
गुवाहाटी	संचार उपकरण	15,04,388	-		15,04,388	12,16,604	81,341		12,97,945	2,06,443
	वाहन	15,76,029	-	(2,60,627)	13,15,402	5,54,554	1,24,937	(2,47,596)	4,31,895	8,83,507
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	17,10,909	15,800		17,26,709	9,31,147	1,14,335		10,45,482	6,81,227
	कार्यालय उपकरण									

		8,17,667	22,500	-	8,40,167	5,64,478	72,142	-	6,36,620	2,03,547
	विद्युत संस्थापन	50,819	-		50,819	41,695	2,546		44,241	6,578
	पंखे एवं एयर कूलर	57,780	-		57,780	37,198	3,859		41,057	16,723
	सर्वेक्षण औजार	2,11,20,565	-	-	2,11,20,565	1,13,28,943	8,89,674		1,22,18,617	89,01,948
	साइकिल	680	-		680	646	-		646	34
	पुस्तकालय पुस्तकें	47,884	15,684		63,568	47,884	15,684		63,568	-
	जलयान स्पीड बोट	40,21,123			40,21,123	31,86,230	1,69,687	-	33,55,917	6,65,206
	जनरेटर सेट	1,19,500	-		1,19,500	47,849	5,281	-	53,130	66,370
	कंप्यूटर	62,22,422	1,01,000	-	63,23,422	46,35,295	3,36,822	-	49,72,117	13,51,305
	टर्मिनल–पांडु	1,83,35,31,578	-	-	1,83,35,31,578	39,05,98,575	5,33,34,489	-	44,39,33,064	1,38,95,98,514
	रात्रि नौचालन उपकरण	1,56,17,252	15,79,830	-	1,71,97,082	1,10,73,269	5,69,875	-	1,16,43,144	55,53,938
	बार्ज	13,37,45,241	-		13,37,45,241	6,19,29,088	39,13,203	-	6,58,42,291	6,79,02,950
	जलयान–सामान्य	1,48,37,94,943	11,45,898	-	1,48,49,40,841	14,54,90,916	4,63,30,537		19,18,21,453	1,29,31,19,388
	भूमि टर्मिनल	12,85,49,213	-		12,85,49,213	-	-		-	12,85,49,213
	जलयान निकर्षण इकाई	1,50,42,54,532		-	1,50,42,54,532	54,25,65,036	3,79,34,986	-	58,05,00,022	92,37,54,510
	क्रेन	4,49,69,796			4,49,69,796	3,81,25,388	45,95,918	-	4,27,21,306	22,48,490
	एयर कंडीशनर	7,98,000	-	-	7,98,000	3,41,791	75,574	-	4,17,365	3,80,635
	आरआईएस उपकरण	42,07,723	-		42,07,723	8,08,239	2,66,549		10,74,788	31,32,935
	भवन									

		-		-	-	-	-	-	-	-
	योग (घ)	**5,18,67,18,044**	**28,80,712**	**(2,60,627)**	**5,18,93,38,129**	**1,21,35,24,825**	**14,88,37,439**	**(2,47,596)**	**1,36,21,14,668**	**3,82,72,23,461**
साहिबगंज	प्लव	54,467			54,467	51,744	-		51,744	2,723
	वाहन	13,88,939	-		13,88,939	4,51,710	1,17,485		5,69,195	8,19,744
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	2,76,402	-	-	2,76,402	2,01,749	11,068		2,12,817	63,585
	कार्यालय उपकरण	1,82,810	-		1,82,810	1,35,482	22,072		1,57,554	25,256
	विद्युत संस्थापन	3,227			3,227	3,066	-		3,066	161
	पंखे एवं एयर कूलर	25,819			25,819	15,421	1,829		17,250	8,569
	सर्वेक्षण औजार	51,34,403			51,34,403	22,38,976	2,08,334	-	24,47,310	26,87,093
	बार्ज	-		-	-	-	-	-	-	-
	साइकिल	701			701	666	-		666	35
	पुस्तकालय पुस्तकें	25,805	-		25,805	25,805	-		25,805	-
	संचार उपकरण	1,57,026			1,57,026	1,49,175	-		1,49,175	7,851
	भूमि	36,734			36,734	-			-	36,734
	कंप्यूटर	2,37,197	-		2,37,197	2,25,338	-	-	2,25,338	11,859
	डीजीपीएस स्टेशन	1,83,20,308	-	-	1,83,20,308	1,02,18,949	10,28,894		1,12,47,843	70,72,465
	टर्मिनल	45,70,826	-	-	45,70,826	8,39,695	1,38,053	-	9,77,748	35,93,078
	एयर कंडीशनर	20,000	-		20,000	11,486	1,922		13,408	6,592
	योग (ङ)	**3,04,34,664**	**-**	**-**	**3,04,34,664**	**1,45,69,262**	**15,29,657**	**-**	**1,60,98,919**	**1,43,35,745**
कोची	फर्नीचर एवं फिक्सचर	13,41,190	9,381		13,50,571	8,98,794	67,918		9,66,712	3,83,859

	कार्यालय उपकरण	9,19,506	-	(7,872)	9,11,634	2,90,160	1,36,355	(6,950)	4,19,565	4,92,069
	पंखे एवं एयर कूलर	59,846	7,743	(12,000)	55,589	41,355	3,229	(12,000)	32,584	23,005
	एयर कंडीशनर	83,200	-		83,200	49,695	4,085		53,780	29,420
	सर्वेक्षण औजार	98,20,381	-	(1,61,727)	96,58,654	53,52,704	5,73,593	(1,61,727)	57,64,570	38,94,084
	संचार उपकरण	14,80,257	1,970		14,82,227	10,17,732	1,41,818		11,59,550	3,22,677
	जनरेटर	3,54,969			3,54,969	2,96,296	22,481		3,18,777	36,192
	कंप्यूटर	22,76,469	-	(1,13,448)	21,63,021	19,50,953	2,15,701	(1,13,448)	20,53,206	1,09,815
	जलयान–सामान्य/रो–रो	56,24,584	22,53,73,061		23,09,97,645	40,75,289	37,74,026	-	78,49,315	22,31,48,330
	स्पीड बोट	11,20,418			11,20,418	10,80,905	-		10,80,905	39,513
	भूमि (टर्मिनल)	21,44,51,451	67,52,519	-	22,12,03,970	-	-		-	22,12,03,970
	भूमि को चौड़ा करना	1,62,36,339	-	-	1,62,36,339	-	-		-	1,62,36,339
	पुस्तकालय पुस्तकें	19,847	2,589		22,436	19,847	2,589		22,436	-
	भवन	83,90,016			83,90,016	15,78,943	1,32,842		17,11,785	66,78,231
	टर्मिनल एवं भवन	44,29,21,170			44,29,21,170	14,23,71,255	1,40,25,838		15,63,97,093	28,65,24,077
	निकर्षक	13,98,23,701	-	(29,56,037)	13,68,67,664	5,93,45,315	43,34,142	(29,56,037)	6,07,23,420	7,61,44,244
	रात्रि नौचालन	4,37,98,549	5,84,926	(2,90,829)	4,40,92,646	2,49,23,905	22,57,074	(28,280)	2,71,52,699	1,69,39,947
	फुट ओवर ब्रिज थोटापल्ली	21,88,615			21,88,615	12,08,785	69,306		12,78,091	9,10,524
	फोर्क लिफ्ट	63,70,925			63,70,925	54,06,307	4,03,492		58,09,799	5,61,126
	जलीय क्रेन									

		6,89,45,177			6,89,45,177	5,74,32,825	43,66,528		6,17,99,353	71,45,824
	विद्युत संस्थापन	12,66,828		-	12,66,828	3,85,446	1,20,349	-	5,05,795	7,61,033
	अस्थायी टर्मिनल	12,36,195	-		12,36,195	12,36,195	-		12,36,195	-
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	25,25,701			25,25,701	21,32,954	1,76,680		23,09,634	2,16,067
	योग (च)	**97,12,55,334**	**23,27,32,189**	**(35,41,913)**	**1,20,04,45,610**	**31,10,95,660**	**3,08,28,046**	**(32,78,442)**	**33,86,45,264**	**86,18,00,34 6**
इलाहाबाद	कंप्यूटर	8,24,351	-	-	8,24,351	6,11,588	72,276	-	6,83,864	1,40,487
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,54,339		-	1,54,339	1,46,622		-	1,46,622	7,717
	कार्यालय उपकरण	1,53,004	-		1,53,004	1,07,746	11,929		1,19,675	33,329
	पंखे एवं एयर कूलर	12,155			12,155	11,547	-		11,547	608
	पुस्तकालय पुस्तकें	58,784	-		58,784	58,784	-		58,784	-
	विद्युत संस्थापन	10,74,339	-		10,74,339	5,59,322	85,007		6,44,329	4,30,010
	एयर कंडीशनर	93,900	-		93,900	9,653	8,608		18,261	75,639
	भूमि	24,05,763			24,05,763	-	-		-	24,05,763
	टर्मिनल	58,82,942	-		58,82,942	17,16,753	1,76,046		18,92,799	39,90,143
	बोयाज	36,13,680	-		36,13,680	1,63,807	1,12,752		2,76,559	33,37,121
	वाहन			12,153	12,153	-	-		-	12,153
	डब्ल्यू.सी. एंड बाथरूम (टर्मिनल)	6,34,118		-	6,34,118	3,13,389	1,45,181	-	4,58,570	1,75,548
	सर्वेक्षण उपकरण	49,49,467	-	-	49,49,467	22,99,104	1,76,090	-	24,75,194	24,74,273
	योग (छ)	**1,98,56,842**	**-**	**12,153**	**1,98,68,995**	**59,98,315**	**7,87,889**	**-**	**67,86,204**	**1,30,82,791**
वाराणसी	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10,65,607	-	-	10,65,607	1,85,762	98,718	-	2,84,480	7,81,127

	कंप्यूटर	7,06,742	-	(29,345)	6,77,397	4,09,418	1,67,555	-	5,76,973	1,00,424
	कार्यालय उपकरण	3,79,218	35,100		4,14,318	2,13,137	95,410		3,08,547	1,05,771
	पंखे एवं एयर कूलर	47,225	-		47,225	8,452	4,332		12,784	34,441
	एयर कंडीशनर	6,26,500	-		6,26,500	24,304	66,478		90,782	5,35,718
	विद्युत संस्थापन	52,550	-		52,550	2,499	5,521		8,020	44,530
	वाहन	15,83,642	-	(12,153)	15,71,489	5,76,518	1,44,250	-	7,20,768	8,50,721
	संचार उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	10,909	-		10,909	10,909	-		10,909	-
	डीजीपीएस स्टेशन	1,25,58,612	-		1,25,58,612	13,86,263	4,00,224		17,86,487	1,07,72,125
	भूमि– फ्रेट विलेज	8,05,34,123	69,59,560	-	8,74,93,683		-		-	8,74,93,683
	भवन	20,34,302	-	-	20,34,302	11,33,621	7,98,966		19,32,587	1,01,715
	आरआईएस स्टेशन		2,62,936		2,62,936		24,131		24,131	2,38,805
	सर्वेक्षण उपकरण	55,88,183	-	-	55,88,183	21,90,364	4,44,231	-	26,34,595	29,53,588
	योग (ज)	**10,51,87,613**	**72,57,596**	**(41,498)**	**11,24,03,711**	**61,41,247**	**22,49,816**	**-**	**83,91,063**	**10,40,12,648**
निनी	फर्नीचर एवं फिक्सचर	55,46,004	-	-	55,46,004	41,99,171	2,14,633	-	44,13,804	11,32,200
	जनरेटर सेट	14,23,581	-	-	14,23,581	6,26,496	48,518	-	6,75,014	7,48,567
	कंप्यूटर	19,92,752	-	-	19,92,752	16,64,539	1,62,783	-	18,27,322	1,65,430
	कार्यालय उपकरण	18,90,365	69,999	-	19,60,364	12,76,891	1,24,909	-	14,01,800	5,58,564
	एयर कंडीशनर	16,56,681	3,99,494	-	20,56,175	11,64,908	1,01,241	-	12,66,149	7,90,026
	भवन/कार्यशाला									

		11,37,39,075		-	11,37,39,075	2,01,43,742	17,85,134	-	2,19,28,876	9,18,10,199
	हॉस्टल एवं रसोई	6,06,957			6,06,957	5,76,610	-	-	5,76,610	30,347
	कार्यशाला उपकरण	4,02,778			4,02,778	2,30,602	26,592		2,57,194	1,45,584
	फायर मोकअप उपकरण	52,37,144			52,37,144	49,75,288	-		49,75,288	2,61,856
	ओबीएम सहित एफआरपी नौका	5,28,962			5,28,962	2,62,788	15,065		2,77,853	2,51,109
	वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	6,33,142	-	-	6,33,142	3,90,640	26,358	-	4,16,998	2,16,144
	अस्थायी संरचना	16,61,542			16,61,542	16,61,542			16,61,542	-
	पाठ्यक्रम सामग्री एवं उपकरण	5,29,999			5,29,999	5,29,999			5,29,999	-
	सिमुलेटर	3,17,31,375		-	3,17,31,375	3,01,44,804	-	-	3,01,44,804	15,86,571
	पुस्तकालय पुस्तकें	16,65,159	-		16,65,159	16,65,159	-		16,65,159	-
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	60,02,388	-		60,02,388	57,02,269	-		57,02,269	3,00,119
	विद्युत संस्थापन	4,94,676	-		4,94,676	2,88,134	50,083		3,38,217	1,56,459
	पंखे एवं एयर कूलर	90,545	-		90,545	49,210	8,932		58,142	32,403
	सर्वेक्षण उपकरण	52,56,165	-	-	52,56,165	49,90,607		-	49,90,607	2,65,558
	जलयान (बक्सर, घोगरा)	65,000	-	-	65,000					65,000
	भूमि	16,58,81,542	-	-	16,58,81,542	-			-	16,58,81,542
	योग (झ)	**34,70,35,832**	**4,69,493**	-	**34,75,05,325**	**8,05,43,399**	**25,64,248**	-	**8,31,07,647**	**26,43,97,678**
जेएमवीपी	फर्नीचर एवं फिक्सचर	61,84,846	-		61,84,846	29,16,857	5,87,244	-	35,04,101	26,80,745
	फर्नीचर एवं फिक्सचर–पीआईयू पटना	94,663	-	-	94,663	21,737	9,000		30,737	63,926
	फर्नीचर एवं फिक्सचर–पीआईयू									

	साहिबगंज	2,04,970	8,209	-	2,13,179	52,368	22,975		75,343	1,37,836
	कंप्यूटर	27,35,505	-	-	27,35,505	24,31,805	1,66,925		25,98,730	1,36,775
	कंप्यूटर–पीआईयू पटना	1,99,199	-	-	1,99,199	1,66,682	22,558		1,89,240	9,959
	कार्यालय उपकरण	22,29,004	1,17,728		23,46,732	18,56,428	96,305		19,52,733	3,94,001
	कार्यालय उपकरण–साहिबंज	43,650	-		43,650	3,772	8,386		12,158	31,492
	कार्यालय उपकरण–वाराणसी	17,363	-		17,363	3,990	3,025		7,015	10,348
	पुस्तकालय पुस्तकें	14,000	-		14,000	14,000	-		14,000	-
	एयर कंडीशनर–पीआईयू–पटना	-	-	-	-	-	-		-	-
	एयर कंडीशनर– साहिबगंज–पीआईयू	4,08,000			4,08,000	1,16,224	38,738		1,54,962	2,53,038
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	5,05,861	-		5,05,861	4,13,879	58,441		4,72,320	33,541
	अस्थायी संरचना	90,37,112			90,37,112	90,37,112	-		90,37,112	-
	विद्युत संस्थापन	25,49,577			25,49,577	12,11,049	2,42,215		14,53,264	10,96,313
	विद्युत संस्थापन–वाराणसी–पीआईयू	1,16,19,270	-		1,16,19,270		11,04,133		11,04,133	1,05,15,137
	विद्युत संस्थापन–साहिबगंज–पीआईयू	3,29,99,567	5,00,000		3,34,99,567	13,05,691	31,96,690		45,02,381	2,89,97,186
	रसोईघर उपकरण	8,720			8,720	6,564	1,657		8,221	499
	वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	-	-	-	-	-	-		-	-
	वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर–साहि.	27,800		-	27,800	13,693	5,282		18,975	8,825
	पंखे एवं एयर कूलर	23,030	-		23,030	10,985	4,376		15,361	7,669
	फर्नीचर एवं फिक्सचर–कोलकाता	3,21,484	-		3,21,484	1,20,245	30,541		1,50,786	1,70,698
	पट्टा भूमि–कोलकाता	40,18,88,022	9,61,333	-	40,28,49,355	2,91,45,525	1,45,71,235	-	4,37,16,760	35,91,32,59

										5
	भूमि–फरक्का–कोलकाता	2,35,80,160			2,35,80,160	-			-	2,35,80,160
	कंप्यूटर–कोलकाता	4,28,897	-		4,28,897	2,45,716	94,226		3,39,942	88,955
	कंप्यूटर–वाराणसी–पीआईयू	81,676		-	81,676	39,437	19,289		58,726	22,950
	कंप्यूटर–साहिबगंज–पीआईयू	1,87,133	-		1,87,133	25,426	61,040		86,466	1,00,667
	संचार उपकरण	35,47,740	-	(35,47,740)	-	6,62,590		(6,62,590)	-	-
	सामान्य जलयान–पटना	6,33,43,800	-		6,33,43,800	59,56,370	20,05,887		79,62,257	5,53,81,543
	सामान्य जलयान–कोलकाता	6,33,43,800	-		6,33,43,800	58,17,561	20,06,579		78,24,140	5,55,19,660
	टर्मिनल–वाराणसी	1,82,43,92,265	-		1,82,43,92,265	3,50,42,286	5,77,72,422		9,28,14,708	1,73,15,77,557
	भूमि–वाराणसी–टर्मिनल	1,11,56,73,248	-	-	1,11,56,73,248	-			-	1,11,56,73,248
	भूमि–कालूघाट		6,00,14,617		6,00,14,617				-	6,00,14,617
	भूमि–रामनगर		1,46,01,610		1,46,01,610				-	1,46,01,610
	पंखे एवं एयर कूलर–साहिबगंज		3,584		3,584		334		334	3,250
	संचार उपकरण–कोलकाता			18,04,146	18,04,146		3,42,787	2,72,630	6,15,417	11,88,729
	संचार उपकरण–वाराणसी			8,61,859	8,61,859		68,669	2,56,621	3,25,290	5,36,569
	संचार उपकरण–साहिबगंज			8,81,735	8,81,735		2,21,044	1,33,339	3,54,383	5,27,352
	भूमि–गाजीपुर–टर्मिनल	14,76,70,289	-	-	14,76,70,289				-	14,76,70,289
	भूमि–साहिबगंज–टर्मिनल	1,17,19,35,919			1,17,19,35,919				-	1,17,19,35,919
	योग (ञ)									

		4,88,52,96,570	**7,62,07,081**	-	**4,96,15,03,651**	**9,66,37,992**	**8,27,62,003**	-	**17,93,99,995**	**4,78,21,03,658**
रा.ज–4	कंप्यूटर	7,40,745	5,88,171		13,28,916	3,83,059	2,20,678	-	6,03,737	7,25,179
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	8,83,691	39,680	-	9,23,371	3,13,423	85,953	-	3,99,376	5,23,995
	पुस्तकालय पुस्तकें	12,508	1,250		13,758	12,508	1,250		13,758	-
	कार्यालय उपकरण	3,49,343	36,550		3,85,893	46,484	67,210		1,13,694	2,72,199
	वाटर कूलर	7,999	-		7,999	1,524	1,520		3,044	4,955
	स्पीड बोट (पी.बी. फाल्कॉन– I)	11,20,418	5,35,500	-	16,55,918	10,36,016	29,127	-	10,65,143	5,90,775
	सर्वेक्षण उपकरण	24,89,800	60,196		25,49,996	49,116	1,59,087		2,08,203	23,41,793
	एयर कंडीशनर	2,13,000	-		2,13,000	61,654	20,236	-	81,890	1,31,110
	योग (ट)	**58,17,504**	**12,61,347**	-	**70,78,851**	**19,03,784**	**5,85,061**	-	**24,88,845**	**45,90,006**
रा.ज–5	कंप्यूटर	7,70,660			7,70,660	2,09,094	69,698		2,78,792	4,91,868
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	3,41,042			3,41,042	1,02,012	34,004		1,36,016	2,05,026
	वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	34,000			34,000	34,000	-		34,000	-
	कार्यालय उपकरण	89,620			89,620	25,872	8,964		34,836	54,784
	पंखे एवं एयर कूलर	10,100			10,100	1,119	373		1,492	8,608
	बार्जेज एंड पंटून	-			-				-	-
	एयर कंडीशनर	1,70,340	-		1,70,340	38,244	12,883		51,127	1,19,213
	योग (ठ)	**14,15,762**	-	-	**14,15,762**	**4,10,341**	**1,25,922**	-	**5,36,263**	**8,79,499**
	सकल योग	**16,74,95,00,732**	**42,08,83,207**	**(38,31,885)**	**17,16,65,52,054**	**3,22,33,19,675**	**39,48,05,180**	**(35,26,038)**	**3,61,45,98,818**	**13,55,19,53,239**

	(क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज+झ+ञ +ट+ठ)									
	पूर्व वर्ष									

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

s

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

28. यथा दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रूपए में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनूसची–3 "पूंजी"			
1	भाअजप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(ग) के तहत पूंजी	94,37,244.00	94,37,244.00
2	भाअजप्रा अधिनियम की धारा 19 के तहत भाअजप्रा निधि		
	निधि का प्रारंभिक शेष	17,76,42,89,668.00	15,75,16,95,114.00
	जोड़ेः		
	भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान	4,13,50,00,000.00	4,06,59,27,000.00
	आंतरिक प्राप्तियां (सूची के अनुसार)	19,50,05,446.00	29,95,98,237.00
	प्राप्त अन्य अनुदान (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	घटाएंः		
	भारत सरकार को देय राशि	(19,50,05,446.00)	(29,95,98,237.00)
	भारत सरकार को देय अव्ययित अनुदान	(52,99,62,000.00)	-
	आय एवं व्यय लेखों में अंतरित	(37,79,71,573.00)	(32,15,76,653.00)
	वर्ष के दौरान बेची गई/बट्टे खाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियों का बही मूल्य	(35,450.00)	(2,38,994.00)
	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	–मूल्यह्रास का समायोजन		-
	जोड़े/घटाएंः आय एवं व्यय लेखों से अंतरित अधिशेष/घाटा	(1,17,92,61,451.00)	(1,73,15,16,799.00)
	भाअजप्रा निधि का अंतिम शेष	19,81,20,59,194.00	17,76,42,89,668.00
	योग		
अनूसची–4 "आरक्षित निधि एवं अधिशेष"			
1	**पूंजीगत आरक्षित निधि**		
	प्रारंभिक शेष		-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती		-
	अंतिम शेष	-	-
2	**सामान्य आरक्षित निधि**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**अन्य कोई आरक्षित निधि/निधि (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-

	योग (1+2+3)	-	-
अनूसची–5 "निर्धारित/अक्षय निधि"			
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान दान/अनुदान से वृद्धि	-	-
	निधि संबंधित निवेश से आय	-	-
	अन्य वृद्धि (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-
अनूसची–6 "दीर्घावधि उधार राशियां"			
क	**सुरक्षित**		
1	**भारत सरकार से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	**वित्तीय संस्थानों से ऋण**		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**बैंकों से ऋण**		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	**अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	**बॉण्ड/डिबेंचर्स**		
	प्रारंभिक शेष	-	-

	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
6	**अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
B	**असुरक्षित**		
1	**भारत सरकार से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	**वित्तीय संस्थानों से ऋण**		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**बैंकों से ऋण**		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	**अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-

5	**बॉण्ड/डिबेंचर्स**		
	प्रारंभिक शेष	10,00,00,00,000.00	10,00,00,00,000.00
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो		-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	10,00,00,00,000.00	10,00,00,00,000.00
6	**अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (अनुसूची–6)	**10,00,00,00,000.00**	**10,00,00,00,000.00**
अनूसची–7 "अन्य गैर–चालू देयताएं"			
1	प्राप्त प्रतिभूति जमा	30,92,00,532.00	35,57,59,794.00
2	प्राप्त बयाना राशि	15,37,546.00	17,18,322.00
3	प्राप्त मार्जिन राशि		
4	रोके गए कर	22,70,23,977.00	15,38,88,438.00
5	व्यय हेतु देयताएं	8,59,03,154.00	8,87,45,815.00
6	देय शुल्क तथा कर	-	-
7	भारत सरकार को देय आंतरिक प्राप्ति	-	
8	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-	15,62,307.00
9	प्रतिधारण राशि	-	
10	अन्य		
	– अवकाश नकदीकरण हेतु देयताएं	12,36,29,303.00	10,39,35,203.00
	– देय दावा	1,88,59,063.00	1,74,39,891.00
	योग	**76,61,53,575.00**	**72,30,49,770.00**
अनूसची–8 "दीर्घावधि प्रावधान"			
1	ग्रेच्युटी का प्रावधान	-	-
2	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान का प्रावधान (प्रतिनियुक्ति के कार्मिकों हेतु)	-	-
3	पेंशन अंशदान का प्रावधान	-	-
4	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	-
5	नयी पेंशन योजना का प्रावधान	-	-
6	बोनस का प्रावधान	-	-
7	शुल्क तथा कर का प्रावधान	-	-
8	बॉण्ड/डिबेंचर पर ब्याज का प्रावधान (यानी उपचित किंतु देय नहीं)	-	-
9	अशोध्य और संदिग्ध कर्ज का प्रावधान	-	-
10	अन्य प्रावधान	1,79,47,467.00	1,65,57,618.00
	योग	**1,79,47,467.00**	**1,65,57,618.00**
अनूसची–9 "अल्प–अवधि उधार राशियां"			
क	**सुरक्षित**		
1	**भारत सरकार से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	**वित्तीय संस्थानों से ऋण**		

	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**बैंकों से ऋण**		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	**अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	**बॉण्ड/डिबेंचर्स**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
6	**अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)**	-	
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख	**असुरक्षित**		
1	**भारत सरकार से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-

	अंतिम शेष	-	-
2	**वित्तीय संस्थानों से ऋण**		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	**बैंकों से ऋण**		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	**अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	**बॉण्ड/डिबेंचर्स**		
	प्रारंभिक शेष	25,16,27,916.00	25,09,66,575.00
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो		-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(25,16,27,916.00)	(25,09,66,575.00)
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	25,09,66,575.00	25,16,27,916.00
	अंतिम शेष	25,09,66,575.00	25,16,27,916.00
6	**अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)**		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (अनुसूची–9)	**25,09,66,575.00**	**25,16,27,916.00**
अनूसची–10 "विविध लेनदार"			
1	आपूर्तिकर्ता एवं ठेकेदार	76,34,37,377.00	54,89,54,438.00
2	पेशेवर	11,88,854.00	12,80,922.00

3	अन्य	8,08,14,485.00	1,28,90,33,309.00
	योग	**84,54,40,716.00**	**1,83,92,68,669.00**
अनूसची–11 "अन्य चालू देयताएं"			
1	प्राप्त प्रतिभूति जमा	11,19,44,308.00	7,87,64,663.00
2	प्राप्त बयाना राशि	21,83,456.00	80,90,032.00
3	प्राप्त मार्जिन राशि	-	-
4	रोके गए कर	5,07,51,134.00	7,55,00,933.00
5	व्यय हेतु देयताएं	17,70,94,902.00	13,82,83,481.00
6	देय शुल्क तथा कर	2,84,50,346.00	1,04,70,857.00
7	भारत सरकार को देय आंतरिक प्राप्ति	19,50,05,446.00	29,95,68,237.00
8	भारत सरकार को देय अव्ययित अनुदान	52,99,62,000.00	-
9	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	12,67,17,417.00	5,14,43,777.00
10	प्रतिधारण राशि	-	6,800.00
11	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	2,48,94,420.00	14,62,32,123.00
	योग	**1,24,70,03,429.00**	**80,83,60,903.00**
अनूसची–12 "प्रावधान"			
1	ग्रेच्युटी का प्रावधान	49,81,469.00	-
2	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान का प्रावधान (प्रतिनियुक्ति के कार्मिकों हेतु)	38,00,860.00	51,18,990.00
3	पेंशन अंशदान का प्रावधान	3,13,42,784.00	-
4	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	88,48,965.00	-
5	नयी पेंशन योजना का प्रावधान	-	-
6	बोनस का प्रावधान	16,20,502.00	15,33,577.00
7	शुल्क तथा कर का प्रावधान	-	
8	बॉण्ड/डिबेंचर पर ब्याज का प्रावधान (यानी उपचित किंतु देय नहीं)	-	
9	अशोध्य और संदिग्ध कर्ज का प्रावधान	-	
10	अन्य प्रावधान (चिकित्सा)	52,53,886.00	41,39,074.00
	योग	**5,58,48,466.00**	**1,07,91,641.00**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

29. 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

(राशि रूपए में)

अनुसूची–13

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	विवरण
	01.04.2020 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	कटौती	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	01.04.2020 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान	वृद्धि/कटौती	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7	8	9 = (6+7+8)		10 = (2 - 6)
(क) मूर्त परिसंपत्तियां										
भूमि एवं भवन										
भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व										
–भूमि (चौड़ा करना)	1,62,36,339	-	-	1,62,36,339		-	-	-	1,62,36,339	1,62,36,339
–भूमि टर्मिनल	3,92,51,03,879	67,52,519	-	3,93,18,56,398	-	-	-	-	3,93,18,56,398	3,92,51,03,879
–भूमि –फ्रेट विलेज	1,62,40,350	69,59,560		2,31,99,910					2,31,99,910	1,62,40,350
–भूमि (रामनगर)		1,46,01,610		1,46,01,610					1,46,01,610	-
–भूमि (कालूघाट)		6,00,14,617		6,00,14,617					6,00,14,617	-
–भूमि (निनी)	15,24,50,100	-	-	15,24,50,100	-	-	-	-	15,24,50,100	15,24,50,100
(ख) पट्टाधृत								-	-	-
–भूमि (चौड़ा करना)		-		-	-	-	-	-	-	-
–भूमि टर्मिनल	40,18,88,022	9,61,333	-	40,28,49,355	2,91,45,525	1,45,71,235	-	4,37,16,760	35,91,32,595	37,27,42,497
–भूमि (हल्दिया)		3,23,49,012		3,23,49,012		10,78,300		10,78,300	3,12,70,712	-
–भूमि (प्रिंसेप घाट)		2,73,72,520		2,73,72,520		9,12,417	-	9,12,417	2,64,60,103	-
–भूमि (नौएडा कार्यालय)	1,79,51,542	-	-	1,79,51,542	5,43,310	2,71,655	-	8,14,965	1,71,36,577	1,74,08,232

भवन									-	
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि									-	
–भवन	8,67,64,911	-	-	8,67,64,911	69,81,136	15,45,242	-	85,26,378	7,82,38,533	7,97,83,775
–कार पार्किंग		-	-	-			-	-	-	-
–कार्यशाला	11,37,39,075	-	-	11,37,39,075	2,01,43,742	17,85,134	-	2,19,28,876	9,18,10,199	9,35,95,333
–अस्थायी संरचना	1,06,98,654		-	1,06,98,654	1,06,98,654	-	-	1,06,98,654	-	-
–सिविल संरचना (नदी सूचना प्रणाली)	7,49,51,957	-	-	7,49,51,957	24,88,434		-	24,88,434	7,24,63,523	7,24,63,523
–सिविल संरचना (डिजिटल जनरेटर प्रोटेक्शन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टाधृत भूमि पर									-	
–भवन	12,30,46,693	-	-	12,30,46,693	3,96,60,222	36,26,994		4,32,87,216	7,97,59,477	8,33,86,471
–कार पार्किंग	2,33,92,491	-	-	2,33,92,491	39,23,000	3,38,938	-	42,61,938	1,91,30,553	1,94,69,491
–कार्यशाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
–अस्थायी संरचना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
–सिविल संरचना (नदी सूचना प्रणाली)	1,98,69,240	-	-	1,98,69,240	13,32,965	3,14,973	-	16,47,938	1,82,21,302	1,85,36,275
–सिविल संरचना (डिजिटल जनरेटर प्रोटेक्शन)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
–अन्य (अस्थायी संरचना–नौएडा)	7,10,114	-	-	7,10,114	7,10,114	-	-	7,10,114	-	-
(ग) आवासीय क्वार्टर									-	
नौएडा	3,08,57,003	-	-	3,08,57,003	88,82,064	4,74,714	-	93,56,778	2,15,00,225	2,19,74,939
योग (I)	**5,01,39,00,370**	**14,90,11,171**	**-**	**5,16,29,11,541**	**12,45,09,166**	**2,49,19,602**	**-**	**14,94,28,768**	**5,01,34,82,773**	**4,88,93,91,204**
टर्मिनल										
–सिविल संरचना	5,31,27,09,933	88,72,653	-	5,32,15,82,586	90,74,24,838	15,58,00,337	-	1,06,32,25,175	4,25,83,57,411	4,40,52,85,095
–अन्य (अस्थायी टर्मिनल)	22,95,158	-	-	22,95,158	13,02,678	1,55,370		14,58,048	8,37,110	9,92,480

योग (II)	**5,31,50,05,091**	**88,72,653**	**-**	**5,32,38,77,744**	**90,87,27,516**	**15,59,55,707**	**-**	**1,06,46,83,223**	**4,25,91,94,521**	**4,40,62,77,575**
पुल, पुलिया, बंकर आदि										
–फुट ओवर ब्रिज थोटापल्ली	21,88,615	-	-	21,88,615	12,08,785	69,306	-	12,78,091	9,10,524	9,79,830
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (III)	**21,88,615**	**-**	**-**	**21,88,615**	**12,08,785**	**69,306**	**-**	**12,78,091**	**9,10,524**	**9,79,830**
प्लांट एवं मशीनरी										
–यात्री लिफ्ट्स	46,12,400	-	-	46,12,400	7,73,515	66,830	-	8,40,345	37,72,055	38,38,885
–फोर्क लिफ्ट्स	63,70,925	-	-	63,70,925	54,06,307	4,03,492	-	58,09,799	5,61,126	9,64,618
–एयर कंडीशनर	2,78,79,427	6,39,918	-	2,85,19,345	1,57,80,349	24,26,676	-	1,82,07,025	1,03,12,320	1,20,99,078
–रात्रि नौचालन उपकरण	15,06,97,848	53,54,296	(2,90,829)	15,57,61,315	7,83,84,452	64,67,555	(28,280)	8,48,23,727	7,09,37,588	7,23,13,396
–नदी सूचना प्रणाली स्टेशन	17,70,54,535	2,36,07,603	-	20,06,62,138	5,42,44,238	1,60,70,289	-	7,03,14,527	13,03,47,611	12,28,10,297
–डिजिटल जनरेटर प्रोटेक्शन स्टेशन	7,73,39,780	-	-	7,73,39,780	3,43,96,707	38,44,684	-	3,82,41,391	3,90,98,389	4,29,43,073
–जलीय क्रेन	16,02,41,797	-	-	16,02,41,797	11,81,05,114	43,66,528	-	12,24,71,642	3,77,70,155	4,21,36,683
–जनरेटर सेट	1,01,31,114	3,81,400	-	1,05,12,514	50,28,343	5,31,659	-	55,60,002	49,52,512	51,02,771
–कार्यशाला उपकरण	4,02,778	-	-	4,02,778	2,30,602	26,592	-	2,57,194	1,45,584	1,72,176
–फायर मोकअप उपकरण	52,37,144	-	-	52,37,144	49,75,288	-	-	49,75,288	2,61,856	2,61,856
–सर्वेक्षण उपकरण/औजार	12,74,26,115	2,52,110	(1,61,727)	12,75,16,498	7,39,06,262	58,19,838	(1,61,727)	7,95,64,373	4,79,52,125	5,35,19,853
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
–रसोई उपकरण	8,720	-	-	8,720	6,564	1,657	-	8,221	499	2,156
–सीवरेज प्रक्रिया संयंत्र	1,08,52,000	-	-	1,08,52,000	24,17,372	6,99,463	-	31,16,835	77,35,165	84,34,628
योग (IV)	**75,82,54,583**	**3,02,35,327**	**(4,52,556)**	**78,80,37,354**	**39,36,55,113**	**4,07,25,263**	**(1,90,007)**	**43,41,90,369**	**35,38,46,985**	**36,45,99,470**

फर्नीचर एवं फिटिंग्स										
–हॉस्टल एवं रसोई	6,06,957	-	-	6,06,957	5,76,610	-	-	5,76,610	30,347	30,347
–फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	2,99,60,459	3,94,135	-	3,03,54,594	1,79,68,002	20,26,781	-	1,99,94,783	1,03,59,811	1,19,92,457
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (V)	**3,05,67,416**	**3,94,135**	**-**	**3,09,61,551**	**1,85,44,612**	**20,26,781**	**-**	**2,05,71,393**	**1,03,90,158**	**1,20,22,804**
मोटर वाहन										
–मोटर वाहन	1,06,11,656	-	(2,60,627)	1,03,51,029	49,84,178	9,96,209	(2,47,596)	57,32,791	46,18,238	56,27,478
–साइकिल	35,067	-	-	35,067	32,707	297	-	33,004	2,063	2,360
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (VI)	**1,06,46,723**	**-**	**(2,60,627)**	**1,03,86,096**	**50,16,885**	**9,96,506**	**(2,47,596)**	**57,65,795**	**46,20,301**	**56,29,838**
जहाज एवं जलयान										
–सामान्य जलयान	2,38,02,38,293	22,72,24,127	-	2,60,74,62,420	31,97,63,287	7,66,03,211	-	39,63,66,498	2,21,10,95,922	2,06,04,75,006
–स्पीड बोट	1,22,86,496	5,35,500	-	1,28,21,996	1,01,38,273	2,84,347	-	1,04,22,620	23,99,376	21,48,223
–जलयान निकर्षण इकाई	2,65,57,71,110	-	(29,56,037)	2,65,28,15,073	1,15,05,38,622	6,21,53,576	(29,56,037)	1,20,97,36,161	1,44,30,78,912	1,50,52,32,488
–बार्ज तथा पंटून	36,01,40,589	-	-	36,01,40,589	16,54,02,795	1,45,74,578	-	17,99,77,373	18,01,63,216	19,47,37,794
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-		-	-	-
योग (VII)	**5,40,84,36,488**	**22,77,59,627**	**(29,56,037)**	**5,63,32,40,078**	**1,64,58,42,977**	**15,36,15,712**	**(29,56,037)**	**1,79,65,02,652**	**3,83,67,37,426**	**3,76,25,93,511**
कार्यालय उपकरण										
–वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	9,92,892	-	-	9,92,892	6,79,147	47,584	-	7,26,731	2,66,161	3,13,745
–पंखे एवं एयर कूलर	16,04,586	60,179	(12,000)	16,52,765	13,69,470	34,160	(12,000)	13,91,630	2,61,135	2,35,116
–अन्य (प्रिंटर/फैक्स/कॉपियर, आदि)	2,10,56,717	15,15,275	(7,872)	2,25,64,120	1,39,66,613	23,66,628	(6,950)	1,63,26,291	62,37,831	70,90,104

योग (VIII)	2,36,54,195	15,75,454	(19,872)	2,52,09,777	1,60,15,230	24,48,372	(18,950)	1,84,44,652	67,65,127	76,38,965
कंप्यूटर तथा डेटा प्रोसेसिंग यूनिट										
–कंप्यूटर	5,81,43,229	23,65,719	(1,42,793)	6,03,66,155	4,50,34,044	53,78,122	(1,13,448)	5,02,98,718	1,00,67,437	1,31,09,185
–संचार उपकरण	1,36,58,242	1,970	-	1,36,60,212	70,70,570	14,76,611	-	85,47,182	51,13,030	65,87,672
–सिमुलेटर्स	3,17,31,375	-	-	3,17,31,375	3,01,44,804	-	-	3,01,44,804	15,86,572	15,86,571
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (IX)	10,35,32,846	23,67,689	(1,42,793)	10,57,57,742	8,22,49,418	68,54,733	(1,13,448)	8,89,90,704	1,67,67,039	2,12,83,428
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण							-			
–विद्युत संस्थापन	6,44,71,388	5,00,000	-	6,49,71,388	1,11,09,058	60,61,889	-	1,71,70,947	4,78,00,441	5,33,62,330
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (X)	6,44,71,388	5,00,000	-	6,49,71,388	1,11,09,058	60,61,889	-	1,71,70,947	4,78,00,441	5,33,62,330
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं										
–पुस्कालय पुस्तकें	35,72,717	95,709	-	36,68,426	35,72,717	95,709	-	36,68,426	-	-
–पाठ्यक्रम सामग्री एवं उपकरण (निनी)	5,29,999	-	-	5,29,999	5,29,999	-	-	5,29,999	-	-
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (XI)	41,02,716	95,709	-	41,98,425	41,02,716	95,709	-	41,98,425	-	-
कुल – (क) मूर्त परिसंपत्तियां (I-XI)	16,73,47,60,431	42,08,11,765	(38,31,885)	17,15,17,40,311	3,21,09,81,476	39,37,69,580	(35,26,038)	3,60,12,25,019	13,55,05,15,295	13,52,37,78,955
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां										
आंतरिक रूप से विकसित										
–सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बाहर से लाए गए									-	

–सॉफ्टवेयर	1,47,40,301	71,442	-	1,48,11,743	1,23,38,199	10,35,600	-	1,33,73,799	14,37,944	24,02,102
–अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल – (ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	**1,47,40,301**	**71,442**	**-**	**1,48,11,743**	**1,23,38,199**	**10,35,600**	**-**	**1,33,73,799**	**14,37,944**	**24,02,102**
कुल योग (क+ख)	**16,74,95,00,732**	**42,08,83,207**	**(38,31,885)**	**17,16,65,52,054**	**3,22,33,19,675**	**39,48,05,180**	**(35,26,038)**	**3,61,45,98,818**	**13,55,19,53,239**	**13,52,61,81,057**
पूर्व वर्ष	**13,72,29,00,750**	**3,03,37,54,966**	**(71,54,984)**	**16,74,95,00,732**	**2,89,14,47,970**	**33,64,19,434**	**(45,47,729)**	**3,22,33,19,675**	**13,52,61,81,057**	**10,83,14,52,780**

नोट :– नोएडा कार्यालय के पट्टा भूमि के संबंध में वर्ष के लिए रु. 394805180/– का मूल्यह्रास में रु. 16833607/– का ऋण परिशोधन रु. 24481916/– के सकल ब्लॉक वर्ष में, एमएमटी, हल्दिया टर्मिनल के लिए पट्टा भूमि टर्मिनल के संबंध में रु. 434253632/–, पतिखली टर्मिनल हल्दिया के लिए रु. 32349012/– और प्रिंसेप घाट टर्मिनल के लिए रु. 27372520/– शामिल है।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

30. 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

अनुसूची 14: ''चालू पूंजीगत कार्य'' (राशि रूपए में)

क्र. सं.	विवरण		प्रारंभिक शेष (यथा दिनांक 31.03.2020 के अनुसार)	वर्ष 2020–21 के दौरान वृद्धियां	वर्ष 2020–21 के दौरान पूंजीगत परिसम्पत्तियां	अंतिम शेष (यथा दिनांक 31.03.2021 के अनुसार)
1	**नौएडा कार्यालय**					
1	मेसर्स एबी डिजाइन हैबिट एण्ड कं.	म्युजियम का डिजाइन, देखरेख	3474805	0	0	3474805
2	मेसर्स इनको मेकेल प्रा. लि.	सोनिया विहार और जगतपुर को दो पांटून की आपूर्ति	7178295	1422002	0	8600297
3	मेसर्स मर्मुगाव पत्तन न्यास		12873434		0	12873434
	योग – नौएडा कार्यालय		**23526534**	**1422002**	**0**	**24948536**
	रा.ज.–1 कोलकाता कार्यालय					
1	मेसर्स नालंदा इंजीनियरिंग इन्टप्राईजेज	हल्दिया टर्मिनल में बीआईएसएन गैंगवे का निर्माण	2122241		**2122241**	0
2	मेसर्स क्लेगोर्न मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.	स्टील पांटून बिछाना	4819500	2907000	0	7726500
	योग – कोलकाता कार्यालय		**6941741**	**2907000**	**2122241**	**7726500**
	पटना कार्यालय					
1	मेसर्स एल्कॉम इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रा. लि.	पटना, वाराणसी, मौजमपुर एवं गोविंदपुर में आरआईएस उपकरण	14995864	0	14995864	0
2	मेसर्स शिव चन्द्र कुमार	रामनगर, जमानिया और मौजमपुर में आरआईएस	4980322	0	4980322	0
3	मेसर्स इंडियन रजिस्टार शिपिंग	जलयान की देखरेख और पर्यवेक्षण कार्य (बीवाई-98-107)		705168	705168	0
	योग – पटना कार्यालय		**19976186**	**705168**	**20681354**	**0**
	जलमार्ग विकास परियोजना					
1	मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो लि.	साहिबगंज में मल्टी–मोडल टर्मिनल का निर्माण	2427447271	144146958	0	2571594229
		फरक्का में नए नैविगेशनल लॉक का निर्माण	2215814556	67,55,44,641.00	0	2891359197

2	मेसर्स आईटीडी सिमेंटेशन इंडिया लि.	हल्दिया में मल्टी–मोडल टर्मिनल का निर्माण	4166604604	500313821	0	4666918425
3	मेसर्स अदानी पोर्ट्स एण्ड एसईजेड लि.		563191665	375403543	0	938595208
4	मेसर्स अदानी पोर्ट्स एण्ड एसईजेड लि.	एलएडी–महेन्द्रोर–बाढ़	23030963	104837725	0	127868688
5	मेसर्स अदानी पोर्ट्स एण्ड एसईजेड लि.	एलएडी–सुल्तानगंज–महेन्द्रपुर	46652198	126156969	0	172809167
6	सीडब्ल्यूआईपी–अनुरक्षण एवं रखरखाव	जेएमवीपी–पीएमयू	1127760825	233680565	0	1361441390
7	पुनर्वास और पुनः स्थापन	कैंडल	0	191160		191160
8	सीडब्ल्यूआईपी–अनुरक्षण एवं रखरखाव	कोलकाता–पीआईयू	46370259	25835679	0	72205938
9	सीडब्ल्यूआईपी–अनुरक्षण एवं रखरखाव	पटना–पीआईयू	7636005	5165517		12801522
10	डी. सी. सारण	जिला भूमि अर्जन अधिकारी, सारण, कालूघाट टर्मिनल के लिए एसआईए अध्ययन हेतु	757103	0	757103	0
11	सीडब्ल्यूआईपी–अनुरक्षण एवं रखरखाव	वाराणसी–पीआईयू	30699189	8755879	0	39455068
12	सीडब्ल्यूआईपी–अनुरक्षण एवं रखरखाव	साहिबगंज–पीआईयू	17787168	18821966	0	36609134
13	कार्यपालक अभियंता, वाराणसी	पंप कैनाल प्रणाली की प्रतिस्थापन लागत	39000000		0	39000000
14	जिला भूमि अर्जन अधिकारी	साहिबगंज भूमि के लिए आर एण्ड आर	374419000		0	374419000
15	आर एंड आर–जिला प्रशासन, साहिबगंज	साहिबगंज भूमि के लिए आर एंड आर	47232230	0		47232230
	योग – जेएमवीपी		**111344030 36**	**2,21,88,54,42 3.00**	**757103**	**13352500356 .00**
	राष्ट्रीय जलमार्ग – 2					
1	मेसर्स योजाका इंडिया प्रा. लि.	स्लिपवे मरम्मत सुविधा का निर्माण	4913896	0		4913896
2	आई. आर. एस.	जलयानों का पर्यवेक्षण कार्य	440730	0	440730	0
3	कार्यपालक अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी, गुवाहाटी	डिपॉजिट कार्य		2788745		2788745

4	जोगीघोपा में भूमि (103 एकड़)	सांकेतिक मूल्य		1		1
4	जोगीघोपा में भूमि (103 एकड़)	अधिक्रमण कर्त्ता (संख्या 139) को रु 36,75,000, 2. पट्टादार (संख्या 46) को रु 1,46,65,500/–, 3. जीरत (35) को रु 81,10,673/– देय		26451173		26451173
	योग – राष्ट्रीय जलमार्ग–2		**5354626**	**29239919**	**440730**	**34153815**
	राष्ट्रीय जलमार्ग–3					
1	सीपीडब्ल्यूडी–केरल	अलापुझा, कायमकुलम, चावड़ा में टर्मिनल और पहुंच सड़क का निर्माण	6,03,98,653	0	0	6,03,98,653
2	मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लि.		16,38,00,000	35981460	199781460	0
3	मेसर्स आईआरएस	जलयानों का पर्यवेक्षण कार्य	8,81,460	0	881460	0
4	निदेशक, अन्तर्देशीय नैविगेशन निदेशालय	त्रिकुणापुझा में नैविगेशनल लॉक का पुनर्निर्माण	53632129	0	53632129	0
	योग– राष्ट्रीय जलमार्ग–3		**27,87,12,242**	**3,59,81,460**	**25,42,95,049**	**6,03,98,653**
	राष्ट्रीय जलमार्ग–4					
1	मेसर्स वाटरवेज शिपयार्ड प्रा. लि.	कृष्णा नदी–रा.ज.–4 पर फ्लोटिंग पांटून्स	29232000	6577200	0	35809200
	योग– राष्ट्रीय जलमार्ग–4		**2,92,32,000**	**65,77,200**	**0**	**3,58,09,200**
	सकल योग		**11,49,81,46,365.00**	**2,29,56,87,172.00**	**27,82,96,477.00**	**13,51,55,37,060.00**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रूपए में)

अनुसूची 15: ''गैर–चालू निवेश''

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान निपटाए गए/अवलिखित	अंतिम शेष
क	निर्धारित निधि में से निवेश				
1	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
5	सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम	3,00,000.00	-	-	3,00,000.00
6	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
	उप–योग (क)	**3,00,000.00**	**-**	**-**	**3,00,000.00**
ख	स्वाधिकृत निधि में से निवेश				
1	सरकारी प्रतिभूतियों में				-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
5	सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6	अन्य (भारतीय जीवन बीमा निगम)	10,39,35,203.00	2,13,73,281.00	-	12,53,08,484.00
	उप–योग (ख)	**10,39,35,203.00**	**2,13,73,281.00**	**-**	**12,53,08,484.00**
	योग (क+ख)	**10,42,35,203.00**	**2,13,73,281.00**	**-**	**12,56,08,484.00**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रूपए में)

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची–16 ''जमा राशियां, ऋण एवं अग्रिम''			
1	संविदाकर्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
	–पूंजीगत अग्रिम	2909582832	1638497094
	–राजस्व अग्रिम	18567942	24994285
2	स्टाफ को अग्रिम	4943417	6275551
3	विभागीय अग्रिम		
4	प्रदत्त प्रतिभूति जमा	42540454	41084101
5	प्रदत्त अग्रिम शुल्क एवं कर	6019227	7804524
6	प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	84865	92545
7	अन्य	0	
	कुल	**2981738737**	**1718748100**
अनुसूची–17 ''अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां''			
1	पूर्वदत्त खर्च	2074343	831778
2	वसूली योग्य दावे	81087773	180081498
3	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल	**83162116**	**180913276**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

अनुसूची 18: ''चालू निवेश'' (राशि रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान निपटाए गए/अवलिखित	अंतिम शेष
1	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
5	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	2,13,73,281.00	(2,13,73,281.00)	16,79,181.00	(16,79,181.00)
योग		**2,13,73,281.00**	**(2,13,73,281.00)**	**16,79,181.00**	**(16,79,181.00)**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रूपए में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 19: ''माल सूची''			
1	मरीन के अतिरिक्त पुर्जे	1817383	10388218
2	स्थायी भंडार	438971	615786
3	उपयोग की जाने वाली वस्तुएं एवं स्टेशनरी	754811	470072
4	पीओएल स्टॉक	17514316	10817338
5	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		0
	कुल	**20525481**	**22291414**
अनुसूची 20: ''विविध देनदार''			
1	छह माह से ज्यादा	137655083	107966869
2	अन्य (अर्थात छह माह से कम)	13426946	11565201
	कुल	**151082029**	**119532070**
अनुसूची 21: ''नकद और नकद समतुल्य''			
1	उपलब्ध नकद		
	–भारतीय रुपए	14426	27492
	–विदेशी मुद्रा		
2	उपलब्ध स्टाम्प		
3	बैंक में जमा नकद		
	–चालू खाता	(278539139)	86010
	–बचत खाता	50175718	138408978
4	बैंक में अल्पावधि जमा	2525436667	2571693930
5	मार्गस्थ विप्रेषण		0
	कुल	**2297087672**	**2710216410**
अनुसूची–22 ''जमा राशि, ऋण एवं अग्रिम''			
1	संविदाकर्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
	–पूंजीगत अग्रिम	133633792	1468926385
	–राजस्व अग्रिम	12551234	9958118
2	स्टाफ को अग्रिम	5548559	731049
3	विभागीय अग्रिम	907020	1074237
4	प्रदत्त प्रतिभूति जमा	4989391	2594389
5	प्रदत्त अग्रिम शुल्क एवं कर	2405619	27491789
6	प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	11729134	799806
7	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल	**171764749**	**1511575773**
अनुसूची 23: ''अन्य चालू परिसंपत्तियां''			

1	उपचित आय	0	0
(क)	निवेश पर		
(ख)	ऋण एवं अग्रिम पर		
2	अन्य (वसूली योग्य दावे सहित)		
	–वसूली योग्य दावे	104644462	9139697
	–पूर्वदत्त खर्च	3431821	1060784
	कुल	**108076283**	**10200480**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(मयंक कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी/प्रभारी

(आशुतोष गौतम)
सदस्य (वित्त)

(जयंत सिंह)
उपाध्यक्ष

(संजय बंदोपाध्याय)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
31. 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा का अनुसूची अंश
अनुसूची–24 प्रचालनात्मक तथा अनुरक्षण खर्च

(राशि रूपए में)

विवरण	मुख्यालय	रा.ज.–1	रा.ज.–2	रा.ज.–3	रा.ज.–4	रा.ज.–5	नये जलमार्ग	पटना–निनी	जलमार्ग विकास परियोजना	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची–24 प्रचालनात्मक तथा अनुरक्षण खर्च											
(i) सर्वेक्षण			20515850	1954743	2465469	15607445			0		
(ii) निकर्षण		59068109	35506755	26208987	20781740	0					
(iii) बंडालिंग		46999564	67725335								
(iv) नौचालन एवं चैनल मार्किंग संबंधी सहायता		5647216	11375718	0		0					
(v) टर्मिनल सुविधाएं		81784775	40092509	12055219	0	473409			0		
(vi) जलयानों की मरम्मत तथा रखरखाव		105583359	8817528	1748163	83783	0					
(vii) रात्रि नौचालन		55137104	41690496	6234371							
(vii) प्रोटोकॉल खर्च			32048927								
(viii) नदी तट रक्षण			0	502492							
(ix) प्रशिक्षण खर्च		20552772									

(x) परामर्शी खर्च	0	0	0	0	1137557	4564300	12427841		0			
(xi) परियोजना प्रबंधन परामर्शी प्रभार	0		4586667	917334	3057778	611555	16817782		0			
(xii) सरकारी निजी सहभागिता परियोजना खर्च									0			
(xiii) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित खर्च	8435422	0	256972	119876								
(xiv) अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन संवर्धन खर्च	16449181	9442677	43849298	1369728	6835	0						
(xv) वेतन, मजदूरी तथा अन्य प्रशासनिक खर्च							4443335		0			
(xvi) अन्य – (क) फ्रेट विलेज	5877722	736855										
(ख) नौचालन लॉक गेट्स की मरम्मत तथा रखरखाव		50713050		165795222								
(ग) – बराक			2963727									
(घ) – घाघरा							205150					
(ङ) – गंडक							98636					
योग												

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

33. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट

हमने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (भाअजप्रा अधिनियम, 1985) की धारा 23 तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 1986 (भाअजप्रा नियमावली, 1986) के नियम 28 (3) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा का अंकेक्षण किया है। प्राधिकरण का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अंकेक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपना अंकेक्षण भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसरण में संचालित किया है। इन मानकों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार अंकेक्षण करें कि यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरणों की सामग्री त्रुटि मुक्त हैं। अंकेक्षण में, जांच आधारित परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल हैं। अंकेक्षण में, उपयोग में लाए गए लेखांकन नीतियों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के निर्धारण के साथ ही संपूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारा अंकेक्षण हमारी राय को एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करता है।

हमारे अंकेक्षण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

i. हमने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे जानकारी और विश्वास में अंकेक्षण के प्रयोजन से आवश्यक थे;

ii. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (13.07.2020) रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को लेखों के संशोधित प्रपत्र में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में, उचित लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किया गया है जैसा कि भाअजप्रा अधिनियम, 1985 की धारा 34(2)(छ) के तहत अपेक्षित है और जैसा कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है:

iv. हम आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि :

सामान्य

विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने एक करार (मार्च, 2009) के जरिए म्यांमार में सितवे पोर्ट को भारत में मिजोरम राज्य के साथ जोड़ते हुए कालादान नदी पर मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन हेतु संचालित की जा रही कलादान परियोजना हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) को परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) के रूप में नियुक्त किया है। अभी तक इस परियोजना पर कार्य प्रगति में था।

कलादान परियोजना के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) के रूप में काम कर रहा है। उससे प्राप्त होने वाले पीडीसी शुल्क और होने वाले व्यय भाअजप्रा से संबंधित है, इसलिए इसे भाअजप्रा के लेखा में शामिल करने की आवश्यकता है। हालाँकि, लेखा के लिए टिप्पणियों के बिंदु सं. 14 में किए गए प्रकटन के अनुसार, प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2020 तक विदेश मंत्रालय से ₹ 33.87 करोड़ प्राप्त किए जिसमें पीडीसी शुल्क ₹ 29.05 करोड़, सेवा कर ₹ 2.11 करोड़, वस्तु एवं सेवा कर ₹ 1.72 करोड़ और जलीय सर्वेक्षण व्यय ₹ 0.99 की प्रतिपूर्ति शामिल है। 31 मार्च 2021 तक बैंक ब्याज सहित ₹ 2.72 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां भी परियोजना में अर्जित की गई हैं। उपर्युक्त में से ₹ 31.28 करोड़ खर्च किए गए हैं।

उपर्युक्त टिप्पणी के तथ्यों एवं आंकड़ों को लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता चूंकि प्राधिकरण ने वर्ष 2020–21 हेतु कालादान परियोजना का अलग लेखा बही तैयार किया है और उक्त परियोजना के लेखे के घटक को प्राधिकरण के वर्ष 2020–21 के लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

वर्ष 2016—17, 2017—18, 2018—19 और 2019—20 के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया गया था लेकिन अभी तक प्रबंधन ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खाता, लेखा बही के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियों के साथ पठित लेखांकन नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उचित मत देते हैं:

क) जहां तक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से इसका संबंध है, और

ख) जहां तक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु/घाटा के आय एवं व्यय लेखा से इसका संबंध है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त

(दीपक कुमार)
लेखा परीक्षा महानिदेशक, (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 अप्रैल, 2022

अनुबंध
(वर्ष 2020–21 के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट)

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा किया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

भाअजप्रा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त लगती है।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भाअजप्रा द्वारा किया गया है। हालाँकि, सामान्य वित्तीय नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं गया था।

4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

भाअजप्रा द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए इन्वेंटरी रजिस्टर का भौतिक सत्यापन किया गया है।

5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

वैधानिक देय राशि के भुगतान में देरी का कोई उदाहरण नहीं देखा गया।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पत्र सं. डीजीए/आईएचक्यू–आई/27–66/21–22/खंड II/27, दिनांक 22.04.2022 की लेखा रिपोर्ट पर भाअजप्रा के उत्तर

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का विवरण	भाअजप्रा का उत्तर
हमने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (भाअजप्रा अधिनियम, 1985) की धारा 23 तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 1986 (भाअजप्रा नियमावली, 1986) के नियम 28 (3) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा का अंकेक्षण किया है। प्राधिकरण का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अंकेक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपना अंकेक्षण भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसरण में संचालित किया है। इन मानकों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार अंकेक्षण करें कि यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरणों की सामग्री त्रुटि मुक्त हैं। अंकेक्षण में, जांच आधारित परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल हैं। अंकेक्षण में, उपयोग में लाए गए लेखांकन नीतियों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के निर्धारण के साथ ही संपूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारा अंकेक्षण हमारी राय को एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करता है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि : i. हमने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे जानकारी और विश्वास में अंकेक्षण के प्रयोजन से आवश्यक थे; ii. पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (13.07.2020) रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को लेखों के संशोधित प्रपत्र में तैयार किया गया है।	**वास्तविक स्थिति**

iii. हमारी राय में, उचित लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किया गया है जैसा कि भाअजप्रा अधिनियम, 1985 की धारा 34(2)(छ) के तहत अपेक्षित है और जैसा कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है:	
iv. हम आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि :	
सामान्य विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने एक करार (मार्च, 2009) के जरिए म्यांमार में सितवे पोर्ट को भारत में मिजोरम राज्य के साथ जोड़ते हुए कालादान नदी पर मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन हेतु संचालित की जा रही कलादान परियोजना हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) को परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) के रूप में नियुक्त किया है। अभी तक इस परियोजना पर कार्य प्रगति में था। कलादान परियोजना के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) के रूप में काम कर रहा है। उससे प्राप्त होने वाले पीडीसी शुल्क और होने वाले व्यय भाअजप्रा से संबंधित है, इसलिए इसे भाअजप्रा के लेखा में शामिल करने की आवश्यकता है। हालाँकि, लेखा के लिए टिप्पणियों के बिंदु सं. 14 में किए गए प्रकटन के अनुसार, प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2020 तक विदेश मंत्रालय से ₹ 33.87 करोड़ प्राप्त किए जिसमें पीडीसी शुल्क ₹ 29.05 करोड़, सेवा कर ₹ 2.11 करोड़, वस्तु एवं सेवा कर ₹ 1.72 करोड़ और जलीय सर्वेक्षण व्यय ₹ 0.99 की प्रतिपूर्ति शामिल है। 31 मार्च 2021 तक बैंक ब्याज सहित ₹ 2.72 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां भी परियोजना में अर्जित की गई हैं। उपर्युक्त में से ₹ 31.28 करोड़ खर्च किए गए हैं। उपर्युक्त टिप्पणी के तथ्यों एवं आंकड़ों को लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता चूंकि प्राधिकरण ने वर्ष 2020–21 हेतु कालादान परियोजना का अलग लेखा बही तैयार किया है और उक्त परियोजना के लेखे के घटक को प्राधिकरण के वर्ष 2020–21 के लेखे में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया गया था लेकिन अभी तक प्रबंधन ने कोई सुधारात्मक	इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि परियोजना से संबंधित परिसम्पत्ति और दायित्व भाअजप्रा के वित्तीय विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है तथा अंकेक्षक का अवलोकन सही है। आगे, अंकेक्षकों द्वारा यथा अवलोकित, प्राप्त पीडीसी शुल्क के साथ–साथ किए गए व्यय का लेखा परिक्षा वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया जाएगा। अंकेक्षक इसकी जाँच अगले दौरे के दौरान कर सकते हैं।

कार्रवाई नहीं की। v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खाता, लेखा बही के अनुरूप है। vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियों के साथ पठित लेखांकन नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उचित मत देते हैं: क) जहां तक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से इसका संबंध है, और ख) जहां तक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु/घाटा के आय एवं व्यय लेखा से इसका संबंध है।	
अनुबंध **(वर्ष 2020–21 के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट)** **1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता** चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा किया गया।	वास्तविक स्थिति
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता भाअजप्रा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त लगती है।	वास्तविक स्थिति
3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भाअजप्रा द्वारा किया गया है। हालाँकि, सामान्य वित्तीय नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं गया था।	जीईआर की आवश्यकता के अनुसार अचल परिसंपत्ति रजिस्टर के सही ढंग से रखरखाव नहीं होने के संबंध में सूचित किया जाता है कि दिनांक 04.05.2022 के ओएम सं. भाअजप्रा/वित्त/एए/3452/2020–21 द्वारा सभी संबंधित यूनिटों को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 की आवश्यकता के अनुसार अंकेक्षण के लिए दिए गए सुझाव के अनुरूप भाअजप्रा की अचल परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव सही ढंग से करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निदेश दिया गया

	है।
4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	
भाअजप्रा द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए इन्वेंटरी रजिस्टर का भौतिक सत्यापन किया गया है।	वास्तविक स्थिति
5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता	
वैधानिक देय राशि के भुगतान में देरी का कोई उदाहरण नहीं देखा गया।	वास्तविक स्थिति

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मुख्यालय: ए–**13,** सेक्टर–**1,** नोएडा–**201301,** जिला–गौतम बुद्ध नगर (उ. प्र.)
दूरभाष सं.: **0120-2544040, 2544036, 2543972 ;** फैक्स सं. **0120-2543973, 2521764**
ई–मेल: iwainoi@nic.in, वेबसाइट: www.iwai.nic.in